लोक-सभा
वाद-विवाद

द्वितीय माला

खण्ड १०, १९५७

(९ दिसम्बर से २१ दिसम्बर, १९५७)

2nd Lok Sabha

(Third Session)

सत्यमेव जयते

Preservation Unit
Fumigated
On 24.11.83
Parliament Library

दूसरा सत्र, १९५७

(खण्ड १० में अंक २१ से ३२ तक है)

लोक-सभा सचिवालय

नई दिल्ली

314 LSD--1

विषय-सूची

(द्वितीय माला, खण्ड १०—अंक २१ से ३२—दिनांक ६ दिसम्बर से २१ दिसम्बर, १६५७)

अंक २१, सोमवार, ६ दिसम्बर, १६५७

प्रश्नों के मौखिक उत्तर— पृष्ठ

तारांकित प्रश्न संख्या ६०० से ६०४, ६०६, ६०७, ६०६, ६१२ से ६१४, ६१६ और ६१८ से ६२१ — २०८५–२१०७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६०५, ६१०, ६११, ६१५, ६१७, ६२२ से ६२८ और ४८७ — २१०८–१३

अतारांकित प्रश्न संख्या १२६३ से १३७१ और १३७३ से १३७५ — २११३–५०

मूंदड़ा समवाय समूह में जीवन बीमा निगम द्वारा विनियोजन के बारे में — २१५०

सभा पटल पर रखे गये पत्र — २१५०

राज्य सभा से संदेश — २१५०–५१

संयुक्त समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन के लिए समय का बढ़ाया जाना — २१५१

कानपुर में श्रम सम्बन्धी स्थिति के विषय में स्थगन प्रस्ताव के बारे में निवारक निरोध (जारी रखना) विधेयक

विचार के लिए प्रस्ताव — २१५१–८३

दैनिक संक्षेपिका — २१८४–८८

अंक २२, मंगलवार, १० दिसम्बर, १६५७

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६२६ से ६३६, ६३८ से ६४०, ६४२ से ६४८, ६५२ से ६५४ और ६५६ — २१८६–२२१५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६३७, ६४१, ६४६, ६५१, ६५५, ६५७ से ६६२, ६६२-क, ६६३ से ६७६, ६७६-क, ६८० और ६८१ — २२१५–२७

अतारांकित प्रश्न संख्या १३७६ से १३८८ और १३६० से १४६० — २२२७–६२

पृष्ठ

सभा-पटल पर रखे गये पत्र २२६२–६३

कार्य मंत्रणा समिति—

पन्द्रहवां प्रतिवेदन २२६३

निवारक निरोध (जारी रखना) विधेयक—

विचार के लिए प्रस्ताव २२६३–२३०१

खण्ड २ और १ २२८५–२३००

पारित करने के लिए प्रस्ताव २३००

मजूरी भुगतान (संशोधन) विधेयक —

विचार के लिए प्रस्ताव २३०१–०४

दैनिक संक्षेपिका २३०५–१०

अंक २३, बुधवार, ११ दिसम्बर, १९५७

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९८३, ९८४, ९८६, ९८७, ९९० से ९९२, ९९४ से ९९६, ९९८ से १०००, १००२, १००४, १००८ से १०१० और १०१४ से १०१९ २३११–३५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९८५, ९८९, ९९३, ९९७, १००१, १००३, १००५ से १००७, १०११ से १०१३, १०२० से १०२५ और १०२७ से १०५२ २३३६–५३

अतारांकित प्रश्न संख्या १४६१ से १५४४ २३५३–९०

सभा-पटल पर रखे गये पत्र २३९०–९२

राज्य सभा से सन्देश २३९२

भारतीय रक्षित सेना (संशोधन) विधेयक—

राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में, सभा-पटल पर रखा गया २३९२

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

ग्यारहवां प्रतिवेदन २३९३

	पृष्ठ
कार्य मंत्रणा समिति--	
पंद्रहवां प्रतिवेदन	२३९३
मजूरी भुगतान (संशोधन) विधेयक--	
विचार के लिये प्रस्ताव	२३९३–२४२१
खण्ड २ से ८ और १	२४१३–२०
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव	२४२०
दिल्ली विकास विधेयक--संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में--	
विचार के लिये प्रस्ताव	२४२१–४३
दैनिक संक्षेपिका	२४४४–५०
अंक २४, गुरुवार, १२ दिसम्बर, १९५७	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर--	
तारांकित प्रश्न संख्या १०५३, १०५५ से १०६१, १०६३, १०६६, १०६७, १०६९ से १०८०	
प्रश्नों के लिखित उत्तर--	
तारांकित प्रश्न संख्या १०५४, १०६२, १०६४, १०६५ और १०६८	२४७५–७७
अतारांकित प्रश्न संख्या १५४५ से १६०२, १६०४ और १६०५	२४७७–२५०३
सभा पटल पर रखे गये पत्र	२५०३–०४
राज्य सभा से सन्देश	२५०४
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना--	
व्योर मिल्स कानपुर में कामगरों की 'भीतर रहो' हड़ताल	२५०४–०५
समिति के लिये निर्वाचन	२५०५
नागरिकता (संशोधन) विधेयक--पुरःस्थापित	२५०५–०६
सभा का कार्य	२५०६
दिल्ली विकास विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में--	
विचार करने का प्रस्ताव	२५०६–५८
खण्ड २ से ६० और १	२५२०–५६
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव	२५५६

संघ उत्पादन शुल्क (वितरण) विधेयक
और
सम्पदा-शुल्क तथा रेलवे यात्री कियायें पर कर (वितरण) विधेयक—(असमाप्त)

विचार करने का प्रस्ताव ... २५५९–६६

दैनिक संक्षेपिका ... २५६७–७०

अंक २५, शुक्रवार, १३ दिसम्बर, १९५७

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०८१ से १०८६, १०८८ से १०९०, १०९८, १०९९ और ११०३ से १११२ ... २५७१–९६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०८७, १०९१, १०९२ से १०९७, ११००, ११०१, और १११३ से ११२५ ... २५९६–२६०४

अतारांकित प्रश्न संख्या १६०६ से १६७२ ... २६०५–३२

सभा का कार्य ... २६३२

अतारांकित प्रश्न संख्या ५६ के उत्तर की शुद्धि ... २६३२

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ... २६३२

अचल सम्पत्ति अधिग्रहण तथा अर्जन (संशोधन) विधेयक, १९५७—पुरःस्थापित ... २६३३

संघ उत्पादन-शुल्क (वितरण) विधेयक और सम्पदा शुल्क तथा रेलवे या ी कियायों पर कर (संशोधन) विधेयक—

विचार के लिये प्रस्ताव ... २६३३–५३

संघ उत्पादन-शुल्क (वितरण) विधेयक—

खण्ड १ से ६ ... २६५१

पारित करने का प्रस्ताव ... २६५१

सम्पदा शुल्क तथा रेलवे यात्री कियायों पर कर (वितरण) विधयक—

खण्ड १ से ६ ... २६५१

पारित करने का प्रस्ताव ... २६५१

पृष्ठ

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य) २६५३—५५

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

ग्यारहवां प्रतिवेदन २६५६

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बारे में संकल्प २६५६—६८

प्रदीप में एक बड़ा पत्तन बनाने के बारे में संकल्प २६६८—६९, २६७२—८०

अतिरिक्त उत्पादन शुल्क (विशेष महत्व की वस्तुयें) विधयक—पुरःस्थापित २६६९—७१

उत्पादन-शुल्क में कमी करने और अतिरिक्त उत्पादन छूट को वापस लेने के बारे में वक्तव्य २६७२

राष्ट्रीयकरण के प्रयोजन से अनुसूचित बैंकों के कार्य संचालन के पुनरीक्षण क लिये एक समिति गठित करने के बारे में संकल्प २६८०

दैनिक संक्षेपिका २६८१—८५

अंक २६, शनिवार, १४ दिसम्बर, १९५७

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण २६८७

सभा पटल पर रखे गये पत्र २६८७

सभा का कार्य २६८७,२६८८—८९

अनुपूरक अनुदानों की मांगें २६८९—२७०३

भारतीय प्रशुल्क (दूसरा संशोधन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव २७०४—२७

खण्ड २, ३ और १ २७२४—२७

पारित करने का प्रस्ताव २७२७

संसद् (अनर्हता निवारण) विधेयक—

संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव २७२७—३३

दैनिक संक्षेपिका २७३४

अंक २७, सोमवार, १६ दिसम्बर, १९५७

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११२६, ११२८, ११३० से ११३३, ११३७, ११४२, ११४४, ११४७, ११४९, ११५०, ११५२, ११५६, ११५७, ११६०, ११६२, ११६३ और ११६७ से ११६९ २७३५—६०

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ५ २७६०—६२

प्रश्नों के लिखित उत्तर— पृष्ठ

तारांकित प्रश्न संख्या ११२६-क, ११२६, ११३४ से ११३६, ११३८ से ११४१, ११४३, ११४५, ११४६, ११४८, ११५१, ११५३ से ११५५, ११५८, ११५६, ११६१, ११६४ से ११६६ और ११७१ से ११८६ — २७६२–७७

अतारांकित प्रश्न संख्या १६७३ से १७३३ — २७७७–२८०६

स्थगन प्रस्ताव—

हावड़ा में उपनगरीय बिजली की रेलवे व्यवस्था के उद्घाटन के सम्बन्ध में अपर्याप्त प्रबन्ध — २८०६–०७

राज्य-सभा से संदेश — २८०७

खान तथा खनिज (विनियमन तथा विकास) विधेयक—

संयुक्त समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित — २८०७

अनर्हता निवारण (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित — २८०८

विनियोग (संख्या ५) विधेयक—पुरःस्थापित—

विचार करने और पारित करने का प्रस्ताव — २८०८–१०

संसद् (अनर्हता निवारण) विधेयक—

संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव — २८१०–३७

अतिरिक्त उत्पादन शुल्क (विशेष महत्व की वस्तुयें) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव — २८३७–४६

जीवन बीमा निगम की निधियों का विनियोजन — २८४६–६०

कार्य मंत्रणा समिति—

सोलहवां प्रतिवेदन — २८५३

दैनिक संक्षेपिका — २८६१–६६

अंक २८, मंगलवार, १७ दिसम्बर, १६५७

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११६० से ११६२, ११६४ से १२०२ और १२०४ — २८६७–६१

	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर--	
तारांकित प्रश्न संख्या ११९३, १२०३, १२०५ से १२२७ और ६०८	२८६१–२६०१
अतारांकित प्रश्न संख्या १७३४ से १७८२, १७८४ से १७६५ और १७६७ से १८०२	२६०२–२६
सभा पटल पर रखे गये पत्र	२६२६–३०
कार्य मंत्रणा समिति--	
सोलहवां प्रतिवेदन	२६३०–३१
वेतन आयोग के अन्तरिम प्रतिवेदन के बारे में वक्तव्य	२६३१
सदस्य की दोष-सिद्धि	२६३१
अनर्हता निवारण (संशोधन) विधेयक--	
विचार तथा पारित करने का प्रस्ताव	२६३२
अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के बारे में प्रस्ताव	२६३२–७२
सभा का कार्य	२६५८–५६
दैनिक संक्षेपिका	२६७३–७७
अंक २६, बुधवार, १८ दिसम्बर, १६५७	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर--	
तारांकित प्रश्न संख्या १२२८, १२२६, १२३२ से १२३५, १२३७, १२३८, १२४१ से १२४३, १२४५, १२४७ से १२५०, १२५२, १२५४ से १२५६ और १२५८	२६७६–३००३
प्रश्नों के लिखित उत्तर--	
तारांकित प्रश्न संख्या १२३०, १२३१, १२३६, १२४०, १२४४, १२४६, १२५१, १२५३, १२५७, १२५६, १२७१, १२७१-क १२७२ से १२६०, १२६०-क और १२६१ से १३००	३००३–२५
अतारांकित प्रश्न संख्या १८०३ से १८५०, १८५२ से १८८७, १८८७-क, १८८८ से १८६०, १८६२ से १८६६, १८६६-क, और १८६७ से १६०४	३०२५–७१
जानकारी के लिये प्रश्न	
स्थगन प्रस्ताव--	
हावड़ा में बिजली की रेल सेवा के उद्घाटन के समय हुई घटनायें	३०७२–७५

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ३०७५-७६, ३११५

राज्य सभा से संदेश ३०७६

दामोदर घाटी निगम (संशोधन) विधेयक—

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में सभा-पटल पर रखा गया ३०७६

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति—

बारहवां प्रतिवेदन ३०७७

याचिका समिति—

दूसरा प्रतिवेदन ३०७७

प्राक्कलन समिति—

प्रथम प्रतिवेदन ३०७७

लोक लेखा समिति—

दूसरा प्रतिवेदन ३०७७

अतिरिक्त उत्पादन-शुल्क (विशेष महत्व की वस्तुएं) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव ३०७७—९५

खण्ड २ से ७, अनुसूचियां और खण्ड १ ३०९१—९३

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ३०९३

रामनाथपुरम में उपद्रवों के सम्बन्ध में

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त का प्रतिवेदन सभा-पटल पर रखने के सम्बन्ध में ३०९५—९८

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के प्रतिवेदन के सम्बन्ध में प्रस्ताव ३०९८—३११४

शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन के सम्बन्ध में आधे घंटे की चर्चा ३११५—२३

दैनिक संक्षेपिका ३१२३—३०

अंक ३०, गुरुवार, १९ दिसम्बर, १९५७

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३०१ से १३०८, १३११ से १३१३, १३१५ से १३१८, १३२० से १३२३, १३२४-क और १३२८ से १३३० ३१३१—५४

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ६ ३१५४—५६

प्रश्नों के लिखित उत्तर-- पृष्ठ

तारांकित प्रश्न संख्या १३०६, १३१०, १३१४, १३१६, १३२४ से १३२७, १३३१ से १३४२, १३४५ से १३५८, १३६० से १३७८ और १३७८-क ३१५६-७६

अतारांकित प्रश्न संख्या १६०५ से १६२१, १६२३ से १६२६, १६२६-क, १६३० से १६७७, १६७७-क, १६७८ से १६६३ और १६६५ से २०२७ ३१७६-३२२७

स्थगन प्रस्ताव--

दिल्ली राज्य अध्यापक संघ द्वारा हड़ताल की कथित धमकी ३२२७

सभा पटल पर रखे गये पत्र ३२२७

राज्य-सभा से संदेश ३२२८, ३२७६

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव ३२२६-६५

भारत के राज्य व्यापार निगम (प्राइवेट) लिमिटेड के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव ३२६५-७८

संघ उत्पादन शुल्क वितरण विधेयक--

राज्य सभा द्वारा लौटाये गये रूप में सभा पटल पर रखा गया ३२७६

सम्पदा शुल्क तथा रेलवे यात्री किरायों पर कर वितरण विधेयक--

राज्य सभा द्वारा संशोधित रूप में सभा पटल पर रखा गया ३२७६

दैनिक संक्षेपिका ३२८१-८८

अंक ३१, शुक्रवार, २० दिसम्बर, १६५७

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १३७६ से १३८७, १३६० से १३६५, १३६७ से १४०१ और १४१४ ३२८६-३३१६

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ७ और ८ ३३१६-२०

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १३८८, १३८६, १३६६, १४०२, १४०३-क, १४०४ से १४१३, १४१४-क, १४१५ से १४२५ और १४२७ से १४३३ ३३२०-३४

अतारांकित प्रश्न संख्या २०२८ से २०५० और २०५२ से २१४० ३३३५-८२

श्री लिंगराज मिश्र का निधन ३३८३

सभा पटल पर रखे गये पत्र ३३८३-८४

सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति--

चौथा प्रतिवेदन ३३८४

	पृष्ठ
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
दिल्ली के पटवारियों द्वारा हड़ताल की धमकी	३३८४-८५
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव	३३८५–३४२०
तारांकित प्रश्न संख्या ६७० के उत्तर की शुद्धि	३३८५
सदस्यों के लिखित वक्तव्य	३४२०-४०
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
बारहवां प्रतिवेदन	३४४०
दिल्ली की शिक्षा संस्थाओं का विनियमन तथा अधीक्षण विधेयक—पुरःस्थापित किया गया	३४४०-४१
दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित किया गया	३४४१
अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था (संशोधन) विधेयक—वापिस लिया गया	३४४१
राष्ट्रीय उत्सवों तथा त्योहारों की सवेतन छुट्टी विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव	३४४१–४६
स्त्रियों के साथ छेड़छाड़ के लिए दण्ड सम्बन्धी विधेयक	३४४६–६३
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति	३४६३
वनस्पति तथा अग्नि शामक पदार्थों के सम्बन्ध में आधे घंटे की चर्चा	३४६३–६६
दैनिक संक्षेपिका	३४६७–७४
अंक ३२ शनिवार, २१ दिसम्बर, १९५७	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
अल्प सूचना प्रश्न संख्या ९	३४७५-७६
सभा पटल पर रखे गये पत्र	३४७६-७७
अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति—	
दूसरा प्रतिवेदन	३४७८
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
कानपुर में मिलों का बन्द होना	३४७८
जानकारी का प्रश्न	३४७९
अनुपस्थिति की अनुमति	३४७९

लोकसभा

मंगलवार, १० दिसम्बर, १९५७

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

"इंडियन इन्फार्मेशन" और "भारतीय समाचार"

†९२९. श्री दी० चं० शर्मा : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री २६ जुलाई, १९५७ के तारांकित प्रश्न संख्या ३९७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'इंडियन इन्फार्मेशन" और "भारतीय समाचार" पत्रिकाओं के प्रकाशन के बारे में कोई निश्चय कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो यह पत्रिकाएं कब से प्रकाशित होंगी ; और

(ग) इन पर कितना व्यय होगा ?

†सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) से (ग). अभी विषय विचाराधीन है। इस पर शीघ्र ही निश्चय होने की सम्भावना ह।

इस सम्बन्ध में सिद्धान्ततः यह स्वीकार किया जा चुका है कि इन पत्रिकाओं को प्रकाशित किया जाये।

†श्री दी० चं० शर्मा : तब इस निश्चय को कार्यान्वित करने में क्या कठिनाइयां हैं ? क्या यह व्यय के सम्बन्ध में हैं अथवा सम्पादकीय स्टाफ अथवा किसी ऐसे अन्य विषय के बारे में है ?

†उपाध्यक्ष महोदय : वे बता चुके हैं कि निश्चय कर लिया गया है। मेरे ख्याल में अब कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिये।

†डा० केसकर : मैं विषय को और स्पष्ट कर दूं। पत्रिकाओं के प्रकाशित करने का ही एक मात्र प्रश्न नहीं है। प्राक्कलन समिति ने यह सिफारिश की थी कि इन पत्रिकाओं को अवश्य चालू करना चाहिये। साथ ही उसने यह भी सिफारिश की थी कि इस बात पर भी विचार किया जाय कि हम इससे जिस उद्देश्य की पूर्ति करना चाहते हैं क्या वे उद्देश्य मंत्रालय द्वारा निकाली जा रही अन्य पत्रिकाओं से

†मूल अंग्रेजी में

284 L.S.D.—1

नहीं पूरा किया जा सकता है। पिछले कुछ महीनों से हम इस प्रश्न पर विचार कर रहे हैं। हमने प्राक्कलन समिति को यह भी सुझाया है कि जो उद्देश्य हम 'इंडियन इन्फरमेशन' के प्रकाशन से पूरा करना चाहते हैं वह मंत्रालय द्वारा प्रकाशित अन्य पत्रिकाओं से नहीं पूरा किया जा सकता है। अतः अभी हाल में अन्तिम रूप से यह निश्चय किया गया है कि इस पत्रिका का प्रकाशन अवश्य किया जाये। इस पर लगभग २ से ३ लाख रुपये का व्यय होगा। इसलिये हम अब यह विचार कर रहे हैं कि इस पत्रिका को कैसे चालू किया जाये।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : माननीय मंत्री ने अभी जिन विशेष उद्देश्यों का निर्देश किया है वे क्या हैं जिनके बारे में उनका कहना है कि वे मंत्रालय की अन्य पत्रिकाओं से पूरे नहीं हो सकते हैं ?

†**डा० केसकर** : जनता को सभी नीति सम्बन्धी वक्तव्यों की सूचना देना तथा उसे सरकार द्वारा की जा रही विकासमान आर्थिक, सामाजिक तथा औद्योगिक कार्यों के बारे में अधिकृत रूप से सूचना देना तथा शिक्षित करना, उसे सरकार की गृह तथा विदेश नीति के उद्देश्यों से अवगत कराना इत्यादि ये कुछ उद्देश्य हैं। इन सब को एक ही स्थान पर देने से एक बड़े आकार की पत्रिका बन जायेगी। और इस समय मंत्रालय जिन पत्रिकाओं को प्रकाशित कर रहा है वे विशेष उद्देश्य से निकाली जा रही हैं इसलिये उन पत्रिकाओं में यह सब सामग्री नहीं समा सकती है।

श्री भक्त दर्शन : चूंकि इस प्रश्न के बारे में काफी देरी हो चुकी है, इसलिए क्या मैं जान सकता हूं कि देरी से देरी कब तक प्रकाशन की आशा की जा सकती है ?

डा० केसकर : देरी तो जरूर हो चुकी है, लेकिन चूंकि काफी खर्चे का सवाल है इसलिए इसका फिर से शुरू करना सोच विचार के ही किया जा रहा है।

†**श्री अन्सार हरवानी** : क्या वैदेशिक कार्य मंत्रालय का पब्लिसिटी डिवीजन पहले से ही इस प्रकार का साहित्य नहीं बांट रहा है ?

†**डा० केसकर** : पब्लिसिटी डिवीज़न एकमात्र पंचवर्षीय योजना से सम्बन्धित साहित्य ही निकालता है।

औद्योगिक पूंजी वस्तुएं

†*६३०. **श्री विभूति मिश्र** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि जुलाई, १९५७ से ३१ अक्तूबर, १९५७ की अवधि के बीच विदेशों से औद्योगिक पूंजी वस्तुओं की खरीद गिर गई है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) तथा (ख). जुलाई, १९५७ से ३१ अक्तूबर, १९५७ के बीच में औद्योगिक पूंजी वस्तुओं की खरीद के आंकड़े उपलब्ध नहीं हो सके हैं।

श्री विभूति मिश्र : जब देश में कैपिटल गुड्स की इतनी मांग है तो मैं जानना चाहता हूं कि सरकार को चार महीने का हिसाब देने में क्यों दिक्कत हो गयी ?

श्री कानूनगो : हिसाब रखा जाता है। लेकिन अभी एक दो महीने का आया है पूरे तीन महीने का नहीं आया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री विभूति मिश्र : सरकार के पास इतना जबरदस्त स्टाफ है फिर भी सरकार चार महीने का भी हिसाब नहीं दे सकती। में नहीं समझता कि आगे हमारी सरकार इनफारमेशन देने में किस तरह से मदद करेगी ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह तो दूसरा सवाल है।

†**श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा** : अभी अभी मंत्री महोदय ने कहा है कि उनके पास सारे आंकड़े नहीं हैं, किन्तु केवल एक दो महीनों के आंकड़े हैं। उन आंकड़ों में अनुसार क्या स्थिति है ?

†**श्री कानूनगो** : उनके अनुसार स्थिति इस प्रकार है कि जुलाई, १९५७ में १६२३ लाख रुपये की औद्योगिक पूंजी वस्तुओं का आयात किया गया था।

कपड़ा तैयार करने की मशीनों का आयात[1]

+

†*९३१. { **श्री श्रीनारायण दास** :
श्री राधा रमण :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन किन देशों से कपड़ा तैयार करने की मशीनों (टैक्सटाइल मशीनरी) के आयात करने के समझौते किये गये हैं या करने का विचार है ;

(ख) प्रत्येक देश के साथ किस प्रकार के समझौते किये गये हैं ;

(ग) कितने मूल्य की मशीनों का आयात किया जायेगा ; और

(घ) इसमें से कितनी का आयात हो चुका है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) जर्मन जनवादी गणतन्त्र तथा जापान के साथ समझौते किये गये हैं और चेकोस्लोवाकिया के साथ इस सम्बन्ध में अभी बातचीत चल रही है।

(ख) जर्मन जानवादी गणतन्त्र तथा जापान के साथ चार पांच वर्ष तक के आस्थगित भुगतान[2] के आधार पर समझौता हुआ है। जहां तक जर्मनी का प्रश्न है, जो बिक्री राशि उसे मिलेगी उससे वह भारतीय माल खरीदेगा और जापान को दी जाने वाली राशि सीधे जापानी विक्रेताओं को दी जायेगी।

(ग) जर्मन जनवादी गणतन्त्र से १·२ करोड़ रुपये का कपड़ा तैयार करने की मशीनों (टैक्सटाइल मशीनरी) का आयात किया जायेगा। जापान के साथ समझौते की कोई सीमा नहीं है।

(घ) इन समझौतों के अन्तर्गत अभी तक कोई आयात नहीं किया गया है।

†**श्री श्रीनारायण दास** : इन समझौतों से हमारी कितनी आवश्यकताएं पूरी हो जायेंगी ?

†**श्री कानूनगो** : यह इस पर निर्भर करता है कि हम इसमें से कितना खरीदते हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Import of Textile Machinery

[2]Deferred payment

†**श्री श्रीनारायण दास** : क्या भारत ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल के लिये अपनी टेक्सटाइल मशीनरी की आवश्यकताओं का अन्दाजा लगा कर यह समझौते किये हैं; यदि हां, तो इन समझौतों से इस आवश्यकता का कितना अंश पूरा होगा तथा कितना शेष रह जायेगा ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हमें ५५ करोड़ की टेक्सटाइल मशीनरी की आवश्यकता पड़ेगी और इनसे हमारी १० प्रतिशत आवश्यकता पूरी होगी।

†**श्री च० द० पांडे** : क्या सरकार ने इस बात पर विचार कर लिया है कि विदेशों से मशीनरी मंगवाने से पहले देश में स्थित मशीनरी का पूरा पूरा प्रयोग किया जा रहा है ताकि इस पर व्यर्थ का व्यय न हो ?

†**श्री मनुभाई शाह** : हमारे देश के कपड़ा उद्योग ने पिछले ५ वर्षों में बड़ी प्रगति की है और इसका वार्षिक उत्पादन १.२ करोड़ रुपये से बढ़ कर ६ करोड़ रुपये वार्षिक हो गया है।

†**श्री नारायणन् कुट्टि मेनन**: क्या इस मशीनरी को मंगाने के लिये कोई लाइसेंस दिये जा चुके हैं। अथवा भविष्य में दिये जायेंगे ?

†**श्री मनुभाई शाह** : इस समझौते के अन्तर्गत केवल वही मशीनरी मंगवाई जायेगी जो कि हमारे यहां नहीं है और वे भी निर्धारित राशि सीमा के अन्तर्गत ही।

†**श्री रामनाथन् चेट्टियार** : इसमें से कितना आयात डालर क्षेत्र से होगा ?

†**श्री मनुभाई शाह** : यह केवल दो देशों के बीच समझौता है एक जर्मन जनवादी गणतन्त्र और दूसरा जापान। इसमें डालर क्षेत्र का कोई प्रश्न नहीं उठता।

†**श्री राधा रमण** : कपड़ा उद्योग की प्रगति को देखते हुए, क्या सरकार ने कोई ऐसा अनुमान लगाया है कि कितने समय में भारतीय कपड़ा उद्योग आत्म निर्भर हो जायेगा ?

†**श्री मनुभाई शाह**: जैसा कि मैं पहले भी इस सभा में बता चुका हूं १९६०-६१ तक हम आत्म-निर्भरता से भी अधिक आगे बढ़ जायेंगे।

†**श्री ब० स० मूर्ति** : पश्चिमी जर्मनी और जापान की कीमतों में कितना अन्तर है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : हमारी कुछ मशीनरी की किस्म (क्वालिटी) अच्छी है और कुछ की घटिया हम इसे सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। मशीनरी की किस्म को देखते हुए कीमतें तुलनात्मक दृष्टि से उपयुक्त ही हैं।

†**श्री हेडा** : विदेशों से किस किस्म की मशीनरी मंगाई जा रही है क्या यह ऐसा ही है जैसी कि हम बता रहे हैं अथवा किसी दूसरी प्रकार की ?

†**श्री मनुभाई शाह** : ब्लोरूम लाइन, हाइड्राफ्ट केसेब्लांका और कुछ तीव्र गति की वारपिंग और वाइंडिंग मशीनें तथा स्वचालित करघे इत्यादि अभी तक हमारे देश में पर्याप्त मात्रा में नहीं बनाये जाते। इसलिये हम केवल यही मशीनें मंगाते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ मात्रा में ड्राइंग फ्रेम, इंटर रोविंग और स्लाबिंग इत्यादि का भी आयात होता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

पुर्तगाल द्वारा हेग न्यायालय में वाद

+

†*९३२. श्री केशव :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री राधा रमण :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हासदा :
श्री सूपकार :
सरदार इकबाल सिंह :
श्री न० रा० मुनिस्वामी :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पुर्तगाल द्वारा भारत के विरुद्ध हेग न्यायालय में चलाये गये वाद में अब तक क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) क्या इसके निर्णय के लिये कोई तिथि निश्चित की गई है ?

†वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन): (क) तथा (ख). भारत सरकार यह नहीं मानती है कि अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय को वर्तमान स्थितियों के प्रकाश में इस वाद पर निर्णय देने का कोई क्षेत्राधिकार है। इसलिये उसने छः प्रारम्भिक आपत्तियां उठायीं थीं। इनमें से न्यायालय ने चार को अस्वीकृत कर दिया है। अन्य दो के बारे में उसने यह निश्चय किया है कि इन पर बाद में मुख्य वाद के साथ विचार किया जायेगा न्यायालय ने हमारे लिये पुर्तगाली दावे का उत्तर देने के लिये २५ फरवरी, १९५८ की तारीख दी है। यह बताना कठिन है कि तथ्यों के आधार पर कब अन्तिम निर्णय दिया जायेगा ।

†श्री केशव : क्योंकि इसके निर्णय के क्षेत्र के बारे में विवाद चल रहा है, इसलिये मैं यह जानना चाहता था कि क्या सरकार निर्णय के इस भाग का पुनरीक्षण करने के लिये कोई प्रस्ताव रखना चाहती हैं ?

†श्रीमती लक्ष्मी मेनन : आपका निर्णय के किस भाग से तात्पर्य है ? मैं पहले बता चुकी हूं कि हमारी पहली चार आपत्तियां अस्वीकृत की जा चुकी हैं और दो पर बाद में विचार होगा ।

कई माननीय सदस्य उठे––

†उपाध्यक्ष महोदय : जब बहुत से सदस्य इकट्ठे उठते हैं और प्रश्न पूछने की अनुमति मांगते हैं, मैं केवल एक को ही बुला सकता हूं। मैं केवल उसी सदस्य को बुला सकता हूं जिसे कि मैं पहले देख पाता हूं। इसलिये सदस्यों को खड़े होकर व्यर्थ में यह नहीं पूछना चाहिये कि "क्या मैं पूछ सकता हूं।"

†श्री नारायणन् कुट्टि मेनन : हम लोग आप से इतनी दूर बैठे हैं कि आपका ध्यान हम पर नहीं पड़ सकता है, विशेषतः जब कुछ लोग आगे खड़े हो जाते हैं ।

†उपाध्यक्ष महोदय : यह बात मुझ पर छोड़ देनी चाहिये, यदि मैं नहीं देख सकूंगा तब कोई और उपाय सोचा जायेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री बी० चं० शर्मा** : माननीय मंत्री महोदय ने अभी कहा है कि हमारी ४ आपत्तियां अस्वीकृत की जा चुकी हैं और दो पर निश्चय करना बाकी है । क्या मैं जान सकता हूं कि इन ४ के अस्वीकृत होने से वाद की सकल स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ेगा तथा क्या ये ४ आपत्तियां बहुत महत्वपूर्ण थीं । इस विषय में भारत सरकार का क्या दृष्टिकोण है ?

†**उपाध्यक्ष महोदय** : यह प्रश्न मत जानने के लिये है, अतः मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता ।

†**श्री नारायणन् कुट्टि मेनन** : इस बात को देखते हुए कि भारत सरकार यह विचार करती है कि अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय का इस विषय में कोई क्षेत्राधिकार नहीं है, क्या मैं यह जान सकता हूं कि सरकार इस न्यायालय से वाद वापिस लेने के बारे में कुछ विचार कर रही है ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : अभी तक इस प्रश्न का निश्चय नहीं हुआ है । अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार तथा सामर्थ्य के बारे में कोई अन्तिम निर्णय नहीं हुआ है ।

†**श्री हेम बरुआ** : इस बात को देखते हुए कि भारत के अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के परिनियमों में वैकल्पिक धाराओं को स्वीकार किया है जिसके अनुसार न्यायालय का क्षेत्राधिकार स्वतः मान्य हो जाता है, क्या मैं यह जान सकता हूं कि क्या पुर्तगाल ने भी इस धारा को स्वीकार किया है अथवा उसने अन्य वादों में अपने आपको मुक्त रखने का अधिकार सुरक्षित रखा है ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : इस सम्बन्ध में हम आपत्ति उठा चुके हैं ।

†**डा० राम सुभग सिंह** : न्यायालय कुछ भी निर्णय दे क्या भारत सरकार कोई ऐसा विचार रखती है कि वह अपनी इस नीति पर दृढ़ रहेगी कि वह किसी भी सत्ता को जनता को नहीं दबाने देगी तथा पुर्तगाली अधिकारियों को किसी हालत में मार्ग नहीं देगी ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : मुझे प्रश्न का दूसरा भाग समझ में नहीं आया ।

†**डा० राम सुभग सिंह** : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार औपनिवेशिक लोगों के स्वतन्त्रता के अधिकार को प्रोत्साहित करने की अपनी नीति पर दृढ़ रहेगी तथा इस नीति के अनुसार क्या भारत सरकार पुर्तगाली अधिकारियों को दादरा तथा नागरहवेली तक जाने के लिये मार्ग न देने की नीति पर दृढ़ रहेगी ?

†**उपाध्यक्ष महोदय** : यह एक कार्यहेतु सुझाव है इसलिये इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती ।

†**श्री नौशीर भरूचा** : क्या भारत सरकार को ज्ञात है कि जो आपत्तियां उठाई जा चुकी हैं उसके अतिरिक्त भी कई अन्य प्रारम्भिक आपत्तियां उठायी जा सकती हैं, यदि हां, तो क्या भारत सरकार अन्य प्रश्नों को उठाना चाहती है ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : जी हां, इन सब बातों पर विचार किया जा रहा है ।

†**श्री न० रा० मुनिस्वामी** : क्या मैं जान सकता हूं कि अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के पास किसी सर्वप्रभुत्वसम्पन्न देश को अपने निर्णय को मनवाने के लिये कोई अभिकरण है ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : यह प्रश्न इस प्रश्न में से नहीं उत्पन्न होता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

दिल्ली में मूर्तियां स्थापित करने के संबन्ध में समिति

+
९३३. { **श्री भक्त दर्शन :**
श्रीमती इला पालचौधरी :

क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री दिनांक ४ सितम्बर, १९५७ के तारांकित प्रश्न संख्या १४६७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में उपयुक्त स्थानों पर मूर्तियों की स्थापना करने के सम्बन्ध में सरकार को मंत्रणा देने वाली समिति में कौन कौन व्यक्ति नियुक्त किये गये हैं ;

(ख) समिति ने किन-किन स्थानों पर तथा किन-किन नेताओं की मूर्तियां स्थापित करने की सिफारिश की है ; और

(ग) समिति की सिफारिशें कहां तक कार्यान्वित की गई हैं ?

निर्माण आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा) : (क) समिति के वर्तमान सदस्य यह हैं :—

(१) श्री ए० डी० पंडित, आई० सी० एस०, चीफ कमिश्नर, दिल्ली ।

(२) श्री जे० एम० रिझवानी, आई० एस० ई०, चीफ़ इंजीनियर, सी० पी० डबल्यू० डी० ।

(३) श्री एस० के० जोगलेकर, चीफ़ आर्किटेक्ट, सी० पी० डबल्यू० डी० ।

(४) श्री आर० एन० अग्रवाल, प्रेसीडेंट दिल्ली म्यूनिसिपल कमेटी ।

(५) श्री सी० बी० दुबे, प्रेसीडेंट नई दिल्ली म्युनिसिपल कमेटी ।

(६) श्री ए० वी० वेन्कटासुब्बन, उप-सचिव, स्वास्थ्य मंत्रालय ।

(७) श्री फ़तेह सिंह , उप-सचिव, गृह मंत्रालय ।

(८) श्री डी० पी ० कार्निक, उप-सचिव, निर्माण, आवास तथा संभरण मंत्रालय ।

(ख) अभी कोई सिफारिशें नहीं मिली हैं ।

(ग) सवाल पैदा ही नहीं होता ।

†**कुछ माननीय सदस्य :** अंग्रेजी में ।

†**श्री अनिल कु० चन्दा :** नाम तो अंग्रेजी में भी वही हैं ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** शेष उत्तर पढ़ कर सुना दिया जाये ।

[इसके पश्चात् भाग (ख) और (ग) का उत्तर अंग्रेजी में भी पढ़ा गया]

†**श्री भक्त दर्शन :** क्या इस कमेटी को यह आदेश दिया गया है कि इस समय दिल्ली म जो विदेशी शासकों की मूर्तियां हैं, उनको हटा कर उनके स्थान पर नई मूर्तियां स्थापित की जायें या अलग स्थानों पर यह मूर्तियां स्थापित करने का विचार है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री अनिल कु० चन्दा** : जो प्रश्न पूछा गया था वह मूर्तियों की स्थापना के बारे में है न कि उनको हटाने के बारे में। जहां तक मुझे ज्ञात है, हम कुरूप मूर्तियों को गाड़ने का दायित्व अपने ऊपर नहीं लेते।

†**श्रीमती इला पालचौधरी** : दिल्ली में आखिर जो मूर्तियां स्थापित की जायेगी क्या वे सुन्दर प्रतीत हों इसके लिये किन्हीं कलाकारों से परामर्श किया गया है ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा** : अभी तक कोई निश्चित प्रस्ताव नहीं किये गये हैं। कतिपय मूर्तियों के बारे में कुछ अस्थायी प्रस्ताव किये तो गये हैं किन्तु कितनी राशि उपलब्ध है इस बारे में न तो हमें कोई जानकारी ही है और न कोई निश्चित प्रस्ताव ही है। जब तक ब्यौरे उपलब्ध न हों तब तक सरकार निश्चय नहीं कर सकती।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमान्, क्या कोई सूची तैयार की गई है जिससे कि इस समिति को यह छांटने का अधिकार होगा कि किन किन महान व्यक्तियों की मूर्तियां स्थापित की जायें ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा** : दिल्ली नगरपालिका समिति द्वारा और कतिपय गैर-सरकारी संगठनों द्वारा भी कुछ प्रस्ताव किये गये हैं। स्थानों का चुनाव अस्थायी तौर पर किया जा चुका है किन्तु जैसा कि मैंने पहले बताया, कि जब तक वित्तीय दायित्वों के बारे में कोई निश्चित प्रस्ताव किया नहीं जाता तब तक कोई अन्तिम निर्णय करना संभव नहीं है।

†**श्री ब० स० मूर्ति** : नगरपालिका समिति के संकल्पों और प्रस्तावों के अतिरिक्त क्या इस समिति ने मूर्तियों की स्थापना के बारे में कोई प्रस्ताव किये हैं और इस समिति में महिलाओं को स्थान क्यों नहीं दिया गया ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा** : कुछ स्थान अस्थायी तौर पर चुन लिये गये हैं। उदाहरण के तौर पर, इस आशय का एक प्रस्ताव था कि स्वर्गीय स्वामी श्रद्धानन्द की मूर्ति स्थापित की जाये। इसके लिये स्थान का चुनाव कर लिया गया है किन्तु जैसा कि मैं बता चुका हूं, कि इन मूर्तियों के लिये जो राशि उपलब्ध की जायेगी उसके बारे में हमें कोई निश्चित जानकारी नहीं है।

†**श्री भा० कृ० गायकवाड़** : दिल्ली नगरपालिका समिति ने जो प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं क्या उनमें डा० बी० आर० अम्बेडकर, जो भारतीय गणतंत्र के संविधान के निर्माता थे और जो भारत की पददलित जनता के नेता थे . . . .

†**उपाध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य सीधा प्रश्न करें।

†**श्री भा० कृ० गायकवाड़**: हमें और प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं मिलती और इस कारण मुझे एक ही प्रश्न में सब बातें शामिल करनी पड़ती हैं।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य प्रश्न संक्षिप्त बना कर पूछें।

†**श्री भा० कृ० गायकवाड़** : मैं केवल सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता था . . . .

†**उपाध्यक्ष महोदय** : कि डा० अम्बेडकर की मूर्ति स्थापित की जा रही है या नहीं।

†**श्री भा० कृ० गायकवाड** : जी, हां ; और वे गृह-मंत्री श्री पन्त के आदरपात्र थे और गृह-मंत्री भी उनका अत्यन्त आदर करते थे।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री अनिल कु० चन्दा : मैंने अपने उत्तर में कहा है कि इस समिति ने सरकार को अब तक कोई प्रस्ताव नहीं किये हैं। समिति की दो बैठकें हुई हैं। सार्वजनिक संगठनों द्वारा जिन नामों का सुझाव दिया गया है वे मैंने देखे हैं और मेरा ख्याल है, यद्यपि मैं निश्चित तौर पर यह नहीं कह सकता, कि डा० अम्बेडकर का नाम उस सूची में नहीं है।

†श्री नाथ पाई : क्या आप उसे अब शामिल करेंगे ?

†श्री अनिल कु० चन्दा : मैं यह बता चुका हूं कि इस समिति को जो सूची प्रस्तुत की गई उसमें उनका नाम नहीं है।

†श्री तिम्मय्या : क्या मूर्तियों की स्थापना के लिये दिल्ली के अतिरिक्त किन्हीं अन्य स्थानों का भी चुनाव किया गया है ?

†श्री अनिल कु० चन्दा : यह तो सम्बन्धित राज्य सरकार का काम है।

भारत के विरुद्ध आर्थिक अनुशास्ति*

†*९३४. **श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या पाकिस्तान ने सुरक्षा परिषद् में भारत के विरुद्ध आर्थिक अनुशास्ति की मांग की है ?

†वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) : सुरक्षा परिषद् में काश्मीर समस्या पर चल रही चर्चा के दौरान में पाकिस्तान के प्रतिनिधि ने २४ सितम्बर, १९५७ को हस्तक्षेप करते हुये कहा था कि "भारत द्वारा अपने अन्तर्राष्ट्रीय वचनों और दायित्वों को क्रियान्वित न किये जाने से इस झगड़े के कारण शान्ति को स्पष्ट खतरा उत्पन्न हो गया है और परिच्छेद ७ के अनुच्छेद ३९ और ४१ के उपबन्धों की ओर ध्यान आकर्षित होता है।" पाकिस्तान के प्रतिनिधि द्वारा उल्लिखित राष्ट्रसंघीय चार्टर का अनुच्छेद ४१ सशस्त्र बल से भिन्न उपायों के सम्बन्ध में है जिनमें आर्थिक अनुशास्तियां भी सम्मिलित हैं।

†श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा : सुरक्षा परिषद् के उन सदस्यों की ओर से क्या प्रतिक्रिया हुई है जो दक्षिण पूर्वी एशियाई संधि संगठन और बगदाद समझौते में सम्मिलित हैं ? क्या सरकार ने उनके विचारों का पता लगाया है या नहीं ?

†श्रीमती लक्ष्मी मेनन : मैं प्रश्न नहीं समझ सकी।

†उपाध्यक्ष महोदय: क्या भारत सरकार ने दक्षिण पूर्वी एशियाई सन्धि संगठन और बगदाद समझौते के सदस्यों के रवैये का पता लगाया है ?

†श्रीमती लक्ष्मी मेनन : भारत सरकार उनके विचारों का पता क्यों लगाये ?

†श्री दी० चं० शर्मा : क्या पाकिस्तानी प्रतिनिधि के सुझाव को सुरक्षा परिषद् ने गम्भीरता पूर्वक ग्रहण किया था या नहीं ?

† उपाध्यक्ष महोदय : श्री पाणिग्रही !

†श्री पाणिग्रही : क्या पाकिस्तान ने यह संकल्प प्रस्तुत करने के पश्चात् अन्य राष्ट्रों से भारत के विरुद्ध आर्थिक अनुशास्तियों का प्रयोग करने के लिये वास्तव में पहुंच की है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

*Economic Sanctions

†श्रीमती लक्ष्मी मेनन : यह प्रश्न पाकिस्तान सरकार से पूछा जाना चाहिये।

†श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा : क्या पाकिस्तान के प्रतिनिधि इसे सुरक्षा परिषद् के समक्ष केवल इसलिये लाये हैं कि वह भारत सरकार और भारत की तटस्थ नीति पर दवाब डाले? सरकार का क्या अभिमत है?

†उपाध्यक्ष महोदय : अभिमत पूछे नहीं जाते हैं।

†श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या आज के समाचारपत्रों में प्रकाशित इस समाचार में कोई सच्चाई है कि पाकिस्तान के मंत्री श्री अमजद अली की यात्रा के दौरान में हमारे प्रधान मंत्री के साथ अधिक निकट आर्थिक सहयोग के सम्बन्ध में चर्चा हुई थी?

†उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न आर्थिक अनुशास्तियों के सम्बन्ध में है। सहयोग तो बिल्कुल विरोधी बात होगी।

†श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : इसीलिये मैं ने यह प्रश्न पूछा है।

†श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा : क्या यह सच है कि पश्चिमी राष्ट्र जो दवाब डाल रहे हैं और जिस तरह उन्होंने यह प्रश्न उठाया है वह केवल भारत को अपनी तटस्थ नीति से किसी अन्य ओर को मोड़ने के लिये किया गया है?

†श्रीमती लक्ष्मी मेनन : भारत पर कोई दवाब नहीं डाला जा सकता क्योंकि भारत ने ऐसा कोई कार्य नहीं किया है और न करने जा रहा है जिससे शांति भंग हो अथवा जो अतिक्रमणात्मक समझा जाये।

मशीनी औजार

*६३५. श्री हेडा : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इटली के मशीनी औजार निर्माण कारखानों की लाइनों पर छोटे छोटे मशीनी औजार निर्माण कारखानों की स्थापना के प्रश्न की जांच की है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस विषय में कोई निर्णय किया गया है; और

(ग) हमारे उद्योग में वैज्ञानिकन के सामान्य नमूने पर क्या असर पड़ेगा?

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) से (ग). मशीनी औजार उद्योग सम्बन्धी विकास परिषद् इस बात की जांच कर रही है कि इटली के समान छोटे छोटे कारखानों में मशीनी औजार कहां तक बनाये जा सकते हैं। इससे मशीनी औजार उद्योग के विकास में बहुत सहायता मिलेगी।

†श्री हेडा : सरकार को विचार के समाप्त होने और निर्णय हो जाने की कब तक आशा है?

†श्री मनुभाई शाह : जहां तक विचार का सम्बन्ध है, हम सदा छोटे उद्योगों और कारखानों की स्थापना को प्रोत्साहन देते हैं। परिषद् को ठोस प्रस्ताव देना है और जैसे ही ठोस प्रस्ताव प्राप्त हो जायेंगे उन पर विचार किया जायेगा।

†श्री हेडा : मैं प्रस्तावों का संक्षेप जानना चाहता हूं कि कितने केन्द्र खोले जायेंगे और क्या वे समस्त देश भर में फैले हुए होंगे?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री मनुभाई शाह** : हाल में विकास परिषद् ने कुछ प्रस्तावों की सिफ़ारिश की थी। लाइसेंस दाता समिति १५ नई योजनाओं का अनुमोदन कर चुकी है।

†**श्री रामनाथन् चेट्टियार** : हम मशीनी औजारों के सम्बन्ध में कब तक आत्म-निर्भर हो जाने की आशा करते हैं ?

†**श्री मनुभाई शाह** : अभी तो बहुत समय तक आशा नहीं है।

†**श्री स० म० बनर्जी** : मैं मशीनी औजार कारखानों की संख्या और उनका वार्षिक उत्पादन जानना चाहता हूं।

†**श्री मनुभाई शाह** : अभी १८ मशीनी औजार कारखाने हैं---दो सरकारी उद्योग क्षेत्र में हैं। एक तीसरा भी सरकारी उद्योग क्षेत्र में आ रहा है। शेष गैर-सरकारी उद्योग क्षेत्र में हैं। उत्पादन संगठित उद्योग क्षेत्र में २.२५ करोड़ रुपये वार्षिक मूल्य का है।

पटसन उद्योग का आधुनिकीकरण

+

†*९३६. { **श्री रघुनाथ सिंह** :
श्री रा० स० तिवारी :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पटसन की वस्तुओं के उत्पादन की लागत कम करने की दृष्टि से भारत के पटसन उद्योग के आधुनिकीकरण में सहायता करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं;

(ख) पटसन उद्योग के वैज्ञानिकन के लिये अभी तक कितनी वित्तीय सहायता दी गई है; और

(ग) ऐसी सहायता किन किन सार्थों को दी गई है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) इस प्रयोजन के लिये ऋण राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम द्वारा दिये जा रहे हैं।

(ख) ५०,९१,६८५ रुपये।

(ग) (१) दि फोर्ट ग्लॉसटर इंडस्ट्रीज लिमिटेड, कलकत्ता।
(२) खड़दाह जूट मिल्स।

श्री रघुनाथ सिंह : जो भी जूट मिलें हिन्दुस्तान में आज हैं उन में से कितनी मिलों में मार्डनाइजेशन (आधुनिकीकरण) का प्रयोग किया जायेगा ?

श्री मनुभाई शाह : ५० परसेन्ट (प्रतिशत) मिलों का मार्डनाइजेशन हो गया है।

श्री रामेश्वर टांटिया : मैं यह पूछना चाहता हूं कि जो मिलें ऐसी हैं जिन्होंने नवीनीकरण के लिये रुपये की कोई मांग नहीं की है पर जो बराबर लास दिखा रही हैं, क्या सरकार ऐसी मिलों को अपने हाथ में ले कर नवीनीकरण करेगी, जिस से शेअर होल्डरों (अंशधारियों) का रुपया बरबाद न हो सके ?

श्री मनुभाई शाह : हमारा किसी मिल को लेने का इरादा नहीं है, खास कर जो ऐसी खराब मिलें हैं। हम तो ऐसी कोशिश करते हैं कि वे यहां आयें और ऐप्लिकेशन (प्रार्थनापत्र) दें। उस के बाद मेरिट्स (गुणदोष) पर अगर जांच पड़ताल करने के बाद उन की सिक्योरिटी (प्रतिभूति) अच्छी हुई तो लोन दिया जायेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि अधिकांश विदेशी ऋण सहायता गैर सरकारी उद्योग क्षेत्र को मिलेगी, क्या वैज्ञानिकन प्रयोजनों के लिये सुरक्षित राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम निधि अब सरकारी उद्योग क्षेत्र को उपलब्ध की जायेगी ?

†श्री मनुभाई शाह : जैसा कि माननीय सदस्या को ज्ञात है राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम का दोहरा कार्यक्रम है । एक है सरकारी उद्योग क्षेत्र में कुछ भारी उद्योग स्थापित करना और दूसरा है सूती कपड़ा और पटसन की मिलों का आधुनिकीकरण । दूसरा कार्यक्रम केवल गैर-सरकारी उद्योग क्षेत्र के उद्योगों से सम्बन्धित है ।

†डा० गोहोकर : क्या इससे कोई बेरोजगारी उत्पन्न होगी और यदि हां, तो सरकार बेरोजगारी को दूर करने के लिये क्या कदम उठाने जा रही है ?

†श्री मनुभाई शाह : आधुनिकीकरण की एक शर्त यह है कि आधुनिकीकरण बिना छंटनी के किया जाना चाहिये ।

†श्री अ० चं० गुह : कलकत्ता में पटसन के कारखानों के आधुनिकीकरण के लिये कुल कितनी राशि की आवश्यकता होगी और उसमें से कितनी राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम द्वारा प्रदान की जायेगी ?

†श्री मनुभाई शाह : हमने दूसरी पंचवर्षीय योजना में कपास और पटसन की मिलों के आधुनिकीकरण के लिये २० करोड़ रुपये का उपबन्ध किया है ।

†श्री वीरेन राय : क्या माननीय मंत्री को इस बात की जानकारी है कि वैज्ञानिकन के परिणामस्वरूप कलकत्ता में बहुत सी मिलें बहुत से लोगों की छंटनी कर चुकी हैं और वहां बहुत बेरोजगारी फैल गई है ?

†श्री मनुभाई शाह : यह एक सर्वथा भिन्न प्रश्न है । आधुनिकीकरण और वैज्ञानिकरण के लिये राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम ऋणों के अतिरिक्त श्रम मंत्रालय और हमारे मंत्रालय ने इस प्रश्न पर विचार किया है और हम ऐसी कठिनाइयों को बचाने का प्रयत्न करते हैं ।

†श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या माननीय मंत्री को इस बात की जानकारी है कि फोर्ट ग्लॉसटर मिल्स और खड़दाह जूट मिल्स में विस्थापन अथवा छंटनी हुई है ?

†श्री मनुभाई शाह : जहां तक मुझे जानकारी है आधुनिकीकरण और राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम द्वारा दिये गये ऋणों के कारण मजदूरों की संख्या में कोई छंटनी नहीं हुई है ।

भारतीय उद्योगपतियों का प्रतिनिधिमंडल

†*६३८. { श्री हरिश्चन्द्र माथुर :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री मोहन स्वरूप :
श्री त्रि० कु० चौधरी :
श्री रामेश्वर टांटिया :
सरदार इकबाल सिंह :
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : }

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्री घ० दा० बिड़ला की अध्यक्षता में बाहर गये गैर सरकारी भारतीय शिष्टमंडल ने इस देश में विदेशी विनियोजन की संभावनाओं के सम्बन्ध में कोई नोट प्रस्तुत किया है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो वह किस प्रकार का है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) नहीं, श्रीमान् ।

(ख) उत्पन्न नहीं होता ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या सरकार का ध्यान समाचारपत्रों में प्रतिनिधिमंडल के प्रतिवेदन के सम्बन्ध में प्रकाशित समाचारों की ओर आकर्षित किया गया है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : जहां तक समाचारपत्रों में प्रकाशित समाचार का सम्बन्ध है हमने ऐसा प्रतिवेदन पढ़ा अवश्य है। परन्तु अभी तक संघ द्वारा वह प्रतिवेदन हमारे समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है। जो समाचार प्रकाशित हुआ था वह प्रतिवेदन के शिष्टमंडल द्वारा संघ को प्रस्तुत किये जाने के सम्बन्ध में था ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या भारत सरकार हमारे विचारों और उस शिष्टमंडल की सिफारिशों में रूचि नहीं रखती है ? सरकार ने इसके साथ लिखापढ़ी क्यों नहीं की ?

†**श्री मनुभाई शाह** : हमें उनसे कोई सूचना नहीं प्राप्त हुई है। प्रतिवेदन उनके द्वारा प्रस्तुत किया जाना है ।

†**श्री त्रि० कु० चौधरी** : क्या भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडल संघ और सरकार के बीच श्री बिड़ला के नेतृत्व में ऐसे प्रतिनिधिमंडल के अमेरिका तथा अन्य देशों को भेजने की आवश्यकता और उसका समय वित्त मंत्री को अमेरिका यात्रा के साथ रखने के सम्बन्ध में कोई औपचारिक अथवा अनौपचारिक विचार-विमर्श हुआ था ?

†**उपाध्यक्ष महोदय** : यह कोई प्रश्न नहीं है। यह तो एक लम्बा वक्तव्य सा है। प्रश्न संक्षिप्त और निर्दिष्ट होना चाहिये ।

†**श्री त्रि० कु० चौधरी** : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या वित्त मंत्री और औद्योगिक प्रतिनिधिमंडल की यात्रा एक साथ रखने के सम्बन्ध में वाणिज्य मंडल के साथ कोई विचार-विमर्श हुआ था ?

†**श्री मनुभाई शाह** : मैं माननीय सदस्य का प्रश्न दो भागों में विभाजित करना चाहूंगा। बिड़ला शिष्टमंडल भारत सरकार की जानकारी में ही गया था। जहां तक प्रश्न के दूसरे भाग का सम्वन्ध है, अर्थात् एक साथ पढ़ने का, यह तो अकस्मात् ऐसा हो गया ।

†**श्री हेम बरुआ** : क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इस औद्योगिक प्रतिनिधिमंडल का यह अभिमत है कि संयुक्त राज्य अमेरिका की कांग्रेस इस समय भारत को विशेष मात्रा में ऋण देने को तैयार नहीं है क्योंकि, जैसा कि उसने कहा है, संक्युक्त राज्य अमेरिका की कांग्रेस इस समय मितव्ययता कर रही है और राजनैतिक दृष्टि से विरोधी है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : मैं नहीं समझता कि यह सही है। निस्संदेह हमें उनसे कोई प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। शिष्टमंडल ने अपना यह विचार अनौपचारिक ढंग से या औपचारिक ढंग से अभी तक हमारे पास नहीं भेजा है और न ही मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य की धारणा सर्वथा सही है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री रामनाथन् चेट्टियार** : क्या सरकार को इस देश में विदेशी पूंजी के प्रश्न पर संयुक्त राज्य अमेरिका के वाणिज्य विभाग से एक नोट प्राप्त हुआ है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : नहीं, श्रीमान् ।

†**श्री राधा रमण** : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इस प्रतिनिधिमंडल ने योरुप के अनेक देशों और संयुक्त राज्य अमेरिका का भ्रमण किया था और वहां के भारतीय दूतावासों को उनकी यात्रा की जानकारी थी, क्या सरकार को इन दूतावासों से वहां पर मिशन की यात्रा के प्रभाव के सम्बन्ध में कोई नोट प्राप्त हुआ है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : हमें जो कुछ भी जानकारी प्राप्त हुई है उसके आधार पर यह यात्रा काफी सन्तोषप्रद रही है और उससे अच्छे सम्बन्ध उत्पन्न हुए हैं और उसने एक सद्भावना यात्रा का कार्य किया है जो कि वास्तव में उसका प्रयोजन था ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या माननीय मंत्री का ध्यान श्री बिड़ला के कल कलकत्ता में दिये गये इस वक्तव्य की ओर आकर्षित किया गया है कि केवल गैर सरकारी उद्योग क्षेत्र के लिये ऋण प्राप्त होने की अच्छी संभावना है ? क्या यह सच है ?

श्री मनुभाई शाह : मैं ने वक्तव्य को विस्तारपूर्वक नहीं पढ़ा है । जो भी सहायता आयेगी वह गैर सरकारी और सरकारी दोनों उद्योग क्षेत्रों के लिये होगी । और केवल एक शिष्टमंडल के द्वारा ही कोई देश इस देश को ऋण नहीं देता है ।

†**श्री हेडा** : इस शिष्टमंडल के वित्त मंत्री की यात्रा के अनुपूरक प्रयोजन को ध्यान में रखते हुए मैं जानना चाहता हूं कि दोनों के बीच में किस प्रकार का समन्वय रखा गया था और क्या इस शिष्टमंडल द्वारा समय समय पर व्ययक्तिक अथवा सामूहिक रूप से वहां के विभिन्न उद्योगों और बैंकिंग संस्थाओं के साथ की गई बातों की रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत की गई थी ?

†**श्री मनुभाई शाह** : समन्वय का सिवाय इसके और कोई प्रयत्न नहीं किया गया था कि सामान्य सम्मेलनों और बैठकों में जो कुछ हो जाये । जहां तक शिष्टमंडल के कार्यक्रम का सम्बन्ध है उन्होंने स्वयं यह निर्णय किया था कि वे कहां जायेंगे, कैसे जायेंगे और किससे मिलेंगे । वित्त मंत्री बैंकरों, अनेक उद्योगपतियों और अन्य लोगों से भी मिले थे और ऐसे ही शिष्टमंडल के सदस्य भी ।

चलचित्र वित्त निगम

† ९३९. { **श्री अ० सिं० सहगल** :
श्रीमती इला पालचौधरी :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि निम्नलिखित की स्थापना के सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है :

(क) चलचित्र संस्थान;

(ख) चलचित्र निर्माण ब्यूरो; और

(ग) चलचित्र वित्त निगम ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) से (ग). यह मामला अभी भी विचाराधीन है और अन्तिम प्रक्रम में है ।

श्री अ० सि० सहगल : क्या मैं जान सकता हूं कि वे कौन कौन सी समस्यायें हैं जिनके कारण फिल्म इंस्टीट्यूट (चलचित्र संस्थान), फिल्म प्रोडक्शन ब्यूरो (चलचित्र निर्माण ब्यूरो) और फिल्म फाइनेंस कारपोरेशन (चलचित्र वित्त निगम) को जल्दी से जल्दी पूरा करने में अड़चनों का सामना करना पड़ रहा है ?

डा० केसकर : अड़चनों का सवाल नहीं है। फिल्म फाइनेंस कारपोरेशन के बारे में फाइनेंस मिनिस्ट्री (वित्त मंत्रालय), ला मिनिस्ट्री (विधि कार्य मंत्रालय) और इस मिनिस्ट्री के बीच सलाह मशविरा हुआ और एक कमेटी बिठायी गयी थी। उस कमेटी की रिपोर्ट आने पर उस कमेटी की राय के मुताबिक एक बिल का मसविदा तैयार हो रहा है। वह करीब करीब तैयार है। फिल्म इंस्टीट्यूट के बारे में गवर्नमेंट ने निश्चय कर लिया है लेकिन आजकल जो फारिन एक्सचेंज की दिक्कत है उसके कारण इंस्टीट्यूट के लिये जो जरूरी मैशिनरी है वह लाने में कितना वक्त लगेगा यह कहना मुश्किल है ।

श्री अ० सि० सहगल : मेरा जो फिल्म प्रोडक्शन ब्यूरों के बारे में सवाल था उस पर मंत्री महोदय ने प्रकाश डालने की कृपा नहीं की ।

डा० केसकर : फिल्म प्रोडक्शन ब्यूरो जो है उसका नाम प्री सेंसरशिप आव स्क्रिप्ट (पटकथा का पूर्व दोष वेचन) है। इस बारे में हमने अपना एक यूनिट (इकाई) तैयार कर लिया है। लेकिन यह ख्याल किया जाता है कि इस बारे में कुछ कांस्टीट्यूशनल इश्यूज (संवैधानिक प्रश्न) ऐसे आ गये हैं कि जिनके कारण एक बार फिर से भारत सरकार को इस बारे में सोचना पड़ेगा।

सेठ अचल सिंह : इस स्कीम (योजना) को पूरा करने में कितने रुपये की जरुरत होगी ?

डा० केसकर : ये सब अलग अलग स्कीम्स हैं ।

†श्रीमती इला पालचौधरी : जब यह चलचित्र संस्थान बन जायेगा तो क्या चलचित्र दोषवेचन करने वालों का केन्द्रीय बोर्ड भंग कर दिया जायेगा ?

†डा० केसकर : माननीय सदस्य चलचित्र संस्थान का उद्देश्य नहीं समझे हैं। उसका तात्पर्य इस उद्योग के प्रविधिज्ञों को प्रविधिक प्रशिक्षण देना है, दोषवेचन के लिये वह नहीं है।

पश्चिमी पाकिस्तान से आए विस्थापित व्यक्ति

†*९४०. { श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री अजित सिंह सरहदी :

क्या पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री १४ अगस्त, १९५७ के तारांकित प्रश्न संख्या ६०२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लाहौर कैम्प में कितने विस्थापित व्यक्ति भारत को प्रत्यावर्तन की प्रतीक्षा कर रहे हैं;

(ख) उनके शीघ्र प्रत्यावर्तन के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं;

(ग) अमृतसर कैम्प में पड़े हुए विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिये क्या कदम उठाये गये हैं; और

(घ) क्या पाकिस्तान में छोड़ी गई सम्पत्तियों के लिये उनके दावों का विचार किया जायेगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : (क) एक।

(ख) सम्बन्धित व्यक्ति कैम्प में केवल सितम्बर, १९५७ के अन्त में आया था। उसके यथाशीघ्र प्रत्यावर्तन के लिये प्रयत्न किये जा रहे हैं।

(ग) राजस्थान के सिरोही जिले में लगभग १६० कोहाटी परिवारों के पुनर्वास की योजना के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय किया जा रहा है। शेष परिवारों के लिये भी भूमि या रोजगार या किसी प्रकार का व्यवसाय प्राप्त करने के लिये प्रत्यन किये जा रहे हैं।

(घ) जी, नहीं।

† **श्री रामेश्वर टांटिया** : ऐसे व्यक्तियों ने पाकिस्तान में जो सम्पत्ति छोड़ी है तथा जिसके लिये हमें उनको यहां भुगतान करना है क्या उसकी वसूली हम पाकिस्तान सरकार से करेंगे या नहीं?

†**श्री मेहर चन्द खन्ना** : क्या माननीय सदस्य उन विस्थापितों की बात कर रहे हैं जो पहले आये थे अथवा जो अब भारत आ रहे हैं?

†**उपाध्यक्ष महोदय** : वह उनके सम्बन्ध में कह रहे होंगे जिनका प्रश्न में उल्लेख है।

†**श्री रामेश्वर टांटिया** : मेरा प्रश्न उस सम्पत्ति के सम्बन्ध में था जो ऐसे व्यक्तियों द्वारा पाकिस्तान में छोड़ी गई है और जिसके लिये हम उनको यहां भुगतान कर रहे हैं। क्या वह रुपया हमें मिल जायेगा?

†**उपाध्यक्ष महोदय** : हम किसे भुगतान कर रहे हैं?

†**श्री रामेश्वर टांटिया** : उन विस्थापित व्यक्यिों को जो पाकिस्तान से भारत आ रहे हैं।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अर्थात् कैम्प वाले भी और वे सब भी जो १९४७ से अब तक आये हैं? उनको बहुत समय पूर्व बसाया जा चुका है। माननीय सदस्य बहुत देर कर के यह प्रश्न पूछ रहे हैं।

†**श्री ब० स० मूर्ति** : क्या माननीय मंत्री का ध्यान इस आशय के समाचार की ओर आकर्षित किया गया है कि बहुत से हरिजनों, आदमी, औरतों और बच्चों को, जो भारत आने को इच्छुक हैं, पाकिस्तान सरकार द्वारा किसी न किसी तरह से रोका जा रहा है, और यदि हां, तो इसके लिये क्या कदम उठाने का विचार किया जा रहा है कि जो लोग आने के इच्छुक हों उन्हें बिना किसी बाधा के आने दिया जाये?

†**उपाध्यक्ष महोदय** : इस प्रश्न का उत्तर प्रधान मंत्री द्वारा दिया जा चुका है।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : क्या लाहौर कैम्प में एक व्यक्ति के होने के कारण ही उसे बन्द करने का निर्णय किया गया है?

†**श्री मेहर चन्द खन्ना** : हम इस कैम्प को इसलिये नहीं बन्द कर रहे हैं कि उसमें केवल एक ही व्यक्ति है। हमारा विचार तो यह है कि अब कैम्प की आवश्यकता नहीं रह गई है।

प्रविधिक केन्द्र

†*९४२. **श्री मं० रं० कृष्ण** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत-जापान प्रविधिक करार के अन्तर्गत देश में प्रविधिक केन्द्र खोलने का विचार किया जा रहा है;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने केन्द्र खोले जायेंगे;

(ग) क्या इन केन्द्रों के चलाने के लिये समस्त राशि का भारवहन भारत द्वारा किया जायेगा;

(घ) वित्तीय व्यवस्थायें क्या हैं ; और

(ङ) दक्षिण में, विशेषकर आंध्र में, कितने केन्द्रों का प्रस्ताव किया जा रहा है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) से (ङ). भारत में प्रविधिक प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना के लिये अभी तक भारत और जापान की सरकारों के बीच कोई करार नहीं हुआ है। प्रस्ताव अभी अत्यन्त प्रारम्भिक अवस्था में है और ब्यौरा तैयार किया जा रहा है।

†**श्री मं० रं० कृष्ण :** चूंकि इस देश में जो ग्राम एवं कुटीर उद्योग चल रहे हैं वे जापानी ढंग पर संगठित हैं, क्या अभी तक कोई दल उन उद्योगों का अध्ययन करने के लिये जापान भेजा गया है अथवा जापान से किन्हीं विशेषज्ञों के इस देश में आने की संभावना है ?

†**श्री मनुभाई शाह :** इस प्रयोजन के लिये कोई सरकारी दल नहीं गया है। परन्तु समय समय पर अनेक अधिकारी और विशेषज्ञ वहां गये हैं और जापानी विशेषज्ञ भी यहां आये हैं। हम यह चाहते हैं कि ब्रिटेन, जर्मनी और संयुक्त राज्य अमेरिका की तरह हम भी जापानी ढंग से कुछ छोटे पैमाने के उद्योग प्रारम्भ करें।

†**श्री मं० रं० कृष्ण :** क्या संयुक्त राज्य अमेरिका प्रविधिक सहायता योजनाओं के अन्तर्गत दिये जाने वाला छोटे पैमाने के उद्योग सम्बन्धी और अन्य प्रशिक्षण उससे भिन्न है जिसके जापानी सहायता से चालू किये जाने की संभावना है ?

† **श्री मनुभाई शाह** : यह विशेष योजना जिसके सम्बन्ध में दोनों प्रधान मंत्रियों के वक्तव्य में उल्लेख है छोटे पैमाने के उत्पादन की प्रौद्योगिकी में गहन प्रशिक्षण के लिये है और उसम एक ही स्थान में लगभग पचास या साठ उद्योगों को प्रशिक्षण दिया जायेगा।

†**श्रीमती रेणुका राय :** क्या यह सच है कि पश्चिमी बंगाल ने एक अध्ययन दल जापान भेजा था और उन्होंने कुछ योजनायें तैयार की हैं और क्या केन्द्रीय सरकार ने पश्चिमी बंगाल में जापानी तरीके के अन्तर्गत चालू किये गये कुटीर उद्योगों को कोई वित्तीय सहायता दी है अथवा देने का विचार कर रही है ?

†**श्री मनुभाई शाह :** जैसा कि माननीय सदस्य को ज्ञात है, पश्चिमी बंगाल के मुख्य मंत्री ने स्वयं उस दल का नेतृत्व किया था जो जापान गया था और उन्होंने कुछ अध्ययन किये हैं। परन्तु उनसे कोई औपचारिक योजना किसी सहायता, प्रविधिक अथवा वित्तीय, के लिये भारत सरकार को प्राप्त नहीं हुई है।

†**डा० गोहोकर :** यह करार किन विशेष उद्योगों में उपयोगी होगा ?

†**श्री मनुभाई शाह :** अभी तो हम छोटे मशीनी औजारों के उद्योग, ढलाई और हलके बिजली उद्योग के सम्बन्ध में सोच रहे हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

काजू के कारखाने

*९४३. **श्री आसर** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह ज्ञात है कि काजू के, जिससे काफी डालर प्राप्त होते हैं, कारखाने रत्नागिरि जिले (बम्बई राज्य) में बन्द हो रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उनके बन्द होने के कारणों के बारे में जांच की है;

(ग) क्या सरकार को यह भी ज्ञात है कि हजारों मजदूर बेकार हो गये हैं और उनकी आर्थिक हालत बहुत खराब है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार का इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठते ।

राजनयिक सेवायें[4]

†*९४४. { **श्री पदलेकर :**
श्री सें० वें० रामस्वामी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत की राजनयिक सेवाओं में आई० सी० एस० पदाधिकारियों की संख्या क्या है ;

(ख) यूरोपीय देशों और पूर्व एशियाई, दक्षिण एशियाई और पश्चिम एशियाई देशों में नियुक्त इन पदाधिकारियों की संख्या क्या है ?

†**वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : (क) ३०

(ख) (१) यूरोपीय देशों में ३

(२) दक्षिण, पूर्व और पश्चिम एशियाई देशों में १३

इंडियन रेयर अर्थ्स कर्मचारी सन्था[5]

\+

†*९४५. { **श्री नारायणन् कुट्टि मेनन :**
श्री वारियर :

क्या **प्रधान मंत्री** ५ सितम्बर, १९५७ के अतारांकित प्रश्न संख्या १२९२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या इंडियन रेयर अर्थ्स कर्मचारी सन्था द्वारा प्रस्तुत की गई मांगों पर विचार किया गया है ?

†**वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : यह मामला अभी समझौता पदाधिकारी (मध्य) कोचीन के समक्ष है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[4]Diplomatic Services
[5]Indian Rare Earths Employees' Association

†**श्री नारायणन् कुट्टि मेनन** : यह देखते हुये कि यह विवाद समझौता पदाधिकारी के पास एक वर्ष से पड़ा है क्या सरकार स्वयं इसका निर्णय करने के लिये कार्यवाही करेगी ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : ऐसे मामलों का शीघ्र निबटारा कराने के लिये सरकार सदा कार्यवाही करती रहती है ।

राज्य व्यापार निगम (प्राइवेट) लिमिटेड

†*९४६. **श्री न० रा० मुनिस्वामी** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्य व्यापार निगम ने अगस्त, १९५६ के आसपास लगभग ४९ डालर प्रति टन के हिसाब से काफी मात्रा में कच्चा मैंगनीज़ बेचा था जब कि इसके मूल्य गिरने की कोई आशंका नहीं थी और उस समय दर भी अधिक थी; और

(ख) क्या राज्य व्यापार निगम वायदों के अनुसार माल नहीं भेज पाई ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) निगम ने अगस्त, १९५६ में विभिन्न किस्तों का कच्चा मैंगनीज़ २९ डालर से ५५ डालर प्रति टन के हिसाब से दूसरे देशों के पास बेचा था । विक्रय मूल्य विदेशी बाज़ारों के मूल्य स्तर और प्रवृत्तियों पर आधारित था और प्रत्येक बंडल का मूल्य उसकी किस्म और भेजने के समय के अनुसार था ।

(ख) वायदों के अनुसार माल भेजने की जो प्रथा है राज्य व्यापार निगम ने उसी का अनुसरण किया है ।

†**श्री न० रा० मुनिस्वामी** : विदेशी बाज़ारों में उस समय दर क्या थी जब कच्चा मैंगनीज भेजने की संविदा की गई थी ?

†**श्री कानूनगो** : कौन से ग्रेड की ? कई ग्रेड हैं । अगस्त में दर ५५ से २९ डालर थी ।

†**श्री न० रा० मुनिस्वामी** : जिस ग्रेड की संविदा दी गई थी ।

†**श्री कानूनगो** : कई ग्रेडों की संविदा की गई थी ।

†**श्री न० रा० मुनिस्वामी** : सभी ग्रेडों की दरें बताई जा सकती हैं ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : वह प्रश्न पूछें, आपस में बातचीत न करें ।

†**श्री न० रा० मुनिस्वामी** : कच्चे मैंगनीज का संभरण करने की संविदा करने की तिथि को उन दरों की तुलना में, जिन पर कि अन्य देशों से संविदायें की गईं, भारत में उसकी दरें क्या थीं ?

†**श्री कानूनगो** : किसी विशेष संविदा के बारे में जानकारी देने में मुझे कुछ संकोच है परन्तु मैं इतना बता सकता हूं कि इसकी दर २९ से लेकर ५५ डालर तक थी ।

†**श्री महन्ती** : ऊंचे दर्जे और निचले दर्जे के मैंगनीज़ की दरें भारतीय बाज़ार में क्या थीं और किन दरों पर संविदायें की गई थीं ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†श्री कानूनगो : जुलाई में दर १२० रुपये से ४३० रुपये तक थी ।

† श्री न० रा० मुनिस्वामी : उसमें कुल कितनी हानि हुई ? वह इस बात के लिये तैयार नहीं कि.............

†उपाध्यक्ष महोदय : यह शिकायत की जा रही है कि उत्तर स्पष्ट नहीं है और सुनाई नहीं देता ।

†श्री कानूनगो : सामूहिक रूप से कच्चे मैंगानीज़ में कोई घाटा नहीं हुआ ।

† श्री महन्ती : मैं यह जानना चाहता हूं कि भारत में ऊंचे दर्जे और निचले दर्जे के कच्चे मगनीज़ के भाव क्या थे और विदेशी साथों के साथ किन भावों पर संविदाय की गईं ?

† श्री कानूनगो : मैंने बता दिया हैं कि भाव ४३० रुपये और १२० रुपये प्रति टन के बीच थे और उस अवधि में जब कि संविदायें की गईं भाव ५५ और २६ डालर थे और डालर का मूल्य ४.५३ रुपये था ।

†श्री हेडा : इस प्रकार कितनी बार हुआ कि राज्य व्यापार निगम ने विदेशों में वस्तुयें बेच दीं और उसके बाद भारत में उन वस्तुओं को खरीदने का प्रयत्न किया और इसमें सफलता नहीं मिली और इस प्रकार गतिरोध हो गया ?

†श्री कानूनगो : प्रश्न का एक भाग ठीक नहीं है क्योंकि हमने मांग के अनुसार संभरण कर दिया है । कठिनाई तो माल को पत्तनों तक पहुंचाने में हो रही थी ।

†श्री न० रा० मुनिस्वामी : क्या माननीय मंत्री को उत्तर देने में संकोच इस लिये है कि निगम के प्रशासन में कोई त्रुटि है या कि उसमें काम करने वालों का अनुभव कम है ?

†श्री कानूनगो : मैंने उत्तर दे दिये हैं । मेरा अभिप्राय यह था कि विशेष संविदाओं के बारे में उत्तर देना इस समय कठिन है ।

†श्री त्रि० ना० सिंह : क्या यह सच है कि इन सौदों में लाभ की सम्भावना बहुत कम थी बल्कि विदेशी निर्यात के लिये जो संविदायें की गईं उनमें घाटा ही रहा ?

†श्री कानूनगो : जी नहीं, सामूहिक तौर पर उसमें मुनाफे की काफी गुंजाइश थी ।

†श्रीमती रेणुका राय : इस निगम में ऐसे कितने व्यक्ति रखे गये हैं जिन्हें इस प्रकार के कारबार का अनुभव था ?

†उपाध्यक्ष महोदय : क्या इसका उत्तर देना माननीय मंत्री के लिये सम्भव होगा ?

†श्री कानूनगो : इसका उत्तर देना सम्भव नहीं है ।

†श्री विमल घोष : माननीय मंत्री ने कहा कि सरकार को किसी संविदा में घाटा नहीं रहा । क्या यह सच है कि हाल ही में राज्य व्यापार निगम ने जो वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया उसमें कहा गया था कि उन्हें कुछ सौदों में घाटा हुआ था ?

†श्री कानूनगो : मैंने कहा था कि मेंगनीज कारबार में सामूहिक रूप से कोई घाटा नहीं पड़ा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**उपाध्यक्ष महोदय :** अगला प्रश्न।

†**श्री नाथ पाई :** हम बहुत देर से प्रतीक्षा कर रहे थे ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** मुझे बड़ा खेद है। भविष्य में मैं अधिक सतर्क रहूंगा ।

पाथर डीह (झरिया) में कोयले की खानें*

†*९४७. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या झरिया में पाथरडीह की कोयला खानों के कल्याण विभाग में पदाधिकारियों तथा शिशु-पालन विभाग के शिशिक्षुओं की नियुक्ति की प्रणाली के सम्बन्ध में कुछ शिकायतें आई हैं ;

(ख) क्या शिशु पालन शिक्षा में प्रशिक्षित अनेक परिचारिकायें बेरोजगार हैं;

(ग) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है; और

(घ) इसका क्या कारण है ?

†**श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री के सभा-सचिव (श्री ल० ना० मिश्र) :** (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). लगभग ११६ ।

(घ) इसका मुख्य कारण यह है कि ये परिचारिकायें चाहती हैं कि उनके घर के पास ही कहीं उन्हें काम मिले पर यह बात हमेशा संभव नहीं है।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** कल्याण विभाग में पदाधिकारियों तथा इन परिचारिकाओं की नियुक्ति के लिये किस ढंग से परीक्षा ली जाती है ?

†**श्री ल० ना० मिश्र :** इनकी नियुक्ति कोयले की खानों के प्रबन्ध विभाग की ओर से होती है और वे इन पदों के लिये काम दिलाऊ दफ्तर और स्त्रियों की महत्वपूर्ण संस्थाओं से उम्मेदवार बुलाते हैं ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** क्या यह सच है कि कोयला खान कल्याण नाम की भी एक संस्था है और इसके लिये पदाधिकारियों की नियुक्तियां कोयले की खान की प्रबन्ध विभाग नहीं करता ?

†**श्री ल० नाश० मिश्र :** जहां तक परिचारिकाओं की नियुक्ति का प्रश्न है उनकी नियुक्ति प्रबन्ध विभाग ही करता है। पर प्रशिक्षण संस्था के पदाधिकारियों की नियुक्ति कोयला खान श्रमिक कल्याण निधि संस्था द्वारा की जाती है ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** क्या सरकार को इस सम्बन्ध में कोई शिकायत नहीं मिली है कि कुछ पदाधिकारियों की नियुक्तियों में कुछ बड़ी अनियमिततायें की गई हैं ?

†**श्री ल० ना० मिश्र :** हमें अभी तक ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली है।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** इस समय जो परिचारिकायें बेरोजगार हैं क्या उन सबको नौकरी दी गई थी पर उन्होंने नौकरी का स्थान घर से दूर होने के कारण नौकरी अस्वीकार कर दी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

*Coalfield at Patherdih. Jharia.

†श्री ल० ना० मिश्र : यह बात सच है कि सभी परिचारिकाओं को उनके घरों के पास नौकरी नहीं दी जा सकती। उन्हें खानों में जाना पड़ता है। २४३ को तो नौकरी मिल गई थी केवल ११६ शेष थीं पर उनमें से भी कुछ को नौकरी मिल गयी है। शेष ने नौकरी न करना ही ठीक समझा अतः उन्होंने नौकरी नहीं की।

†श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या ऐसा भी कोई तरीका है कि खान के स्थानीय क्षेत्र से महिलाओं को इस प्रशिक्षण के लिये भरती किया जा सकता है और क्या ऐसी अवस्था में प्रशिक्षण के लिये अपेक्षित योग्यता को घटाये जाने की भी कुछ संभावना होती है ?

†श्री ल० ना० मिश्र : ऐसा एक सुझाव है। मैं उस सुझाव को सम्बन्धित पदाधिकारियों के पास भेज दूंगा।

राष्ट्रीय रेयन निगम

श्री त्रि० कु० चौधरी :
श्री शिवनंजप्पा :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई में रेयन सयंत्र के विस्तार के लिये अमरीका के आयात-निर्यात बैंक ने राष्ट्रीय रेयन निगम को ऋण दिया है ;

(ख) यदि हां, तो कुल कितनी राशि दी है ;

(ग) भारतीय रुपये के मूल्य में प्रतिवर्ष कुल कितनी विदेशी मुद्रा की बचत होगी; और

(घ) क्या ऋण के लिये जो बातचीत चल रही थी उसमें भारत सरकार ने मदद की थी ?

†वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) पता लगा है कि आयात-निर्यात् बैंक ने निगम को १,८००,००० डालर का ऋण देने को कहा है।

(ख) अभी तक कुछ नहीं।

(ग) इस ऋण की शर्तों पर विचार हो रहा है।

(घ) यह बातचीत भारत सरकार को जानकारी दे कर की गयी थी।

†श्री त्रि० कु० चौधरी : क्या सरकार ने निर्यात-आयात बैंक से या देश के गैर-सरकारी हितों से यह पता लगाया है कि हमारे देश के गैर-सरकारी उद्योग के विभिन्न भागों को निर्यात आयात बैंक कितना ऋण देने को तैयार हैं और हमारे इस उद्योग के विभिन्न भागों ने ऐसे ऋण के लिये इस बैंक से कहां तक मांग की है ?

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : यह बैंक प्रत्येक मामले को उसके महत्व के अनुसार अच्छी तरह देखता है और भारत के अनेक उद्योग पतियों ने इस बैंक से ऋण की मांग की थी पर इस बैंक ने पहली बार यह पहला मामला स्वीकार किया है।

†श्री त्रि० कु० चौधरी : क्या सरकार को पता है कि किन-किन उद्योगों ने और किन-किन संस्थाओं ने इस बैंक से ऋण की मांग की थी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री मनुभाई शाह : ये मांगें व्यक्तिगत रूप से की गयी थीं और सरकार को उनके बारे में कुछ भी पता नहीं है ।

†श्री हेडा : इस मांग के प्रस्ताव के कार्यान्वित होने पर कितना विस्तार हो जायेगा ?

†श्री मनुभाई शाह : ४० लाख पौंड रेयन के धागे को टायर-कार्ड प्रति वर्ष ।

†श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा : अभी माननीय मंत्री ने बताया कि अनेक गैर-सरकारी संस्थाओं ने आयात-निर्यात बैंक से ऋण की मांग की थी पर बैंक ने उनकी मांग को ठुकरा दिया । इसके क्या कारण थे ?

† श्री मनुभाई शाह : शायद माननीय मंत्री मेरी बात ठीक तरह सुन नहीं पाये । मैंने यह नहीं कहा कि उनको ऋण से इन्कार कर दिया गया है । ऋण की मांग के प्रस्ताव हैं और जब यह प्रस्ताव कार्यान्वित हो जायेगा और जब बैंक इसे लाभदायक समझेगा तो वह ऋण देगा ।

भूमि का लगान

*६५२. श्री ब्रजराज सिन्ह : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार ने राज्य सरकारों को भूमि के लगान की व्यवस्था में सुधार करने के लिये कुछ सुझाव दिये हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनका स्वरूप क्या है ;

(ग) क्या किसी राज्य सरकार ने उन सुधारों पर अपनी राय दी है; और

(घ) यदि हां, तो क्या राय दी है ?

श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री के सभा-सचिव (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) और (ख). भूमि सुधार कार्यक्रम को कार्यान्वित करने में ग्राम पंचायतों का सहयोग लेने के लिये तथा राजस्व सम्बन्धी अफसरों और कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने के लिये द्वितीय पंच-वर्षीय योजना के नवें अध्याय में सुझाव दिये गये हैं ।

(ग) और (घ). इन सुझावों को राज्य सरकारों के पास भेज दिया गया और वे इन पर विचार कर रही हैं ।

श्री ब्रजराज सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि इन विचारों के कब तक सेन्ट्रल गवर्नमेंट के पास आ जाने की उम्मीद है ?

श्री ल० ना० मिश्र : बहुत राज्यों से जवाब आये भी हैं भिन्न भिन्न विषयों पर और बहुतों के जवाबों का इन्तजार है । जिन के यहां से विचार आ गये हैं वे कार्यान्वित भी हो रहे हैं ।

श्री ब्रजराज सिंह : किन राज्यों से उत्तर नहीं आ पाये हैं ?

† श्री ल० ना० मिश्र : भिन्न भिन्न विषयों पर जवाब आते हैं । अगर किसी खास विषय के बारे में माननीय सदस्य जानना चाहें तो मैं बता सकता हूं । लेकिन जहां तक लैंड रेवेन्यू का सवाल है मैं माननीय सदस्य का ध्यान टैक्सेशन इन्क्वारी की तरफ दिलाना चाहता हूं । स्टैन्डर्डाइ-

---

†मूल अंग्रेजी में

जेशन के विषय में और सर्चार्ज के विषय में आसाम, मद्रास और उड़ीसा से जवाब आये हैं। पंजाब से भी आये हैं। जहां तक आंध्र का सवाल है, उन्होंने तो लिखा है कि स्टैन्डर्डाइजेशन किया जाये। आसाम ने कहा है कि उस के लिये वह सहमत नहीं है, वह कुछ माडिफिकेशन चाहता है। पंजाब ने सर्चार्ज की बात लिखी है।

†**श्री त्रि० ना० सिंह** : क्या सरकार ने भूमि राजस्व के बारे में भी राय देने और अनुदेश देने की अतिरिक्त जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली है ?

†**श्री ल० ना० मिश्र** : योजना आयोग ने राज्य सरकारों को केवल इसी आशय का संदेश भेजा है कि भूमि राजस्व सम्बन्धी कारारोपण जांच आयोग की सिफारिश को कार्यान्वित करने के लिये वे क्या कार्यवाही करें।

†**श्री महन्ती** : क्या यह सच है कि, जैसा कि उड़ीसा के मुख्य मंत्री ने बताया है, उड़ीसा राज्य सरकार नें सुझाव दिया है कि उड़ीसा राज्य में भूमि राजस्व का उन्मूलन कर दिया जाये ।

†**श्री ल० ना० मिश्र** : मुझे पता नहीं है। मैं इस बात को पता लगाने के लिये कुछ समय चाहता हूं ?

श्री ब्रजराज सिंह . उत्तर प्रदेश की सरकार ने लैंड रेवेन्यू के घटाने के सम्बन्ध में क्या कोई विचार भेजे हैं ?

श्री ल० ना० मिश्र : उत्तर प्रदेश सरकार से खबर तो नहीं आई है इस सिलसिले में, लेकिन सीलिंग के बारे में उनके यहां से खबर आई है, जिस के विषय में उन से पूछा गया था ।

नीलोखेड़ी शरणार्थी बस्ती

†* ९५३. **श्री वाजपेयी** : क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नीलोखेड़ी शरणार्थी वस्ती पर सरकार को कुल कितनी हानि उठानी पड़ी ;

(ख) हानि के कारण क्या हैं ; और

(ग) क्या नीलोखेड़ी में जो क्वार्टर बने हैं उन्हें बेच देने का निर्णय कर लिया गया है ?

†**पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : (क) और (ख). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिए परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ११०]**

(ग) जी हां ।

श्री वाजपेयी: जो वक्तव्य सभा पटल पर रक्खा गया है, उस से ज्ञात होता है कि कुल मिला कर अभी तक नीलोखेड़ी में ४,१४,४६० रु० का नुक्सान हुआ है, और वक्तव्य में इस नुक्सान के कारण पूरी तरह से नहीं बताए गए हैं। क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार सारे नुकसान का पता लगाने के लिये कोई जांच समिति नियुक्त करेगी ?

श्री मेहर चन्द खन्ना : जांच करने की कोई खास जरूरत महसूस नहीं होती। नीलोखेड़ी की जो कालोनी है, वह एक किस्म का तजुर्बा था कि शुरू में हम लोगों को किस तरह से रिहैबलिटेट करें और साथ ही साथ काम भी दिया जाये। जो तजुर्बा होता है उस में नुक्सान कुछ आवश्यक है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री वाजपेयी : बड़ा मंहगा तजुर्बा था । क्या हम ग्राशा करें कि ग्रन्य किसी जगह इस तरह का तर्जुबा न हो, इसके लिये कोई जांच समिति बनाई जायेगी ?

श्री मेहर चन्द खन्ना : मेरे ख्याल में परमात्मा की कृपा से ग्रब रिफ्यूजी प्राब्लेम नहीं होगी । ग्रौर जितना तजुर्बा हो गया उस से ज्यादा नुक्सान होने की उम्मीद नहीं है ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : नीलोखेड़ी में उद्योग की स्थापना करने पर कुल कितना खर्च किया गया ग्रौर वहां कितने शरणार्थी थोड़े समय के लिये भी ग्राजीविका कमा सकें ?

†**श्री मेहर चन्द खन्ना** : इस बस्ती पर एक करोड़ रुपये से कुछ ग्रधिक खर्च किया गया था पौलिटेक्नीक पर लगभग २५ लाख रुपये ; स्कूलों पर लगभग ३ लाख रुपये ; हस्पताल पर ३ लाख रुपये, सामान्य प्रशासन पर लगभग ४८,००० रुपये ग्रौर मुख्य बस्ती की योजना पर लगभग ७७ लाख रुपये खर्च हुये ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : पौलिटैक्नीक पर जो २५ लाख रुपये खर्च किये गये क्या उद्योगों की स्थापना पर वही खर्च हुग्रा था ?

†**श्री मेहर चन्द खन्ना** : उद्योग, प्रशिक्षण, पौलिटेक्नीक ग्रादि; पहले इन सब को मिलाकर शुरू किया गया था । पर यदि माननीय सदस्या किसी विशेष मामले पर जानकारी प्राप्त करना चाहती हों तो वे ग्रलग पूर्वसूचना दे दें या मुझे लिखें मैं बड़ी खुशी के साथ उन्हें जानकारी दूंगा ।

कोल्लार योजना[१]

†* ६५४. **श्री नारायण स्वामी** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मद्रास सरकार से कोई सुझाव प्राप्त हुग्रा है कि कोल्लर नदी के पानी को प्रयोग में लाने को योजना की द्वितीय पंच वर्षीय योजना में शामिल कर लिया जाये ; ग्रौर

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय किया गया है ?

† **श्रम ग्रौर रोजगार तथा योजना मंत्री के सभा-सचिव (श्री ल० ना० मिश्र)** : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†**श्री नारायण स्वामी** : केरल राज्य की नदियों के पानी को प्रयोग में लाने के बारे में केरल ग्रौर मद्रास राज्यों के मंत्रियों के सम्मेलन में क्या निष्कर्ष निकाले गये ?

†**श्री ल० ना० मिश्र** : जहां तक हमें मालूम है, हाल ही में ऐसा कोई सम्मेलन नहीं हुग्रा । माननीय सदस्य किस सम्मेलन की ग्रोर संकेत कर रहे हैं ?

†**श्री नारायण स्वामी** : यदि इसे शामिल नहीं किया गया है तो मेरा निवेदन है कि इसे तीसरी पंचवर्षीय योजना में शामिल कर लिया जाये ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य जरा ऊंचा बोलें ।

---

†मूल ग्रंग्रेजी में

[१]Kollar Scheme.

† **योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र) :** इस विषय में जो गलतफहमी है में उसे दूर कर देना चाहता हूं। माननीय सदस्य का अभिप्राय शायद कल्लर नदी से है न कि कोल्लार नदी से जो कि प्रश्न में उल्लिखित है। इस नदी का पता लगाने में हमें बड़ी कठिनाई हुई। मद्रास सरकार इस नदी के पानी को प्रयोग में लाने के बारे में विचार करती रही है किन्तु केवल कल्लर नदी के पानी को प्रयोग में लाना मितव्ययतापूर्ण न होगा। इस के लिये उन्हें पेरियर नदी का पानी भी प्रयोग में लाना पड़ेगा जो कि केरल राज्य में है परन्तु केरल राज्य इसकी अनुज्ञा नहीं देता ।

†**श्री रामनाथन् चेट्टियार :** व्यर्थ ही अरब सागर में गिरने वाले पानी को प्रयोग में लाने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

†**उपाध्यक्ष महोदय :** दोनों मामलों में कोई निकट सम्बन्ध नहीं है ।

† **श्री पट्टाभि रामन् :** क्या कल्लर तथा परियर जैसी नदियों के बारे में भारत सरकार कोई अखिल भारतीय नीति निर्धारित करेगी ?

†**श्री श्या० नं० मिश्र :** क्षेत्रीय परिषद् को इन समस्याओं से अवगत कर दिया गया है और यदि उनके विचार विमर्श से कोई निष्कर्ष निकला तो वह अवश्य उपयोगी सिद्ध होगा।

†**श्री न० रा० मुनिस्वामी :** क्या क्षेत्रीय परिषद् की हाल ही में हुई बैठक में मद्रास तथा केरल के मुख्य मंत्रियों ने मिल कर एक योजना प्रस्तुत की जिसके अनुसार इस नदी के पानी को प्रयोग में लाया जायेगा ?

†**श्री श्या० नं० मिश्र :** क्षेत्रीय परिषद् में इस परियोजना पर विशेष रूप से विचार नहीं किया गया था परन्तु ऐसी ही योजनाओं तथा समस्याओं पर अवश्य विचार किया गया था। और तभी मैंने इस से पहले के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में कहा कि यदि इसका कोई परिणाम निकला तो उस पर अवश्य विचार किया जायेगा ।

अन्तर्राष्ट्रीय अणु शक्ति अभिकरण

९५६. **श्री कासलीवाल :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि अन्तर्राष्ट्रीय अणु शक्ति अभिकरण की स्थापना होने के बाद किन्ही देशों ने अभिकरण के पास 'विशेष खण्डनीय सामग्री' जमा करने की पेशकश की है ?

†**वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) :** जी हां। रूस, ब्रिटेन और अमरीका ने क्रमवार ५०, २० और ५,००० किलोग्राम यूरेनियम २३५ अभिकरण को देना स्वीकार कर लिया है। इस के अतिरिक्त अमरीका ने कहा है कि १ जुलाई, १९६० तक अभिकरण के अन्य सदस्य जितनी आण्विक सामग्री देंगे उतनी ही सामग्री वह अकेला देगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

प्रश्नों के लिखित उत्तर

उद्योगों का राष्ट्रीयकरण न करना

†*९३७. **श्री नागी रेड्डी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आगामी पांच वर्ष में उद्योगों का राष्ट्रीयकरण न करने का निर्णय कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो यह निर्णय कब किया गया है ?

† **उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** :(क) और (ख). ३० अप्रैल, १९५६ के औद्योगिक नीति संकल्प में सरकार की औद्योगिक नीति दी गई है ।

भारतीय गोल मिर्च[s]

† *९४१. **श्री वें० प० नायर** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत से जो बढ़िया किस्म की गोल मिर्च भेजी जाती है, महाद्वीप में उपभोक्ताओं को उसकी आवश्यकता नहीं है ; और

(ख) यदि हां, तो भारतीय बढ़िया किस्म की काली मिर्च के लिये अन्य बाजार ढूंढने के लिये सरकार ने कोई कार्यवाही की है तो वह क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) :(क) और (ख). इसमें शक नहीं सस्ती किस्मों की मांग अधिक है परन्तु फिर भी महा द्वीप के देशों को गोल मिर्च का निर्यात हाल में बढ़ा ही है । निर्यात सम्बन्धी परिषद् निर्यात बढ़ाने का प्रयत्न कर रही है और राज्य व्यापार निगम नये बाजारों में भारतीय गोल मिर्च का विक्रय करने के प्रयत्न कर रहा है ।

लोहे और इस्पात के निर्मित पदार्थों का निर्यात

†*९४९. **पंडित द्वा० ना० तिवारी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्पादकों को लोहा तथा इस्पात के बांटने में छूट देने की नीति के बाद से लोहे और इस्पात के निर्मित पदार्थों के निर्यात में कोई वृद्धि हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो किन किन देशों को निर्यात बढ़ा है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)**: कदाचित माननीय सदस्य का आशय अगस्त, १९५७ के आरम्भ में शुरू की गई उस योजना से है जिसके अन्तर्गत लोहा तथा इस्पात वस्तु निर्माताओं को इन वस्तुओं के निर्यात के लिये अधिक लोहा तथा इस्पात देने का विचार किया गया था । अभी उस योजना के प्रभावों का अन्दाजा लगाना कठिन है । हां, सितम्बर, १९५७ में अवश्य कुछ वृद्धि के लक्षण पाये गये हैं ।

(ख) केनिया, लंका, बर्मा, टांगानिका, अदन, साइप्रस, फिलीपीन, मलाया, सिंगापुर, क्वेत, मोजम्बिक, न्यूजीलैंड तथा इंडोनेशिया ।

---

†मूल अंग्रेजी में
[s]Indian Pepper.

करारोपण

†* ९५१. **श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना के पहले दो वर्षों में केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों ने अपने चालू वार्षिक राजस्वों में से अतिरिक्त करारोपण के बिना योजना के लिये कुल कितना धन दिया है ;

(ख) अतिरिक्त करों द्वारा उन्होंने कितना धन दिया है ; और

(ग) योजना आयोग ने इस प्रकार से जितना धन जुटाये जाने का अनुमान लगाया था यह उससे कितना कम रहा है ?

† **योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र)**: (क) तथा (ख). पुनरीक्षित प्राक्कलनों के अनुसार केन्द्र द्वारा १९५६–५७ में ३८ करोड़ रुपये आगम का आधिक्य दिखाया गया है। इसमें ५५ करोड़ रुपये के अतिरिक्त करों द्वारा आय भी सम्मिलित है। राज्य पुनर्गठन के फलस्वरूप व्यवस्था सम्बन्धी कतिपय रद्दोबदलों के कारण राज्यों के पुनरीक्षित प्राक्कलन नहीं उपलब्ध हो सके हैं। आय-व्ययक के समय के प्राक्कलनों के अनुसार राज्यों ने ७७ करोड़ रुपये का घाटा दिखाया है।। यह ६ करोड़ रुपये के अतिरिक्त कर लगाने के बाद दिखाया गया है। इस वर्ष बाद में राज्यों ने ५ करोड़ रुपये के और कर लगाये।

१९५७–५८ के बजट प्राक्कलनों के अनुसार केन्द्र ने ७८ करोड़ रुपये के अतिरिक्त कर लगाने के उपरान्त ४५ करोड़ रुपये का आगम का आधिक्य दिखाया गया है। राज्यों के बजट प्राक्कलनों में ९१ करोड़ रुपये का घाटा दिखाया गया है जिसमें से केवल १६ करोड़ रुपये की राशि को नये करों द्वारा पूरा कर सकेंगे।

(ग) यद्यपि अभी सही सही आंकड़ों की गणना तो नहीं हो सकी है किन्तु राजस्व से योजना के लिये जितनी राशि जुटाने का अनुमान लगाया गया था उतनी राशि नहीं आ पा रही है। यह कमी राज्यों के कारण हुई है।

काम्बे[9] (बम्बई) में नमक का उत्पादन

†*९५५. **श्री याज्ञिक** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह ज्ञात है कि काम्बे, बम्बई राज्य, में समुद्र तट पर नमक का उत्पादन करने के लिये एक संयुक्त स्कन्ध समवाय[10] का पंजीयन[11] किया गया है ;

(ख) क्या सरकार को नमक का उत्पादन करने के लिये शीघ्र लाइसेंस देने के बारे में कोई आवेदन प्राप्त हुआ है ताकि अनेक नमक बनाने वाले मजूरों को शीघ्र कोई कार्य मिल सके ;

(ग) क्या उस पर कोई अन्तिम निश्चय कर लिया गया है ; और

(घ) क्या सरकार ने बम्बई सरकार को उक्त कम्पनी को शीघ्र कार्य करने के लिये आदेश देने के लिये कोई निदेश भेजे हैं ?

† **उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) तथा (ख). जी नहीं।

(ग) तथा (घ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

---

†मूल अंग्रेजी में

[9]Cambay.

[10]Joint Stock Company.

[11]Registration.

झींगा मछली[12] का निर्यात

†*९५७. **श्री वारियर** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल से १९५६ में कुल कितनी झींगा मछली का निर्यात किया गया है ; और

(ख) क्या इस वर्ष उसके निर्यात में कुछ वृद्धि हुई है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) तथा (ख). केरल से निर्यात झींगा मछली के सही आंकड़े नहीं उपलब्ध हो सके हैं । । किन्तु कोचीन के कस्टम ज़ोन से १९५६ में ५५,०४८ हंडरवेट झींगा मछली का निर्यात किया गया है। १९५७ में जनवरी से जून तक ५३,३३७ हंडरवेट मछली का निर्यात किया गया है । इससे यह प्रकट होता है कि इस वर्ष झींगा मछली का निर्यात बढ़ गया है ।

पश्चिम बोखारो कोयला क्षेत्र, झरिया

†*९५८. **श्री तं०मणि** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १३ नवम्बर, १९५७ से पश्चिम बोखारो कोयला क्षेत्र, झरिया, के २,००० मजदूर हड़ताल पर हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनकी क्या मांगें हैं ; और

(ग) सरकार ने उनके झगड़े का निबटारा करने के लिये क्या किया है ?

†**श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री के सभा-सचिव (श्री ल० ना० मिश्र)** : (क) पश्चिम बोखारो कोयला क्षेत्र के लगभग १५०० मजदूर १२ नवम्बर, १९५७ से हड़ताल पर हैं ।

(ख) उनकी ये मांगें हैं । कुछ बर्खास्त मजदूरों को पुनः अपनी नौकरी पर लगाया जाये, उन्हें पदोन्नति तथा स्थायी बनने की सुविधायें दी जायें। इसी प्रकार काम भार, डीज़ल तथा तेल गैस से प्रभावित होने वाले मजदूरों के लिये अतिरिक्त भत्ता, क्वार्टरों, स्कूलों तथा निःशुल्क यातायात एवं बोनस इत्यादि सम्बन्धी अनेक और मांगें हैं ।

(ग) समझौता अधिकारी ने दोनों पक्षों में समझौता कराने का प्रयत्न किया था किन्तु इनके प्रयत्न विफल रहे हैं ।

भारत तथा पाकिस्तान में पावन स्थान[13] (मन्दिर)

†*९५९. {
श्री राधा रमण :
श्री हेम राज :
श्री पद्म देव :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री दलजीत सिंह :

क्या **प्रधान मंत्री** ११ नवम्बर, १९५७ के भारत तथा पाकिस्तान में स्थित पावन स्थानों के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या २३ के उत्तर में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस सम्बन्ध में पाकिस्तान से कोई उत्तर प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[12]Prawns.

[13]Shrines.

†**वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : (क) जी हां ।

(ख) पाकिस्तान ने इस सम्बन्ध में कुछ सुझाव रखे हैं । भारत सरकार अब उन पर विचार कर रही है ।

मराठवाडा में राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा सामुदायिक परियोजनाएं

†*९६०. **श्री पांगरकर** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई के मराठवाडा क्षेत्र में राष्ट्रीय विस्तार सेवाओं तथा सामुदायिक परियोजनाओं की प्रगति का निरीक्षण करने के लिये कोई मूल्यांकन अधिकारी नियुक्त किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उसने कोई रिपोर्ट दी है ?

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र)** : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

हाथकरघे का कपड़ा

†*९६१. **कुमारी मो० वेद कुमारी** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आन्ध्र में ३ करोड़ रुपये के मूल्य का हथकरघे का कपड़ा जमा हो गया है और आन्ध्र की मुख्य बुनकर सहकारी संस्था ने इस स्टॉक में से सरकार को २५ लाख रुपये का कपड़ा खरीदने के लिये कहा है ;

(ख) क्या उन्होंने ६ महीने के लिये हथकरघे के कपड़े की बिक्री पर प्रति रुपया १५ नये पैसे की छट देने के लिये जो प्रार्थना की है क्या उस पर भी विचार किया जायेगा ; और

(ग) क्या इन संस्थाओं को राज्य बैंक अथवा किन्हीं अन्य वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा ऋण देने की सुविधायें प्रदान की जायेंगी ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) जी नहीं ।

(ख) भारत सरकार को कोई ऐसा प्रार्थना पत्र नहीं स्वीकार हुआ है ।

(ग) जी हां । भारत का संचित अधिकोष उन्हें ऋण सम्बन्धी आवश्यक सुविधायें देगा ।

पशमीना ऊन

†*९६२, { **श्री हेमराज** :
श्री पद्म देव :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय विभिन्न राज्यों में पशमीना ऊन का कितना स्टॉक है;

(ख) १९५६-५७ और १९५७-५८ में इसकी कितनी मात्रा का निर्यात किया गया ;

(ग) १९५५, १९५६ और १९५७ में इसका कितना आयात किया गया ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) क्या पशमीना ऊन के निर्यात के प्रश्न पर विचार करने के लिये उत्तरी क्षेत्र (ज़ोन) के राज्यों की कोई बैठक हुई, यदि हां, तो उस में क्या निश्चय किया गया ; और

(ङ) उक्त बैठक में किन राज्यों ने भाग लिया ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क)

पंजाब	१८८७ मन १७ सेर
जम्मू व काश्मीर	६०० ,,
हिमाचल प्रदेश	४०० ,,
पश्चिम बंगाल	२१५ ,,

(ये आंकड़े पशमीना ऊन की डी-हेयरड फार्म के हैं। पंजाब में १८८७ मन १७ सेर की कथित मात्रा में से ११५७ मन ३० सेर १० १/२ छटांक का अब तक वास्तव में सत्यापन किया जा चुका है)

(ख) १९५६ के दौरान में ११५० मन निर्यात हुआ था। १९५७ के वास्तविक निर्यात के आंकड़े नहीं उपलब्ध हो सके हैं किन्तु जनवरी से सितम्बर, १९५७ तक १००० मन के जहाजों में लादने के आदेश दिये जा चुके हैं।

(ग)

वर्ष	**कच्ची पशम के आयात की मात्रा**
१९५५	३१०८ मन
१९५६	४८६५ ,,
१९५७ (जनवरी से नवम्बर तक)	४००० ,,*

(घ) तथा (ङ). १-११-५७ को चंडीगढ़ में एक बैठक हुई थी। इसमें जम्मू व काश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश तथा भारत सरकार के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इस बैठक में यह निश्चय किया गया था कि विभिन्न राज्यों में पशमीना ऊन के स्टॉक का सत्यापन किया जाये तथा सत्यापित स्टॉक के ५० प्रतिशत के भारत से बाहर निर्यात करने की अनुमति दी जाये।

बेसीन में सरकारी नमक-कारखाने

†*९६२क. { **श्री जाधव :**
श्री नौशीर भरूचा : }

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बेसीन की भट्टी, शेनखाई, जूना तथा जूना वचक की नमक की चार सरकारी कर्मशालाएं सर्वोदय आदिवासी मिथ उत्पादन सहकारी संघ लिमिटिड, गोखीवारा, ज़िला थाना (बम्बई) को पट्टे पर दे दी गई हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि मिथागर कामगार सहकारी संघ लिमिटिड, जूचन्द्रा, बेसीन ने भी इन नमक के कारखानों का पट्टा प्राप्त करने के लिये आवेदन दिया था;

---

†मूल अंग्रेजी में।
*केवल अनुमानित आंकड़े

(ग) यदि हां, तो ये कारखाने मिथागर कामगर सहकारी संघ लिमिटिड, जूचन्द्रा (बेसीन) को छोड़ कर सर्वोदय आदिवासी मिथ उत्पादन सहकारी संघ लिमिटिड को क्यों दिये गये हैं;

(घ) क्या यह सच है कि मिथागर कामगर सहकारी संघ ने इस विषय को पंचाट के सामने रखने को कहा है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार क्या करना चाहती है ?

† **उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख). जी हां ।

(ग) पहली संस्था को इसलिये प्राथमिकता दी गई है कि वह उस क्षेत्र के आदिवासियों के उद्धार के लिये कार्य कर रही है और उसके पास इन कर्मशालाओं को चलाने के लिये पर्याप्त धन भी है ।

(घ) सरकार को कोई सूचना नहीं ।

(ङ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

डी० डी० टी० फैक्टरी, अलवाय[14]

†*९६३. **श्री वासुदेवन् नायर** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डी० डी० टी० फैक्टरी, अलवाय, का निर्माण कार्य कब तक समाप्त हो जायेगा;

(ख) इसमें कब तक कार्य करना शुरू हो जायेगा; और

(ग) इस फैक्टरी में कुल कितने आदमियों को नौकरी पर लगाया जा सकेगा ?

† **उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) इसमें संयन्त्र तथा मशीनें लग चुकी हैं ।

(ख) परीक्षण किये जा रहे हैं और जब यह निश्चय हो जायेगा कि अब मशीनें ठीक कार्य करने लगी हैं और साथ ही जब पड़ोस के कारखानों से क्लोरीन की पर्याप्त मात्रा मिलने लगेगी तब नियमित उत्पादन शुरू कर दिया जायेगा ।

(ग) लगभग २३० ।

पुराने क़िले के विस्थापित व्यक्ति

†*९६४. { **श्री स० म० बनर्जी :**
श्री तंगामणि : }

क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मंत्री २४ अगस्त, १९५७ के तारांकित प्रश्न संख्या ११२१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली में पुराने किले में रहने वाले विस्थापित व्यक्तियों को बदलने के कार्य में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

†**पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : इस कार्य में कोई विशेष प्रगति नहीं हुई है क्योंकि इन व्यक्तियों को लाजपतनगर में जो मकान दिये गये थे वे अनधिकृत लोगों के कब्जे में हैं और वे लोग उनको अभी तक खाली नहीं कर रहे हैं । उन लोगों को निकालने का कार्य किया जा रहा है मगर १२ परिवारों ने लाजपतनगर में अन्य सस्ते मकानों में जाना स्वीकार कर लिया है । इसके अतिरिक्त इस कालोनी में २४ और परिवारों को प्लाट भी दिये गये हैं ।

---

† मूल अंग्रेजी में
[14]D. D. T. Factory, Alwaye.

राजस्थान में औद्योगीकरण

†*९६५. श्री कर्णी सिंह जी : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के पहले वर्ष में राजस्थान में सरकारी क्षेत्र के उद्योगों में कितनी पूंजी लगाई गई है विशेषतया बीकानेर डिवीज़न में ?

† उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह): राजस्थान के बीकानेर डिवीजन में सरकारी क्षेत्र में कोई उद्योग नहीं खोला गया है ।

घड़ियों का निर्माण

†*९६६. श्री दामानी : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में कुछ उद्योग घड़ियां बनाने का कार्य शुरू करना चाहते हैं;

(ख) यदि नहीं, तो क्या किन्हीं छोटे पैमाने के उद्योगों को घड़ियां बनाने के लिये कोई वित्तीय सहायता अथवा ऋण दिया गया है; और

(ग) क्या इस प्रकार के उद्योग को कोई प्रोत्साहन दिया जा रहा है, यदि हां, तो क्या ?

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) तथा (ख). जी नहीं ।

(ग) यदि कोई भी लघु उद्योग इस कार्य को शुरू करने के लिये विशेष प्रस्ताव रखेगा तो सरकार उसे टेकनीकल सहायता तथा ऋण देने के लिये तैयार है ।

'१८५७' नामक पुस्तक

*९६७. श्री जगदीश अवस्थी : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि '१८५७' नामक पुस्तक के प्रकाशन पर सरकार ने कितना धन खर्च किया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : पुस्तक के अंग्रेजी में प्रकाशन पर लगभग रु० ४४,४०० खर्च आये । हिन्दी संस्करण के प्रकाशन पर रु० ७००० खर्च हुए ।

श्री गंगानगर में शरणार्थी किसान

*९६८. श्री प० ला० बारूपाल : क्या पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि कुछ शरणार्थी किसान, जिन्हें १९४८ में श्री गंगानगर जिले में जमीनें दी गयी थीं, अब जमीनों से हटाये जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या पुनर्वास मंत्रालय ने उन किसानों को खेतों के लिये कुछ तकावी ऋण दिये थे; और

(घ) यदि हां, तो जब किसान हटाये जायेंगे तो शेष ऋण किस प्रकार वसूल किये जायेंगे ?

पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : (क) से (घ). राजस्थान सरकार से जानकारी एकत्रित की जा रही है और मिलने पर सभा की मेज पर रख दी जायेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

कच्चे मैंगनीज़ का निर्यात

†*९६९. **श्री हेडा** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निर्यात वृद्धि समिति ने १९५७ और १९५८ के लिये कच्चे मेंगनीज़ के निर्यात का कितना लक्ष्य निर्धारित किया है;

(ख) क्या यह सच है कि इसका निर्यात कम हो रहा है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार इसके निर्यात की वृद्धि के लिये क्या उपाय कर रही है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) समिति ने यह सिफारिश की थी कि हमें १९६०-६१ तक प्रतिवर्ष १५ से २० लाख टन का निर्यात करना चाहिये ।

(ख) जी नहीं। वास्तव में पिछले दो वर्ष का निर्यात उससे पहले दो वर्षो से कहीं अधिक है। किन्तु यह सच है कि घटिया किस्म के मेंगनीज़ की मांग कुछ कम हो गई है और भारतीय मैंगनीज़ को नये स्रोतों से आने वाले मैंगनीज़ से बड़ा मुकाबला करना पड़ रहा है।

(ग) राज्य व्यापार निगम घटिया किस्म के कच्चे मैंगनीज़ के निर्यात को बढ़ावा देने के लिये कुछ व्यवस्था करने का प्रयत्न कर रहा है। इसके लिये प्रमुख जहाज मालिक तथा खान मालिकों को मंत्रालय से बातचीत करने के लिये बुलाया गया है ताकि विदेशों में भारतीय कच्चे मैंगनीज़ की मांग बढ़ाने के उपायों पर सोचा जा सके ।

योरोपीय देशों से व्यापार

†* ९७०. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिमी जर्मनी को भेजे गये भारतीय आर्थिक मिशन के चार सदस्यों को यूरोप के अन्य देशों में भी जाने के लिये कहा गया है ताकि वे उन देशों के साथ भी अपना निर्यात बढ़ाने के उपाय सोच सकें;

(ख) यदि हां, तो क्या वे भारत लौट आये हैं और क्या उन्होंने कोई रिपोर्ट दी है ?

† **वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : जी हां । राज्य व्यापार निगम द्वारा भेजे गये केवल दो सदस्यों को ऐसा भ्रमण करने के लिये कहा गया है। वे भारत लौट आये हैं और उन्होंने अपनी रिपोर्ट भी दे दी है ।

मीट्रिक प्रणाली के बांट

†*९७१. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मीट्रिक बांट बनाने के लिये इस्पात तथा अपिधम लोहे (पिग आयरन) की आवश्यकता के बारे में कोई अनुमान लगाया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) तथा (ख). एक अस्थायी अन्दाजा लगाया गया है । वर्तमान बांटों के स्थान पर मीट्रिक प्रणाली के बांट चलाने के लिये तीन से चार वर्ष की अवधि के लिये लगभग २१,००० टन अपिधम लोहा (पिग आयरन) तथा इतने ही इस्पात की जरूरत पड़ेगी ।

फिल्म उद्योग

†*६७२. **श्री जाधव** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फिल्म उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों के लिये भारतवर्ष को प्रतिवर्ष कितनी कच्ची फिल्मों की जरूरत है; और

(ख) विदेशों से मंगाई गयी कच्ची फिल्मों को इन विभिन्न क्षेत्रों में किस आधार पर बांटा जाता है ?

†**उद्योग मंत्री श्री (मनुभाई शाह)** : (क) इस समय देश में प्रति वर्ष २५ करोड़ फीट कच्ची फिल्म की खपत होती है ।

(ख) इसका वितरण केन्द्रीय परामर्शदाता समिति तथा हाल ही में बनाई गई तीन रीजनल समितियों की सिफारिशों के आधार पर किया जाता है ।

जयपुर का आकाशवाणी केन्द्र

*६७३. **श्री वाजपेयी** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आकाशवाणी के जयपुर केन्द्र से प्रसारित किये जाने वाले कार्यक्रमों में सिन्धी भाषा के लिये कोई स्थान नहीं है, जब कि राजस्थान में सिन्धी भाषाभाषियों की संख्या लगभग ६ लाख है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर): (क) तथा (ख). राजस्थान में सिन्धी बोलने वालों की जो संख्या माननीय सदस्य ने दी है, वह संभवत: सन्देहात्मक और बढ़ी चढ़ी है । कुछ सिन्धी समितियों ने जयपुर से सिन्धी प्रोग्राम करने के बारे में प्रार्थनापत्र दिये हैं । इस प्रश्न पर सोचा जा रहा है, लेकिन यह ध्यान में रखना चाहिये कि हर एक रेडियो स्टेशन से विविध भाषाओं में कार्यक्रम करना कठिन होता है । अगर किसी एक भाषा के बोलने वाले एक इलाके में काफी संख्या में हों, तो कार्यक्रम करना संभव होता है । इस बात की तहकीकात की जा रही है कि राजस्थान में सिन्धी बोलने वाले कितने हैं, कहां कहां हैं और प्रोग्राम के लिये आवश्यक मसाला किस हद तक मिल सकता है ।

भारतीय चाय प्रतिनिधिमंडल

†*६७४. { **श्री हेमराज** : **श्री पद्म देव** :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री १० सितम्बर, १६५७ के तारांकित प्रश्न संख्या १६४१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरी चाय सम्बन्धी प्रतिनिधिमंडल अफगानिस्तान के लिये रवाना हो चुका है;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उसके कौन कौन सदस्य हैं;

(ग) वे कितने दिनों तक वहां रहेंगे; और

(घ) कब तक अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) :** (क) जी हां, वे लोग वापस आ चुके हैं ।

(ख) श्री यू० के० घोषाल, सरदार गुरपीत सिंह मान, लफ्टिनेंट कर्नल ई० डब्लू० बैल और श्री लाभ चन्द मेहरा ।

(ग) लगभग पांच दिन ।

(घ) आशा की जाती है कि वे लोग इस महीने की समाप्ति से पहले सरकार को अपनी रिपोर्ट दे देंगे ।

भारत साधु समाज

***९७५. श्री भक्त दर्शन :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में अहमदाबाद में सम्पूर्ण भारत के साधुओं का एक सम्मेलन भारत साधु समाज के तत्वावधान में हुआ था;

(ख) क्या यह भी सच है कि वे उस सम्मेलन में सम्मिलित हुए और उन्होंने साधुओं से अपील की कि वे देश के विकास कार्यों में सहयोग दें; और

(ग) यदि हां, तो उसके परिणामस्वरूप राष्ट्रीय विकास में सक्रिय सहयोग देने के लिये भारत साधु समाज ने क्या कार्यक्रम बनाया है ?

योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र) (क) और (ख). जी, हां ।

(ग) सम्मेलन में जो प्रस्ताव पास हुए थे उनकी प्रतिलिपियां सदन की मेज़ पर प्रस्तुत हैं । **[पुस्तकालय में रखी गयीं । देखिये संख्या एल० टी० ४३१-५७]**

बम्बई में शिक्षित बेकार

†***९७६. श्री पांगरकर :** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय बम्बई के एम्पलायमेंट एक्सचेंज में कितने शिक्षित बेकार रजिस्टर्ड हैं;

(ख) क्या शिक्षित बेकारों में आत्म-निर्भरता की भावना पैदा करने के लिये राज्य में कोई कार्य तथा अनुस्थापन केन्द्र[15] है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार निकट भविष्य में कोई ऐसा केन्द्र खोलने का विचार रखती है ?

†**श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री के सभा-सचिव (श्री ल० ना० मिश्र) :** (क) ४२,९७८ यह संख्या ३०-९-१९५७ की है ।

(ख) तथा (ग). जी हां । देश में दो कार्य तथा अनुस्थापन केन्द्र खोले गये हैं एक केरल में कालामासेरे में और दूसरा दिल्ली में । पश्चिमी बंगाल में कल्याणी में एक तीसरा केन्द्र खोलने की स्वीकृति दी गई है । इन परीक्षणात्मक परियोजनाओं के परिणामों को देख कर उनके अनुसार अन्य राज्यों में ऐसे केन्द्र खोले जायेंगे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[15]Work and Orientation Centre.

दिल्ली में साइकिल-रिक्शा चलाने वालों की हड़ताल

†*९७७. { श्री स० म० बनर्जी :
श्री तंगामणि :

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में साइकिल-रिक्शा चलाने वालों ने दिल्ली नगरपालिका समिति के ३० जून, १९५८ के बाद साइकिल-रिक्शाओं का चलना बन्द कर देने के निश्चय के विरुद्ध २३ नवम्बर, १९५७ को एक सांकेतिक हड़ताल की थी;

(ख) यदि हां, तो इस निश्चय से कितने साइकिल-रिक्शा चलाने वालों के बेरोजगार हो जाने की संभावना है; और

(ग) इस निश्चय को कार्यन्वित किये जाने के पूर्व उन्हें दूसरा रोजगार दिलाने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री के सभा-सचिव (श्री ल० ना० मिश्र)** : (क) साइकिल-रिक्शा चलाने वालों ने २३ नवम्बर, १९५७ को हड़ताल की थी किन्तु दिल्ली नगरपालिका समिति ने अभी यह निश्चय नहीं किया है कि ३० जून, १९५८ के बाद साइकिल-रिक्शा चलाना बन्द कर दिया जायगा ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

पटसन की जगह इस्तेमाल किया जाने वाला पदार्थ

†*९७८. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिबिसस पौधे से उपलब्ध पटसन के रेशे की जगह इस्तेमाल किये जा सकने वाला पदार्थ एक व्यापारिक महत्व की वस्तु है; और

(ख) यदि हां, तो इससे भारतीय पटसन के व्यापार पर क्या असर पड़ेगा ?

† **वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

औद्योगिक उत्पादन

†*९७९. **श्री हेडा** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५७ के पूर्वार्ध में औद्योगिक उत्पादन की स्थिति कैसी रही;

(ख) किन-किन उद्योगों में हम अपने लक्ष्य से आगे हैं; और

(ग) किन-किन उद्योगों में आशा से कम उत्पादन हुआ और कितना कम रहा ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) 'मन्थली इसटेटिसटिक्स आफ प्रोडक्शन आफ सेलेक्टेड इंडस्ट्रीज आफ इण्डिया' नामक पुस्तिका में प्रति मास के उत्पादन के आंकड़े प्रकाशित किये जाते हैं । पुस्तिका की प्रतियां संसद्-पुस्तकालय में उपलब्ध हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) तथा (ग). अर्धवार्षिक अथवा वार्षिक उत्पादन के लिये कोई लक्ष्य नियत नहीं किये जाते हैं। तथापि औद्योगिक उत्पादन के सामान्य देशनांक का कुल औसत, जो कि १९५६ के प्रथम ६ महीनों में १४५·३ था, १९५७ के प्रथम छः महीनों मे १४८·८ रहा।

चीनी के कारखाने

†*९७९—क. **श्री जाधव : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे **कि :**

(क) भारत के प्रत्येक राज्य में चीनी के कितने कारखाने हैं और उनमें से कितने गैर-सरकारी लोगों के हाथ में हैं और कितने सहकारिता के आधार पर चलते हैं;

(ख) कितने कारखानों में शीरे से मद्यसार तैयार किया जाता है;

(ग) शीरे का प्रयोग और किस काम में किया जा रहा है; और

(घ) यदि सभी कारखाने शीरे से मद्यसार तैयार करें, तो उनकी कुल क्षमता क्या होगी ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) :** (क) सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ३]**

(ख) ३१।

(ग) इस समय शीरे का मुख्य उपयोग मद्यसार तथा मदिरा और शराब बनाने में किया जाता है। इस देश में शीरे का और कोई मुख्य औद्योगिक इस्तेमाल अभी शुरू नहीं किया गया है, यद्यपि उसकी कुल मात्रा ढलाई के रेत में मिलाकर हुक्के की तम्बाकू बनाने के तथा बाहर भेजने के काम में आती है। दूसरे देशों में शीरे का इस्तेमाल खमीर, साइट्रिक एसिड तथा यूटिल मद्यसार बनाने में किया जाता है।

(घ) भारत सरकार द्वारा नियुक्त की गई मद्यसार समिति ने यह अनुमान लगाया है कि १९५९ के बाद लगभग १,०२४,१०० टन शीरा प्रति वर्ष उपलब्ध हो सकेगा जिसमें से लगभग ९११,५०० टन मद्यसार बनाने के लिये उपलब्ध होगा। यदि इतने शीरे का पूरी तरह से उपयोग किया जाये, तो उससे प्रति वर्ष ४५०—४६० लाख गैलन मद्यसार तैयार हो सकता है।

अखिल भारतीय समाचार-पत्र सम्पादक सम्मेलन

†*९८०. **श्री वाजपेयी :**
श्री कुमारन :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान अखिल भारतीय समाचार-पत्र सम्पादक सम्मेलन के इस वर्ष के वार्षिक अधिवेशन में स्वीकृत इस संकल्प की ओर आकृष्ट हुआ है कि सरकार की विज्ञापन देने की नीति भेद-भाव पूर्ण है;

(ख) क्या सरकार ने इन आरोपों की सत्यता की जांच की है; और

(ग) यदि हां, तो उनका सामना करने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) :** (क) से (ग). सरकार ने इस आशय की खबर देखी है। सरकार इस संकल्प से या उसके निष्कर्षों से सहमत नहीं है। व्यापकतम प्रचार

†मूल अंग्रेजी में

के लिये विज्ञापनों का वितरण न्यायपूर्ण ढंग से करने के लिये विज्ञापनों के सम्बन्ध में निश्चित नीति निर्धारित कर दी गयी है । सरकार इस बात से पूर्णतः संतुष्ट है कि इन सिद्धान्तों का पालन और उनकी क्रियान्विति उचित ढंग से की जाती है । हमारी निश्चित नीति है कि विज्ञापन समाचार-पत्र की बिक्री और प्रतिष्ठा के आधार पर दिये जायें । राजनैतिक विचारों के आधार पर इस में कोई भेदभाव नहीं किया जाता । लेकिन सरकार का यह निश्चित मत है कि जो समाचार पत्र लगातार साम्प्रदायिकता को उभाड़ते हैं उनको प्रोत्साहन न दिया जाय और इसीलिये ऐसे समाचार पत्रों को विज्ञापन नहीं दिये जाते हैं । सरकार की यह भी धारणा है कि 'सनसनीखेज' समाचार प्रकाशित करने वाले अखबारों को भी विज्ञापन देकर प्रोत्साहन नहीं दिया जाना चाहिये ।

संसद्-सदस्यों के लिये स्थान

†*६८१. { श्री हेम राज :
श्री पद्म देव :
श्री केशव : }

क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नार्थ एवेन्यू में संसद्-सदस्यों के लिये अतिरिक्त फ्लैटों के निर्माण में कितनी प्रगति हुई है;

(ख) प्रतिरक्षा विभाग से जमीन लेने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है; और

(ग) संसद्-सदस्यों के लिये पर्याप्त संख्या में मकान कब तक उपलब्ध हो जायेंगे ?

†निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा) : (क) और (ख). नार्थ एवेन्यू के क्षेत्र से प्रतिरक्षा प्रतिष्ठानों को हटाने के लिये उनके लिये दूसरा स्थान ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है ताकि इस प्रकार खाली होने वाली जगह में संसद्-सदस्यों के लिये २४ फ्लैटों का निर्माण किया जा सके । इनके लिये कुछ स्थानों का सुझाव दिया भी गया है । इस मामले पर बृहत्तर दिल्ली के संबंध में पूरी योजना बनाने की दृष्टि से विचार किया जा रहा है ।

आकाशवाणी

†१३७६. **श्री वें० च० मलिक :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है दिल्ली में कुछ ऐसी मोटर-कारें बेकार पड़ी हैं जो आकाशवाणी के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) और (ख). जी नहीं । वह बेकार नहीं पड़ी हैं वरन् खराब हो गयी हैं । दो गाड़ियां रद्दी कर दी गयी हैं, तीन की बड़ी मरम्मत की जा रही है और दो को टायर-ट्यूब बदल कर शीघ्र ही चलाया जायेगा ।

विश्व-मानचित्र

†१३७७. **श्री न० रा० मुनिस्वामी :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संयुक्त राष्ट्र सूचना विभाग ने सदस्य राष्ट्रों में वितरण के लिये विश्व का एक मानचित्र निकाला है जिसमें केवल मात्र काश्मीर को विवाद-ग्रस्त राज्य-क्षेत्र के रूप में

---

†मूल अंग्रेजी में

दिखाया गया है जबकि पश्चिमी न्यूगिनी और अंजा जैसे अन्य विवाद-ग्रस्त राज्य-क्षेत्रों को यों ही छोड़ दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत सरकार ने इसका विरोध किया है ; और

(ग) इस विरोध पर संयुक्त राष्ट्र सचिवालय की क्या प्रतिक्रिया हुई है ?

†**वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)**: (क) जी हां । यह मानचित्र इस टिप्पण के साथ प्रकाशित किया गया है कि "जम्मू तथा काश्मीर सम्बन्धी अन्तिम स्थिति अभी तक निश्चित नहीं हुई है ।" उसमें सामान्य रूप से यह बात भी कही गयी है कि "इस मानचित्र में जो सीमायें दिखाई गयी हैं उनके बारे में यह नहीं समझा जाना चाहिये कि संयुक्त राष्ट्र संघ उनका अधिकारी रूप से अनुमोदन करता है अथवा उन्हें स्वीकार करता है ।"

(ख) संयुक्त राष्ट्र संघ स्थित हमारे स्थायी प्रतिनिधि ने उचित शब्दों में संयुक्त राष्ट्र सचिवालय से इसका विरोध किया है ।

(ग) कुछ स्पष्टीकरण अभी ही आया है और उस पर विचार किया जा रहा है ।

आन्ध्र प्रदेश में काम दिलाऊ दफ्तर

†१३७८. **श्री मं० वें० कृष्णराव** : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश के काम दिलाऊ दफ्तरों में १९५६-५७ और १९५७-५८ में (३१ अक्तूबर, १९५७ तक) कुल कितने व्यक्तियों ने नाम लिखाये ; और

(ख) नाम लिखाने वाले व्यक्तियों में से कितने प्रतिशत के लिये नौकरियों का प्रबन्ध किया गया ?

†**श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री के सभा-सचिव (श्री ल० ना० मिश्र)** : (क)

	१९५६-५७	१,१६,२३७
	१९५७-५८	६८,१७५
(ख)	१९५६-५७	१२·२
	१९५७-५८	८·९

धातुओं के तलछट का उद्योग

१३७९. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या धातुओं के तलछट उद्योग के विकास के लिये विशेषज्ञों से कोई वार्ता हुई है ;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ; और

(ग) उसके परिणामस्वरूप यदि कोई कार्यवाही की जा रही है, तो वह क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते ।

---

†मूल अंग्रेजी में

पाकिस्तान से पटसन का आयात

१३८०. डा० राम सुभग सिंह : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पाकिस्तान द्वारा हल्का और गन्दा पटसन लम्बे रेशे वाले पटसन में शामिल करने के निश्चय के कारण वहां से पटसन प्राप्त करने में क्या कठिनाइयां हो रही हैं, तथा उस कारण कितना अतिरिक्त खर्च हुआ है ; और

(ख) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) कोई भी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

मशीनी औजार

१३८१. डा० राम सुभग सिंह : क्य **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न प्रकार के मशीनी औजारों की आवश्यकता सम्बन्धी आंकड़े एकत्रित करने के बारे में अब तक क्या प्रगति हुई है ;

(ख) उन आंकड़ों को इकट्ठा करने के लिये क्या व्यवस्था की गई है ; और

(ग) क्या ये आंकड़े उत्पादकों को भी उपलब्ध किये जायेंगे ?

उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह): (क) से (ग). देश में १९६०–६२ तक विभिन्न किस्म के मशीनी औजारों की जो मांग होगी, उसका जनवरी १९५६ में सरकार द्वारा स्थापित, मशीनी औजार समिति ने एक अनुमान तैयार किया है। इस समिति की रिपोर्ट सितम्बर, १९५६ में प्राप्त हुई थी और वह २७ मार्च, १९५७ को सदन की मेज पर प्रस्तुत की जा चुकी है। यह प्रकाशित भी हो गयी हैं और जो लोग इसे लेना चाहें उनके लिये उपलब्ध है।

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम

१३८२. डा० राम सुभग सिंह : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम ने अब तक छोटे छोटे उद्योगपतियों को कितनी मशीनें बांटी हैं ;

(ख) इन मशीनों का कुल मूल्य कितना है ; और

(ग) अधिक से अधिक और कम से कम कितने मूल्य की मशीनें दी गयी हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) ३१–१–५७ तक ५२२ मशीनें बांटी गयीं।

(ख) ४६,७७,३९० रु०।

(ग) अधिक से अधिक १,०२,००० रु० और कम से कम ८४ रु० की मशीनें दी गयीं।

ऊनी कपड़ा उद्योग

१३८३. डा० राम सुभग सिंह : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऊनी कपड़ों के उद्योग के लिये पर्याप्त कच्चे माल का प्रबन्ध करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ;

(ख) अच्छी किस्म की विदेशी ऊन का आयात करने के लिये क्या सुविधायें दी जा रही हैं ; और

(ग) चालू वर्ष में अच्छी किस्म की कितनी ऊन का आयात होने की सम्भावना है और देशी ऊन उद्योग के लिये इस प्रकार की कितनी ऊन की आवश्यकता होती है ?

उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) कोई विशेष कदम उठाने का विचार नहीं है क्योंकि उद्योग को आवश्यक कच्चा माल मुहैया करने के लिये विदेशी मुद्रा की स्थिति देखते हुए प्रत्येक कोशिश की जाती है ।

(ख) देश के अन्दर न मिलने वाली किसी भी प्रकार की ऊन बाहर से मंगाने के लिये आयात लाइसेंस वैध होते हैं ।

(ग) लगभग १.९ करोड़ पौं० ऊन आयात किये जाने की सम्भावना है । १९५६ की खपत के हिसाब से देखें तो उद्योग की आवश्यकताएं भी लगभग इतनी ही हैं ।

कांच उद्योग

१३८४. डा० राम सुभग सिंह : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कांच उद्योग के सर्वेक्षण में क्या प्रगति हुई है; और

(ख) अब तक कितने कांच के कारखानों का सर्वेक्षण किया जा चुका है ?

उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) यह सर्वेक्षण मार्च १९५७ में समाप्त हो गया है ।

(ख) ६० कारखानों को ।

साइकिलें

१३८५. डा० राम सुभग सिंह : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५६ में देश में कितनी साइकलें तैयार की गयीं ; और

(ख) उनमें से देश में कितनी साइकिलें बेची गयीं और कितनी साइकलों का निर्यात हुआ ?

उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) १९५६ में देश में ६, ९१,५७२ साइकिल तैयार की गयीं ।

(ख) १९५६ में निर्माताओं ने देश के विक्रेताओं को ६,६९,५८३ साइकिलें भेजीं । उन्होंने देश में कितनी साइकिलें बेची और कितनी निर्यात कीं, इसके आंकड़े, उपलब्ध नहीं हैं । पहले साइकिलों का नाम मात्र का निर्यात होता था ।

ढलाई चूर्ण[16]

१३८६. श्रीमती गंगादेवी : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिजली का बढ़िया किस्म के प्लास्टिक का सामान बनाने के लिये विदेश से कितने परिमाण में ढलाई चूर्ण मंगाया जा रहा है ;

---

[16]Casting Powder.

(ख) क्या विदेशी चूरे के मुकाबले का चूरा देश में तैयार कराने के लिये भारतीय मानक संस्था द्वारा निर्धारित प्रतिमान के अनुसार चूरा भारत में तैयार होना आरम्भ हुआ है ; और

(ग) यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) शायद माननीय सदस्या का मतलब फिनौल-फार्मल डीहाइड ढलाई चूर्ण से है जो बिजली का सामान बनाने के काम आता है। जनवरी-जून १९५७ की अवधि में २२१४ हंडरवेट चूर्ण का आयात किया गया।

(ख) और (ग). भारतीय फर्मों ने बढ़िया किस्म का ढलाई का चूर्ण बनाना शुरू कर दिया है जो १९५४ की ब्रिटिश प्रतिमान सं० ७७१ के अनुरूप होता है। भारतीय निर्माता अपने यहां आवश्यक मशीनें लगा रहे हैं जिससे यह परीक्षण किया जा सके कि चूर्ण प्रतिमान के अनुरूप है या नहीं। भारतीय प्रतिमानशाला ने अभी इस चूर्ण का राष्ट्रीय प्रतिमान अन्तिम रूप से तैयार नहीं किया है।

बाट तथा माप

१३८७. **श्री झूलन सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पुराने बाटों तथा मापों को नये बाटों और मापों में बदलने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ; और

(ख) क्या इसके लिये कोई शुल्क लेने का निश्चय किया गया है ?

उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) कोई कार्यवाही नहीं की गई है क्योंकि पुराने बाटों तथा मापों को नये बाटों तथा मापों में बदलना व्यवहारिक नहीं समझा गया है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

सिंदरी उर्वरक कारखाना

१३८८. **श्री झूलन सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अमोनियम सल्फेट, नाइट्रेट और यूरिया का उत्पादन बढ़ाने के लिये सिन्दरी उर्वक कारखाने के विस्तार के बारे में क्या प्रगति हुई है ?

उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : सिन्दरी विस्तार योजना के लिये मेसर्स माण्टेकेटिनी द्वारा अतिरिक्त संयन्त्र लगाये जाने के बारे में काफी प्रगति हो चुकी है। मेसर्स कोपी द्वारा लीन गैस प्लाण्ट लगाया जा रहा है। सिन्दरी कम्पनी ने जिन कार्यों को विभागों द्वारा शुरू कराना किया था वे समाप्त हो गये हैं। आशा है ये संयन्त्र १९५८-५९ के मध्य से चालू हो जायेंगे।

नेपा पेपर मिल्स

१३९०. **श्री झूलन सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

(क) नेपा पेपर मिल्स में जो मशीन लगाई गई हैं, उनका कितना प्रतिशत विदेशों से आयात किया गया है ; और

(ख) किन किन देशों से वह आयात किया गया है ?

उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) पाइपों और फिटिंग्स को छोड़ कर लगभग पूरा संयन्त्र और मशीनें विदेशों से आयात की गई हैं ।

(ख) ६० प्रतिशत उपकरण अमेरिका से आयात किये गये हैं ।बिजली के कुछ उपकरण दो भारतीय फर्मों से लिये गये हैं जोकि पश्चिमी जर्मनी और ब्रिटेन के निर्माताओं के प्रतिनिधि हैं ।

कार्बन पेपर

१३९१. श्री झूलन सिंह : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में कार्बन पेपर तैयार करने वाले कितने कारखाने हैं ;

(ख) उनकी उत्पादन क्षमता कितनी है ;

(ग) क्या भारत में तैयार किया गया कार्बन पेपर विदेशों को भी निर्यात किया जाता है ;

(घ) यदि हां, तो प्रतिवर्ष कुल कितने मूल्य का निर्यात होता है ; और

(ङ) यदि भाग 'ग' का उत्तर नकारात्मक हो, तो इसका निर्यात बढ़ाने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) ७ ।

(ख) फुलस्केप साइज के सौ शीटों वाले लगभग २० लाख बक्स ।

(ग) जी हां ।

(घ) १९५७ की पहली छमाही में ३१,००० रु० का निर्यात किया गया । इससे पहले की अवधि के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

(ङ) कारबन पेपर बनाने में काम आने वाले प्रमुख आयातित कच्चे मालों पर लिया गया सीमा शुल्क लौटा दिया जाता है, जिससे इनका अधिक निर्यात करने को बढ़ावा मिले ।

सूत

१३९२. श्री झूलन सिंह : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५६–५७ के लिये स्वीकृत अम्बर चर्खा योजना के अन्तर्गत कितना सूत तैयार करने का विचार था ; और

(ख) वास्तव में कितना सूत तैयार किया गया ?

उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) १९५६–५७ के लिये उत्पादन लक्ष्य ६ लाख पौंड सूत रखा गया था ।

(ख) कुल ७,२२,५२२ पौण्ड सूत तैयार किया गया ।

रोजगार

१३९३. श्री राधा रमण : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिसम्बर, १९५६ के बाद रोजगार दफ्तरों में ऐसे कितने प्रतिशत व्यक्ति पंजीकृत हुए जो प्रविधिक कर्मचारी, क्लर्क, शिक्षक अथवा अकुशल कर्मचारी के रूप में रोजगार चाहते थे ?

श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री के सभा-सचिव (श्री ल० ना० मिश्र) : दिसम्बर, १९५७ के बाद नियोजन कार्यालयों में दर्ज प्रार्थियों का प्रतिशत प्राप्त नहीं है। ३१ अक्तूबर, १९५६ को दर्ज प्रार्थियों का प्रतिशत इस प्रकार है :--

	प्रतिशत
प्रविधिक कर्मचारी . .	८.२
क्लर्क . . .	२९.८
शिक्षक . . .	५.१
अकुशल कर्मचारी .	४८.७

प्रबन्ध में श्रमिकों का भाग लेना

१३९४. **श्री दि० प्र० सिंह** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : प्रबन्ध में श्रमिकों के भाग लेने सम्बन्धी अध्ययन मंडल की, जिसने इंग्लैंड और यूरोप का भ्रमण किया, रिपोर्ट पर क्या निर्णय किया गया है ?

श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री के सभा-सचिव (श्री ल० ना० मिश्र) : अध्ययन दल की रिपोर्ट पर पिछले भारतीय श्रम सम्मेलन ने विचार किया और यह सिफारिश की कि देश में योजना को अमल में लाने का काम दो साल तक नियोजकों की इच्छा पर छोड़ दिया जाये। सम्मेलन ने योजना पर आगे विचार करने के लिये एक उप समिति बनाने का भी सुझाव दिया था। इस उप समिति की बैठक ६ अगस्त, १९५७ को हुई जिसमें यह सुझाव दिया गया कि सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों के लगभग ५० चुने हुए कारखानों इत्यादि पर इस योजना को परीक्षण के रूप में चलाया जाय।

श्रमिकों के परिवारों के लिये चिकित्सा सम्बन्धी सुविधायें

१३९५. **श्री दि० प्र० सिंह** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोयला खदान क्षेत्रों में जो अस्पताल मजदूरों की चिकित्सा के लिये खोले गये हैं, उनमें क्या मजदूरों के परिवारों को भी चिकित्सा की सुविधायें दी जाती हैं ;

(ख) यदि हां, तो परिवार के किन-किन सदस्यों की चिकित्सा की अनुमति है ; और

(ग) क्या श्रमिकों को इलाज के लिये कुछ देना पड़ता है ?

श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री के सभा-सचिव (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी हां।

(ख) स्त्री जायज बच्चे और वे सौतेले बच्चे जो पूर्णरूप से कामगरों के साथ रहते हों और उन पर आश्रित हों। काम करने वाली स्त्री का पति, जो उसके साथ रहता हो और पूर्ण रूप से उस पर आश्रित हो, भी चिकित्सा सुविधा पाने का हकदार है।

(ग) ऐसे कामगरों के परिवार-सदस्य जिन्हें महीने में कुल मिलाकर ३०० रुपये से ज्यादा वेतन नहीं मिलता, इन्डोर इलाज मुफ्त पाते हैं। आउट डोर इलाज के सभी लिये मुफ्त है।

कोयला खान श्रमिकों के लिए अस्पताल

१३९६. **श्री दि० प्र० सिंह** : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोयला खान क्षेत्रों में जो अस्पताल मजदूरों की चिकित्सा के लिये खोले गये हैं क्या उन में मजदूरों के अलावा अन्य व्यक्तियों का भी इलाज किया जाता है ; और

(ख) यदि हां, तो किन किन शर्तों पर ?

श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री के सभा-सचिव (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी हां।

(ख) कोयला खान श्रम कल्याण फंड संस्था के अस्पतालों और दवाखानों में आम जनता आउटडोर इलाज मुफ्त पाती है। विशेषज्ञों द्वारा परीक्षा कराने पर निर्धारित फीस ली जाती है। निश्चित फीस देने पर आम लोगों को इन्डोर मरीजों के रूप में जनरल और स्पेशल वार्डों में भी भरती किया जाता है बशर्ते कि पलंग खाली हों क्योंकि भरती करने में कोयला खनिकों और उन के आश्रितों को तरजीह दी जाती है।

केन्द्रीय अस्पताल, झरिया

१३९७. **श्री दि० प्र० सिंह** : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) झरिया कोयला खान क्षेत्र के केन्द्रीय अस्पताल में कितने डाक्टर और कितने अन्य कर्मचारी हैं;

(ख) इस अस्पताल में और अधिक अन्य बिस्तरों की व्यवस्था करने के लिये नये भवन के निर्माण में क्या प्रगति हुई है; और

(ग) इस भवन पर कुल कितना खर्च होगा ?

श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री के सभा-सचिव (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) १७ डाक्टर १ मैट्रन और २२३ अन्य टैक्नीकल और गैर-टैक्नीकल कर्मचारी।

(ख) पलंगों की संख्या बढ़ाने के लिये कुछ और वार्डों का निर्माण समाप्ति पर है।

(ग) लगभग पांच लाख रुपये।

रानीगंज कोयला क्षेत्र में केन्द्रीय अस्पताल

१३९८. **श्री दि० प्र० सिंह** : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि रानीगंज कोयला खान क्षेत्र के अन्य केन्द्रीय अस्पताल में बिस्तरों की संख्या बढ़ाने की योजना को कार्यान्वित करने में इस बीच क्या प्रगति हुई है ?

श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री के सभा-सचिव (श्री ल० ना० मिश्र) : केन्द्रीय अस्पताल, आसनसोल में पलंगों की संख्या बढ़ाने के लिये विचार किया जा रहा है।

चलचित्रों का प्रदर्शन

१३९९. **श्री हेडा** : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन किन कोयला खान क्षेत्रों में चलचित्रों के प्रदर्शन की व्यवस्था की गई है;

(ख) चलचित्रों के प्रदर्शन के लिये कितने भवन बनाये गये हैं; और

(ग) चलचित्रों को प्राप्त करने के लिये कितना खर्च किया जाता है ?

श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री के सभा-सचिव (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) झरिया, मुगमा, रानीगंज, रामगढ़-कर्णपुर, बोकारो, मध्य प्रदेश, चांदा, हैदराबाद सम्बलपुर, उड़ीसा, आसाम, कोरिया और विन्ध्य प्रदेश कोयला क्षेत्रों में फिल्में दिखाने का प्रबन्ध है ।

(ख) चूंकि फिल्में खुली हवा में दिखाई जाती हैं, इसलिये कोई इमारत नहीं बनाई गई है ।

(ग) ३० रुपये से ४० रुपये तक प्रति शो ।

छात्रवृत्तियां

१४००. **श्री हेडा** : क्या **श्रम और रोजगार तथा योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोयला खनिकों के बच्चों को छात्रवृत्तियों के रूप में प्रतिवर्ष कितना धन दिया जा रहा है;

(ख) १९५७–५८ में अब तक यह धनराशि किन किन क्षेत्रों में कितने लड़के लड़कियों को दी गई है;

(ग) १९५६–५७ में इन छात्रवृत्तियों को पाने वाले लड़के लड़कियों ने आगे किन किन विषयों का अध्ययन किया; और

(घ) ये छात्रवृत्तियां पाने वाले छात्र छात्राओं में से कितनों ने ऐसे विषयों का अध्ययन किया जिस से उन्हें कोयला खानों के काम की अच्छी योग्यता प्राप्त हो सके ?

श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री के सभा-सचिव (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) अभी तक कोई रकम नहीं दी गई है । योजना जल्दी ही अमल में लाई जायेगी ।

(ख) छात्रवृत्तियां विभिन्न राज्यों के कोयला क्षेत्रों के लिये निम्नलिखित रूप से निर्धारित की गई हैं ।

राज्य	सामान्य शिक्षा संबंधी छात्रवृत्तियों की संख्या	टेक्नीकल शिक्षा संबंधी छात्रवृत्तियों की संख्या
बिहार . .	२१	११
पश्चिमी बंगाल .	८	३
मध्य प्रदेश	१०	४
बम्बई	१	..
उड़ीसा	२	१
आसाम .	२	१
आन्ध्र प्रदेश . .	५	२
राजस्थान . . .	१	

(ग) और (घ). प्रश्न नहीं उठता क्योंकि अभी तक कोई छात्रवृत्ति नहीं दी गई है ।

अम्बर चर्खे

१४०१. श्री रा० रा० मिश्र : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कताई बुनाई के पुराने तरीकों का इस्तेमाल करने वाले रूढ़िवादी जुलाहों ने अम्बर चरखे को किस हद तक अपनाया है ;

(ख) साधारण चरखों के स्थान पर अम्बर चरखे को अपनाने में अब तक क्या प्रगति हुई है; और

(ग) कताई बुनाई का पेशा न करने वाले नये लोगों में अम्बर चरखा कहां तक लोकप्रिय हो रहा है ?

उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) खादी तथा ग्रामोद्योग कमीशन ने अक्तूबर १९५७ में एक सर्वेक्षण किया था जिस के अनुसार अम्बर चरखे से सूत कातने वाले ३३,६१५ लोगों में से १.१ प्रतिशत जुलाहे परिवारों के थे ।

(ख) प्रशिक्षण शालाओं में भरती हुए ६३,००० कातने वालों के बारे में खादी तथा ग्रामोद्योग कमीशन को जो सूचनायें प्राप्त हुई हैं, उन से पता चलता है कि इन कातने वालों में से २४,००० या लगभग ३८ प्रतिशत व्यक्ति पहले साधारण (किसान) चरखा प्रयोग करते थे ।

(ग) खादी तथा ग्रामोद्योग कमीशन ने जो हाल में सर्वेक्षण किया था उस के अनुसार अम्बर चरखे से सूत कातने वाले ३२,६०९ व्यक्तियों में से २१,१७० या लगभग ६४ प्रतिशत पहले कताई का पेशा न करने वाले नये व्यक्ति थे ।

भारतीय उत्पादकता प्रतिनिधिमण्डल

१४०२. श्री रा० रा० मिश्र : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्पादकता बढ़ाने के तरीकों के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करने के लिये जो भारतीय उत्पादकता शिष्टमंडल जापान भेंजा गया था उस पर कितना खर्च हुआ ; और

(ख) किन-किन व्यक्तियों ने अथवा निकाय ने इस खर्च का भार उठाया ?

उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) लगभग ५९,००० रु० ।

(ख) खर्च का बड़ा भाग जापान सरकार ने कोलम्बो योजना के अधीन उठाया और एक भाग भारत सरकार ने ।

सीमेंट के कारखाने

१४०३. श्री रा० रा० मिश्र : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सीमेंट के उत्पादन के लिये गत वर्ष जिन ६० नयी योजनाओं को स्वीकृत किया गया था, उन्हें अमल में लाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है; और

(ख) इन योजनाओं के अन्तर्गत सीमेंट के नये कारखाने कहां कहां स्थापित किये जायेंगे ?

उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) १९५६ के अन्त तक जिन ६० योजनाओं के लिये लाइसेंस दिये गये थे उन में से ६,३१,००० टन वार्षिक क्षमता वाली ६ योजनाओं का उत्पादन होने लगा है या शीघ्र ही होने लगेगा । १५,४२,००० टन वार्षिक क्षमता वाली १२ अन्य योजनाओं की मशीनों और उपकरणों के आयात के लिये लाइसेंस दिये जा चुके हैं और उन का उत्पादन भी १९५८

या १९५९ में होने लगने की आशा है। इन मामलों में लाइसेंस या तो रद्द कर दिये गये हैं या किये जा रहे हैं क्योंकि उन्हें लेने वालों ने अमल में लाने के लिये कोई कारगर कदम नहीं उठाये थे। शेष ३२ मामलों में लाइसेंस लेने वालों को मशीनों का आयात करने के लिये विलम्बित भुगतान की स्वीकृति होने योग्य शर्तें तय करा लेने की राय दी गई है।

(ख) सदन की मेज पर एक विवरण रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ११२]

बैटरियां

१४०४. श्री रा० रा० मिश्र : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विशेष प्रकार की बैटरियों के बनाने के संबन्ध में अब तक क्या किया गया है;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कोई उपसमिति नियुक्त की गई है;

(ग) यदि हां, तो उस समिति के सदस्यों के नाम क्या हैं; और

(घ) उस समिति ने इस दिशा में अब तक क्या कदम उठाये हैं?

उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जहां तक संग्रह बैटरियों का सम्बन्ध है, मोटरों में काम आने वाली बैटरियों के अलावा नीचे लिखी विशेष किस्मों की बैटरियां देश में तैयार की जा रही हैं :—

(१) हैवी ड्यूटी बैटरियां।

(२) रेल में रोशनी करने के काम में आने वाली बैटरियां।

(३) प्रतिरक्षा सम्बन्धी कुछ प्रकार की बैटरियां जैसे डब्ल्यू० टी० बैटरी, एयरक्राफ्ट बैटरियां आदि।

(४) स्टेशनरी बैटरियां।

संग्रह बैटरियां तैयार करने वाले कुछ मौजूदा निर्माताओं को रेल में रोशनी करने के काम आनेवाली बैटरियां, स्टेशनरी बैटरियां और इन बैटरियों के विशेष पुर्जे बनाने के लिये उद्योग अधिनियम के अधीन लाइसेंस दिये गये हैं। सूखी बैटरियों के क्षेत्र में, फलैश लाइट के काम आने वाली बैटरियों के अलावा नीचे लिखी विशेष किस्मों की बैटरियां वर्तमान निर्माता तैयार करते हैं :—

(१) रेडियो पैक बैटरियां जिन में लेयर बिल्ट बैटरियां भी शामिल हैं।

(२) सार्वजनिक रूप से प्रयोग होने वाले रेडियो सैटों के लिये रेडियो पैक बैटरियां।

(३) सेना के काम आनेवाली हाईटैन्शन/लोटैन्शन बैटरियां।

(४) कुछ किस्म की श्रवण-सहायक-उपकरण बैटरियां।

(५) डाक तार तथा रेलों के लिये सूखी बैटरियां।

(ख) सरकार ने ऐसी कोई उपसमिति नियुक्त नहीं की है, जिस का काम यह सलाह देना है कि विशेष प्रकार की बैटरियों के उत्पादन के लिये क्या कदम उठाये जायें।

(ग) और (घ). प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रशिक्षण की सुविधायें

१४०५. पंडित कृ० चं० शर्मा : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विभिन्न राज्यों में प्रशिक्षण सुविधाओं के बारे में जो जानकारी एकत्र की जाती है वह किन सूत्रों से प्राप्त की जाती है; और

(ख) इस विषय पर अब तक कितनी पुस्तकें और किन-किन भाषाओं में प्रकाशित की जा चुकी है ?

श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री के सभा-सचिव (श्री ल० ना० मिश्र) (क) राज्यों की प्रशिक्षण संस्थाओं से यह जानकारी प्राप्त की जाती है। नियोजन अधिकारी निश्चित फार्म पर अपने इलाके की प्रशिक्षण संस्थाओं से जानकारी प्राप्त करते हैं।

(ख) प्रशिक्षण सुविधाओं की जानकारी देने वाली पुस्तक का प्रायोगिक संस्करण १९५५ में प्रकाशित हुआ था जिसमें संस्थाओं और कारखानों में काम सीखने की जानकारी ी गई है। अभी हाल ही में दूसरा संस्करण १६ भागों में (प्रत्येक राज्य के लिए एक) प्रकाशित हुआ है। इसके अलावा एक अखिल भारतीय संस्करण भी प्रकाशित हुआ है। ये दोनों संस्करण अंग्रेजी में हैं।

कोयला क्षेत्रों में संतति निग्रह

१४०६. पंडित कृ० चं० शर्मा : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोयला क्षेत्रों में संतति निग्रह को लोकप्रिय बनाने के लिए क्या किया गया है;

(ख) क्या संतति निग्रह के साधन मुफ्त बांटे जाते हैं ;

(ग) यदि हां, तो कौन-कौन सी चीजें बांटी जाती हैं;

(घ) क्या ये चीजें पुरुषों को दी जाती हैं अथवा स्त्रियों को या दोनों को;

(ङ) जिन औरतों और आदमियों को ये चीजें दी गयी थीं, उनमें से कितनों ने अब तक इनका इस्तेमाल किया है ;

(च) स्त्रियों में संतति निग्रह का प्रचार करने के लिए कितनी महिला प्रचारिकायें कार्य करती हैं; और

(छ) इन कार्यकर्तृयों की योग्यतायें क्या हैं ?

श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री के सभा-सचिव (श्री ल० ना० मिश्र) (क) कोयला खान श्रम कल्याण फंड संस्था के दो केन्द्रीय और चार ह्प्रादेशिक अस्पतालों में परिवार सलाह केन्द्र शुरू किये गये हैं। झरिया खान स्वास्थ्य बोर्ड और आसनसोल खान स्वास्थ्य बोर्ड भी अपने प्रसूति और बच्चा कल्याण केन्द्रों में इस संबंध में प्रचार कार्य करते हैं।

(ख) जी हां, कोयला खान श्रम कल्याण फंड संस्था की चिकित्सा संस्थाओं में।

(ग) डाइफ्राम और जेल्ली ।

(घ) सिर्फ औरतों को ।

(ङ) ३० सितम्बर, १९५७ तक १४१ स्त्रियों ने ।

(च) स्त्री कल्याण विभागों और केन्द्रों में काम करने वाली स्त्रियां परिवार आयोजन संबंधी प्रचार कार्य करती हैं। आठ महिला डाक्टर जो चिकित्सा संस्थाओं में काम करती हैं, स्त्री रोगियों को परिवार आयोजन सलहा देती हैं। परिवार सलहाकार ऑर्गेनाइजर की एक जगह भी मंजूर की जा चुकी है।

(छ) स्त्री कल्याण केन्द्रों के स्त्री कर्मचारियों को केन्द्रीय अस्पताल धनबाद की सीनियर महिला डाक्टर द्वारा जरूरी ट्रेनिंग दी गई है। चिकित्सा संस्थाओं में काम करने वाली सब महिला डाक्टर मेडिकल ग्रेजुएट हैं और इस विषय से पूर्ण परिचित हैं।

अस्पतालों का सुधार

१४०७. **पंडित कृ० चं० शर्मा** : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कोयला खान मालिकों के अस्पतालों का सुधार करने के लिये १९५६–५७ में और १९५७-५८ में अब तक कितनी वित्तीय सहायता दी गई है;

(ख) यह सहायता किन किन खान मालिकों को दी गई है;

(ग) इस अनुदान से कितने अस्पतालों के भवन बनाये जायेंगे अथवा बढ़ाये जायेंगे और उन पर कितना खर्चा होगा; और

(घ) इसके परिणामस्वरूप किन अस्पतालों में कितने और श्रमिकों को इलाज की सुविधायें प्राप्त हो जायेंगी ?

श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री के सभा-सचिव (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) दवाखाने बनाने और उनके सुधार के लिये कोयला खान मालिकों को कोयला खान श्रम कल्याण फंड से सहायता देने की एक योजना जनवरी, १९५७ में मंजूर की गई थी। अभी तक कोई अदायगी नहीं की गई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) इमारतों की संख्या जिनके लिये कि सहायता दी जायगी, निश्चित नहीं है। इस योजना के अधीन आर्थिक सहायता लेने के लिये अब तक दो प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

कोयला खान क्षेत्रों में मलेरिया

१४०८. **पंडित कृ० चं० शर्मा**: क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) झरिया, हजारीबाग, रानीगंज, सम्बलपुर, पेंचघाटी, चांदा, कोरिया और सिंगरेनी की खानों में मलेरिया की रोकथाम के लिए क्या उपाय किये गये हैं;

(ख) वर्ष १९५६ में इन क्षेत्रों में मलेरिया से कितने कामगर पीड़ित हुए;

(ग) मलेरिया रोग से अच्छे हो जाने के बाद रोगियों की हिफाजत के लिए क्या किया गया है; और

(घ) १९५६ में मलेरिया से कुल कितने श्रमिक मरे ?

श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री के सभा-सचिव (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) हर साल जुलाई से नवम्बर तक, जबकि कीटाणु फैलने का मौसम होता है कीटाणु नाशक दवा छिड़की जाती है। आम तौर से हर साल में तीन बार छः छः हफ्ते बाद दवा छिड़की जाती है। जब मलेरिया फैलने का मौसम नहीं होता तो कुछ कोयला क्षेत्रों में सीमित हद तक खास तौर से मलेरिऑल तेल छिड़क कर मलेरिया निरोधक कार्रवाई की जाती है।

(ख) लगभग २४,००० जिनमें श्रमिकों के आश्रित भी शामिल हैं।

(ग) मलेरिया के मरीजों की देखभाल करने की पहली जिम्मेवारी कोयला खान मालिकों की है लेकिन कोयला खान श्रमिक कल्याण फंड संस्था के मलेरिया निरोधक कर्मचारी मलेरिया के प्रमाणित मरीजों की देखभाल करते हैं और जब तक जरूरी होता है उन्हें पैलोड्रीन देते हैं।

(घ) प्राप्त सूचना के अनुसार १९।

कोयला खान क्षेत्रों में फाइलेरिया की बीमारी

१४०९. पंडित कृ० चं० शर्मा : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोयला खान क्षेत्रों में फाइलेरिया की बीमारी को रोकने के लिये और सर्वेक्षण करने के लिये कितने व्यक्ति नियुक्त किये गये हैं ;

(ख) इन व्यक्तियों की योग्यतायें क्या हैं;

(ग) इस बीमारी के अनुसन्धान के सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है और उसमें कहां तक सफलता हुई है; और

(घ) १९५६-५७ में इस बीमारी से कितने श्रमिक पीड़ित हुए ?

श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री के सभा-सचिव (श्री ल० ना० मिश्र) (क) कोई नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सरकार ने कोयला क्षेत्रों में फिलेरिया सर्वे करने के लिए एक योजना मंजूर की है और आवश्यक कर्मचारियों को नियुक्त करने के लिए कार्रवाई की जा रही है।

(घ) सूचना प्राप्त नहीं है।

श्रमिकों को शिक्षा सम्बन्धी सुविधायें

१४१०. पंडित कृ० चं० शर्मा : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोयला खानों के क्षेत्र में कामगरों और उनके परिवारों की शिक्षा एवं मनोरंजन के लिये अब तक कितनी संस्थायें स्थापित की गई हैं;

(ख) इनमें से कितनी संस्थाओं में नहाने के लिये फव्वारे और बाग लगाये गये हैं ;

(ग) इनमें से कितनी संस्थाओं में प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र कायम हो चुके हैं और उनमें कितने प्रौढ़ व्यक्ति शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं ;

(घ) इन संस्थाओं में जो महिला कल्याण केन्द्र चल रहे हैं, उनमें महिलाओं के कल्याण के लिये क्या सुविधायें दी गई हैं; और

(ङ) इन केन्द्रों से कितनी महिलायें लाभ उठाती हैं ?

श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री के सभा-सचिव (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) शिक्षा और मनोरंजन सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए अब तक ४५ बहु–उद्देश्य संस्थायें बनाई गई हैं। इसके अलावा ८ बालिग शिक्षा केन्द्रों का भी प्रबन्ध किया गया है।

(ख) इन सभी ४५ बहु–उद्देशीय संस्थाओं में बागबानी संबंधी सुविधाओं का भी प्रबंध किया गया है।

(ग) सभी ४५ संस्थाओं और ८ बालिग शिक्षा केन्द्रों में शिक्षा सुविधायें दी जाती हैं इन जगहों में १२३४ बालिग शिक्षा पा रहे हैं।

(घ) दस्तकारी शिक्षा संबंधी सुविधाओं, जैसे कि बुनाई, सिलाई, कशीदा काढ़ना, सुई का काम, मिट्टी के खिलौने बनाना आदि की व्यवस्था की गई है। केन्द्रों के कर्मचारी, कामगरों के धावड़ों में भी जाते हैं और वहां स्त्रियों को परिवार आयोजन, सफाई, कमखर्ची आदि संबंधी बातें बताते हैं। बहु–उद्देशीय संस्थाओं में स्त्रियों के फायदे के लिये बालिग कक्षाये भी लगाई जाती हैं। केन्द्रों में खेल–कूद का प्रबंध किया जाता है और राष्ट्रीय दिवस भी मनाये जाते हैं।

(ङ) लगभग ३७०।

उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम

१४११. श्री बाल्मीकी : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, १९५१ की धारा १८–क के अन्तर्गत किन कारखानो की व्यवस्था के लिये अब तक सरकार ने कन्ट्रोलर नियुक्त किये है ;

(ख) इन कन्ट्रोलरों की अर्हतायें क्या हैं; और

(ग) इन कन्ट्रोलरों ने अब तक क्या कार्य किया है ?

उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) सिर्फ चीनी उद्योग के लिये।

(ख) इन पदों के लिये कोई विशिष्ट योग्यताएं निर्धारित नहीं की गई हैं। साधारण तौर पर उन लोगों को कंट्रोलर नियुक्त किया जाता है, जिन का उस संस्थान में कोई हित होता है या उन सरकारी अफसरों को नियुक्त किया जाता है जिन्हें सम्बद्ध उद्योग का पूरा ज्ञान होता है।

(ग) सरकारी कंट्रोलरों के काम क्या क्या होते हैं, यह उद्योग (विकास और नियमन) अधिनियम की धारा १८–क में वर्णित हैं। इन नियुक्तियों का मुख्य उद्देश्य यह होता है कि उत्पादन की कमी तथा गन्ना उत्पादकों और मजदूरों को होनेवाली कठिनाइयां यथासंभव बचाई जा सकें। उक्त अधिनियम के अधीन जिन चीनी मिलों की व्यवस्था की जा रही है, उनकी स्थिति संबंधी विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ११३]

ऊनी कम्बल

१४१२. श्री बाल्मीकी : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऊनी मिलों में प्रतिवर्ष कितने कम्बल तैयार होते हैं; और

(ख) इन कम्बलों को हथकरघों द्वारा तैयार कराने के लिये क्या कोई योजना बनाई गई है ?

उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह): (क)

१९५४	—	२०.५ लाख गज
१९५५	—	२२.७ लाख गज
१९५६	—	४१.९ लाख गज

(ख) जहां तक केन्द्रीय सरकार का सम्बन्ध है, ऐसी कोई योजना नहीं है। कम्बलों के उत्पादन तथा उन के डिजाइन, समापन आदि में सुधार करने की कुछ योजनाएं राज्य सरकारों ने पेश की थीं जिन पर भारत सरकार ने मंजूरी दे दी है।

इस्पात की चीजें

१४१३. श्री बालमीकी : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस्पात की ढली हुई चीजें बनाने के लिये जो नये लाइसेंस दिये गये हैं, उस के परिणामस्वरूप उस कार्य में कितनी प्रगति हुई है ?

उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : इस बारे में सन्तोषजनक प्रगति हुई है।

फिनाइल फारमेल्डीहाइड पाउडर

१४१४. श्री बाल्मीकी : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५६ में फिनायल फारमेल्डीहाइड पाउडर बनाने वाले कितने कारखाने बन्द हो गये ;

(ख) इन के बन्द होने के कारण क्या थे ; और

(ग) सरकार ने इन कारखानों को पुनः चलाने के लिये क्या किया है ?

उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) से (ग). जहां तक भारत सरकार को पता है, फिनौल फार्मलडी हाइड पाउडर बनाने का १९५६ में बन्द होने वाला एक मात्र कारखाना है सौराष्ट्र के सीहोर स्थान का भारत इलैक्ट्रीकल मैन्यूफैक्चरिंग कं०। यह कारखाना मुख्य रूप से बिजली की वायरिंग का सामान बनाता था और इस में कुछ परिमाण में फिनौल फार्मल डीहाइड पाउडर भी बनता था। लेकिन इस कम्पनी ने कुप्रबन्ध, शैल्पिक देखभाल की कमी तथा वित्तीय कठिनाइयां होने के कारण उत्पादन बन्द कर दिया। इस फर्म का प्रबन्ध सौराष्ट्र फाइनान्स कारपोरेशन ने (जो कि बम्बई राज्य फाइनान्स कारपोरेशन में विलीन हो चुका है) अपने हाथ में ले लिया था। इस फर्म को कारपोरेशन ने ५.५ लाख रु० कर्ज दिया हुआ था। कारपोरेशन ने उत्पादन फिर से चालू करने की कोशिशें कीं लेकिन स्थान सम्बन्धी असुविधा और विदेशी शैल्पिक निरीक्षण के अभाव के कारण, इस का उत्पादन ६ महीने बाद फिर बन्द कर देना पड़ा।

बम्बई राज्य फाइनान्स कारपोरेशन अब उन उपायों पर विचार कर रहा है जिस से इस फर्म को दिया गया कर्ज वसूल किया जा सके और अगर मुमकिन हो तो उत्पादन शुरू किया जा सके ।

साइकिलें

१४१५. श्री रा० स० तिवारी : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विदेशों से भारतीय साइकिलों के बारे में कोई शिकायतें आई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उन्हें दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) विदेशों से भारतीय साइकिलों की किस्म के बारे में कोई शिकायत नहीं आई है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

प्रविधिक विशेषज्ञ

१४१६. श्री रा० स० तिवारी : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि संयुक्त राष्ट्र प्रविधिक सहायता प्रशासन कार्यक्रम के अन्तर्गत कितने विशेषज्ञ मांगे गये हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : संयक्त राष्ट्र प्रविधिक सहायता प्रशासन कार्यक्रम के अन्तर्गत १९५८ में औद्योगिक विकास तथा उत्पादकता के लिये १५ विशेषज्ञ मांगे गय हैं ।

गंधक का उत्पादन

१४१७. श्री रा० स० तिवारी : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में गंधक का उत्पादन करने के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं ;

(ख) उत्पादन के ये प्रयत्न किन किन राज्यों में हो रहे हैं ;

(ग) चेम्बर संयंत्र वाले गन्धक के जो कारखाने बन्द हो गये हैं, क्या उन के फिर से चालू होने की कोई आशा है ;

(घ) कांटेक्ट संयंत्र वाले कारखाने के विस्तार के लिये क्या कोई योजनायें बनाई गई हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार ने उन को किस प्रकार की सहायता दी है ?

उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) देश में ही मिलने वाले कच्चे मालों से गन्धक तैयार करने की संभावनायें निम्नानुसार खोजी जा रही हैं :--

(१) **पाइराइट से गंधक** : यह प्रस्ताव राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम प्रायवेट लि० के विचाराधीन है । इस पर तभी अमल किया जा सकता है जब देश में पाइराइट के काफी भंडार मिलना निश्चित हो जायें । बिहार के अमजोर स्थान में पाइराइट की खानों की खोज हो रही है ।

(२) **जिप्सम से गंधक** : घटिया किस्म की भारतीय जिप्सम से लाभप्रद आधार पर गंधक तैयार किया जा सकता है या नहीं, इस की जांच-पड़ताल की जा रही है ।

(३) **नमक जल शेष से गंधक** : नमक जलशेष (साल्ट बिटर्न) से मिलने वाले कैल्शियम सल्फेट और मैगनीशियम क्लोराइड का प्रयोग कर के हाइड्रोजन सल्फाइड और/अथवा गंधक बनाने के प्रयोगिक परीक्षण चल रहे हैं ।

(ख) ऊपर बताई गई योजनायें अभी जांच-पड़ताल की स्थिति में हो हैं । अगर यह जांच-पड़ताल सफल सिद्ध हुई तो बिहार, राजस्थान और सौराष्ट्र राज्यों में ये कच्चे पदार्थ और अधिक निकाले जायेंगे ।

(ग) चेम्बर संयंत्र वाले गंधक के जो कारखाने गंधक के तेजाब की मांग कम होने के कारण बन्द कर दिये गये थे, उन्हें जहां भी संभव है, अब फिर चालू किया जा रहा है ताकि बढ़ती हुई मांग पूरी की जा सके ।

(घ) कान्टेक्ट संयंत्र वाले कारखानों के विस्तार के लिये उद्योग (विकास और नियमन) अधिनियम के अधीन ९ लाइसेंस दिये गये हैं ।

(ङ) जब सरकार किसी योजना की मंजूरी दे देती है तो पूंजीगत माल तथा कच्चे पदार्थ के आयात करने, इमारत बनाने का सामान हासिल करने तथा कच्चे पदार्थों और तैयार मालो के परिवहन की समुचित सुविधायें दी जाती हैं ।

ऊन

१४१८. **श्री रा० स० तिवारी : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देशी ऊन की भारत में नीलामी करने की व्यवस्था करने के बारे में क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) क्या सरकार ऐसी व्यवस्था हो जाने पर देशी ऊन के वितरण और मूल्य पर नियंत्रण लगाने की वांछनीयता पर विचार करेगी ?

उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) भारत में ऊन की नीलामी का बाजार स्थापित करने का प्रश्न फिलहाल छोड़ दिया गया है । इस मामले की ऊन विकास परिषद् ने विस्तार के साथ जांच-पड़ताल की थी । उस की राय यह है कि निर्यात के लिये उपलब्ध ऊन का परिमाण इतना काफी नहीं है जोकि विदेशी खरीदारों को भारत आने के लिये आकर्षित कर सके । परिषद् ने यह भी प्रकट किया कि इस समय ऊन का नीलामी बाजार भारत में स्थापित करने से देश को होने वाली विदेशी मुद्रा की आमदनी पर बुरा असर पड़ेगा ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

रेशम का धागा

१४१९. **श्री रा० स० तिवारी : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार रेशम के धागे के मूल्य को विनियमित करने के बारे में कोई कार्यवाही करती है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या ?

वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) जी, हां :

(ख) आयात किये हुए रेशम के धागे के मूल्य को निम्न उपायों द्वारा विनियमित किया जाता है :—

(१) सरकारी एजेन्सियों द्वारा आयात करना ।

(२) आयात किये हुए कच्चे रेशम को केन्द्रीय रेशम बोर्ड के जरिये सरकार द्वारा निर्धारित भावों पर वितरित करना ।

देश में बने रेशम के धागे के मूल्यों को इस समय बाजार की हालतों के अनुसार निर्धारित होने के लिये मुक्त छोड़ दिया जाता है ।

गुड़ का उत्पादन

†१४२०. श्री आसर : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अलग-अलग राज्यों में गुड़ का कुल कितना-कितना उत्पादन होता है ;

(ख) वर्ष में कितने गुड़ का निर्यात किया जाता है ;

(ग) क्या गुड़ के कुछ कारखाने भी हैं ;

(घ) यदि हां, तो कितने और कहां कहां पर ; और

(ङ) बम्बई राज्य में गुड़ की कुल मांग कितनी है ?

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) पुनर्गठित राज्यों में गुड़ के उत्पादन सम्बन्धी आंकड़े अभी संकलित नहीं किये गये हैं । १९५५-५६ में प्रत्येक राज्य में गुड़ का उत्पादन इस प्रकार था :—

राज्य का नाम	परिमाण (हजार टनों में)
उत्तर प्रदेश	१,१७७
पंजाब	३३८
मद्रास	२०७
आंध्र	१९८
बम्बई	२३६
आसाम	५४
मध्य प्रदेश	३०
उड़ीसा	७६
पश्चिमी बंगाल	९९
मध्य भारत	७
हैदराबाद	११९
मैसूर	७५
पेप्सू	५९
सौराष्ट्र	३४
विंध्य प्रदेश	५
दिल्ली	५
त्रावन्कोर-कोचीन	१७
अन्य	४

†मूल अंग्रेजी में

(ख) जनवरी, १९५७ से पहले ताड़ और ईख से बने गुड़ के निर्यात के आंकड़े वाणिज्यिक वर्गीकरण में अलग अलग नहीं दिखाये जाते थे। दोनों किस्मों के गुड़ के १९५३-५४ से १९५५-५६ तक के निर्यात के आंकड़े इस प्रकार हैं :—

वर्ष	निर्यात किया गया परिमाण
१९५३-५४	१,३४८
१९५४-५५	९,०७१
१९५५-५६	२३,०१३

१९५७ में जनवरी से ले कर अप्रैल तक ७,४८५ टन ईख के गुड़ का निर्यात किया गया।

(ग) जी हां।

(घ) कारखानों की संख्या २४५ है जिन में से २३९ बम्बई में हैं और ६ उत्तर प्रदेश में ; और

(ङ) वर्त्तमान राज्य में कितने गुड़ की मांग है यह मालूम नहीं। लेकिन, १९५५–५६ में, पुनर्गठन से पहले, वहां ४,१४,२६७ टन गुड़ की मांग थी।

सीमावर्त्ती घटनायें

†१४२१. श्री पांगरकर : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वी पाकिस्तान की भारत-पाक सीमा पर १ अगस्त से १५ नवम्बर, १९५७ तक की अवधि में कितनी सीमावर्ती घटनायें हुई हैं ; और

(ख) इनमें भारत की ओर जान और माल को कितनी क्षति पहुंची है ?

†वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) : (क) बाईस। इसमें पश्चिमी बंगाल और आसाम के संबंध में नवम्बर के पहले पखवारे के आंकड़े नहीं हैं।

(ख) तीन भारतीय राष्ट्रजन मारे गय, ९ आहत हुए और ४ का अपहरण कर लिया गया। लगभग ३,५०० रुपयों की सम्पत्ति का नुकसान हुआ।

राजस्थान में विस्थापित व्यक्ति

†१४२२. श्री ओंकार लाल : क्या पुनर्वास तथा अल्प संख्यक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) राजस्थान के कोटा जिले की किशनगंज बस्ती में कुल कितने विस्थापित व्यक्तियों का खेती के काम के लिय पुनर्वास किया गया है ; और

(ख) उन्हें कुल कितने एकड़ भूमि दी गयी है ?

†पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : (क) और (ख). जानकारी एकत्र की जा रही है और लोक सभा पटल पर रख दी जायेगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

कोटा में विस्थापित व्यक्ति

†१४२३. **श्री ओंकार** लाल : क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोटा जिले में एसे कितने विस्थापित व्यक्ति हैं जिनके लिये ऋण मंजूर तो किये जा चुके हैं पर दिय नहीं गये हैं ;

(ख) इन ऋणों की कुल राशि कितनी है ;

(ग) ऋणों के न दिये जाने के क्या कारण हैं ; और

(घ) मंजूर किये जा चुके इन ऋणों को दन में शीघ्रता कराने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करने वाली है ?

†**पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : (क) से (ग). जानकारी एकत्र की जा रही है और लोक सभा पटल पर रख दी जायगी ।

कोटा जिले में लघु उद्योग

†१४२४. **श्री ओंकार** लाल : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोटा जिले में १९५७–५८ में लघु उद्योगों का विकास करने के लिये लघु उद्योग सेवा संस्था की राय से कोई कार्यक्रम बनाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस कार्यक्रम का स्वरूप क्या है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख). १९५७–५८ में कोटा जिले में लघु उद्योगों का विकास करने के लिये कन्द्रीय सरकार ने कोई पृथक कार्यक्रम नहीं बनाया है ।

†लेकिन, राजस्थान सरकार केन्द्रीय सरकार की सहायता से कोटा में एक आदर्श बढ़ईगिरी का मिस्त्रीखाना चला रही है । भारत सरकार ने उपर्युक्त मिस्त्रीखाने के लिये १९५७–५८ में १६,३४० रुपये का अनुदान दिया है ।

राजस्थान में कुटीरोद्योग

†१४२५. **श्री ओंकार** लाल : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान के प्रत्येक डिवीजन में सहकारिता के आधार पर खोले गये ऐसे कुटीरोद्योगों की संख्या कितनी है जिन्हें अखिल भारतीय खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग से वित्तीय सहायता मिलती है ;

(ख) वित्तीय सहायता के लिये इस वर्ष में कितने उद्योगों ने आवेदन किये हैं ; और

(ग) अब तक इस प्रयोजन के लिये कितनी राशि मंजूर की गयी है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) अपेक्षित जानकारी लोक सभा पटल पर रखी जाती है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ११४]**

यह जानकारी खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग, जिस की स्थापना १ अप्रैल, १९५७ में हुई थी, और अखिल भारतीय खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड जो उसके पहले यह कार्य करता था, दोनों द्वारा दी गयी वित्तीय सहायता के बारे में है ।

(ख) दो ।

(ग) अपेक्षित जानकारी लोक सभा पटल पर रखी जाती है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ११४]**

राजस्थान में अम्बर-चर्खा कार्यक्रम

†१४२६. **श्री ओंकार लाल** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान के अम्बर-चर्खा परिश्रमालयों में इस समय कितने व्यक्ति कार्य कर रहे हैं ; और

(ख) इन परिश्रमालयों ने अब तक कुल कितना सूत तैयार किया है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (७) ३१ क्तूबर, १९५७ को राजस्थान ने अम्बर चर्खा परिश्रमालयों में १,६६७ व्यक्ति प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे थे ।

(ख) इन परिश्रमालयों में, जिनमें उत्पादन केन्द्र भी शामिल हैं, अब तक तैयार किये गये सूत का व्यौरा इस प्रकार है :

वर्ष	तैयार किया गया सूत (पौंडों में)
१९५६–५७	५८,७२६
१९५७–५७ (अक्तूबर, १९५७ तक) . .	१,०१,९४६
कुल जोड़ .	१,६०,६७२*

*परिश्रमालयों और उत्पादन केन्द्रों द्वारा तैयार किये गये सूत का विवरण अलग उपलब्ध नहीं है ।

राज-सहायताप्राप्त औद्योगिक गृह-निर्माण योजना

†१४२७. **श्री ओंकार लाल** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान के प्रत्येक डिवीजन के कितने मालिकों ने अब तक राज सहायता प्राप्त औद्योगिक गृह-निर्माण योजना के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा दी गयी राज सहायता और ऋण लिये हैं ; और

(ख) उन्होंने अब तक कुल कितनी राशि ली है ?

†**मूल अंग्रेजी में**

†निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा) : (क) अजमेर डिवीजन में एक ने ।

(ख)

मंजूर किये गये मकानों की संख्या	मंजूर की गयी राशि		नवम्बर, १९५७ तक दी गयी राशि		तैयार मकानों की संख्या
	ऋण	राज-सहायता	ऋण	राज-सहायता	
रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०
९५२	८,०६,८२०	५३७,८८०	३,११,८८०	२,०७,९२०	६७६

अस्पृश्यता संबंधी फिल्म

†१४२८. { श्री वी० चं० शर्मा :
श्री दामानी :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री २३ जुलाई, १९५७ के अतारांकित प्रश्न संख्या १८४ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि अस्पृश्यता निवारण के सम्बन्ध में एक शिक्षाप्रद पूरी फिल्म तैयार करने के सम्बन्ध में उन्होंने विख्यात फिल्म निर्माताओं के साथ जो बात चीत की है उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

†सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : गत सितम्बर में कुछ निर्माताओं से यह अनुरोध किया गया था कि वह इस विषय पर अपने प्रस्ताव हमारे पास भेजें और हमें बतायें कि इस पर रूपक-फिल्म तैयार करने के लिये उनकी शर्तें क्या हैं । कुछ के उत्तर आ गये हैं ।

प्रादेशिक सेना के बारे में प्रलेखीय चलचित्र

†१४२९. श्री वी० चं० शर्मा : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रादेशिक सेना संबंधी प्रलेखीय चल चित्र प्रदर्शन के लिये कब तक तैयार हो जायगा ?

†सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : "हमारी प्रादेशिक सेना" नाम की फिल्म पहले से ही मौजूद है । प्रादेशिक सेना के कार्यों को दिखाने वाली एक नयी फिल्म बनायी जा रही है और उसके लगभग ६ महीने में तैयार हो जाने की आशा है ।

सरकारी विज्ञापन

†१४३०. { श्री वी० चं० शर्मा :
सरदार इकबाल सिंह :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पंजाब के समाचार पत्र पत्रिकाओं को केन्द्रीय सरकार के विज्ञापनों के लिये १९५७ में ३० नवम्बर, १९५७ तक कुल कितनी राशि दी गयी है ?

†सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : १,३७,५५० रुपये ।

†मूल अंग्रेजी में

सामुदायिक श्रवण योजना

†**१४३१. श्री दी० चं० शर्मा** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री सामुदायिक श्रवण योजना के अधीन सस्ते रेडियो सेटों की व्यवस्था करने के लिये प्रत्येक राज्य में १९५७ में अब तक कुल कितनी कितनी राशि व्यय की गयी है ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : पंचायती रेडियो सेटों के संभरण के लिये राज्य सरकारों को वित्तीय वर्ष के अधार पर राज सहायता दी जाती है और उसमें सेटों की कीमत के ५० प्रतिशत या १२५) रुपये में जो भी कम हो, दर से राज सहायता दी जाती है । रेडियो सेटों का संभरण हाल ही में आरम्भ हुआ है इसलिये प्रत्येक राज्य द्वारा १९५७–५८ में दिये गये रेडियो सेटों पर वास्तव में हुए व्यय के आंकड़े अभी उपबलब्ध नहीं हैं ।

चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिये क्वार्टर

†**१४३२. श्री दी० चं० शर्मा** : क्या निर्माण, आवास और संभरण मंत्री १३ सितम्बर, १९५७ के अतारांकित प्रश्न संख्या १६७३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि नयी दिल्ली में पंचकुई रोड पर चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के कुल कितने क्वार्टरों का बिजली, पानी और सफाई के प्रबन्ध की दृष्टि से १९५७ में (३० नवम्बर, १९५७ तक) नवीकरण किया गया है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : चालीस नलों की व्यवस्था का कार्य शीघ्र ही हाथ में लिया जाने वाला है सफाई की मौजूदा व्यवस्था में वृद्धि करने और इन क्वार्टरों में बिजली लगाने के प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है ।

विदेशी विनिमय विभाग

१४३३. श्री दी० चं० शर्मा : क्या निर्माण, आवास और संभरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि लन्दन के इंडिया स्टोर्स डीपार्टमेंट और वाशिंगटन के इंडिया सप्लाई मिशन का संस्थापन व्यय १९५७–५८ में अब तक कुल कितना कितना है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : चालू वित्तीय वर्ष में लंदन के इंडिया स्टोर डिपार्टमेंट और वाशिंगटन के इंडिया सप्लाई मिशन के संस्थापनों पर, अस्थायी अनुमानों के अनुसार, क्रमशः ४१,३१,३०७.०० रुपये और १४,४३,१२१.०० रुपये व्यय हुए हैं ।

जन सहयोग

१४३४. श्री भक्त दर्शन : क्या योजना मंत्री, ३ दिसम्बर, १९५६ के तारांकित प्रश्न संख्या ६८९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना को सफल बनाने के लिये जन सहयोग प्राप्त करने के उद्देश्य से जिस समन्वय समिति की स्थापना की गई थी, क्या इस बीच उस ने कुछ कार्य किया है;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो क्या अब तक किये गये कार्य का एक विवरण सभा पटल पर रखा जायेगा,

(ग) समिति को अपने उद्देश्य में अब तक कितनी सफलता मिली है, और

(घ) इस कार्य में और तेजी लाने के लिये कौन से कदम उठाये जा रहे हैं?

योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र) : (क) और (ख). एक विवरण सदन की मेज पर प्रस्तुत है : **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ११५]**

(ग) समिति को बने हुए एक साल हुआ है। समिति को कितनी सफलता मिली है यह तो प्रत्येक स्वीकृत स्कीम में किये गये काम का सही अनुमान मिलने पर ही पता लग सकेगा।

(घ) काम की गति तेज करने के लिये निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं और उठाए जा रहे हैं:—

(१) जन सहयोग की राष्ट्रीय परामर्शदात्री समिति का पुनर्गठन,

(२) समन्वय समिति की थोड़े थोड़े समय बाद बैठकें बुलाना;

(३) स्कीमों को स्वीकृति देने की प्रणाली का सरलीकरण,

(४) जन सहयोग के लक्ष्य एवं सिद्धान्तों पर तथा जन सहयोग के कार्यक्रम के अन्तर्गत किन स्कीमों को आर्थिक सहायता मिल सकती है उन के बारे में पुस्तिका निकालना।

(५) केन्द्रीय मंत्रालयों तथा राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों के लिये समाजरोपी संस्थाओं को दी जाने वाली आर्थिक सहायता की जानकारी विषयक एक पुस्तिका निकालना।

गोल मिर्च उद्योग

†१४३५. **श्री वें० प० नायर** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने गोल मिर्च उद्योग के विभिन्न प्रक्रमों को दिखाने वाले प्रलेख चलचित्र तैयार करने की कोई योजना बनाई है या बनाने वाली है?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : जी हां। गोल-मिर्च उद्योग के बारे में एक प्रलेख चलचित्र बनाया जाने वाला है।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में श्रम सम्बन्धी कार्यक्रम

†१४३६. **श्री संगण्णाः** क्या श्रम और नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली में १५ और १६ अक्तूबर १९५७ को आयोजित राज्यों के श्रम मंत्रियों के सम्मेलन के निर्माण के परिणामस्वरूप क्या द्वितीय पंचवर्षीय योजना के श्रम सुम्बन्धी कार्यक्रम में कोई परिवर्तन किये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो उन का क्या स्वरूप है;

(ग) क्या यह सच है कि कुछ राज्य सरकारों ने मैंगनीज के निर्यात पर कल्याण उपकर लगाने और भविष्य निधि अधिनियम के विस्तार पर आपत्ति प्रकट की है; और

(घ) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री के सभा-सचिव (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) और (घ). मैंगनीज़ निर्यात पर कल्याण उपकर लगाने का उड़ीसा के अतिरिक्त सब राज्य सरकारों ने मैंगनीज़ की खानों में श्रमिक कल्याण के प्रस्तावित विधान से सहमति प्रकट कर दी है। उड़ीसा सरकार ने प्रस्तावित विधान के उपबन्धों से इस आधार पर मुक्ति मांगी है कि उस राज्य में समग्र खानों पर लागू होने वाला एक विधान पहले से ही मौजूद है ।

कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम १९५२ को ३० नवम्बर, १९५७ से मैंगनीज़ खदानों पर लागू कर दिया गया है; सम्पूर्ण राज्य सरकारों ने इस से सहमति प्रकट कर दी थी ।

कपड़ा मजूरी बोर्ड

†१४३७. { श्री जाधव :
पंडित कृ० चं० शर्मा :

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कपड़ा मजूरी बोर्ड ने कितनी प्रगति की है; और

(ख) बोर्ड का अन्तिम प्रतिवेदन कब तक प्रकाशित हो जायेगा ?

†श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री के सभा-सचिव (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) और (ख). मजूरी बोर्ड द्वारा एक विस्तृत प्रश्नावली जारी की गई है और इस के उत्तर की अभी प्रतीक्षा की जा रही है । अभी यह बताना सम्भव नहीं है कि मजूरी बोर्ड का प्रतिवेदन कब तक तैयार हो जायेगा ।

उत्तर-पूर्वी सीमान्त अभिकरण में भूमि-स्खलन[*]

†१४३८. { डा० राम सुभग सिंह :
श्री राधा रमण :
श्रीमती मफीदा अहमद :
श्री भगवती :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के स्टेट्समेन में २६ अक्तूबर, १९५७ को प्रकाशित इस समाचार की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित हुआ है कि तोवांगचु नदी के पार भारी भूस्खलन से निर्मित बांध के सहसा खिसक जाने से उत्तर-पूर्वी सीमान्त अभिकरण के कामेंग सीमा डिवीजन का एक गांव गपने ४०० ग्रामवासियों सहित विनष्ट हो गया ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में तथ्य क्या हैं ?

†वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन): (क) और (ख). जी, हां। सरकार ने यह संवाद देखा है । जांच करने पर मालूम हुआ कि यह खबर निराधार है ।

भूमि-स्लखन के परिणामस्वरूप चुचु नामक नदी का मार्ग अवरुद्ध हो गया था किन्तु अब न ी की सतह कम हो रही है । इस स्थान के समीप अका गांव नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में
[*]Landside.

गोदी श्रमिक मंत्रणा बोर्ड[18]

†१४३९. **श्री तंगामणि** : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोदी श्रमिक मंत्रणा बोर्ड की रचना कब की गई थी और कितनी बार इस की बैठक हो चुकी है;

(ख) बोर्ड द्वारा क्या परामर्श दिया गया था;

(ग) सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है;

(घ) क्या बोर्ड की १९५७-५८ में अभी तक कोई बैठक हुई है; और

(ङ) यदि नहीं तो इस के क्या कारण हैं ?

†**श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री के सभा-सचिव (श्री ल० ना० मिश्र)** : (क) गोदी श्रमिक मंत्रणा बोर्ड समिति ११ फरवरी, १९५० को स्थापित की गई थी और इस की केवल एक बैठक हुई है ।

(ख) समिति की मुख्य सिफारिशें यह थीं कि बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में गोदी श्रमिक (नियोजन का विनियमन) योजनाओं के कार्य-संचालन की जांच के लिये एक जांच समिति नियुक्त की जाये ।

(ग) समिति की सिफारिश स्वीकृत कर ली गई और जनवरी सन् १९५५ में एक गोदी श्रमिक जांच समिति नियुक्त कर दी गई ।

(घ) जी नहीं ।

(ङ) निकट भविष्य में समिति की बैठक करने का प्रस्ताव है ।

बर्मा के साथ व्यापार

†१४४०. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत सरकार और बर्मी प्रतिनिधि मण्डल द्वारा दोनों देशों में व्यापार संवृद्धि की हाल की बातचीत का क्या परिणाम हुआ ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : भारत सरकार और बर्मी व्यापार प्रतिनिधि मंडल के बीच बातचीत केवल प्रारम्भिक स्तर तक हुई । बर्मी संयुक्त व्यापार निगम और बर्मी क्रय बोर्ड के साथ भारतीय वस्तुओं को अधिक मात्रा में खरीदने के बारे में अनेक सुझावों का विनिमय हुआ और आशा है कि बर्मा के तत्सम्बन्धी व्यापार संगठन शीघ्र ही इन सुझावों पर निर्णय करेगा ।

राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम

†१४४१. **श्री दामानी** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम ने कितनी कपड़ा मिलों का सर्वेक्षण किया है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम (प्राइवेट लिमिटेड) से ऋण प्राप्ति के लिये आवेदनों के सम्बन्ध में कपड़ा मिलों का सर्वेक्षण बम्बई के वस्त्र आयुक्त के कार्यालय से संलग्न सर्वेक्षण दल कर रहा है । १ नवम्बर १९५७ तक ३० कपड़ा मिलों का इस कार्य के लिये सर्वेक्षण किया जा चुका है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[18]Dock Workers Advisory Board.

कपड़ा मिलें

†१४४२. **श्री दामानी:** क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री कपड़ा मिलों द्वारा १९५६–५७ और १९५७–५८ में अभी तक आयात की गई पूंजी गत वस्तुओं का परिमाण बताने की कृपा करेंगे ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) :** १९५६–५७ २७,०२,६२,००० रुपये ।
१९५७–५८ (अप्रैल से जून १९५७) ७,३८,४९,००० रुपये ।

कपड़ा मिलें

†१४४३. **श्री दामानी :** क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री लोक-सभा के पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिस में लाभ अर्जन करने वाली कपड़ा मिलें और उन का लाभ तथा हानि उठाने वाली कपड़ा मिलें और उन की हानि और समग्र भारत का १९५६–५७ का कपड़ा उद्योग के लाभ का विशुद्ध संतुलन दिया गया हो ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** निश्चित जानकारी उपलब्ध नहीं है । मिलों के कार्य संचालन की कुशलता के अनुसार प्रत्येक मिल का लाभ और हानि हर वर्ष भिन्न-भिन्न होता है । औसत वर्ष में, सामान्य उत्पादन का विशुद्ध लाभ ६ प्रतिशत अथवा सम्पूर्ण भारत के कपड़ा उद्योग में २५ से ३० करोड़ रुपये के बीच मोटे रूप में माना जा सकता है। १९५६ के प्रारम्भ में ४१२ कपड़ा मिलें थीं पिछले वर्ष का संतुलन पत्र केवल २३६ मिलों से प्राप्त हुआ है । इन २३६ मिलों में से २१३ मिलों ने लगभग २० करोड़ रुपये का लाभ कमाया है जब कि शेष मिलों को कुल २ करोड़ रुपये की हानि हुई । इन १७६ मिलों के सन्तुलन पत्र, जिन में से अधिकांश का लेखा वर्ष ३१ मार्च, १९५७ को समाप्त होता है, अभी प्रतीक्षित है ।

जरतार और सुनहरी जरतार[10] के केन्द्र

†१४४४. **श्री जाधव :** क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के किन किन केन्द्रों में साड़ियों तथा अन्य वस्त्रों में रासायनिक पद्धति से जरतार और सुनहरी तार प्रयुक्त किये जाते हैं;

(ख) किन किन केन्द्रों में जरतार और रासायनिक पद्धति से जरतार पर सुनहरी कार्य का उत्पादन किया जाता है;

(ग) क्या ऐसे केन्द्र हैं जहां जनरटार और रासायनिक पद्धति से सोने से उस पर प्लेट चढ़ाने के कार्य के इच्छूकों को प्रशिक्षित किया जा सकता है;

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार निकट भविष्य में इन्हें आरम्भ करने का विचार रखती है; और

(ङ) यदि नहीं, तो कब और कहां स्थापित किये जायेंगे ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह):** (क) निश्चित जानकारी उपलब्ध नहीं है किन्तु अनुमान है कि इस कार्य के लिये ९६ महत्वपूर्ण केन्द्र हैं।

(ख) वाराणसी, सूरत और बंगलौर ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) और (ङ). इस प्रकार का केन्द्र खोलने का भारत सरकार का अभी कोई विचार नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[10]Jartar and Gold Plating Jartar.

टाइलों का निर्यात

†१४४५. श्री दशरथ देब : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टाइलें भारत से बाहर भेजे जाते हैं ;

(ख) यदि हां, तो भारत से १९५६–५७ में कितने टाइल भेजे गये थे ;

(ग) क्या इन पर कोई निर्यात शुल्क लगता है; और

(घ) यदि हां, तो उक्त अवधि में इन पर कितनी रकम वसूल की गई थी ?

†वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) जी, हां।

(ख) २६,१२८,३१९*

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

*इस में कुछ ईंटें भी सम्मिलित हैं।

मशीनों का निर्माण

†१४४६. सरदार इकबाल सिंह : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में मशीन निर्माण उद्योग की वर्तमान अवस्था और उत्पादन सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ख) उस उद्योग में कितने व्यक्ति सेवा नियोजित हैं ;

(ग) प्रत्येक उत्पादित वस्तु की मात्रा कितनी है ;

(घ) इस उद्योग में गैर सरकारी क्षेत्र का कितना अंश है ;

(ङ) एक वर्ष में कितना लाभ अर्जित किया गया है ; और

(च) प्रत्येक मद में लागू की गई मात्रा और कितनी है ?

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) से (च). मशीन निर्माण करने वाला उद्योग एक नहीं है विभिन्न उद्योगों के लिये अनेक प्रकार की मशीनें हैं। इसी उद्योग के भीतर विभिन्न कार्यों के लिये और प्रत्येक कार्य के विविध स्तरों के लिये अलग-अलग मशीनें चाहियें। देश में अनेक फैक्टरियां इनका उत्पादन कर रही हैं। अतः माननीय सदस्य ने जो जानकारी मांगी है उसे बताना सम्भव नहीं है। किन्तु यदि किसी विशेष मशीन अथवा मशीन के भाग के बारे में विशिष्ट प्रश्न पूछा जाये तो मैं उसके उत्तर देने का प्रयत्न करूंगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

सीमेंट

†१४४७. { **श्री हेम राज :**
श्री पद्म देव : }

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में आजकल सीमेंट की कुल वार्षिक मांग कितनी है ;

(ख) १९५५ से १९५७ तक (वर्ष वार) सीमेंट का वार्षिक उत्पादन कितना है ; और

(ग) उपरोक्त अवधि में, सीमेंट का आयात वर्ष वार कितना हुआ है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (ग). लोक सभा के पटल पर एक विवरण रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ११६]

क्रियोलाइट[२०]

†१४४८. **श्री ब्रजेश्वर प्रसाद** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्रियोलाइट का वार्षिक आयात कितना है, और यह किन-किन देशों से मंगाया जाता है ;

(ख) संश्लेसित क्रियोलाइट के निर्माण की दिशा में यदि भारत में कोई प्रयत्न किये गये हैं तो वे क्या हैं ;

(ग) क्या इस विषय पर कोई अनुसंधान किया गया है ;

(घ) यदि हां, तो अनुसंधान कहां और कब की गई है ; और

(ङ) अनुसंधान के बारे में वर्तमान स्थिति क्या है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) केवल जनवरी, १९५७ से ही क्रियोलाइट आयात के आंकड़े अलग रखे गये हैं । जनवरी–जून, १९५७ में आयात इस प्रकार था :

देश	मात्रा (टनों में)	मूल्य रुपयों में (हजार)
डेनमार्क	३२४	४१४
अमेरिका	११	२९
कुल	३३५	४४३

(ख) से (घ). १९५५ से राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला, पूना में १९५५ से संश्लेसित क्रियोलाइट निर्माण करने के बारे में प्रयोग किये जा रहे हैं ।

(ङ) अनुसंधान कार्य अभी प्रगति पर है ।

†मूल अंग्रेजी में

[२०]Cryolite

पाकिस्तानियों की भारत और भारतीयों की पाकिस्तान यात्रा

†१४४९. श्री पांगरकर : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५६–५७ में बम्बई के मराठवाड़ा प्रदेश के पांच जिलों में अपने सम्बन्धियों से मिलने के लिये करांची स्थित भारतीय उच्च आयुक्त द्वारा दिये पारपत्रों के आधार पर आने वाले पाकिस्तानियों की कुल संख्या कितनी है ; और

(ख) उपरोक्त प्रदेश के कितने भारतीय १९५६–५७ में पाकिस्तान गये थे ?

†वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) : (क) और (ख). जानकारी एकत्रित की जा रही है और उपलब्ध होते ही लोक-सभा के पटल पर रख दी जायेगी ।

छोटे पैमाने के उत्पादन केन्द्र

†१४५०. सरदार इकबाल सिंह : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छोटे-छोटे पैमाने प्रस्तावित पन्द्रह उत्पादन-केन्द्र १९५७–५८ में किन-किन स्थानों में स्थापित किये जायेंगे ; और

(ख) ये उत्पादन केन्द्र कब तक उत्पादन आरम्भ करेंगे ?

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) और (ख). लोक-सभा के पटल पर एक विवरण रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ११७]

मिस्र के साथ व्यापार

†१४५१. सरदार इकबाल सिंह : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशेष रुपया लेखा खोलने से भारत और मिस्र के बीच व्यापार में कोई वृद्धि हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो किस पद्धति में और कितनी सीमा तक प्रगति हुई है ।

†वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) और (ख). लोक-सभा के पटल पर एक विवरण रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ११८]

त्रिपुरा का पुनर्वास विभाग

†१४५२. श्री दशरथ देव : क्या पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा के सहायता और पुनर्वास विभाग के अन्तर्गत बनाये गये निर्माण विभाग के कर्मचारियों की कुल संख्या क्या है ; और

(ख) जिस दिन से यह विभाग बना है उस दिन से कर्मचारियों के वेतन और भत्तों पर कुल कितनी राशि खर्च की गयी है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**पुनर्वास तथा अल्प-संख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना)** : (क) त्रिपुरा प्रशासन के पुनर्वास विभाग के इंजीनियरिंग विभाग के कर्मचारियों की कुल संख्या ५० है।

(ख) ११ फरवरी, १९५७ से इस विभाग ने काम करना आरम्भ किया था, और अब तक ५६,४१४ रुपये खर्च हुए हैं।

क्षेत्रीय श्रम आयुक्त और समझौता पदाधिकारी

†**१४५३. श्री स० म० बनर्जी : क्या श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५३–५४ से १९५७–५८ (प्रथम सितम्बर, १९५७ तक) प्रतिरक्षा संस्थापनों के कितने मामलों का क्षेत्रीय श्रम आयुक्तों और समझौता पदाधिकारियों द्वारा निर्णय किया गया ; और

(ख) इस काल में जिनका निर्णय न हो सका उनकी संख्या कितनी है ?

†**श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री के सभा-सचिव (श्री ल० ना० मिश्र)** : (क) और (ख). २३४ मामलों का निर्णय हो गया था और ६१ का नहीं हुआ था। यह सब १ अप्रैल, १९५३ से ३१ मार्च, १९५७ तक के समय में हुआ और इसमें मद्रास का क्षेत्र सम्मिलित नहीं है।

राज सहायता प्राप्त औद्योगिक गृह-निर्माण योजना

†**१४५४.** { **श्री स० म० बनर्जी :**
श्री तंगामणि :

क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देहू रोड (पूना) में राज सहायता प्राप्त औद्योगिक गृह-निर्माण योजना के अन्तर्गत कर्मचारियों के लिये मकान बनाने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे मकानों की संख्या कितनी है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : (क) और (ख). नहीं, अखिल भारतीय प्रतिरक्षा कर्मचारी संघ किरकी, पूना, की ओर से राज सहायता प्राप्त औद्योगिक गृह-निर्माण योजना का विस्तार करने की प्रार्थना की गयी थी, ताकि विभिन्न सरकारी संस्थापनों के कर्मचारी जो कि देहू (पूना) में हैं, उसके अन्तर्गत आ जायें। सरकार इस प्रार्थना को स्वीकार करने में असमर्थ थी क्योंकि वर्तमान योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय और राज्य उपक्रमों के वे कर्मचारी नहीं आते, जो कि आयकर नहीं देते, परन्तु संघ को यह परामर्श दिया गया है कि अल्प आय वर्ग वह पात्र सरकारी कर्मचारियों को यह सुझाव दें कि वे गृह-निर्माण योजना अथवा केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को पेशगियां देने से सम्बन्धित नियमों के अन्तर्गत मकान बनाने के लिये ऋण दिये जाने की सुविधाओं से लाभ उठायें।

---

†मूल अंग्रेजी में

गोबिंदनगर, कानपुर

†१४५५. { श्री स० म० बनर्जी :
श्री तंगामणि :

क्या पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कानपुर के गोबिंदनगर में छोटी औद्योगिक इकाइयां कार्य कर रही हैं ;

(ख) यदि हां, तो इन इकाइयों की संख्या क्या है ; और

(ग) जिन लोगों को रोजगार दिया गया है उनकी संख्या क्या है ?

†पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : (क) से (ग). गोबिंद-नगर के लिये अभी कोई औद्योगिक योजना स्वीकृत नहीं हुई ।

आकाशवाणी

१४५६. श्री मोहन स्वरूप : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी के विभिन्न केन्द्रों में इस समय कुल कितने इंजीनियर काम कर रहे हैं ; और

(ख) इंजीनियरों के अतिरिक्त कुल कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं और उन पर कितना वार्षिक खर्च होता है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथासमय सभा की मेज पर रख दी जायेगी ।

अखबारी कागज के कारखाने

†१४५७. श्रीमती इला पालचौधरी : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार अखबारी कागज के दो कारखाने स्थापित करने पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो इस पर अन्तिम निर्णय कब तक कर लिया जायेगा ; और

(ग) यह किन स्थानों पर स्थापित किये जायेंगे ?

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) से (ग). आंध्र प्रदेश के शंकरनगर में एक अख़बारी कागज़ का कारखाना लगाने का केवल एक ही प्रस्ताव है । यह १४ नवम्बर, १९५७ को तारांकित प्रश्न संख्या १३७ के उत्तर में भी कहा गया था । प्रयत्न किये जा रहे हैं कि इस के लिये सन्तोषजनक विदेशी सहायता प्राप्त की जाये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

तारपीन और बिरोजे के कारखाने[11]

†१४५८. श्रीमती इला पालचौधरी : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में तारपीन और बिरोज़े के सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों में कितने कारखाने हैं ;

(ख) वे कहां कहां स्थित हैं ;

(ग) उनका वार्षिक उत्पादन कितना है ; और

(घ) यदि निर्यात किया गया तो तारपीन और बिरोज़ा की कितनी मात्रा निर्यात हुई ?

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) और (ख) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है । [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ११९]

(ग) संगठित इकाइयों का जनवरी से सितम्बर १९५७ तक का बिरोज़ा और तारपीन का उत्पादन निम्न प्रकार है : —

	बिरोजा (हंडरवेटों में)	तारपीन (गैलनों में)
१. इंडिया टरपनटाइन एंड कम्पनी लिमिटिड, बरेली .	१,०८,६०९	३,१२,६८६
२. जम्मू रोज़िन और टरपनटाइन फैक्टरी, मीरान साहब	२६,३५५	६७,५१५
३. हिमाचल रोजिन और टरपनटाइन फैक्टरी, नाहन .	४,७३०	११,५७५

कुटीर उद्योग इकाइयों के उत्पादन का अनुमानित वार्षिक उत्पादन निम्न प्रकार है :—

बिरोजा .	१५०,००० हंडरवेट
तारपीन	३६५,००० गैलन

(घ) १९५४-५५, १९५५-५६ और १९५६-५७ (अप्रैल से सितम्बर) में निर्यात की गई बिरोजा और तारपीन की कुल मात्रा निम्नलिखित है :

	१९५४—५५ मात्रा	१९५४—५५ मूल्य	१९५५—५६ मात्रा	१९५५—५६ मूल्य
बिरोजा .	५६,३७६ (हंडरवेट)	२६,७१,७१९ रुपये	७०,३०२ (हंडरवेट)	२८,४७,४२१ रुपये
तारपीन .	३,९९,७६२ (गैलन)	१३,४९,००९ रुपये	३,१८,६०० (गैलन)	१४,१४,२७५ रुपये

	१९५६—५७ (अप्रैल से दिसम्बर तक) मात्रा	मूल्य
बिरोजा . .	३७,००२ (हंडरवेट)	१६,२५,००० रुपये
तारपीन . . .	१,००,४७५ (गैलन)	३,६२,००० रुपये

†मल अंग्रेजी में

[11]Turpentine and Rosin Factories.

निर्यात संवर्द्धन परिषद्

†१४५९. **श्री दामानी** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि निर्यात संवर्द्धन परिषदों ने १९५७-५८ (३० नवम्बर, १९५७ तक) निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिये क्या पग उठाये हैं ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : निर्यात संवर्द्धन परिषदों द्वारा १९५७-५८ (३० नवम्बर, १९५७ तक) में निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिये निम्नलिखित कार्य किये हैं :—

(१) विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय मेलों और प्रदर्शनियों में जो कि एशिया और यूरोप के विभिन्न देशों में हुए, भाग लिया, तथा सचित्र पुस्तकें इत्यादि वितरण कीं । सरकार द्वारा विदेशों में जो व्यापारिक केन्द्र स्थापित हैं वहां नमूनों का प्रदर्शन किया ।

(२) यूरोप और एशिया के कुछ देशों में बाजार सर्वेक्षण किया गया ।

(३) मासिक बुलेटिनों द्वारा आयातकों और निर्यातकों को विदेशी मंडियों की लाभदायक जानकारी आंकड़े द्वारा दी गई ।

(४) सूती कपड़ा निर्यात संवर्द्धन परिषद् ने अदन, रंगन, सिंगापुर, बगदाद, मोम्बासा और लैगोस में अपने विदेशी कार्यालय स्थापित किये । इंजीनियरिंग निर्यात संवर्द्धन परिषद् ने रंगून और मोम्बासा में कार्यालय खोले ।

(५) इंजीनियरिंग निर्यात संवर्द्धन परिषद् ने एक व्यापार प्रतिनिधिमंडल पश्चिमी एशिया के देशों को भेजा और प्लास्टिक निर्यात संवर्द्धन परिषद् ने प्रतिनिधिमंडल पूर्वी अफ्रीका के देशों में निर्यात की सम्भावनाओं का अध्ययन करने के लिये भेजा ।

(६) भारतीय और विदेशी सार्थों के विवादों की जांच कर उनका फैसला करवाया ।

(७) सूती कपड़ा, रेशम, रेयन और प्लास्टिक के सामान के नमूने जोकि विदेशी मंडियों में हमारे माल का मुकाबला करते हैं, प्राप्त कर भारतीय निर्माताओं और निर्यातकों के लाभ के लिये विभिन्न महत्वपूर्ण केन्द्रों पर प्रदर्शित किये जाते हैं ।

(८) भारतीय माल का विज्ञापन पूर्वी अफ्रीका, पश्चिमी एशिया और दक्षिण-पूर्वी एशिया के देशों के अखबारों में दिया गया । रेडियो पर आकाशवाणी वार्ताएं प्रसारित कर के और सिनेमाओं में स्लाइड दिखा कर प्रचार किया गया ।

(९) उत्पादन, कच्चे माल की आवश्यकताओं के निर्धारण और निर्यात के लिये उपयुक्त चीजों के चुनाव के सम्बन्ध में 'गृह उद्योग' का सर्वेक्षण किया ।

पटसन

†१४६०. **श्री मुहम्मद ताहिर** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

---

†मूल अंग्रेजी में

(क) जनवरी १९५७ के भारत-पाक करार के अन्तर्गत पाकिस्तान से कुल कितनी पटसन खरीदी गई ; और

(ख) कथित करार के अन्तर्गत पटसन की कितनी कतरनें खरीदी गईं और उन का प्रति मन दर क्या था ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) खरीद के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। प्रथम फरवरी से १५ नवम्बर तक कुल ७,२५,६३० कच्ची पटसन की गांठों (कतरनें समेत) के पाकिस्तान से आयात के लिये लाइसेंस दिये गये ।

(ख) १५ जुलाई, १९५७ से १५ नवम्बर, १९५७ तक पटसन की कतरनों की २,३०,८२० गांठों के पाकिस्तान से आयात के लिये लाइसेंस दिये गये। इसका दर १६ रुपये से २६.४० रुपये प्रति मन के बीच रहा ।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम १९५१ के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचनायें

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : मैं उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम १९५१ की धारा १८-क की उपधारा (२) के अन्तर्गत जारी की गई निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :—

(१) दिनांक १६ जुलाई, १९५६ का एस० आर० ओ० संख्या १६२३—आई डी आर ए।१८ए।६।५६

(२) दिनांक ८ सितम्बर, १९५६ का एस० आर० ओ० संख्या २०३९—आई डी आर ए।१८ए।७।५६

(३) दिनांक २९ जून, १९५७ का एस० आर० ओ० संख्या २१२३—आई डी आर ए।१८ए।१।५७

(४) दिनांक २९ जून, १९५७ का एस० आर० ओ० संख्या २१२४—आई डी आर ए।१८ए।२।५७

(५) दिनांक १० सितम्बर, १९५७ का एस० आर० ओ० संख्या २८९२—ए-आई डी आर ए।१८ए।३।५७

(६) दिनांक १० सितम्बर, १९५७ का एस० आर० ओ० संख्या २८९२—बी-आई डी आर ए।१८ए।४।५७

(७) दिनांक १८ सितम्बर, १९५७ का एस० आर० ओ० संख्या ३०१९—आई डी आर ए।१८ए।५।५७

(८) दिनांक १८ सितम्बर, १९५७ का एस० आर० ओ० संख्या ३०२०—आई डी आर ए।१८ए।६।५७

(९) दिनांक १७ अक्तूबर, १९५७ का एस० आर० ओ० संख्या ३३८२—आई डी आर ए।१५।१।५७.[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या १७-४३६।५७]

---

†मूल अंग्रेजी में

कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम १९५२ के अधीन जारी की गई अधिसूचनाएं

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : मैं कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम १९५२ की धारा ७ की उपधारा (२) के अन्तर्गत कर्मचारी भविष्य निधि योजना, १९५२ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक ९ नवम्बर, १९५७ की अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० ३५६५ की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं । [**पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०—४२८।५७**]

कार्य मंत्रणा समिति

पंद्रहवां प्रतिवेदन

†**श्री राने** (बुलडाना) : मैं कार्य मंत्रणा समिति का पन्द्रहवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं ।

निवारक निरोध (जारी रखना) विधेयक

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अब सभा निवारक निरोध विधेयक, १९५७ पर और आगे चर्चा आरम्भ करेगी । सभा द्वारा इस के लिये निश्चित ७ घंटे में से २ घंटे ४ मिनट शेष हैं । उस के बाद खंड-वार विचार और तृतीय वाचन होगा जिस में प्रत्येक के लिये एक-एक घंटा और रखा गया है । श्री ब्रजराज सिंह भाषण आरम्भ करें ।

श्री ब्रजराज सिंह (फीरोजाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, कल मैं यह निवेदन कर रहा था कि एक ही समस्या के लिए भारत के दो विभिन्न प्रान्तों में पुलिस किस प्रकार अलग-अलग साधन ढूंढती है । चम्बल के उत्तर में ताजीरात हिन्द (भारतीय दंड विधि संहिता) की दफा (धारा) २१६ के नोटिस देकर लोगों को डाकुओं को प्रश्रय देने के लिये सजायें की जाती हैं और चम्बल के दक्षिण में उसी अपराध के लिए लोगों को नजरबन्दी कानून के अन्दर बन्द किया जाता है । मैं पूछना चाहता हूं कि जो लोग डाकुओं को पनाह देते हैं उनको नजरबन्दी कानून में एक साल के थोड़े से समय के लिए बन्द करके इतनी सादी सजा क्यों दी जाती है । जब ताजीरात हिन्द की धारा २१६ मौजूद है और एक राज्य सरकार उसके मुताबिक काम कर रही है और सैकड़ों आदमियों को बन्द करके सजायें दे रही है तो क्यों नहीं सारे भारत में डाकुओं को प्रश्रय देने वालों को इसी धारा के अधीन बन्द किया जाता और इस तरह से उसको सिर्फ एक साल के लिए आसानी से क्यों बन्द किया जाता है ।

आपकी पुलिस सीधे और सस्ते मार्ग को अपनाना चाहती है । जब उसे कोई सीधा और सस्ता मार्ग मिल जाता है तो वह साबूत आदि देकर सजा कराने की तकलीफ नहीं उठाना चाहती । और जब आपकी पुलिस आपसे कहती है कि नजरबन्दी कानून की जरूरत है तो आप भी आसानी से उस कानून की मियाद को बढ़ाने के लिए तैयार हो जाते हैं । मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इस कानून का सबसे ज्यादा अमल कौन करता है । क्या जिलाधीश या अतिरिक्त जिलाधीश या राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार इस कानून के अनुसार अमल करती है । मेरा निवेदन है कि इसका सबसे ज्यादा अमल सारे शासन में केवल सब इंस्पेक्टर पुलिस करता है । वही अपने हलके के अभागे आदमियों को नजरबन्द करता है । अगर वह चाहता है कि किसी आदमी को बन्द रखा जाये तो वह उसके खिलाफ रिपोर्ट दे देता है और

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री ब्रजराज सिंह]

कानून उसको मौका नहीं देता कि वह अपनी सफाई भी पेश कर सके कि जिस तरह की बात पुलिस कहती है वैसी बात नहीं है। किसी भी आदमी के लिए कह दिया जाता है कि यह बम बनाता है, या वह हिंसक कार्रवाई करना चाहता है, उसे बन्द कर दिया जाता है और उसे अपने लिए सफाई भी पेश करने का मौका नहीं दिया जाता है और इस प्रकार साल भर के लिए उसकी आजादी का अपहरण कर लिया जाता है।

मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से यह ऐक्ट (अधिनियम) विरोधी दलों पर लागू किया जाता है। इस ऐक्ट का प्रयोग उन लोगों के खिलाफ नहीं किया जाता जिन्हें समाज विरोधी तत्व कहा जा सकता है। आपने समाज विरोधी तत्व की परिभाषा न इस कानून में दी है और न जनरल क्लाजेज ऐक्ट में दी है। न गुंडे की कोई परिभाषा की गयी है। आप कहते हैं कि यह ऐक्ट गुंडों और समाज विरोधी तत्वों के खिलाफ इस्तैमाल होता है। लेकिन जब इन लोगों की परिभाषा ही नहीं है, तब तो यही होगा कि जिस आदमी को पुलिस सब इंस्पैक्टर कह देगा कि यह समाज विरोधी तत्व है उसी को बन्द कर दिया जायेगा। उसको सफाई देने का भी मौका नहीं होगा और न वह अपील कर सकेगा।

आप चाहते हैं कि तीन साल के लिए इस कानून की मियाद बढ़ा दी जाये। दूसरी तरफ आप कहते हैं कि मुल्क उन्नति कर रहा है, आप बड़ी बड़ी इमारतें बना रहे हैं, जैसे उद्योग भवन, विज्ञान भवन, अशोक होटल आदि। साथ ही साथ आप कहते हैं कि हमने देश की खाद्य समस्या को हल कर लिया है। आप कहते हैं कि हिन्दुस्तान के वे लोग जो कि मोटा अनाज खाते थे अब गेहूं खाने लगे हैं। आप कहते हैं कि शान्ति और व्यवस्था कायम करने में हमको सफलता हो गयी है। लेकिन फिर भी आप चाहते हैं कि इस काले कानून को हम तीन साल के लिए और बढ़ा दें। आपके आंकड़े यह साबित करते हैं कि जो परिस्थिति सन् १९५० में थी वह आज नहीं है। वह परिस्थिति भी आज नहीं जो कि उस समय थी जब कि डा० काटजू ने इसको तीन साल के लिए बढ़वाया था। आपके आंकड़े बताते हैं कि २०५ आदमी इस कानून के मातहत बन्द हैं। कल श्री दातार ने बतलाया था कि २४ नवम्बर सन् १९५७ तक पंजाब में सिर्फ २५ आदमी बन्द थे। अतः इस समय ११५ आदमी बन्द होंगे। व अनेक मामलों में बन्द है। पंजाब में भाषा का सवाल है। कुछ डाकुओं को बन्द किया गया है। तो इन थोड़े से आदमियों के लिए आप सारे देश पर इस कानून को क्यों थोपना चाहते हैं। आप कहते हैं कि आप हिन्दुस्तान का शासन साधारण कानून से नहीं चला सकते इसलिए आपको इस विशेष कानून की जरूरत है ताकि आप चाहे जिस आदमी को बन्द कर सकें। अगर आप चाहते हैं कि हम अपनी गरदन आपके फन्दे में डाल दें तो हम इसके लिए तैयार नहीं हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम आत्म हत्या कर लें तो हम इसके लिए तैयार नहीं हैं। अगर आप हमारी हत्या करना चाहते हैं तो भले ही करें लेकिन याद रखें कि इस तरह की हत्या की प्रतिक्रिया भी होगी। आप कहते हैं कि कुछ लोग देश में हिंसा फैलाते हैं, अशान्ति फैलाते हैं, लोग कानून तोड़ना चाहते हैं, कुछ लोग सामूहिक तरीके से कानून तोड़ना चाहते हैं। मैं सोशलिस्ट पार्टी (समाजवादी दल) की तरफ से यह साफ शब्दों में ऐलान कर देना चाहता हूं कि हम अनुचित कानूनों को सामूहिक रूप से जरूर तोड़ेंगे लेकिन उसके साथ ही साथ हम यह भी स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि जहां हम मुल्क की समस्या को हल करने के लिए व्यक्तिगत और सामूहिक सत्याग्रह द्वारा कानून को तोड़ेंगे वहां हम अपने आन्दोलन में एक कंकड़ का भी इस्तैमाल नहीं करेंगे, हम हिंसा को प्रश्रय नहीं देंगे। हम तो उसी रास्ते पर चलेंगे जो महात्मा गांधी ने बताया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इस मुल्क में जो रास्ता राष्ट्रपिता ने बतलाया है क्या उस पर चलने के कारण हमें इस कानून के अन्दर बन्द किया

जायेगा। जिस रास्ते पर चल कर आप आज मुल्क का शासन कर रहे हैं उसी पर चलने के कारण हमें बन्द होना पड़ेगा। एक तरफ आप कहते हैं कि उन्नति हो रही है, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि खाद्य समस्या बिगड़ रही है, भ्रष्टाचार कम नहीं हो रहा है, गवर्नमेंट के नौकरों में भ्रष्टाचार फ़ैल रहा है। जब ऐसी बात है तो क्या आप चाहते हैं कि आपकी पुलिस रिश्वत ले और हम उसके खिलाफ प्रचार भी न करें। लेकिन ऐसा करने का नतीजा होता है कि पुलिस सब इंस्पेक्टर ऐसे लोगों पर निगाह रखने लगता है और सोचता है कि इस आदमी को मौका आने पर बन्द किया जायेगा। क्या आप चाहते हैं कि जब खाद्य स्थिति संकटपूर्ण हो तब जनता के जलस न निकलें और न प्रदर्शन हों, जनता भ्रष्टाचार की ओर आपका ध्यान आकर्षित न करे। अगर खाद्य संकट होगा तो जनता के प्रदर्शन होंगे, सभायें होंगी, और सिविल नाफरमानी होगी। ऐसे आन्दोलनों को इस कानून द्वारा दबाना मैं समझता हूं कि उचित नहीं है। आज मुल्क में जनतंत्र है। यह कानून गलत है। इससे मुल्क की समस्यायें हल नहीं होंगी। अगर देश की जनता की दिक्कतें बढ़ रही हैं तो हमें उनकी ओर शान्तिमय तरीके से आपका ध्यान खींचना होगा और आपको उन्हें दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। इस सम्बन्ध में मैं यह जरूर कह देना चाहता हूं कि हम हिंसा नहीं अपनाना चाहते और जो लोग हिंसा को अपनाना चाहते हैं उनसे हमारा निवेदन है कि हिन्दुस्तान में जनतंत्र की सफलता के लिए वे हिंसा को छोड़ दें। यह जो दक्षिण भारत में हमारे संविधान की प्रतियां जलायी जा रही हैं और महात्मा गांधी के फोटो जलाये जा रहे हैं इससे मुझे दर्द होता है।

श्री ब० स० मूर्ति (काकिनाडा—रक्षित—अनुसूचित जातियां): मूर्तियां जलायी जाती हैं?

श्री ब्रजराज सिंह: मैंने फोटो कहा था मूर्त्तियां नहीं। शायद माननीय सदस्य अभी हिन्दी अच्छी तरह से नहीं जानते हैं?

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हम इस चीज के सार्थक नहीं हैं और हम उसके खिलाफ अपना विरोध प्रकट करना चाहते हैं। लेकिन सरकार सोचे कि आखिर यह स्थिति क्यों पैदा हुई। यह चीज सिर्फ यह कह देने से बन्द नहीं हो सकती कि जो लोग यहां नहीं रहना चाहते वे यहां से चले जायें। अगर हमारे देश का जनता का कोई भाग इस तरह हिंसा को अपनाता है तो हमें चाहिए कि हम उसे समझायें। उसे इस कानून के मुताबिक बन्द करने से काम नहीं चल सकता। हिंसा को बन्द करने के लिए हमें अहिंसा से काम लेना चाहिए। हमें राष्ट्रपिता ने यही बताया है। लेकिन आप उनके अनुयायी होने का दावा करते हुए भी उन आदमियों को बन्द करते हैं। यह रास्ता तो राष्ट्रपिता ने नहीं बतलाया था। वे इस काम को रोकने के लिए कभी कानून का सहारा न लेते। मैं आपको याद दिलाऊं रालेट ऐक्ट की और भारत सुरक्षा कानून की जिसके अन्तर्गत हमें और आपको बहुत परेशान किया गया। मैं समझता हूं कि इस सरकार में भी ऐसे लोग आज मौजूद हैं जिन्होंने रालेट ऐक्ट के दमन को देखा है, जिन्होंने देखा है कि भारत सुरक्षा कानून में किस तरह से जनता को परेशान किया गया। और आप यह भी जानते हैं कि रालेट ऐक्ट से देश की आजादी की पिपासा शान्त नहीं हुई, भारत सुरक्षा कानून भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को कायम नहीं रख सका। फिर आप यह कैसे सोचते हैं कि यह नजरबन्दी कानून आपके शासन को कायम रखने में सफल होगा। इससे तो आपका नुकसान होता है। क्या आपको दिखाई नहीं पड़ता

[श्री ब्रजराज सिंह]

कि अनेक सदस्यों को आपका नजरबन्दी कानून ही इस सदन में लाया है। जो लोग आपके नजरबन्दी कानून में पकड़े गये थे आज वे ही सदन के सदस्य बन सके हैं। आप यह नहीं देखते। आप मुल्क की भलाई नहीं सोचते। आप अपने दल की भलाई नहीं सोचते। और आप इसे तीन साल के लिए बढ़ाना चाहते हैं और आप कहते हैं कि इस कानून की दफाओं में जाने की आवश्यकता नहीं है। आपको इसके लिए एक कमेटी बिठानी चाहिए थी। इसके लिए कम से कम सात दिन का तो समय देते। निवारक निरोध अधिनियम के सम्बन्ध में सेलेक्ट कमेटी बैठाइये, इसको प्रवर समिति को सौंप दीजिये और उससे कहिये कि वह इस कानून में आमूलचूल परिवर्तन करने के सम्बन्ध में अपने सुझाव दे। इस कानून की कुछ बातें अच्छी हैं जैसे अगर कोई खुले रूप से हिंसा का समर्थन करता है अथवा लोगों को हिंसा करने के लिए भड़काता है तो आप उसको ऐसा करने से रोकने के लिए इस कानून का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से हिन्दुस्तान में कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो कि इस देश के प्रति आस्था भाव न रखते हों और जिनका कि विदेशों से कुछ सम्बन्ध हो और जो कि यहां पर राष्ट्र विरोधी कार्यवाहियां करना चाहते हों और हिन्दुस्तान का सम्बन्ध विदेशों से खराब करना चाहते हों, ऐसे अवांछनीय तत्वों के खिलाफ आप इस कानून का इस्तेमाल करके उनको वैसा करने से रोक सकते हैं। लेकिन हिन्दुस्तान के अन्दरूनी मामलों में इस नजरबंदी कानून से काम लेना और यहां पर इस्तेमाल करने से तो यह समझा जायेगा कि आप इस कानून का अवलंबन लेकर अपनी पार्टी की सरकार को हुकूमत की कुर्सी पर बिठाये रखना चाहते हैं और अन्य राजनैतिक दलों को दबाये रखना चाहते हैं। इस नजरबन्दी कानून की हिमायत में आपका यह कहना कि चूंकि हिन्दुस्तान के लोगों ने आपकी पार्टी को यहां बहुमत में भेजा है इसलिए इसका समर्थन और इसकी मियाद बढ़ाने के पीछे जनता की मैजारिटी है, यह कहना ठीक नहीं होगा। जनतंत्र का जिस तरीके का हमारा आज ढांचा है उसमें आप और हम सब यह जानते हैं कि बहुमत के वोट न मिलने के बाद भी आपको यहां इस सदन में बहुमत मिल सकता है और इसलिए यह कहना कि चूंकि आप इस सदन में बहुमत में हैं इसलिए इस कानून को जिस तरीके से चलाना चाहेंगे, चलायेंगे, मैं समझता हूं कि यह कोई अच्छी बात नहीं होगी।

इस सरकार की ओर से अक्सर कहा गया है और हमारे प्रधान मंत्री महोदय ने भी इसको कहा है कि जनतांत्रिक व्यवस्था पर चलते हुए हम विरोधी दलों को भी अपने विश्वास में लेना चाहते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यह एक मौका है जब आप विरोधी दलों को अपने विश्वास में ले सकते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि विरोधी दलों में क्या कोई एक आदमी भी ऐसा है जो यह कहने को तैयार है कि वह 'इस कानून के हक में है? मैं तो कहना चाहता हूं कि बहुत से कांग्रेसी सज्जन तक इस कानून का समर्थन नहीं करते और इसका विरोध करना चाहते हैं। जब ऐसी हालत हो कि तमाम विरोधी दल एक सिरे से दूसरे सिरे तक इस कानून के खिलाफ हों तब आप रुक कर क्यों नहीं सोचना चाहते और क्यों नहीं उनसे इस सम्बन्ध में परामर्श लेते? इसलिए मैं चाहूंगा कि इस पर आप विरोधी दल वालों को विश्वास में लें, उनकी बात को सुनें और उसके बाद अगर फिर भी आप इस बात के लिए तैयार न हों कि यह कानून बिल्कुल खत्म कर दिया जाये तो इसमें जो वांछनीय परिवर्तन हो सकते हैं वे तो किये

जा सकते हैं जैसे इसकी मियाद ज्यादा से ज्यादा तीन महीने के लिए बढ़ा दी जाय। दूसरी चीज यह की जा सकती है कि जिस किसी आदमी को इस नजरबंदी कानून के मातहत डिटेन किया जाये उसे उसी वक्त ग्राउन्ड्स ग्राफ डिटेंशन (निरोध के कारण) दे दी जाये और उसे जल्द से जल्द ऐडवाइजरी बोर्ड के सामने पेश कर दिया जाये। इस तरह की बातें मैं समझता हूं कि बहुत ग्रासानी से की जा सकती हैं और ऐसा करने से कोई नुकसान होने वाला नहीं है।

जो ग्रांकड़े यहां पर प्रस्तुत किये गये उनसे मालूम होता है कि ३१ मार्च, १९५६ से ३१ अक्तूबर सन् १९५६ तक १२ आदमी ऐसे थे जिनको कि बाहर के देशों से अनुचित सम्बन्ध रखने और यहां अवांछनीय कार्यवाहियां करने के सिलसिले में नजरबंद किया गया, बाकी ऐसे लोग थे जिनको कि यहां के अन्दरुनी मामलों के सम्बन्ध में डिटेन किया गया जैसे कि कलकत्ते में ट्रामवे के किराये में एक पैसे की कमी के आन्दोलन, संयुक्त महाराष्ट्रीय समिति द्वारा किया गया आन्दोलन, राजस्थान में भूस्वामियों का आन्दोलन तथा पंजाब में चल रहे हिन्दी आन्दोलन के सिलसिले में जिनको पकड़ा गया है। अब जहां तक पंजाब में जो हिन्दी आन्दोलन चल रहा है मैं उस आन्दोलन को गलत मानता हूं और मेरी राय में इस आन्दोलन ने दक्षिण भारत में हमारी राष्ट्रभाषा हिन्दी के प्रति बहुत गलत भावनाएं पैदा की हैं लेकिन मैं उसके साथ ही साथ यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि जब आन्दोलन के चलाने वाले हिंसा में विश्वास नहीं करते हैं और अहिंसा के तरीके से इस आन्दोलन को चलाना चाहते हैं, भले ही वह आन्दोलन गलत हो, तो उसके लिए हम जनता में जाकर उसके खिलाफ प्रचार कर सकते हैं और जनता को उस आन्दोलन में भाग न लेने और उससे दूर रहने के लिए कह सकते हैं, लेकिन यह तरीका न अपना कर उस आन्दोलन को खत्म करने के लिए हम इस नजरबंदी कानून का सहारा लें और उनको जेलों में रख दें, मुनासिब बात नहीं होगी। कल हमारे श्री दातार ने बतलाया कि १२५ आदमियों को इस कानून के अन्तर्गत नजरबन्द किया गया और जिनमें से कि ९० आदमियों को छोड़ दिया गया है....

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अब खत्म करने का यत्न करें क्योंकि अभी इस पर बहुत से मेम्बर साहबान बोलना चाहते हैं।

श्री ब्रजराज सिंह : मैं शीघ्र ही अपनी बात समाप्त करने का यत्न करूंगा। हां, तो मैं पंजाब में चल रहे हिन्दी आन्दोलन के सम्बन्ध में बतला रहा था कि जहां तक पंजाब के लोगों का सवाल है मुझे सूचना मिली है कि उनमें से एक भी नजरबंदी का केस ऐसा नहीं है जिसको कि ऐडवाइजरी बोर्ड (मंत्रणा बोर्ड) ने या हाईकोर्ट ने अपहेल्ड किया हो। यह ठीक है कि हमारा उनसे सिद्धान्त में मतभेद हो सकता है लेकिन यह तो उचित नहीं है कि जो अहिंसक आन्दोलन चल रहा हो उसको खत्म करने के लिए हम लोगों को इस कानून के अन्दर पकड़ पकड़ कर जेलों में रख दें।

हमारे माननीय गृह-मंत्री ने उत्तर प्रदेश में सोशलिस्ट पार्टी द्वारा किये गये आन्दोलन की ओर इशारा किया था और उन्होंने कह दिया कि उत्तर प्रदेश में सोशलिस्ट पार्टी हिन्दी के प्रश्न पर आन्दोलन कर रही थी। लेकिन मैं बतलाना चाहता हूं कि सोशलिस्ट पार्टी का आन्दोलन सिर्फ हिन्दी के बारे में नहीं था बल्कि वह आन्दोलन जमीन का फिर से समुचित रूप से बंटवारा कराने के लिए आन्दोलन था, १ और १० का फर्क आमदनियों में रखने के लिए और देश और प्रदेश में व्यापक रूप से फैले हुए भ्रष्टाचार के विरुद्ध वह आन्दोलन था और

[श्री ब्रजराज सिंह]

उसके साथ ही साथ आन्दोलन करने का यह भी एक कारण था कि उत्तर प्रदेश जहां की राष्ट्र-भाषा हिन्दी है और जहां की सारी जनता हिन्दी भाषा-भाषी है, वहां पर सारा शासन का कामकाज हिन्दी में नहीं चलाया जा रहा और अगर वहीं पर ऐसा न हुआ तो फिर सन् १९६५ तक हिन्दी को उसकी माकूल जगह पर कैसे प्रतिष्ठित किया जा सकेगा, तो इन सब बातों को लेकर सोशलिस्ट पार्टी द्वारा वह आन्दोलन चलाया गया था। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिस तरीके से आप शासन को चलाना चाहते हैं उससे आपका शासन चलने वाला नहीं है और उस तरीके से आपके खिलाफ लोगों के दिलों में भ्रान्तियां पैदा होती हैं और ऐसे लोगों को शरारत करने का मौका मिलता है जो कि हिंसा को प्रश्रय देना चाहते हैं। हम इस मुल्क में हिंसा को कदापि प्रश्रय देना नहीं चाहते। आप भले ही हम पर कितना ही जुल्म करें और दमनकारी नीति अपनायें हम हिंसा को नहीं अपनायेंगे लेकिन उसके साथ ही साथ में यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जो भी जनता की तकलीफें होंगी और मुसीबतें होंगी, उनका खात्मा करवाने के लिए हम अहिंसात्मक आन्दोलन करेंगे और जनता को ऊंचा उठाने के लिए सामूहिक सत्याग्रह भी यदि आवश्यक हुआ तो करेंगे और व्यक्तिगत सत्याग्रह भी करेंगे। इन शब्दों के साथ में यह कहना चाहूंगा कि देश की जनता की आस्था कम से कम विधान और जनतंत्र में रखिये।

अन्त में मैं चेम्बर डिक्शनरी में से व्हाइट कैप की जो व्याख्या दी गई है उसको पढ़ कर सुनाना चाहता हूं। इसमें कहा गया है कि यह वह व्यक्ति है जो लोगों के नैतिक सुधार के पर्दे में अपने विरोधियों के प्रति हिंसा करता है। आप जनता में और अपने में विश्वास रखिये और इस नजरबंदी कानून की अवधि को और न बढ़ाइये। मेरा यह कहना है कि सिर्फ इसलिए कि आपके कोई खिलाफ विचार रखने वाले हैं, आप उनको नजरबंद करने की कोशिश मत कीजिये।

†**आचार्य कृपालानी** (सीतामढ़ी) : गत बार मैंने जो सरकार की आलोचना की थी उस के पश्चात मैं कुछ घबरा सा गया हूं क्योंकि उस के अगले दिन ही कहा गया था कि कांग्रेसियों की सहायता से ही मैं सदस्य बन सका हूं। नेताओं की मेरे बारे में ऐसी राय होने पर भी यदि लोगों ने मेरे पक्ष में मत दिया तो मैं समझता हूं कि उन के मन में मेरी सेवाओं के प्रति कुछ आदरभाव होगा।

मुझे यह देख कर दुख होता है कि स्वयं कांग्रेस सरकार ऐसी विधि बना रही है जिसे वह कभी काला कानून कहती थी। परन्तु इतिहास की पुनरावृत्ति कितनी दुखद होती है। देखा गया है कि दमन चक्र से पीड़ित लोग ही सत्तारूढ़ होने पर दमन चक्र के संचालक बन जाते हैं।

पहले पहल इस विधेयक को प्रस्तुत करते हुए सरदार पटेल ने कहा था कि उन्हें उसे प्रस्तुत करते हुए व्यथा हो रही है परन्तु श्री पन्त के भाषण से व्यथा का कोई चिन्ह दृष्टिगोचर नहीं होता।

उन्होंने मूल अधिकारों के बारे में मधुर भाषण करते हुए कहा कि स्वतंत्रता के आरम्भिक काल में अन्य देशों के ऐसे आपातकालीन कानून बनाए थे। परन्तु मेरा निवेदन है कि उन्होंने तो युद्ध अथवा गृह युद्ध के कारण ऐसा किया था और यहां तो कोई युद्ध स्थिति नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

उन्होंने यह भी कहा कि विधेयक राष्ट्र की शांति और प्रगति है जिन्हें कोई भी अवांछनीय नहीं कह सकता । यह है भी सच । परन्तु क्या यदि कोई अपने परिवार पालन के पवित्र उद्देश्य के लिए घूस जैसे नीच साधन को अपनाए तो उसकी सराहना की जाएगी ? हमें तो स्वतंत्रता संग्राम की महान परम्परा के आधार महान साधनों को ही अपनाना चाहिये ।

उन्होंने कहा कि एंग्लो सेक्शन न्याय शास्त्र को स्थापित करने के लिए वर्षों के अनुभव की आवश्यकता है परन्तु अंग्रेज शासकों ने तो देश के बिना किसी पूर्व अनुभव के ही इसे स्थापित कर दिया था ।

फिर उन का मत है कि इस विधेयक द्वारा किसी को दंड नहीं दिया जाता वरन् केवल उसे बुराई से रोका जाता है । विधि के अन्तर्गत तो किसी के बुरे कार्य का न्यायालय द्वारा निर्णय होने पर ही उसे बुरा माना जाता है परन्तु इस विधेयक द्वारा तो किसी की बुराई की पूर्व धारणा ही कर ली जाती है । भला इस से बड़ा दंड क्या होगा ?

उन का कहना है कि इंग्लैंड की तरह यहां के लोग विधि तथा व्यवस्था का आदर नहीं करते और कि इंग्लैण्ड में तो एक सिपाही के आदेश का भी पालन होता है । किसी विशेष समय तो यहां भी और विशेषत: गांवों में सिपाही के आदेश का ही पालन होता है फिर हमें विपद्रवी क्यों कहा जाता है ?

माननीय गृह मंत्री कहते हैं कि आंदोलनकर्ता तो थोड़े से होते हैं परन्तु वे हजारों लोगों को उकसा देते हैं । यही तर्क तो हमारे विदेशी शासक दिया करते थे ।

किसी के यह पूछने पर कि करागम नेता को, जो हिंसा का प्रचार कर रहा है क्यों गिरफ्तार नहीं किया गया, माननीय गृह मंत्री ने कहा था कि क्या आप चाहते हैं कि इस अधिनियम को लागू किया जाए । इस का तो यह अभिप्राय हुआ कि हमारी इच्छा से ही वे कानून को लागू किया करते हैं । उस के विरुद्ध तो साधारण विधि के अन्तर्गत भी कार्यवाही की जा सकती थी और मैं समझता हूं कुछ राजनैतिक उद्देश्यों के कारण ऐसा नहीं किया गया ।

उन्होंने कहा कि भारत में सिन फीन जैसे आन्दोलन को कैसे दबाया जा सकता है ? उन्हें यह ज्ञात नहीं कि वह आंदोलन आयरलैण्ड में एक विदेशी शासन के आधीन हुआ था और उस की तुलना भारत से नहीं की जा सकती ।

इस अधिनियम में मंत्रणा बोर्ड का परित्राण एक भुलावा मात्र है क्योंकि उस में वकील की सहायता नहीं ली जा सकती और उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय के निर्णयों से ही यह प्रमाणित होता है कि वहां न्याय नहीं होता ।

इस देश की सब से बड़ी समस्या भूख है । परन्तु भूखों को रोटी से वंचित किया जा रहा है और मध्य वर्ग को रोटी मिल रही है तो उन्हें स्वतन्त्रता से वंचित किया जा रहा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[आचार्य कृपलानी]

मैं पंजाब का भाषा आंदोलन पसंद नहीं करता परन्तु एक महान दार्शनिक ने कहा है कि "मैं अपने विरोधियों की राय से घृणा करता हूं परन्तु मैं उन के अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य की रक्षा अपनी जान पर खेल कर भी करूंगा।" अतः मैं पंजाब के कतिपय उदाहरणों का उल्लेख करता हूं जिन में निवारक निरोध अधिनियम का अंधाधुंध प्रयोग किया है। एक व्यक्ति को जो केवल इस कारण गिरफ्तार कर लिया गया कि उस ने एक सत्याग्रही को जिसका हाथ टूट गया था अपना खून दिया था एक और व्यक्ति को इस लिए गिरफ्तार किया गया कि उस ने कहा था कि हिन्दू और सिख एक ही हैं और सिख गुरुओं की भाषा भी हिन्दी ही थी और उसने धार्मिक पुस्तकों के फाड़े जाने का विरोध किया था। भले ही सारे कारणों का उल्लेख मैं ने नहीं किया परन्तु यदि एक कारण के रूप में भी उसे रखा गया है तो इस में अवश्य मूर्खता प्रकट होती है। इन में से एक मामले में उच्च न्यायालय ने भी मिथ्या कारणों का सख्त विरोध किया था। यह ध्यान देने की बात है कि बहुत कम लोग उच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं और इस अधिनियम के अधीन विरुद्ध लोगों को तो वकीलों की सहायता भी नहीं मिलती। फिर हम कैसे आशा कर सकते हैं कि इस अधिनियम के प्रशासन में कोई सावधानी बरती जाएगी। यहां हालात तो यह है कि साधारण मामलों में भी कोई सावधानी नहीं बरती जाती। डा० लोहिया की गिरफ्तारी ने उसे इतना भी नहीं बताया था कि उसे किस अपराध के कारण गिरफ्तार किया गया है। जस्टिस बेग ने इसी मामले में कहा था कि किसी व्यक्ति का निरोध बहुत गंभीर बात है और जिस प्रकार की असावधानी का प्रचलन है वह बहुत खतरनाक है। कितने दुख की बात है कि इसी अधिनियम के कारण एक ऐसे महत्वपूर्ण नेता के साथ यह व्यवहार हुआ है जो स्वतंत्रता संग्राम में हमारे साथ था। साधारण नागरिकों और भोले भाले ग्रामीणों के साथ तो न जाने क्या होता होगा।

क्योंकि यह विधेयक नागरिकों को पक्षपातहीन अभियोग से वंचित करता है और हमारे स्वतंत्रता पूर्व के उद्देश्यों के सर्वथा प्रतिकूल है अतः मैं आशा करता हूं कि बुद्धिमत्ता से काम ले कर इसे वापस ले लिया जाएगा।

†**श्री पु० र० पटेल** (मेहसाना) : निवारक निरोध अधिनियम को बनाये रखने के लिए यह तर्क दिया गया है कि भारत में कशगम जैसे दल हैं जो संविधान को जलाते हैं और राष्ट्रीय झंडे का अपमान करते हैं। निस्सन्देह ऐसे काम राष्ट्र का ही अपमान हैं और उन्हें सहन नहीं किया जा सकता। परन्तु क्या साधारण विधि अधीन इस का कोई उपचार नहीं है और फिर मद्रास में तो इस अधिनियम का प्रयोग भी नहीं किया गया। फिर यह तर्क क्यों ?

रामनाथपुरम में एक दुखद घटना हुई है और वहां हरिजनों और स्वर्ण हिन्दुओं के झगड़े में एक हरिजन संसद सदस्य को गिरफ्तार कर लिया गया है। यह ठीक है कि प्रत्येक जाति की रक्षा होनी चाहिये। परन्तु यह निवारक निरोध के दुरुपयोग का स्पष्ट उदाहरण है।

निवारक निरोध से किसी को लाभ नहीं होता। १९४२ में इसी के प्रयोग से हमारे राष्ट्रपति, जवाहरलाल नेहरू जी और मैं भी गिरफ्तार हुए थे। ऐसा देश की रक्षा और

---

†मूल अंग्रेजी में

विधि तथा व्यवस्था के लिए किया गया था परन्तु विधि तथा व्यवस्था का तो कहीं नाम भी नहीं था ।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात जहां तहां कुछ गड़बड़ हुई थी । उस के लिए निवारक निरोध की आवश्यकता नहीं उपयुक्त उपचार की आवश्यकता है । समझ में नहीं आता कि स्वतन्त्रता संग्राम के नेता हमारे गृह मंत्री इस अधिनियम के पक्ष में क्यों हैं क्योंकि इससे न तो अंग्रेजों को ही लाभ हुआ था और न ही कांग्रेस सरकार को लाभ होगा ।

१९४९ में राघनपुर में पांच व्यक्तियों को इस आधार पर गिरफ्तार किया गया था कि वे पाकिस्तानी एजेंट हैं परन्तु निर्वाचन के समय उन्हें तार द्वारा रिहा करवाया गया और उन्होंने कांग्रेस की बहुत सहायता की । इस से पता लगता है कि निवारक निरोध का प्रयोग लोगों को कांग्रेसी बनाने के लिए किया जाता है । इसी प्रकार का एक और उदाहरण है । १९५० या १९५१ में वल्लभ में चार व्यक्तियों को इस आधार पर गिरफ्तार किया गया था कि उन्होंने पुलिस को बयान नहीं दिये जबकि उन्होंने बयान दे रखे थे । इस बारे में बम्बई विधान सभा में प्रश्न पूछने पर उत्तर मिला कि उन बयानों पर उन व्यक्तियों के नाम नहीं थे । ऐसी ऐसी बातों के लिए तो इस अधिनियम का प्रयोग किया जाता है । वस्तुतः बात यह थी कि उन लोगों ने कांग्रेस के विरुद्ध मत दिये थे ।

यह गैर कानूनी कानून हमारे लोकतंत्र के लिए काला धब्बा है । जब इतनी दंड विधियां हैं तो इस विशेष विधि की क्या आवश्यकता है । यदि सरकार यही समझती है कि वह इसके बिना जी नहीं सकती तो क्यों इसे सदा के लिए साधारण विधि नहीं बना देती ? आज कोई आपात काल नहीं है अतः मैं इस विधि को अनावश्यक समझता हूं ।

†**विधि मंत्री (श्री अ० कु० सेन)** : श्री डांगे ने गृह-कार्य मंत्री के इस प्रस्ताव का विरोध करते हुए जो कुछ अनुचित बातें कहीं हैं मैं उन का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं । पहले तो उन्होंने यह आरोप लगाया कि यह विधि एक राजनैतिक दल का शासन बनाए रखने का साधन है । उन्होंने कहा कि जो कोई भी कांग्रेस का विरोध करता है उसे निवारक निरोध अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्ति से गिरफ्तार कर लिया जाता है ।

मैं चाहता हूं कि इस अनुचित आरोप के समर्थन के लिए उन्हें कुछ तथ्य, कुछ प्रमाण देने चाहिए थे । मैं यह दिखाने के लिए, कि कांग्रेस प्रशासन ने इस अधिनियम को किस निष्पक्ष भाव से प्रयोग किया है एक उदाहरण प्रस्तुत करता हूं । स्वर्गवासी श्याम प्रसाद मुकर्जी की मृत्यु के बाद जो उपनिर्वाचन हुआ था उस में कलकत्ता दक्षिण-पश्चिम की सीट के लिए श्री साधन गुप्त साम्यवादी दल के उम्मीदवार थे । इन के विपक्षी श्री राधा विनोद पाल थे, जो पश्चिमी बंगाल के एक विख्यात विद्वान हैं । वे कांग्रेस के उम्मीदवार थे । निर्वाचन के पश्चात अथवा उसी समय भवानीपुर की उड़ीसा बाड़ा बस्ती का एक व्यक्ति जो वहां का नेता था गिरफ्तार कर लिया गया । और उस की गिरफ्तारी का यह कारण बताया गया था कि उस ने कांग्रेसी स्वयं सेवकों का नेतृत्व करते हुए श्री साधन गुप्त के समर्थन के निकाले गये साम्यवादी दल के जलूस पर आँक्रमण किया तथा । इस सम्बन्ध में पत्र भी दिखाये जा सकते हैं । मैंने स्वयं उन पत्रों को देखा है । कांग्रेस दल ने

†मूल अंग्रेजी में

[श्री आ० कु० सेन]

कांग्रेस सरकार के पास अभ्यावेदन भेजा था परन्तु उस व्यक्ति को रिहा नहीं किया गया। उसे पूरा एक वर्ष जेल में रखा गया ।

जो लोग कांग्रेस के संगठन और कांग्रेस सरकार का बुरी दृष्टि से विरोध करते हैं वे ऐसे उदाहरणों का उत्तर दें । मैं आशा करता हूं कि भारत के दक्षिण पश्चिम में ऐसे कार्यों की प्रतिक्रिया नहीं होगी जिन का लाभ उन विधि का उल्लंघन करने वालों और नागरिकों के जान माल के लिए खतरा पैदा करने वालों को भी नहीं होगा। दक्षिण भारत में ऐसी अफवाहें सुनी जाती रही हैं कि लोगों के जान माल के लिए खतरा पैदा हो रहा है । मैं चाहता हूं कि उन के कार्य एक अच्छे लोकतंत्र राज्य को सुदृढ़ बनाने वाले होने चाहियें ।

साम्यवादी दल के नेता श्री डांगे ने कहा कि संग्रह करने वालों और चोर बाजारी करने वालों के विरुद्ध इस अधिनियम का प्रयोग नहीं किया जाता । कहा जाता है कि केवल कांग्रेस के विरोधियों को ही गिरफ्तार किया जाता है । इस तर्क का आधार सर्वथा गलत है । यदि संग्रह करना अपराध हो और आवश्यक वस्तुओं पर नियंत्रण हो तो क्या तत्सम्बन्धी विधियों का उल्लंघन हो सकता है ? यदि नियंत्रण न हो माल खरीदने और लाभ पर उसे बेचने पर प्रतिबन्ध संबंधी कोई विधि न हो तो उस के लिए गिरफ्तार किये गये व्यक्ति को तो न्यायालय रिहा कर देगा ।

वस्तुओं के नियंत्रण, 'कंट्रोल', के दिनों में, सूती कपड़ों, खाद्यान्नों और अन्य अत्यावश्यक वस्तुओं पर नियंत्रण लगा दिया गया था । उस समय के कुछ ऐसे उदाहरण हैं जब कांग्रेस सरकार ने चोर बाजारी करने वाले या नियंत्रण सम्बन्धी विनियमों का उल्लंघन करने वाले अनेक व्यक्तियों को निरुद्ध किया था ।

एक उदाहरण मैं आपको बता सकता हूं, जिसमें मैं स्वयं राज्य की ओर से वकील बनकर न्यायालय में गया था । एक व्यक्ति को इस बात के लिये नजरबन्द किया गया था कि वह नियमित रूप से एक ऐसे संगठन का समर्थन करता था जो कपड़े और खाद्यान्न जैसी अत्यावश्यक वस्तुओं का अवैध व्यापार करता था, नियंत्रण सम्बन्धी विनियमों का उल्लंघन करता था । वह मुकदमा उच्च न्यायालय तक गया था, इस आधार पर कि वे उल्लिखित कार्यवाहियां वर्तमान विधियों का उल्लंघन नहीं करती थीं और चोर बाजारी तथा साठेबाजी आदि शब्दों का कोई स्पष्ट अर्थ नहीं था । उच्च न्यायालय ने नजरबन्दी के आदेश की ही पुष्टि की थी । लेकिन इस उदाहरण से स्पष्ट है कि नियंत्रण सम्बन्धी विनियमों के समय भी हमने गुप्त असामाजिक कार्यवाहियों का यथेष्ट साक्ष्य मिलने पर लोगों को नज़रबन्द किया था ।

श्री डांगे ने एक दूसरा प्रश्न यह पूछा था कि जब यह अधिनियम अपराधों को रोकने में असमर्थ सिद्ध हुआ है तब इसका लाभ ही क्या है । यदि इस तर्क को थोड़ा और आगे बढ़ाया जाये तो उस हिसाब से सारी दण्ड विधियां ही समाप्त कर देनी चाहियें । भारतीय दण्ड संहिता तो लगभग एक शताब्दी से मौजूद है, उसका प्रयोग भी हो रहा है, लेकिन फिर भी अपराध होते ही रहते हैं । हत्या का दण्ड मृत्यु या आजन्म कारावास होने पर भी हत्यायें होती ही हैं ।

†श्री महन्ती (ढेंकानाल) : वे विधियां निरोधात्मक नहीं हैं ।

†श्री अ० कु० सेन : माननीय सदस्य ने दोनों मामलों के सादृश्य को नहीं समझा है । श्री डांगे का तर्क कुछ इस आधार पर चलता है कि निवारक निरोध अधिनियम को भी एक प्रकार की दण्ड विधि ही समझा जाये । एक न्यायाधीश ने इसे दण्ड विधि का भाग माना भी है । हां, इन दोनों का उद्देश्य तो एक ही हो सकता है—दोनों ही जीवन तथा सम्पत्ति की सुरक्षा के संरक्षण और व्यवस्था के संसाधरण के लिये ही हैं ।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

मूल दण्ड विधि और निवारक निरोध अधिनियम दोनों का ही यही उद्देश्य है ।

मैं यही कहने जा रहा था कि यदि श्री डांगे के तर्क को स्वीकार कर लिया जाये तो हमें भारतीय दण्ड संहिता, भारतीय शस्त्रास्त्र अधिनियम, विदेशी मुद्रा वनियमन अधिनियम और समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम, आदि उन सभी विधियों को हटा देने चाहियें, जो अब तक उन से सम्बन्धित अपराधों को रोक नहीं पाये हैं । और जो लोग शिष्टाचार युक्त जीवन में विश्वास नहीं करते हैं उन्हें उनके खतरनाक काम करने दिये जायें । इसीलिये समाज की शांति और व्यवस्था कायम रखने के लिये ऐसी विधि होनी चाहिये जो ऐसे लोगों पर अभियोग चलाये जो अपराध कर चुके हैं । ऐसी कई स्थितियां हो सकती हैं इंग्लैण्ड में भी रेग्म अधिनियम के काल में रेग्म अधिनियम के अधीन लोगों को निरुद्ध किया जाता था ।

†एक माननीय सदस्य : वह केवल आपातकाल और युद्ध काल के लिये था ?

†अध्यक्ष महोदय : हमें इस प्रकार निरंतर अन्तर्बाधा नहीं डालनी चाहिये । हम सभी लोग जनता के प्रतिनिधि हैं अतः हमें दूसरे प्रतिनिधि का भी दृष्टिकोण सुनना चाहिये । जिन लोगों को कुछ कहना हो वे अवसर मिलने पर कह सकते हैं ।

†श्री अ० कु० सेन : मैं यह बात बता रहा था कि कुछ स्थितियों में निवारक निरोध अधिनियम क्यों आवश्यक होता है । यह अच्छा है कि कोई बात होने के पूर्व ही रोक दी जाय बजाय इसके कि घटना के पश्चात् कोई कार्यवाही की जाय । निवारक निरोध अधिनियम के पक्ष में यही सिद्धांत है ।

यह प्रश्न उठाया जा सकता है कि व्यक्तिगत मामलों में इसका दुरुपयोग तो नहीं किया गया है । मुझे यह कहने में जरा भी हिचकिचाहट नहीं है कि प्रधान मंत्री तथा गृह मंत्री के नेतृत्व में हमारी सरकार सदैव इस अधिनियम के दुरुपयोग का विरोध करेगी । इसी प्रकार सरकार का कोई भी उत्तरदायी कर्मचारी या अधिकारी भी इसका विरोध करेगा । प्रत्येक देश में विधि का कुछ न कुछ दुरुपयोग होता है । यदि ऐसा नहीं होता तो हमारी विधियां तथा प्रक्रिया त्रुटिरहित रहती और 'त्रुटिपूर्ण' शब्द हमारे शब्दकोष में ही न रहता ।

दूसरी बात गुंडों को गिरफ्तार करने के सम्बन्ध में थी । श्री डांगे ने कहा कि वे गुंडा शब्द का मतलब नहीं समझते हैं तथा गुंडा नाम से बहुत से भले व्यक्तियों को पकड़ लिया जाता है : निसंदेह इस शब्द की परिभाषा आसानी से नहीं की जा सकती है । लेकिन यह शब्द सरलता से समझ में आ सकता है । कुछ देशों में आजकल व्यक्तियों का एक नया

†मूल अंग्रेजी में

[श्री अ० कु० सेन]

वर्ग पैदा हो गया है । उसे "पृथकतावाद" कहते हैं। उसके अन्तर्गत ऐसे व्यक्तियों को रखा जाता है जिन्हें गुप्त न्यायिक कार्यवाही द्वारा कड़ी कैद या प्राणदंड की सजा दी जाती है । हम गुंडागर्दी को खूब जानते हैं । निवारक निरोध अधिनियम के पूर्व गुंडा अधिनियम बन चुका है ।

मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि कुछ व्यक्तियों को निवारक निरोध अधिनियम के अन्तर्गत इस आधार पर पकड़ा गया कि वे लोग गुंडागर्दी करते हैं ? मेरे निर्वाचन क्षेत्र में भी ऐसे कई मामले हुए हैं । निरुद्ध व्यक्तियों के रिश्तेदार आकर यह कहते हैं कि वे लोग ऐसे व्यक्तियों के प्रमाण पर गिरफ्तार कर लिये गये जो उनसे दुश्मनी रखते थे । इस सभा में निर्वाचित होने के पूर्व मैंने ऐसे दो मामलों की जांच की । लेकिन पुलिस के पास १५० अर्जियां इस प्रकार की थीं कि ये दो व्यक्ति नियमित रूप से सायंकाल आकर दुकानदारों से चुंगी वसूल करते थे और जो चुंगी नहीं देता था उसे पीटा जाता था जिससे जीवन और सम्पत्ति असुरक्षित हो गई थी । जब मैं ने इसका अभ्यावेदन किया तो पुलिस आयुक्त ने मुझ से कहा कि आप चुपचाप जाकर बाजार के दुकानदारों से पूछें कि यह बात सही है या नहीं । यदि आप मुझे संतुष्ट कर देंगे कि यह आदमी मुक्त होकर भी जनता को हानि नहीं पहुंचायेगा तो आप ऐसा कर सकते हैं । मैं दुकानदारों के पास गया और उन्होंने उन दोनों के छोड़े जाने का विरोध किया और जहां तक मैं जानता हूं वे नहीं छोड़े गये थे ।

जैसा कि सभी विधियों के सम्बन्ध में होता है, संभव है कुछ मामलों में गलत आधार पर व्यक्तियों को निरुद्ध कर दिया गया हो । इसी लिये विधि में उच्चन्यायालय के समकक्ष न्यायाधीशों की एक मंत्रणा समिति बनाई गई है यदि हम इन पर भी विश्वास नहीं करते तो हम किसी पर यकीन नहीं कर सकते हैं ।

श्री डांगे ने छत्रपति शिवाजी के चित्र के अनावरण का भी जिक्र किया है, जो बिल्कुल असंगत है। श्री डांगे ने बहुत व्यापक क्षेत्र लिया है लेकिन उस सब का आशय कांग्रेस तथा उस के नेताओं पर कीचड़ उछालना ही है। हमारे प्रधान मंत्री को किसी के बचाव की आवश्यकता नहीं है। हमें उन का कृतज्ञ होना चाहिये कि उन्होंने अपनी त्रुटियों को स्वीकार किया है। अन्य बहुत से लोग तो अपनी गलतियों को स्वीकार भी नहीं करते हैं । लेकिन मैं श्री डांगे के दल को जानता हूं जिस ने अपनी त्रुटियों को स्वीकार किया है। अभी हाल में मैंने उन के एक पत्र में यह पढ़ा था कि १९४२ में उन की नीति बहुत गलत थी। मुझे यह जानकर हर्ष हुआ है कि उन्हों ने अपनी गलती स्वीकार की है अथवा इन लोगों को १९४२ में उनकी कार्यवाहियां देखकर बहुत धक्का पहुंचा था। पुरानी बातों में जाने से कोई लाभ नहीं होगा। वे अपनी गलतियां तो स्वीकार करते हैं लेकिन यदि हम ऐसा करते हैं तो बहुत अपराध करते हैं। निवारक निरोध अधिनियम के सम्बन्ध में मैं इस तर्क का औचित्य नहीं समझ सका ।

श्री डांगे ने स्वयं अपने मामले का जिक्र किया है। मैं ने इस सभा में व्यक्तियों का जिक्र न करना ही उचित समझा था। मुझे प्रसन्नता होगी यदि श्री डांगे के निरोध करने के सम्बन्ध में जो आरोप लगाये गये थे वे गलत सिद्ध होंगे। क्योंकि मैं यह विचार करना भी पाप समझता हूं कि उन के जैसा शिष्ट व्यक्ति किसी ऐसे अपराध का दोषी हो जिस के कारण उन्हें विरुद्ध रहना पड़े।

यदि हम व्यक्तियों का जिक्र न भी करें तो क्या कोई बम्बई और महाराष्ट्र की घटनाय भूल सकता है। महाराष्ट्र वासियों पर प्रत्येक भारत वासी को गर्व है। हम शिवा जी को केवल महाराष्ट्र वासियों का नेता नहीं मान सकते हैं। वस्तुतः उन्हें केवल महाराष्ट्र का कहना उन का अपमान करना है वह सारे देश की विभूति थे।

मैं आशा करता हूं कि शीघ्र ही हम इन बातों को भूलने की कोशिश करेंगे कि एक भाई ने दूसरे को छुरे से मारा, एक मित्र ने दूसरे मित्र का सिर फोड़ दिया और यह भूल गये कि वह सब भारत के ही लाल हैं तथा उनको आपसी झगड़े शाँति मे ही निबटाने चाहिये थे। मैं आशा करता हूं कि इस प्रकार की दुर्घटनायें, जिन से हमारे राष्ट्र की प्रतिष्ठा तथा मान को आघात पहुंचता हो दोहराई नहीं जायगी! परन्तु यदि ऐसी घटनायें दुबारा होंगी, धर्म अथवा जाति के नाम पर गांव जलाये जायेंगे ऐसी घटनायें अभी भी हो रही हैं, तो इसमें कोई सन्देह नहीं है कि सरकार का यह कर्तव्य हो जाता है कि वह इन कुकृत्यों को रोकने के लिये सभी आवश्यक अधिकार अपने हाथों में ले ले।

अन्त में, में दुबारा यही कहना चाहता हूं कि निवारक निरोध अधिनियम के अधीन दिये गये अधिकारों का जो प्रयोग करता है, उस को भी इन को प्रयोग में लाने में दुख ही होता है और इसीलिये माननीय गृह-मंत्री स्वयं बता चुके हैं कि इस अधिनियम के अधीन कोई भी आदेश तब तक नहीं दिये जाते जब तक वह स्वयं उन के बारे में सन्तुष्ट नहीं हो जाते हैं। संभवतया आचार्य जी ने जिन मामलों के उदाहरण दिये हैं वह अभी तक पुनरीक्षित पदाधिकारी, गृह मंत्री अथवा जिम्मेदार मंत्रियों तक न पहुंचे हों। क्योंकि यदि वह उन तक पहुंचे होते तो मुझे कोई सन्देह नहीं है कि सरकार ने भी वैसा ही किया होता जैसा उन्होंने ने बताया है। इसीलिये पुनरीक्षित पदाधिकारी, मंत्री महोदय, तथा जिम्मेदार सरकारी कर्मचारी नियुक्त किये जाते हैं।

अब मैं संविधान तथा राष्ट्रपताका को जलाने के बारे में कुछ बताऊंगा। श्री डांगे ने कहा कि संविधान, जिस का तीन वर्षों में तीन बार संशोधन किया जा चुका है, की कुछ प्रतियों जलाने देने से क्या अन्तर पड़ता है: श्रीमान् इस प्रकार के कृत्यों को रोकने के लिये निवारक निरोध अधिनियम नहीं बना है। राष्ट्रपताका तथा संविधान को जलाने का दण्ड विधि में निहित है। विधि ऐसे व्यक्तियों को नजरबन्द नहीं करती है। वर्तमान चर्चा में इस को कोई स्थान नहीं मिलना चाहिये। परन्तु क्योंकि यह प्रश्न उठाया जा चुका है इसलिये उत्तर देना आवश्यक है। यह बड़ी अजीब बात है कि भारत में अभी भी ऐसे लोग हैं जो संविधान का मान नहीं करते हैं और अपनी राष्ट्रपताका को जलते देख सकते हैं जो देशभक्तों के रक्त से भीगी हुई है। मैं यह बताना आवश्यक समझता हूं कि जहां तक कांग्रेस दल का सम्बन्ध है वह संविधान की मर्यादा को अन्तिम काल तक अक्षुण्य बनाये रखेंगे, और उन का सर्वदा तिरस्कार करते रहेंगे जो राष्ट्रपताका अथवा संविधान का निरादर करते हैं। वे देशद्रोही हैं। तथा भारत के सपूत नहीं हैं। यह बड़े ही दुख की बात है कि भारत का एक पुत्र अपनी पताका तथा संविधान का आदर न करे जिन के नीचे वह अपना दैनिक जीवन निर्वाह करता है।

जहां तक सरकार का सम्बन्ध है मुझे इस में कोई सन्देह नहीं है कि सरकार इन कुकृत्यों को रोकने के लिये सभी आवश्यक काम करेगी। मेरा व्यक्तिगत विचार है कि राष्ट्रपताका अथवा संविधान की मर्यादा भंग करने वाले को कठोरतम दण्ड की व्यवस्था की जावे।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं कम से कम प्रत्येक दल के नेता को समय देना चाहता हूं। मैं श्री वाजपेयी श्री मर्तान, तथा श्री महन्ती को समय दूंगा। जहां तक खण्डों का सम्बन्ध है. उस समय उन लोगों को

---

†मूल अंग्रेजी में

[अध्यक्ष महोदय]

समय दिया जायेगा जिन को अब तक समय नहीं मिला है। तृतीय वाचन के समय में उन माननीय सदस्यों को समय दूंगा जिन को पर्याप्त समय नहीं मिला होगा।

†श्री महन्ती (टेंकानाल) : यह बड़े ही खेद का विषय है कि जब देश विकासोन्मुख है उस समय सत्तारूढ़ दल इस प्रकार के विधेयक को प्रस्तुत करे। इस विधेयक के उद्देश्यों तथा कारणों को देखने पर पता लगता है कि उसमें दिया है कि ऐसा अनुमान किया गया कि इस विधेयक की अवधि बढ़ाना आवश्यक है इसलिये इस की अवधि बढ़ाई जानी चाहिये। परन्तु इस के कोई कारण नहीं बताये गये कि अवधि क्यों बढ़ानी चाहिये।

बार बार यह कहा जा रहा है कि इस विधेयक का प्रयोग सावधानी से किया जाना चाहिये। माननीय विधि मंत्री ने भी बताया कि इस का एक बार भी दुरुपयोग नहीं किया गया है। परन्तु जो पंजाब उच्च न्यायालय का उदाहरण दिया गया उस के साथ साथ मैं भी दो उद्धरण देता हूं। सीताराम किशोर विरुद्ध बिहार राज्य के मामले में पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश मिश्र ने कहा है कि इस मामले में जो भी कारण दिये गए हैं वह इतने छिछले हैं कि जिन के द्वारा किसी का निरोध ठीक नहीं ठहराया जा सकता है। यह मामला आल इंडिया रिपोर्टर १९५६ में दिया गया है। उस में उस व्यक्ति ने केवल भारत के प्रधान मंत्री के विरुद्ध अपनी राय जाहिर की थी जिस को अपराध नहीं माना जा सकता है। मेरे विचार से यह और कुछ नहीं केवल सत्तारूढ़ दल द्वारा अपनी इच्छाओं का पालन करना है।

दूसरा मामला बम्बई उच्च न्यायालय का है जिस का निर्णय मुख्य न्यायाधीश चागला ने दिया था। मामला बाल किशन के विरुद्ध पुलिस आयुक्त था। उस में उन्होंने में कहा था कि पुलिस आयुक्त ने जो कारण बताये हैं वह गलत कारण हैं। राज्य सरकार ने भी जो अनुमति दी है वह ठीक नहीं है। इसलिये धारा (३) की उपधारा (३) के अनुसार १२ दिन से अधिक निरोध नहीं किया जाना चाहिये। मैं और भी उद्धरण दे सकता था जिन में इस अधिनियम का दुरुपयोग किया गया। परन्तु समय की कमी के कारण इन दो को पर्याप्त समझ कर, यह निवेदन करता हूं कि इस की अवधि न बढ़ाई जाये।

१९५२ में, निवारक निरोध विधेयक प्रस्तुत करते हुए डा० काटजू ने कहा था कि इस अधिनियम से साम्यवाद के प्रसार को रोकना है। परन्तु अब हम को बताया जाता है इस विधान से राजनैतिक उद्देश्यों को पूरा नहीं किया जा रहा है। मैं डा० काटजू को बहुत पहले से जानता हूं और उन्हों ने साम्यवादी साम्प्रदायिक, राजाओं तथा डाकुओं को भी भारत की सुरक्षा का शत्रु समझा था। परन्तु अब साम्यवादी सत्तारूढ़ दल के घनिष्ठतम मित्र हैं। उड़ीसा में उन्होंने सत्तारूढ़ दल की सरकार बनाने में सहायता दी है। अब केरल में वह विनोबा के भूदान आन्दोलन का समर्थन कर रहे हैं। मैं उन की मनोवृत्ति बदल जाने पर उन्हें बधाई देता हूं। और उन को इस विधेयक की सीमा से अलग रखता हूं। दूसरे साम्प्रदायिक आते हैं। इस सम्बन्ध में मैं श्री पाटस्कर के बिहार चुनाव के सम्बन्ध में प्रतिवेदन की ओर ध्यान आकर्षित कराता हूं। उस में दिया है कि कांग्रेस ने स्वयं चुनाव में जाति के नाम पर वोट मांगे। इस प्रकार यह लोग भी मित्र बन गये। अब राजाओं को लीजिये। आप देख लीजिये कितने राजा कांग्रेस दल में बैठे हैं। डाकू भी समाप्त हो चुके हैं। तब मैं नहीं समझता कि इस अधिनियम की आवश्यकता क्या रह जाती है। डा० काटजू द्वारा बताये गये कारण सभी समाप्त हो जाते हैं।

माननीय गृह-मंत्री का मत है कि जब तक इस प्रकार के विधान संविहित पुस्त में नहीं रखे जायेंगे तब तक रामनाथपुरम् के साम्प्रदायिक दंगों के समान दंगे रोके नहीं जा सकते हैं। परन्तु मेरा निवेदन

†मूल अंग्रेजी में।

है कि हमें बताये कि रामनाथपुरम् के दंगे के कारण कितने व्यक्तियों का निरोध किया गया है। मेरी जानकारी के अनुसार केवल एक व्यक्ति का निरोध किया गया था। जिसको साधारण विधि के अनुसार मुकदमा चला कर बाद में उसे मुक्त कर दिया गया। इस प्रकार १ नवम्बर, १९५६ से ३० सितम्बर १९५७ तक, इस अधिनियम के कार्यसंचालन को देखने पर पता लगता है कि यह अधिनियम आवश्यक है। कुल २८२ व्यक्तियों का निरोध किया गया जिस में से, विदेशी जासूसी, भारत की सुरक्षा आदि के लिये २६ व्यक्ति निरोध किये गये। शेष का निरोध गुंडागर्दी के लिये किया गया। २६ व्यक्ति बहुत कम हैं। क्या हम अपनी सेना द्वारा इन व्यक्तियों पर नियंत्रण नहीं रख सकते हैं? मेरे विचार से केवल २६ व्यक्तियों के लिये ही इस की अवधि नहीं बढ़ाई जानी चाहिये।

मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने मानव अधिकारों की विश्व घोषणा का अनुसमर्थन नहीं किया है और यदि किया है तो मैं उस चार्टर के अनुच्छेद ११ की ओर उन का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं जिसमें कहा गया है कि कोई भी अपराधी तब तक निर्दोष समझा जाता है जब तक कि किसी न्यायालय द्वारा उस का दोष सिद्ध न हो जाये। अनुच्छेद ९ में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को मनमाने ढंग से गिरफ्तार नहीं किया जायेगा। तथा देशनिकाला नहीं दिया जायेगा। इसीलिये मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस विधेयक से इन अधिकारों का उल्लंघन नहीं होता। इन शब्दों से मैं विधेयक का विरोध करता हूं।

श्री वाजपेयी (बलरामपुर) : अध्यक्ष महोदय, नजरबन्दी कानून की अवधि को बढ़ाने के बारे में हम कोई भी विचार करें, हमारे सामने तीन सवाल प्रमुख रूप से खड़े होते हैं। पहला सवाल क्या बिना मुकदमा चलाये किसी व्यक्ति को जेल में रखना न्यायपूर्ण और उचित है? क्या वह लोकतन्त्र की रूल आफ ला की भावना के अनुकूल है? दूसरा सवाल क्या देश में ऐसी परिस्थिति है जिस का सामना करने के लिये सरकार को ऐसे असाधारण अधिकार दिये जाने चाहिये जैसे कि यह कानून प्रदान करता है? तीसरा सवाल क्या पिछले सात साल का अनुभव यह बताता है कि सरकार ने इस कानून को सोच समझ कर काम में लाया है, जहां और जिस मात्रा में उस का उपयोग होना चाहिये था, वहीं और उसी मात्रा में उस का उपयोग किया है?

जहां तक सिद्धान्त का सवाल है, कोई भी व्यक्ति उस बात को मानने से इन्कार करेगा कि बिना मुकदमा चलाये किसी को नजरबन्द करना या बिना कारण बताये किसीको गिरफ्तार करना यह लोकतन्त्र की भावना के अनुकूल है। रूल आव ला का अर्थ यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी स्वतन्त्रता का उपभोग करने का उस समय तक अधिकार होना चाहिये जब तक कि वह किसी सामान्य कानून का उल्लंघन नहीं करता। यही कारण है कि किसी भी सभ्य देश में बिना मुकदमा चलाये नजरबन्द करने का कानून नहीं है। लोकतन्त्र में ऐसे कानून के लिये कोई स्थान नहीं हो सकता। और सचमुच में यह कानून जो पिछले सात साल से हमारे देश में चल रहा है लोकतन्त्र की जड़ पर कुठाराघात है। नागरिक स्वाधीनताओं का दमन करता है, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का हनन करता है, यह भारतीय गणराज्य के माथे पर कलंक का टीका है। यह सरकार के लिये लांछन है और भारतीय जनता के लिये एक चुनौती है।

मैं सदन का समय उन बातों को दुहराने में नहीं लूंगा जो कभी स्वर्गीय पंडित मोती लाल नेहरू ने या आज के प्रधान मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कही थीं। सन् १९२९ में जब अंग्रेजों ने यहां एक

[श्री वाजपेयी]

पबलिक सोक्योरिटी बिल लाया, जिस का सम्बन्ध केवल विदेशियों से था और उस में बिना मुकदमा चलाये नजरबन्द करने की व्यवस्था की गयी थी, तो विदेशियों के लिये लाये गये बिल को भी स्वर्गीय मोतीलाल जी नेहरू ने यह कह कर ठुकरा दिया था कि हम किसी को भी बिना मुकदमा चलाये नजरबन्द करने का सुझाव का समर्थन नहीं कर सकते । पंडित जवाहर लाल जी ने भी सन् १६३६ में इस बात को स्वीकार किया था कि जो सरकार बिना मुकदमा चलाये किसी व्यक्ति को नजरबन्द करती है उस सरकार को रहने का अधिकार नहीं है ।

कहा जा सकता है कि समय बदल गया है । कल के जो विरोधी थे वे आज शासक बन गये हैं । कुर्सियां बदल गयी हैं पर मगर सिद्धान्त नहीं बदल सकते । व्यक्तिगत स्वाधीनता आज भी उतनी ही अनमोल है और उस स्वाधीनता के अपहरण के लिये कोई भी कदम उठाया जाये उस का उसी दृढ़ता से विरोध किया जाना चाहिये जितना कि पराधीनता के काल में किया गया । .वदेशी सरकार को माफ किया जा सकता है ऐसा कानून बनाने के लिये जो हमारी आजादी का आदर नहीं करती थी । मगर हम अपनी सरकार को स्वतन्त्रता के काल में ऐसा कानून बनाने का अधिकार नहीं दे सकते जो सरकार के लिये भी शोभाजनक नहीं है । लेकिन कहा जाता है कि परिस्थिति बदल गई है । आज देश में कहीं ब्राह्मणों को मारने की धमकियां दी जा रही हैं, कहीं संविधान जलाने की बात कही जा रही है, और कहीं पर भाषा का विवाद खरा हो रहा है । मैं पूछता हूं कि क्या यह परिस्थितियां इतनी गम्भीर हैं कि उनका सामना करने के लिये ऐसा कानून चाहिये ? क्या आज देश में संकट की स्थिति है ? क्या संकट की स्थिति मद्रास मे घोषित की गई है ? आज देश में संकट की स्थिति नहीं है । पाकिस्तान के साथ युद्ध की स्थिति भी नहीं है । युद्धविराम की स्थिति है और हमारे कांग्रेस के नेता कहते हैं कि पाकिस्तान हमारा मित्र है, पंचशील के मंत्र का जाप किया जाता है, शान्ति के कबूतर उड़ाये जाते हैं । फिर अगर संकट नहीं है तो किस कल्पित संकट का सामना करने के लिये यह हथियार तैयार किया जा रहा है ? इतना बड़ा देश है, इतनी वड़ी जनसंख्या है, इस में कुछ तो विवाद चलेंगे ही, जहां अधिक बर्तन होते हैं वहां वे खटकते ही हैं । इस के अतिरिक्त मद्रास में या पंजाब में जो भी परिस्थिति पैदा हो गई है उस के लिये हमारी सरकार और सत्तारूढ़ दल अपने को उस की जिम्मेदारी से मुक्त नहीं कर सकता । आप जो मद्रास में और तामिलनाड में संविधान चलाने की बातें कह रहे हैं और ब्राह्मणों को मारने की धमकियां दे रहे हैं, उन्हीं के बल पर और उन्हीं के सहयोग के बल पर आज कांग्रेस सत्ता के सिंहासन तक पहुंची है । चुनाव के दिनों में यही लोग कांग्रेस का समर्थन कर रहे थे । उन्हों ने कांग्रेस के मंच पर आकर भाषण दिया । उन्हों ने मद्रास के आज के मुख्य मंत्री का खुला समर्थन किया । आज वह अपने समर्थन की कीमत मांग रहे हैं । कांग्रेस को दिये गये सहयोग का आज वह मूल्य मांग रहे हैं । और इसी लिये विधान जलाने की बातें की जा रही हैं ।

पंजाब में जो कुछ हो रहा है उस के लिये भी कांग्रेस अपनी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो सकती । उस आन्दोलन के साथ किसी का मतभेद हो सकता है लेकिन इस आन्दोलन की पृष्ठभूमि में अगर हम जाकर विचार करें तो यह दिखाई देगा कि कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से अकाली दल के साथ एक समझौता किया, बन्द कमरे में बैठ कर, उसी का यह परिणाम है कि आज पंजाब के हिन्दू कांग्रेस के विरुद्ध खड़े हो गये हैं । मैं आपसे निवेदन करुंगा और कल लाला अचिंत राम ने भी इसे स्वीकार किया कि आज पंजाब के हिन्दुओं का कांग्रेस विश्वास खो बैठी है । यह विश्वास वह किस लिये खो बैठी है ? भारतीय जनसंघ ने क्या उस के लिये कोई प्रयत्न किया ? उस का कारण यह है कि जिस ढंग

से अकाली दल के साथ समझौता किया गया उससे पंजाब के हिन्दुओं के हृदय में यह बात घर कर गई है कि कांग्रेस उन की उपेक्षा करती है। जो समझौता किया गया उस की कौपी प्राप्त करने के लिये पंजाब के एक वीर नौजवान को अपनी जान हथेली पर रख कर भूख हड़ताल करनी पड़ी तब कहीं जा कर वह तथा किथित रीजनल फारमूला प्रकट किया गया। रीजनल फारमूले का जो विरोध हो रहा है उस विरोध को आप नजरबन्दी कानून से दबा नहीं सकते दमन आग में आहुति का काम करता है अगर अंग्रेजों का दमन कांग्रेस को नहीं दबा सका तो कांग्रेस का दमन भी आज आर्य समाज और उस के साथियों को नहीं दबा सकेगा। लोग लड़ते हैं और जेल जाते हैं जब जेल के बाहर रहना उन के लिये असम्भव हो जाता है।

पंजाब में ११३ व्यक्ति नजरबन्द बना गये। कल माननीय दातार साहब ने जिस तरह से आंकड़े दिये उस के बारे में मुझे आपत्ति है। कुल मिला कर ११३ व्यक्ति नजरबन्द बनाये गये और उनमें से ८० आदमी ऐडवाइजरी बोर्ड ने छोड़ दिये, क्यों छोड़ दिये, क्यों के उन के ऊपर झूठे आरोप लगाये गये थे। मैं इस अवसर पर ऊन तमाम झूटे आरोपोंका जिनका कि मेरे मित्रों ने जिक्र किया है, दुहराना नहीं चाहता। लेकिन रोहतक के श्री श्याम सुन्दर कतिहार का केस मैं आप को बतलाना चाहूंगा जिन पर कि यह आरोप लगाया गया कि उन्होंने ९ अगस्त को रोहतक की एक सभा में भाषण किया जब कि सच्चाई यह थी कि ९ अगस्त को वे जेल में बन्द थे। जब वे जेल में बन्द थे तो उन्हों ने भाषण किस तरीके से किया ?

एक माननीय सदस्य : जेल में किया होगा।

श्री वाजपेयी: इसी तरह से दूसरा केस जिसमें **वीर अर्जुन** और **प्रताप** के संस्थापक और संचालक महाशय कृष्ण को भी नजरबन्द किया गया और उन पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने मई १९५६ में जालन्धर की एक गुप्त बैठक में भाग लिया और जिस बैठक के बाद पंजाब में दंगे हुए। यह आरोप जब उन्होंने जेल में पढ़ा तो घर वालों को उन्होंने चिट्ठी लिखी कि मैं तो मई १९५६ में जालन्धर गया ही नहीं। नजरबन्दों की चिट्ठियां सेंसर होती हैं और वह चिट्ठी सेंसर ने पढ़ ली और उसको लेकर पंजाब सरकार के सचिवालय में खलबली मची। उन्होंने बाद में एक दूसरा करैक्शन दिया कि मैं १९५६ में जालन्धर नहीं गया था बॅल्कि १९५७ में जालन्धर गया था, यह करैक्शन तो उन्होंने दे दिया लेकिन जो दंगे वाली बात थी उसको नहीं बदला और हकीकत यह है कि मई सन् १९५७ के बाद पंजाब में कोई दंगा नहीं हुआ। महाशय कृष्ण जी ने कहा कि मैं तो अगर किसी गुप्त बैठक में जाऊं भी तो भी वह गुप्त नहीं रह सकती कारण मैं काफी ऊंचा सुनता हूं। मुझे अगर किसी को कोई बात सुनानी होगी तो मुझे इतनी जोर से बोलना पड़ेगा कि बैठक की सारी गुप्तता खत्म हो जायेगी। यह बात सब लोग जानते हैं लेकिन यह बात शायद आपके गुप्तचर विभाग वाले नहीं जानते और उसका परिणाम यह है कि उनको जेल में रक्खा गया।

कल यहां पर ऐडवाजरी बोर्ड की तारीफ की गई थी। मैं पूछता हूं कि क्या कोई प्रान्तीय सरकार ऐडवाइजरी बोर्ड कायम करने में इतनी देरी करेगी जितनी देरी कि इस बारे में पंजाब गवर्नमेंट ने की

(श्री बाजपेयी)

और जिसका कि नतीजा यह हुआ कि ६०, ६० और ८०, ८० दिन तक ऐसे लोगों को जेल में बन्द रहना पड़ा जिन को कि ऐडवाइजरी बोर्ड नें छोड़ दिया। पंजाब के ऐडवाइजरी बोर्ड के जस्टिस खोसला ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने ऐडवाजरी बोर्ड से क्यों इस्तीफा दिया है। उन के इस्तीफा के कारणों पर जो आपका पर्दा पड़ा हुआ है उस पर्दे को हटाया जाना चाहिये। पंजाब में जिस तरीके से न्यायालयों के कामों में हस्तक्षेप किया जा रहा है, मेरा सन्देह है कि उसी के विरोधस्वरूप उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अगर इस कारण नहीं दिया है तो माननीय गृह-मंत्री इस सम्बन्ध में उस स्थिति को स्पष्ट करें। ऐडवाइजरी बोर्ड जो नजरबन्दी के कारण दिये जाते हैं, उनको तह में नहीं जा सकता। वह अपंग है और प्रभावी नहीं है। मुझे फिर स्वर्गीय पंडित मोती लाल नेहरू का वह भाषण याद आता है जो उन्होंने पबलिक सिक्योरिटी ऐक्ट पर दिया था। उन्होंने कहा था कि आप ऐडवाइजरी बोर्ड दे दीजिये चाहे प्रिवी कौंसिल दे दीजिये लेकिन जब तक बहस करने का अधिकार नहीं रहेगा, जब तक गवाहों को क्रोस एग्जामिन करने का अधिकार नहीं होगा, जब तक आरोप के मूल में जाने का अधिकार नहीं होगा तब तक वह प्रिवी कौंसिल या ऐडवाइजरी बोर्ड कुछ नहीं कर सकता। इस परिस्थितियों में मैं आपसे फिर निवेदन करूंगा कि इस नजवबन्दी कानून का खुला दुरुपयोग किया गया है, यह सत्ताधीशों के हाथमें ऐसे अधिकार रखता है जिसमें लोकतन्त्र सुरक्षित नहीं रह सकता। मुझे यह कहने में बिलकुल संकोच नहीं है कि पंजाब में जो कुछ हुआ है वह सारे देश के लिये एक चेतावनी है और हमारे गृह-मंत्री महोदय को उसे चेतावनी के रूप में लेना चाहिये। मेरा तो कहना कि अगर किसी व्यक्ति को इस नजरबन्दी कानून के अन्तर्गत पंजाब में गिरफ्तार कर के जेल में बन्द किया जाना चाहिये तो वह व्यक्ति पंजाब के मुख्य मंत्री सरदार प्रताप सिंह कैरों हैं जिन्होंने कि हिटलर की याद को ताजा कर दिया है लेकिन उनकी तो पीठ थपथपाई जा रही है और उनकी प्रशंसा के पुल बांधे जा रहे हैं और एक ऐसा कानून गढ़ा जा रहा है जिसको कि अगर उनके हाथ में रख दिया गया तो पंजाब के लोगों की स्वाधीनता समाप्त हुई समझो। किसी व्यक्ति को बिना मुकद्दमा चलाये जेल में बन्द किया जाये, मैं इस का समर्थक नहीं हूं, न सिद्धान्त में और न व्यवहार में। मेरी समझ में जो देश के सामान्य कानून हैं, वे पर्याप्त हैं। अब देश में कोई संकट की परिस्थिति पैदा होती है, तो इमरजेंसी घोषित कर दी जाय और अगर पार्लियामेंट नहीं है तो आप आर्डिनेंस बना सकते हैं, अगर सामान्य प्रभावी नहीं है पर्याप्त नहीं है तो आप उन काननों में संशोधन कर सकते हैं लेकिन इस तरीके का काला कानून लाने की आवश्यकता नहीं है।

मैं एक बात और कहूंगा। कल हमारे गृह-मंत्री महोदय ने कहा था कि अपराध कम हो र हैं और उसके उत्तर में कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर श्री डांगे ने कहा था कि अपराध कम हो रहे हैं, इस का कारण नजबन्दी कानून नहीं है। कुछ दलों ने अपनी नीतियां बदली हैं और उसका नतीजा यह है कि अपराध कम हो रहे हैं। मैं समझता हूं कि दोनों ही बातें ठीक हैं। अपराध कम हो रहे हैं और कुछ दलों ने अपनी नीतियां बदल लीं हैं। हमें इस बदली हुई परिस्थिति में इस पुराने कानून को अवधि को बढ़ाने का, और वह भी तीन वर्ष के लिये बढ़ाने का, कोई औचित्य नहीं है। सरदार पटेल एक वर्ष वर्ष और बढ़ाने की बात ले कर आये थे। आज उसे तीन वर्ष के लिये बढ़ाया जा रहा है, यह अनावश्यक है। मैं समझता हूं कि अगर हम देश मू राष्ट्र के निर्माण के लिये सहयोग का वातावरण पैदा करना चाहते हैं, तो उस सहयोग का आधार यह नजरबन्दी कानून नहीं हो सकता। देश की योजनायें आज सभी दलों के सहयोग की मांग करती हैं। मगर नजरबन्दी कानून की तलवार लटका कर, हमारे सिर पर, अगर आप सहयोग चाहते हैं, तो इस तरीके से राष्ट्र का निर्माण सम्भव

नहीं है। अभी समय है, इस काले कानून को वापस ले कर हमारी सरकार इस बात का संकेत दे सकती है कि वह सचमुच में हमारा सहयोग चाहती है।

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त)** : पहले जब मैं बोला था तब से अब तक कितने ही भाषण दिए जा चुके हैं। मैंने उनको पूरी सावधानी से सुना है। म इसे आवश्यक नहीं समझता कि कल जो कुछ कहा गया है उसे यहां फिर दोहराऊं, परन्तु मैं इतना कह सकता हूं कि जो तर्क प्रस्तुत किए गए हैं उनसे यह सिद्ध नहीं हुआ कि इस विधेयक की कोई आवश्यकता नहीं है। इन तर्कों का असर उल्टा ही पड़ा है क्योंकि श्री श्री, अ० डांगे ने जो तर्क प्रस्तुत किए हैं उन तर्कों से यही जाहिर होता है कि इस अधिनियम को जारी रखा जाये।

श्री डांगे ने कहा कि संविधान के जलाने तथा महात्मा गांधी की मूर्त्ति तोड़ने की कोई चिन्ता मत करो। यदि हत्या का कोई प्रचार करता है तो उससे सन्तुलन मत खो बैठो। और सामान्य विधि प्रक्रिया का सहारा लेकर काम करने, संविधान के सम्बन्ध में उन्होंने कहा इसके प्रति अस्था की शपथ लो परन्तु इसकी मानहानि होने दो और कोई चिन्ता मत करो।

†**श्री श्री० अ० डांगे** (बम्बई नगर-मध्य) : मैं ने यह कहा था कि यह उपाय ठीक नहीं है। इन कामों के लिये हमें पुलिस अधिनियमों का सहारा नहीं लेना चाहिये अपितु उन्हें अपने विचारों को बनाना चाहिये।

†**पंडित गो० ब० पन्त** : हमें, सभी को ठीक रास्ते पर लाने के प्रयत्न करने चाहिए, ठीक है परन्तु क्या जब तक हम उन्हें अपने विचारों का बनायें तब तक हत्या, का प्रचार करने देना चाहिये। मेरे विचार से समस्या को इस प्रकार हल करना ठीक नहीं होगा। मुझे इस पर भी कोई आपत्ति नहीं है कि पथभ्रष्ट लोगों को मार्गदर्शन कराया जाये। मैं समझता हूं कि श्री डांगे सही रास्ते पर शीघ्र आजायेंगे यदि इनको सही रास्ते पर लाने के प्रयत्न किए जायें।

परन्तु जब तक वह सही रास्ते पर नहीं आते हैं तब तक क्या किया जाये। क्या तब तक इन सब गड़बड़ियों को होने दें। मैं समझता हूं कि इस बात से देश के बहुत कम लोग सहमत होंगे। ऐसे भी देश हैं जहां यदि कोई जन नायक के विरुद्ध एक भी शब्द कह दे तो उसकी गर्दन उड़ा दी जाये पर हमारा इस बात से कोई मतलब नहीं कि किन किन देशों में क्या क्या होता है। उन्होंने यह भी कहा कि एक व्यक्ति के कारण १०००० व्यक्तियों को एक स्थान पर जाने से रोका जाये। मुझे यह प्रश्न बड़ा अजीब लगा क्योंकि प्रधान मंत्री एक स्थान पर एक काम करने जा रहे हैं और उनके काम में रूकावट डाली जाये। प्रदर्शन किये जायें कि वापस चले जाओ और उनका स्वागत न किया जाये। यह मित्रतापूर्ण व्यवहार नहीं था। मैं ऐसा कभी भी सोच नहीं सकता कि प्रधान मंत्री का संसद के किसी काम में सहयोग दो तो उसका निरादर करने के लिये लोग प्रदर्शन करें।

हमें बताया गया है कि हम लोकतंत्र के सम्बन्ध में कुछ नहीं जानते हैं। इस सभा के निकट जो सम्मेलन हो रहे हैं उनके बारे में कुछ गलत शब्द कहे गये। विरोधी पक्ष के कुछ सदस्यों ने इस प्रकार के सम्मेलन करने की हंसी उड़ाई। मैं स्वीकार करता हूं कि मैं नहीं जानता, लोकतंत्र क्या है। परन्तु हमें बताया गया कि उसमें बहुमत के निर्णय माने जाते हैं और मैं समझता हूं कि संसद ने किसी सम्बन्ध में कोई निर्णय बहुमत से कर लिया हो उसके विरुद्ध कार्यवाही क्यों की जाती है। बम्बई

---

†मूल अंग्रेजी में।

[पं० गो० ब० पन्त]

राज्य के बारे में सभी जानते हैं कि संसद ने क्या निर्णय किया। फिर हमसे यह क्यों कहा जाता है कि कांग्रेस दल अपने निर्णय को जबरदस्ती मनवाता है। एक भी उदाहरण ऐसा नहीं दिया गया जिससे यह पता लगे कि इसका उपयोग कांग्रेस दल को बढ़ाने के लिये किया गया। दो दिन की चर्चा में ऐसा उदाहरण कोई भी नहीं दिया गया कि जिससे पता लगे कि इस अधिनियम के द्वारा कांग्रेस के सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया गया हो। इन परिस्थितियों में यह कहना कि इसका उपयोग कांग्रेस दल के सिद्धान्तों का प्रचार करने के लिये किया गया बिल्कुल व्यर्थ बात होगी। बम्बई के निर्णय के बारे में सच यह है कि निर्णय उन लोगों के कार्यों का परिणाम था जो कांग्रेसी नहीं थे। साम्यवादी दल के अतिरिक्त अन्य सभी दलों ने संसद में बम्बई राज्य के बारे में निर्णय को स्वीकार किया। इन सब बातों के साथ साथ हमें यह नहीं भूल जाना चाहिये कि यह निर्णय एक पार्टी का नहीं था अपितु सभा के बहुमत का था। उसमें सभी दल सम्मिलित थे। फिर भी हम बताया जाता है कि लोकतंत्र की दुहाई है कि हम अपने निर्णय को बदल दें। मैं नहीं जानता कि वह लोकतंत्र शब्दों का क्या अर्थ लगाते हैं। यदि संसद सदस्यों का संसद के निर्णयों के प्रति यही रवैया रहा तो मैं समझता हूं कि हम ऐसी विधियों को किस प्रकार लागू कर सकते हैं जिनके द्वारा सरकार संसद की इच्छाओं को मूर्तरूप दे सकतो हो। मेरे विचार से, जो उत्तर दिया जा सकता था वह यही हो सकता है। यह कहा जाता है कि यह निर्णय किसी स्थान विशेष की जनता की सम्मति के विपरीत था। सभा जानती है कि बहुत सी बातों के सम्बन्ध में सम्मतियां भिन्न २ हो सकती हैं। सभी की एक राय नहीं हो सकती है। यदि सभी की एक राय हो तो संसद की क्या आवश्यकता है। संसद ही सभी बातों पर विचार करती है और उस पर निर्णय देती है। फिर भी उन निर्णयों का पुनरीक्षण किया जा सकता है।

परन्तु लोकतंत्र का काम सुचारूरूप नहीं चल सकता यदि सहनशीलता की भावना न हो। जिन व्यक्तियों की राय अलग होती है ऐसा कोई काम करने लगें जो असंसदीय तथा असंवैधानिक हो तो कोई भी संसद ठीक प्रकार से काम नहीं कर सकती है।

संभवतया श्री डांगे प्रोलेतेरियत की तानाशाही के पक्ष में हो। मैं साथ ही साथ यह भी कह देना चाहता हूं कि उनका सम्बन्ध अहिंसक दल से नहीं है। जिन विचारों के वह मानने वाले हैं, उनको पूरा करने के लिये वह किसी काम को करने में नहीं चूकगें। मैं यही बताना चाहता हूं कि तानाशाही और स्वतंत्रता यह दो भिन्न भिन्न चीजें हैं इस लिये हम तानाशाही के बारे में तो सोच भी नहीं सकते हैं। हमारी सरकार चर्चा की सरकार है और ऐसे तरीकों को ही अपनायेगी जो जनता में शांति तथा व्यवस्था रखने के लिये अति आवश्यक होंगे। तानाशाही और संसदीय सरकार में बड़ा अन्तर होता है।

मान लीजिये किसी मामले पर कि मत वैभिन्नय होता है तो अल्पसंख्यकों को पूरा अधिकार होता है कि वह अपने विचार प्रस्तुत करके औरों को अपने विचारों का बनाये। परन्तु उनको यह संवैधानिक रूप में करना होगा। ऐसे रूप में नहीं जिससे जनता की शान्ति भंग हो जाये।

इसलिये इन सब बातों में आवश्यक है कि शान्ति तथा व्यवस्था रहे। परन्तु जो कुछ आप चाहते हैं उसकी पूर्ति के लिये कुछ धैर्य की आवश्यकता है। जैसा कि मैंने बताया विधान सभायें विधियों को इसीलिये पारित करती हैं क्योंकि बहुमत उन विधियों को पारित कराना चाहता है। अल्पसंख्यक भी सत्तारूढ़ हो सकते हैं और वह अन्य व्यक्तियों को अपने विचारों का बना सकते हैं और निर्णय को बदल सकते हैं। गलत निर्णय करने वालों को चुनाव में हटाया जा सकता है और उनका स्थान अन्य लोग ले सकते हैं। जो बातें कही गई उनको मैं नहीं समझा। परन्तु मैं यह कह सकता हूं कि लोकतंत्र में

ऐसे ही तरीके अपनाये जाते हैं और संसदीय पद्धति की सरकार के लिये इन तरीकों का अपनाया जाना आवश्यक है।

हमें बताया गया कि हम न्याय की पुरानी व्यवस्था को भंग कर रहे हैं। हमें इस में कोई इनकार नहीं है क्योंकि इस अधिनियम के द्वारा सामान्य प्रक्रिया के कुछ अन्तर किये गये हैं परन्तु तानाशाही के सिद्धान्त संसदीय प्रशासन अथवा न्यायिक प्रशासन के एकदम विपरीत हैं। उनके उद्देश्य ही अलग अलग हैं। यहां किसी व्यक्ति का विरोध इसलिये किया जाता है क्योंकि वह कोई ऐसी बात कहता है जिससे हिंसा को प्रोत्साहन मिलता हो। परन्तु कुछ स्थानों पर यदि कोई व्यक्ति सरकार के विरुद्ध कोई बात कहता है अथवा कोई शब्द ऐसा कहता है जिससे राष्ट्र के मुख्य नेता का अनादर होता है तो वह एक दिन भी जीवित नहीं रह सकता। हमें बताया जाता है कि हम अपने दल का प्रसार कर रहे हैं। कम से कम हमने दूसरे लोगों को बढ़ने का अवसर तो दिया है। इस देश में हमारे दल के अतिरिक्त अन्य दल भी हैं। उन्हें उतनी ही स्वतंत्रता प्राप्त है जितनी अन्य किसी दल को हो सकती है। इस लिये जो व्यक्ति यह समझते हैं कि उनके दल के अतिरिक्त अन्य किसी दल का अस्तित्व न रहे वही ऐसा समझते हैं कि हम ऐसे कार्य कर रहे हैं जिनसे हमारे दल का विकास हो। इन परिस्थितियों में मैं समझता हूं कि जहां तक इस विधेयक का सम्बन्ध है श्री डांगे ने अपने भाषण में इसका समर्थन ही किया है।

उन्होंने गत जनवरी में अपने निरोध तथा परामर्शदाता बोर्ड का जिक्र किया। परामर्शदाता बोर्ड ने कुछ बातें कही हैं। मैं उस में से कुछ कण्डिकायें पढ़ता हूं।

> "सहनशीलता की एक सीमा होती है जिस के पश्चात् शांति प्रिय जनता भी भड़क जाती है। यदि नेतागण यह समझें कि वह अपनी शक्ति से स्थिति पर नियंत्रण रख सकते हैं तो यह बात गलत है क्योंकि इस धारणा के फलस्वरूप बम्बई को भीषण रक्तपात देखना पड़ा। हमें यह बताया गया है कि बम्बई में ऐसे भाषण दिए गए हैं जिससे जनता भड़क उठी और उसने शान्ति प्रिय जनता पर आक्रमण किये। उन राज-नितिज्ञों तथा मजदूर नेताओं को भी इस दोष से मुक्त नहीं किया जा सकता है। जिन्होंने अपने दल तथा ट्रेडयूनियनों की आड़ में बैठ कर यह सब कराया। भाषणों द्वारा भड़की जनता पर 'शांति के आन्दोलन' तथा 'शांति के मोर्चों' का भी कोई असर नहीं हुआ और यह भाषण पुलिस आयुक्त के आदेशों का उल्लंघन करने के लिये जनता को भड़काने हेतु दिये गये थे।"

> "हम अपने विचार बता चुके हैं कि नगर में उत्पन्न भावनाओं के कारण इस प्रकार के भड़काने वाले भाषण बहुत ही खतरनाक थे और इन्होंने चिंगारी का काम किया।"

मैं ने इन रिमार्कों को अधिक महत्व नहीं दिया है परन्तु जो कुछ मैं ने पढ़ा है उस से यह पता लग जाता है कि सरकार को जिस परिस्थितियों में काम करना पड़ रहा था। बम्बई राज्य के मुख्य मंत्री के बारे में कुछ कठोर शब्द कहे गये। उन्होंने सभी आक्रमणों को सहन किया। मैं यह बताना चाहता हूं कि उस गम्भीर परिस्थिति में उन्होंने वही काम किया जो एक देश भक्त से वांछनीय था। उन्होंने देश की पूरी तरह से सेवा की। हमें अपना दृष्टीकोण बड़ा विशिद् रखना चाहिये और व्यर्थ की बातें नहीं सोचनी चाहियें। मैं इस से अधिक कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि यह एक व्यक्तिगत विषय है।

यह कहा गया कि हमा अब तक जितने अधिनियम बने हैं सबसे अपने राजनैतिक उद्देश्य से पूरे करना चाहते हैं। मैं आपको कुछ आंकड़े बताता हूं। श्री दातार ने भी कुछ आंकड़े बताये थे कि ३१ अक्तूबर १९५६ तक, १४१ नजरबन्द व्यक्तियों में से केवल ११ साम्यवादी थे; १ नवम्बर १९५६

[पं० गो० ब० पन्त]

तक नजरबन्द २९२ व्यक्तियों में केवल ३ साम्यवादी थे। इन से पता लगता है कि इस अधिनियम को केवल साम्यवादियों के विरुद्ध ही लागू नहीं किया गया है।

इस अधिनियम का प्रयोग विभिन्न कार्यों के लिये किया गया। इसको डाकुओं, तस्कर व्यापारियों, विदेशी जासूसों के विरुद्ध किया गया। आप जानते हैं कि चम्बल की घाटी में डाकू बहुत हैं। तस्कर व्यापार होता है तथा विदेशी जासूस भी अपना काम करते हैं। इस प्रकार इसका उपयोग शांति स्थापना के लिये किया गया।

पंजाब के कुछ मामलों का जिकर किया गया। आचार्य कृपलानी ने उन मामलों में नजरबन्दी के कुछ कारणों को पढ़ा। मैं यही जानना चाहता हूं कि क्या निरोध के कारण उचित नहीं हैं। यह निर्णय तभी किया जा सकता है जब निरोध के सभी कारण सभा के समक्ष रखे जायें। कुछ कारणों को बताना ठीक नहीं है क्योंकि जब तक सभी कारण नहीं बतायें जायेंगे, कि उन पर की गई कार्यवाही का औचित्य तथा अनऔचित्य का किस प्रकार अनुमान लगाया जा सकता है। परामर्शदाता बोर्ड है। जो एक भी अवैध कारण होने पर व्यक्ति को मुक्त कर सकता है। परन्तु मैं नहीं जानता कि क्या उससे यह निर्णय लिया जाये कि एक अनुपयुक्त कारण को सभा में बता दिया जाये और अन्य कारणों पर ध्यान न दिया जाये।

†**आचार्य कृपालानी :** जो व्यक्ति इस अधिनियम का संचालन करते हैं, मैं उन की बुद्धिमत्ता के बारे में कुछ बताता हूं।

†**पंडित गो० ब० पन्त :** मैं ने यह दावा नहीं किया कि जो लोग इस अधिनियम का प्रशासन करेंगे वे असाधारण बुद्धि के लोग हैं। वे यह प्रयत्न करेंगे कि अपनी समझ के अनुसार पूर्ण रूप से कर्तव्य पालन किया जाये। उनकी जो सीमायें हैं उनके बारे में कभी भी इन्कार नहीं किया गया। मुझे खेद है कि आचार्य कृपलानी ने मेरी बात का बुरा मनाया, मेरा आशय यही था कि वह किसी दल में हों हम हमेशा उन्हें प्रतिष्ठा की दृष्टि से देखते हैं, और चाहते हैं कि हमेशा इस सदन के सदस्य हो। वह तो केवल मेरी उनके प्रति व्यक्तिगत सत्कार भावना की अभिव्यक्ति थी। और उसमें कोई अन्य बात नहीं थी। मैं उनके द्वारा प्रकट किये गये विचारों पर कुछ कह रहा था मैंने कहा था कि यदि कोई छोटा व्यक्ति यह बात कहता तो बात समझ में आ जाती, परन्तु उनसे हमें ऐसी आशा नहीं थी, क्योंकि उनके लिये हमारे दिल में बहुत ही आदर है। मेरा अब भी विचार है कि मैंने ऐसी कोई बात नहीं कही जिस पर मुझे लज्जा हो।

अन्य बातें जो यहां कही गयी उनका अधिक उत्तर देने की आवश्यकता नहीं। मेरा विचार है कि यदि निष्पक्षता से और ठंडे दिल से विचार किया जाये, और वर्तमान स्थिति और कठिनाइयों पर पूरा ध्यान दिया जाये, और साथ ही शांति और सुरक्षा को कायम रखने की आवश्यकता को अनुभव किया जाये, ताकि हम शान्तिपूर्ण ढंग से समाजवादी ढंग के कल्याणकारी राज्य के ध्येय की ओर बढ़ सकें, तो यह आवश्यक है कि विधेयक स्वीकार किया जाये।

अध्यक्ष महोदय द्वारा श्री साधन गुप्त का संशोधन मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि निवारक निरोध अधिनियम १९५० को अग्रेतर अवधि के लिये जारी रखने की व्यवस्था करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

सभा में मत विभाजन हुआ। पक्ष में १६९ और विपक्ष में ५९।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

---

†**मूल अंग्रेजी में**

खंड २ (१९५० के अधिनियम ४, धारा १ का संशोधन)

†**अध्यक्ष महोदय** : संशोधन संख्या ९, १४ और १५ को प्रस्तुत करने की अनुमति है। संशोधन संख्या ११, १२ और १७ देने वाले माननीय सदस्य अनुपस्थित हैं। संख्या १० को प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं है ।

†**श्री नारायणन कुट्टि मेनन** (मुकन्दपुरम) : मैं अपना संशोधन संख्या ९ प्रस्तुत करता हूं।

†**श्री जाधव** : (मालेगांव) : मैं अपना संशोधन संख्या १४ प्रस्तुत करता हूं।

†**श्री वाजपेयी** (बलरामपुर) : मैं अपना संशोधन संख्या १५ प्रस्तुत करता हूं।

†**अध्यक्ष महोदय** : अब ये संशोधन सभा के समक्ष हैं।

श्री काज़ी मतीन (गिरिडीह) : मैं इस वक्त आपके सामने वजारत दाखिला होम मिनिस्ट्री (गृह-कार्य मन्त्रालय) के प्रीवेंटिव डिटेंशन ऐक्ट (निवारक निरोध, अधिनियम) के मुताल्लिक जो इस हाउस में पेश हैं, कुछ अर्ज करने के लिये खड़ा हुआ हूं। एक जम्हूरी हुकूमत (लोकतन्त्रात्मक सरकार) का एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का इस सैकुलर स्टेट (धर्म निरपेक्ष राज्य) में फर्ज है कि वह पार्लियामेंट से किसी खास ऐक्ट के जरिये अखित्यारात हासिल करने से पहले, अवाम के, जनता के, मासेज के और मुल्क के अहसासात को फीलिंग्स को पहचानने की कोशिश करे।

जनाब स्पीकर साहब, मैं अवाम के एक नाचीज नुमायन्दा होने की हैसियत से जनाबवाला को यकीन दिलाना चाहता हूं कि प्रीवेंटिव डिटेंशन ऐक्ट अवाम की निगाह में जनता की नजर में एक ऐसा जाब्ता है, एक ऐसा कानून है जो उसूल जम्हूरियत और डेमोक्रेटसी के बिल्कुल खिलाफ है।

लोगों की जबान पर इस का नाम काला कानून है और यह इस कानून बनाने वालों का एक ऐसा सानेहा है, ट्रैजेडी है जो जुल्म और नाइंसाफियाने कानून की मासूम और मुकद्दस (पवित्र) सूरत में ढलती और बनती नजर आती है। मेरा मकसद यह नहीं है कि इस बिल पर गुफ्तगू सिर्फ गुफ्तगू के लिये हो, बहस सिर्फ बहस के लिये हो, और नुकता चीनी सिर्फ नुकता चीनी के लिये हो। बल्कि हम जब भी इस मुअज्जिज़ और मोहतरम ऐवान पार्लियामेंट में बैठ कर अवाम के लिये, जनता के लिये, जो कानून बनायें, तो हमारी नजरें हुकूमत की कारोबारी मसलहतों से आगे बढ़ कर यह भी देखें कि इस ऐवान के बाहर, इस कानून के बारे में उन लोगों की राय क्या है और अहसासात व जज़बात, **फीलिंग्स एंड सेंटिमेंट्स**, क्या हैं जिन्हों ने अपनी नुमाइन्दगी का हक और अख्त्यार दयानतदारी और ईमान्दारी के साथ हमें इसलिये सुपुर्द किया है कि मेम्बराने पार्लियामेंट उन के लिये कानून की एक अमन पसन्द और इंसाफ पसन्द हुकूमत कायम करें जो उन की जानो माल की हिफाजत का इंतजाम कर के, उन की खुशहाली के ज़राये ढूंढे और उन का मेयारे जिन्दगी बुलन्द करने के लिये तरक्की के मन्सूबों को मुकम्मिल करने की पुरखुलूस कोशिश करे। ताकि वह आजाद रहें, मुतमईन रहें, खुशहाल रहें। और इंसाफ के हासिल करने के तरीकों में कोई दुश्वारी और रुकावट न हो। बल्कि कानून उन्हें पनाह दे, न कि वह कानून से पनाह मांगने लगें।

इस वक्त उन की निगाह में, उन की नजर में, हुकूमत जम्हुरियत का लिबास पहन कर, डिमाक्रेसी का लबादा ओढ़ कर, अपने बाज कवानीन की बदौलत, एक तरह से इज्तमाई शाहं-

†मूल अंग्रेजी में

[श्री क़ाजी मतीन]

शाहियत, या इज्तमाई आम्रियत या डिक्टेटरशिप का रुख अख्त्यार कर रही है जो उन्हें नागवार हैं और नापसन्द है । यह इसलिये कि वह हमारे कौमी मिजाज के कतअन खिलाफ है, जिस ने हमेशा राय की मजलूमियत के सामने अकीदत व मुहब्बत से सर झुकाया है, और रावण के जब्र व कहर को शिकस्ते फाश दे कर इन्सानियते आला की कद्रों को महफ़ूज़ रखने की कामयाब कोशिश की है ।

सवाल यह है कि इंडियन पेनल कोड (भारतीय दंड संहिता) के तमाम दफ़ात क्या क्यामे-अमन व अमान के मकसद को पूरा करने के लिये नाकाफी हैं ? हालांकि गद्दारी से ले कर चोरी तक, हर जुर्म और हर खता की सजा उस में मौजूद है, तो फिर प्रिवेंटिव डिटेंशन ऐक्ट की क्या ज़रूरत ? और अगर इस पर भी तखरीबी अनासिर, डिस्ट्रक्टिव एलिमेंट्स, के खिलाफ बाज फौरी कार्रवाई करने की जरूरत है, तो अजीब इत्तफाक है कि इस कानून के होते हुए भी स्मग्लर स्मग्लिंग कर रहे हैं, खतरनाक डाकू मुसल्लह (सशस्त्र) डाके डाल रहे हैं और हमारे मोहतरम बुजुर्ग, पंत जी की हुकूमत की इंतजामी मशीनरी इतनी बेबस, और बेअख्त्यार है कि दिल्ली के गुंजान इलाकों में बम या पटाखे फेंक कर शहर की पुरअमन फिजा में सनसनी और इंतशार फैलाने वाले मुजरिमों को गिरफ्तार कर के अदालत से सजा दिलाने में नाकाम है । इस के बरअक्स प्रिवेंटिव डिटेंशन ऐक्ट जिन लोगों के खिलाफ इस्तेमाल होता है, वह अखबारनवीस होते हैं या पोलिटिकल जमातों के सयासी कारकुन (राजनीतिक कार्यकर्ता) ? बिला शुबहा (निस्सन्देह) यह स्मग्लर या खतरनाक डाकू नहीं होते । मुजरिम आजाद रहें और जिन लोगों की पोलिटिकल सरगर्मियां आप के मिजाज के खिलाफ हों, उन पर प्रिवेंटिव डिटेंशन ऐक्ट का हरबा इस्तेमाल कर के दुनिया को उस के वजूद की ज़रूरत को महसूस कराने की कोशिश करें, जो नज्मा नस्क और शहरी हकूक, **राइट आफ सिटिजेनशिप**, के नुक्ता निगाह से, **प्वाइंट आफ व्यू** से, कितनी अफ़सोसनाक बात है यह आप को महसूस करने की जरूरत है ।

प्रिवेंटिव डिटेंशन ऐक्ट की तेज तलवार, बाल से ज्यादा बारीक और तलवार की धार से ज्यादा तेज, ऐसी तलवार है, जिस से लोग शहीद होते रहते हैं । मुल्क में कोई हंगामी हालत नहीं है, फिर इस कानून की क्या ज़रूरत ? लेकिन यह कानून और हुकूमत इस का बेजा इस्तेमाल करती रहती है । अक्सर हालतों में लोग जेलों में सड़ते रहते हैं, उन पर न कभी अदालत में मुकदमा चलता है न उन को रिहा किया जाता है । अभी हाल ही में हिन्दुस्तान में मशहूर मन्थली मैगज़ीन "अस्ताना" और हफ्तावार अखबार "पयामे मशरकी", देहली के चीफ एडिटर, दरगाह हजरत शेख कलीम उल्ला वली जहानाबादी के सज्जादानशीन, साहबजादा मुहम्मद मुस्तहसन फ़ारूकी को प्रिवेंटिव डिटेंशन ऐक्ट के तहत जेल में नजरबन्द कर के अद्ल व इंसाफ के तमाम रवायात को खत्म कर किया जा रहा है । जो इल्ज़ामात फ़ारूकी साहब पर आयद किये गये हैं, उन को देख कर, मेरा खयाल है, हुकूमते हिन्द को उन पर खुली अदालत में मुकदमा चलाना चाहिये था ।

दूसरे मैं ने देखा है कि अभी गुज़िश्ता (गत) माह नवम्बर १८, सन् १९५७ में "स्टेट्समैन" की खबर के मुताबिक प्रोफेसर शेर सिंह, **एक्स मिनिस्टर आफ इरिगेशन**, को देहली कोतवाली में प्रिवेंटिव डिटेंशन ऐक्ट के मातहत गिरफ्तार कर लिया गया है, जो इस किस्म की बड़ी अफ़सोसनाक बात है ।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

लिहाज़ा मैं इंडियन पैनल कोड के रहते हुए, इस काले कानून, प्रिवेंटिव डिटेंशन ऐक्ट, की और उस के ऐडवाइज़री बोर्ड की ज़रूरत नहीं समझता । यह धोखा है । अभी कल की बात है कि २ दिसम्बर को कामनवेल्थ पार्लियामेंटरी कांफरेंस में, सेंट्रल हाल के अन्दर तकरीर करते हुए जनाब राष्ट्रपति

और हमारे मोहतरम वज़ीरे आज़म (माननीय प्रधान मंत्री) पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह फरमाया था कि हमारा मुल्क जम्हूरियत के उसूलों का अलम्बरदार है । लेकिन मेरे खयाल में वह भूल गये होंगे कि अब भी इस जम्हूरी मुल्क में, गैर जम्हूरी कवानीन, प्रिवेंटिव डिटेंशन ऐक्ट जैसे, ऐक्ट मौजूद हैं, और ऐसे कानून के रहते हुए ऐसी तकरीरें और दावे खोखले और खुद उन के खिलाफे शान हैं ।

आखीर में क्या मैं मोहतरम वज़ीरे दाखिला से दर्याफ्त कर सकता हूं कि कामनवेल्थ के किन किन मुल्कों में इस तरह के नज़रबन्दी के कानून मौजूद हैं जो आप ने अपनी हुकूमत की बुनियाद ही इस तरह के कानूनों पर रख ली है ।

पंडित ब्रज नारायण ब्रजेश (शिवपुरी) : कृष्ण वन्दे जगद्गुरुम् ।

उपाध्यक्ष महोदय, सदन में निवारक नजरबन्दी अधिनियम के सम्बन्ध में मत विभाजन हो गया और लोग अपना मत दे चुके । मैं समझता हूं कि प्रत्येक सदस्य जानता है कि किसी भी रूप में यह बिल पास होने वाला है, और जब यह पास होने वाला है तो व्यर्थ यहां समय नष्ट करने से क्या लाभ है । मैं उन आदमियों में से नहीं हूं . . . . .

उपाध्यक्ष महोदय : ऐसा नहीं कहना चाहिये कि समय नष्ट हो रहा है ।

पंडित ब्रज नारायण ब्रजेश : मेरा यह निवेदन है कि हम इस लोक-सभा में अपने विचार इसलिये रखने आये हैं कि जब उन पर विचार किया जाय तो जिन बातों को हम समझते हैं कि वे उचित नहीं हैं उन के सम्बन्ध में अपने विचारों को स्पष्ट रूप से रखने का और कहने का अधिकार ले कर आये हैं । मेरा यह निवेदन है कि राज्य चाहे किसी भी पार्टी का हो, आज कांग्रेस राज्य करती है, कल दूसरा दल राज्य कर सकता है, इस में कोई बात नहीं है कि आज कांग्रेस राज्य कर रही है, हमारे हाथ में सत्ता नहीं है, इसलिये विरोध के लिये विरोध किया जाना मैं उचित नहीं समझता हूं, मैं समझता हूं कि अगर किसी बिल पर या किसी विषय पर विचार प्रकट किया जाय, तो ऐसा करते समय हर व्यक्ति को ऐसा सोचना चाहिये कि यदि हम सत्तारूढ़ होते तो क्या करते । आज की परिस्थिति में, आज की स्थिति में यदि हम शासक होते तो हम किस प्रकार शासन चलाते, विरोधी पक्ष को ऐसा सोचना चाहिये, और जो सत्तारूढ़ दल है उस को सोचना चाहिये कि यदि हम सत्तारूढ़ न होते, विरोधी दल में होते, तो हम ऐसे समय में क्या बोलते । यदि इस प्रकार सोच कर बोलना आरम्भ किया जाय, तो मेरा ऐसा विश्वास है कि जो अधिक विरोध दिखाई पड़ता है वह कुछ न्यूनता प्राप्त कर सकता है ।

आज जो दल राज्य कर रहा है उस दल ने जिन मूलभूत सिद्धान्तों के आधार पर स्वराज्य प्राप्त किया था और जिन सिद्धान्तों के आधार पर वह दल आज संसार को भी आदर्श देता हुआ अपने को सुदृढ़ और शक्तिशाली बनाते हुए बढ़ाना चाहता है वही इस प्रकार के कानून की अवधि बढ़ाना चाहता है । इस प्रकार के सिद्धान्तों को रखते हुए उस दल के लिये इस प्रकार के काले कानून को बढ़ावा देना तो मुझे एक खराब सी चीज़ मालूम होती है । यह इतना बड़ा और शक्तिशाली दल है कि जिस में पुराने वयोवृद्ध, ज्ञान वृद्ध, राजनीति में वृद्ध और ब्रटिशर से विषम परिस्थितियों में लोहा लेने वाले नेता हैं, उन को आज देश को आजाद कराने के पश्चात् सौ पचास आदमियों को जेल में बन्द करने के लिये इस प्रकार के कानून की आवश्यकता कैसे पड़ गई । इस समय जो आंकड़े मेरे सामने हैं उन से मालूम होता है कि प्रारम्भ में लगभग ११ हजार आदमी डिटेंशन में रखे गये पर

[पंडित ब्रज नारायण "ब्रजेश"]

इस समय करीब १५० हैं। तो इन १५० आदमियों को डिटेंशन में रखने के लिये इस कानून को बढ़ाना व्यर्थ में विरोध लेना है और दुनिया को दिखाना है कि हमारे यहां भी काले काननों की आवश्यकता है, अभी हमारा देश इतना आगे नही बढ़ा है कि हमें इस प्रकार के काले कानून की अवधि बढ़ाने की आवश्यकता न रहे। तो इस छोटी सी बात के लिये शासन दुनिया को यह दिखला रहा है कि हमारे यहां भी काले कानून हैं। ऐसा कर के शासन जनता का विरोध ले रहा है और विरोधी दलों की तरफ से भी विरोध ले रहा है और कह रहा है हम को इस की आवश्यकता है ही, और इसे बढ़ाना ही पड़ेगा। मैं इस कानून की अवधि बढ़ाना उचित नहीं समझता इसलिये नहीं कि मैं विरोधी दल का हूं, मैं तो समझता हूं कि मुझे भी आप कांग्रेस मैन समझ लें। मैं तो कहता हूं कि जब हमारे पास बड़ी ताकतें हैं तो हम को इस प्रकार के कानून की क्या जरूरत है। अगर किसी आदमी को बन्द करना है, किसी बदमाशी को बन्द करना है तो क्या यह इतना बड़ा सत्तारूढ़ दल जोकि इतने बड़े देश का राज्य करता है वह काम नहीं कर सकता। अगर आज पचास आदमी जानबूझ कर शान्ति भंग करना चाहते हैं, या जानबूझ कर उपद्रव करना चाहते हैं या योजनाबद्ध रूप से गड़बड़ी पैदा करना चाहते हैं अगर उन को जेल में डालने का सवाल है तो राज्य को अधिकार है कि उन का जोर से दमन करे, उन को कुचल दे। राज्य के लिये ऐसे व्यक्तियों को जो देश में अराजकता और अशान्ति पैदा करना चाहते हैं बन्द करना क्या चीज़ है। लेकिन इस कानून में यह होता है कि न कोई वकील है, न दलील है और न अपील है और आदमी को बन्द कर दिया जाता है। यह क्या है? सभापति महोदय, मैं भुक्तभोगी हूं इसलिये मैं ऐसा कहता हूं। मुझे भी प्रिवेंटिव डिटेंशन ऐक्ट के अन्तर्गत बन्द किया गया था और जब मैं बन्द हुआ तो तीन महीने में तो एडवाइज़री बोर्ड बना। उन बोर्ड के आदमियों की शक्लें और उन का स्वरूप अभी भी मेरी आंखों के सामने है। वे एक दूसरे की तरफ देखते थे और कहते थे कि क्या कहना चाहिये और बाद में उन्हों ने वहीं कह दिया कि जो नहीं कहना चाहिये था। उन्होंने कह दिया कि इस को ठीक बन्द किया गया। उस के पश्चात् हैबियस कारपस हुआ। उस में विधान के आचार्य श्री निर्मल चन्द्र जी चटर्जी इन्दौर में बहस के लिये गये और बहस हो गई पर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि बहस का निर्णय होने से पहले ही मुझे छोड़ दिया गया। यदि न्यायालय यह कह देता कि मुझे ठीक बन्द किया गया तो मुझे सन्तोष हो जाता कि हो सकता है कि विधान की अजानकारी के कारण मैं ने कुछ ऐसा बोल दिया है कि जिस के कारण मुझे बन्द किया ही जाना चाहिये था परन्तु बहस के बाद तत्काल मुझे शासन ने ही मुक्त कर दिया न्यायालय ने फैसला दिया ही नहीं। मेरी समझ में नहीं आया कि न्यायालय का दरवाजा खटखटाते ही शासन ने मुझे छोड़ क्यों दिया और सात महीने तक जेल में मेरी मरहमपट्टी क्यों की गई। सभापति महोदय मुझे कुछ डर नहीं है। हो सकता है कि कुछ विरोधियों को यह डर लगा हो कि कहीं सरकार हम को भी बन्द न कर दे और वे इसलिये बोले हों। मैं तो निवेदन करता हूं कि इस कानून द्वारा नेताओं को तो बड़ा आराम मिलता है उन को जेल में डाल दिया जाता है और वे आराम से खाते और सोते रहते हैं न ऊधो का लेन न और न माधो का देन। इस से उन का कुछ बिगड़ता नहीं। लेकिन मैं सिद्धान्त की बात कहता हूं। वह शासन जोकि अहिंसक है, जो धर्म चक्र चलाना चाहता है जो और देशों को भी अपने सिद्धान्तों को मनवाना चाहता है वह शासन इस निवारक निरोध का चक्र चलावे तो यह अच्छा नहीं मालूम होता। यह देख कर संसार के लोग भी कहेंगे कि अहिंसक और सत्य के राज्य में किस तरह से लोगों को बिना वकील बिना दलील और बिना अपील के बन्द किया जाता है और छोड़ा जाता है। इस से मेरे देश का गौरव घटता है, मेरे शासन का गौरव घटता है इस से हमारा बड़प्पन नहीं बढ़ता। हमारे पास बहुत से और हथियार हैं जिन को चला कर हम अपने उद्देश्यों को पूरा कर सकते हैं। परन्तु इस को चलाया जाय यह उचित नहीं है।

मेरा निवेदन यह है कि यदि सत्तारूढ़ दल वाले आदर्शवादी बन जायें तो दूसरों को इस प्रकार की अशान्ति उत्पन्न करने का अवसर ही नहीं रह जायेगा । आज हमारे देश में जन हित का नारा लगाया जाता है पंचशील का उद्घोष किया जाता है विदेशियों पर भी उस की छाप डाली जा रही है लेकिन मेरा निवेदन है कि शील का उदाहरण तो मेरे सामने है । रावण सीता को लंका ले गया और चाहा कि उस से उस का पाणिग्रहण हो जाये बल्कि उस के घर में आ जाये । उस के लिये उस ने बड़ा प्रयत्न किया पर सफल नहीं हुआ । जब सफल नहीं हुआ तो जा कर अपने भाई कुम्भकरण को जगाया । उस ने पूछा कि मुझे क्यों जगाया है मैं तो ६ महीने के पहले उठने वाला नहीं हूं । तब रावण ने कहा :

अन्हाय प्रतिबुध्यताम् किम् भव रामांगनाह्याहृता
भुक्ताः नैव कुतो मतो न भजते रामात् परम जानकी ।

अर्थात् रावण ने कहा कि मैं राम की अर्धांगिनी सीता को ले आया हूं । कुम्भकर्ण ने कहा कि तो भोगो तुम्हारा तो यह रोज का काम है इस में कौन सी बड़ी बात है । लेकिन रावण ने कहा कि मैं उस का भोग नहीं कर सकता । इस पर कुम्भकर्ण ने कहा कि तुम राम ही क्यों नहीं बन जाते ।

रामः किन्न भवान सुरुचिरम् तालीदलः श्यामलम ।

कुम्भ कर्ण ने रावण से कहा कि तुम राम बन जाओ और सीता को इस प्रकार अपने महल में ले आओ । तो रावण ने कहा है कि

रामांगम् भजते ममापि कलुषो भावो न संजायते ।

जब मैं राम बनता हूं तो मेरे हृदय में पाप की वासना का उन्मूलन हो जाता है । यह है राम-राज्य का आदर्श और राम का स्वभाव । तो एक तरफ तो सरकार गलत काम करती है और दूसरों को बन्द करना चाहती है । मैं यहां यह बात देश हित की भावना से बोलता हूं और मेरा तो कहना है कि सारे दल समाप्त हो जायें और कोई भी विरोध न रहे इसी में देश का कल्याण है । मैं तो कहता हूं कि चाहे हजार साल तक कांग्रेस का राज्य चलता रहे और दूसरे दल नेस्त नाबूद हो जायें लेकिन देश का कल्याण हो । हम चाहते हैं कि जो कल्याणकारी राज्य है और जो अहिंसक राज्य है उसे ऐसा कानून नहीं रखना चाहिये । पर हम देखते हैं कि जब बाहर वालों का सवाल आता है तब तो हम अहिंसक बन जाते हैं । जो लोग हमारे प्रधानमंत्री का अपमान करते हैं हमारे संविधान का अपमान करते हैं उन के साथ तो हम मैत्री से और शान्ति से रहना चाहते हैं लेकिन अगर कोई घर-वाला एक बार भी कोई गलत काम करता है तो उसे खत्म करना चाहते हैं यह कहां का न्याय है । घरवालों को तो क्षमा करना चाहिये और हृदय से लगाना चाहिये और बाहर वालों के प्रति मजबूत हो कर काम करना चाहिये । मैं नहीं चाहता कि लोग अपनी सरकार का विरोध करने के लिये सामने आयें । हम तो कहते हैं कि हिन्दुस्तान में विरोध रहे ही न ।

जहां सुमति तहं सम्पति नाना जहां कुमति तहं विपति निधाना ।

हमारा तो कहना है कि केवल एक ही दल रहे और सब दल समाप्त हो जायें और इस प्रकार हम दुनिया में डिमाक्रेसी का एक नया आदर्श रखें । और सारे संसार के सामने यह उदाहरण रखें कि हम किस प्रकार से काम करते हैं । लेकिन जहां तक मेरा सवाल है मैं सरकार की बात समझ नहीं पाता हूं । एक तरफ तो वह कहती है कि शिवा एंड प्रताप वर मिसगाइडेड पेट्रियट्स आव

[पंडित ब्रज नारायण "ब्रजेश"]

इंडिया यानी शिवाजी और प्रताप भारत के पथभ्रष्ट नेता थे और दूसरी तरफ कहती है कि वे मदर इंडिया के बड़े पुत्र थे। मेरी समझ में नहीं आता कि कौन सी बात सच्ची है। या तो हम को पहले धोखा दिया गया था या अब धोखा दिया जा रहा है। मेरा यह निवेदन है कि इतनी गम्भीरता और संजीदगी से बात कहनी चाहिये कि किसी के मन में बड़े आदमियों के प्रति यह भावना पैदा न हो कि यह हम को मिसगाइड करते हैं या हमको गलत रास्ते पर ले जाते हैं। सत्य बात को दृढ़तापूर्वक कहना चाहिये।

"मनस्येकम् वचस्येकम् कर्मण्येकम् महात्मनाम् ।
मनस्यन्यः वचस्यन्यः कर्मण्यन्न न्यःदुरात्मनाम् ॥

मनसा, वाचा और कर्मणा में एकरूपता होनी चाहिये अर्थात् जो करनी हो वही कथनी होनी चाहिये और जब ऐसा हमारा आचरण होगा तब देश हमारा विश्वास करेगा।

जहां तक इस विधेयक के यहां पर पारित होने का प्रश्न है तो वह तो चूंकि कांग्रेस पार्टी का यहां पर बहुमत है इसलिये वह तो पास हो ही जायेगा और हम लोग डिविज़न करवा लें या यहां पर कोई इस के विरुद्ध कितनी ही ज़ोर से क्यों न बोले और चीखें लेकिन उस का कोई ख़ास प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। लेकिन फिर भी मैं इस अवसर पर कहूंगा कि यदि एक बार देश के कल्याण के लिये देश की शोभा के लिये और देश के गौरव के लिये शासन को अपना हठ छोड़ना पड़े तो उसे छोड़ देना चाहिये। यह भी डेमाक्रेसी का एक अंग है कि हमारा शासन यह दिखाये कि यद्यपि देश की परिस्थितियों को हम समझते हैं कि ठीक नहीं हैं लेकिन चूंकि हमारे विरोधी भाइयों की तरफ से यह संगठित आवाज़ आती है कि यह काला क़ानून ख़त्म कर दिया जाय और शासन यदि इस को बदल देता है अथवा ख़त्म कर देता है तो यह भी भारतवर्ष में एक आदर्श होगा कि विरोधियों की बात प्रजातंत्र में इस हद तक मानी जाती है। मैं समझता हूं कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है लेकिन फिर भी मेरी प्रार्थना यही है कि यह काला क़ानून, निवारक निरोध अधिनियम अपराधों का निरोध करने के लिये पहले से ही किसी को अपराधी घोषित कर के उस को जेलखाने में बन्द कर देना यह इस देश के लिये कम से कम इस देश की परम्परा के लिये और इस देश के शासन के लिये जोकि एक आदर्श को ले कर चल रहा है उस के लिये शोभनीय नहीं है और मैं प्रार्थना करूंगा कि इस की अवधि बढ़ाने के बजाय इस को बिलकुल ही समाप्त कर दिया जाय तो अति उत्तम रहेगा। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

†**श्री खाडिलकर** (अहमदनगर): सब के भाषण सुनने के बाद भी गृह-कार्य मंत्री अपनी बात से टस से मस होने को तैयार नहीं। परन्तु वह समय याद आता है जबकि अंग्रेज इस प्रकार के अधिनियम प्रस्तुत करते थे, तो हमारे नेता उसे काले अधिनियमों का नाम दिया करते थे। परन्तु आज स्वतंत्रता प्राप्ति के दस वर्ष बाद अपने पूर्ण अधिकारों को कार्यान्वित करते हुए जबकि देश देश में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन हो चुके हैं तो पदासीन दल निवारक निरोध अधिनियम की अवधि बढ़ाने का विधेयक प्रस्तुत कर रहा है। क्या अब भी हम अन्तरिम अवस्था में ही हैं। इस प्रकार के अधिनियमों का औचित्य तो केवल विशेष आपातकालीन अवस्थाओं में ही सिद्ध किया जा सकता है। उस अवस्था में जबकि देश की सुरक्षा को भारी खतरा हो। दुर्भाग्य है कि हमारे गृह कार्य मंत्री और पदासीन दल को बदलती हुई स्थिति का कुछ ज्ञान नहीं ो रहा है। दावा यह किया जा रहा है कि हम कल्याणकारी राज्य बना रहे हैं, परन्तु रास्ता वही अपनाया जा रहा है जिस पर हमारे पुराने अंग्रेज़ शासक चला करते थे। आज हम समाज की समाजवादी व्यवस्था की बातें कर रहे हैं पर शासन के मामले में अभी पुरानी लकीर ही पीटी जा रही है।

---

†मूल अंग्रेजी में

उन्होंने बड़ी विचित्र युक्ति प्रस्तुत की है कि अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में हमारी प्रतिष्ठा बहुत ऊंची है। हम मजबूत हैं और हमारी मजबूती निवारक निरोध अधिनियम पर आश्रित है, इसलिये इसे जारी रखा जाना चाहिये। खेद है कि दस वर्ष की स्वतंत्रता के बाद, समाजवाद का लक्ष्य सामने रखते हुए भी हमारे सामाजिक पुनर्गठन की वर्तमान अवस्था में इस विधेयक का अस्तित्व कायम है। मेरे विचार में उस लक्ष्य के लिये इस अधिनियम की कोई आवश्यकता नहीं। इस से लोकतंत्रात्मक वातावरण नहीं पैदा होगा बल्कि एक ऐसा वातावरण पैदा होगा जिस से हमारे सभी कामों में बाधा पड़ेगी।

पंडित जी के विरुद्ध अभी महाराष्ट्र में जो प्रदर्शन हुए वे पंडित जी के विरुद्ध नहीं थे बल्कि वह बम्बई के द्विभाषी राज्य की स्थापना के विरुद्ध थे।

मैं अधिनियम के उपबन्धों की ओर आता हूं, मेरी प्रार्थना है कि इसे जारी रखने की प्रस्थापना करने से पूर्व उच्च न्यायालयों की न्यायिक घोषणाओं पर विचार कर लिया जाना चाहिये था और कार्यपालिका द्वारा किये गये अधिनियम के दुरुपयोग का अध्ययन भी कर लिया जाना चाहिये था। इस पर भी यदि यह आवश्यक ही होता तो निवारक निरोध अधिनियम पर विचार किया जा सकता था। उस के लिये श्री साधन गुप्त का संशोधन ठीक था परन्तु सरकार उस पर विचार करने को तत्पर नहीं।

जहां तक मेरा ज्ञान है, मेरे विचार में संसार भर के किसी संविधान में भी अनुच्छेद २२ जैसी कोई व्यवस्था नहीं। जिस में कि सरकार को निवारक निरोध का अधिकार प्राप्त हो। मेरा लोकतंत्र के आदर्शों में पूर्ण विश्वास है, परन्तु कुछ लोकतंत्रीय ढंगों से हमारा पुनर्गठन होने वाला नहीं। शासित और शासक दल में फिर भेद भाव उत्पन्न करने का क्या लाभ है। हमारे प्रधान मंत्री कई बार चीन और रूस गये हैं और उन्होंने कहा है कि वहां सामाजिक पुनर्गठन बड़ी तीव्र गति से हो रहा है। जो लोग वहां अधिकार सम्पन्न पदों पर हैं उन की पूरी देख भाल की जाती है। इस का कारण यह है कि वहां की सरकार अपने सभी कृत्यों के लिये स्वयं उत्तरदायी है।

अब मैं सरकार के समक्ष एक दो उदाहरण प्रस्तुत करूंगा। उच्चतम न्यायालय ने लखनपाल बनाम सरकार के मामले में न्यायाधीश सरकार ने कहा है कि निवारक निरोध अधिनियम संविधान के अनुसार शक्ति के परे हैं। उन्होंने गोपालन के मामले का भी पुनरीक्षण किया और अन्य मामलों को भी पुनरीक्षित किया। और इसके बाद अपने मत की घोषणा की। परन्तु क्या हमने इस पर कभी विचार किया। एक अन्य मामले में बिहार के पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश दास ने भी इसी प्रकार का मत प्रकट किया। इस कारण मेरा निवेदन है कि इस अधिनियम का पूरा पुनरीक्षण किया जाना चाहिए। और यही बात मैंने अपने संशोधन में कही है।

कहा जाता है कि यह अधिनियम देश की प्रतिरक्षा और सुरक्षा के लिये है। काश्मीर हमारी जिम्मेदारी है, परन्तु वहां शेख अब्दुल्ला को पांच वर्ष से नजरबन्द किया हुआ है। इससे किसी की लोकप्रियता में अन्तर तो आता नहीं। मेरा कहना है कि यदि आप इसे वापिस नहीं लेना चाहते तो जो कुछ आलोचना की गयी हैं उसके अनुसार उसमें संशोधन

[श्री खाडिलकर]

कर लिया जाये। उसमें यह भी उपबन्ध हो कि बड़े बड़े प्राधिकारियों को भी सजा दी जाये. यह केवल छोटे लोगों को आतंकित करने तक ही सीमित न रहे।

†**ला० ठाकुर दास** (जम्मू और काश्मीर): यह बड़े महत्व का विधेयक है, और इस पर गम्भीर मतभेद है। मतभेद तो कोई बात नहीं इससे तो सामहिक हित को लाभ न ही पहुंचता है, परन्तु इसका राजनीतिक उपयोग नहीं करना चाहिए। दूसरे यह तो ठीक है कि इस समय देश की स्थिति युद्धकालीन नहीं, परन्तु फिर भी इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि इस प्रकार के विधान की आवश्यकता नहीं।

जहां तक काश्मीर का सम्बन्ध है बख्शी गुलाम मुहम्मद की सरकार काफी लोक प्रिय है और लोगों के लिये अच्छा काम कर रही है। परन्तु फिर भी कई असाधारण बातें हैं। पाकिस्तान इस समय राज्य पर ललचाई आंखों से देख रहा है। इस कारण पाकिस्तान के गुप्तचर काम कर रहे हैं। और ऐसे गद्दार भी हैं जिनको विदेशी शक्तियां खरीद लेती हैं। यद्यपि यह अधिनियम काश्मीर में लागू नहीं होगा, क्योंकि वहां तो इस प्रकार का अधिनियम है, परन्तु फिर भी मेरा कहना है कि गड़बड़ को रोकना केन्द्रीय सरकार की जिम्मेदारी है। इस लिए हमें सरकार के हाथ मजबूत करना है। जो लोग राज्य के अहित में गड़बड़ करते है उन को रोकना है। इन शब्दों में मैं विधान का समर्थन करता हूं।

पंडित ठाकुर दास भार्गव (हिसार): जनाब डिप्टी स्पीकर, इस बिल पर दो रोज से बड़े जोर की बहस हो रही है लेकिन मुझे अफसोस है कि उस सारी बहस को सुन कर मुझे अपनी यह राय देनी ही पड़ती है कि दरअसल यह बहुत सारी टैंजेंट में चली गई है। इस के अलावा यहां पर श्री मोरारजी देसाई के सम्बन्ध में जो शब्द इस्तेमाल किये गये और जिन अल्फाज में उनका जिक्र आया वे कुछ नामुनासिब और नामाजू थे और हालांकि जनाब ने कई मर्तबा रोका भी लेकिन जब एक मर्तबा शुरू हो जाय तो बहस फिर रुकती नहीं है।

मैं अदब से अर्ज करूंगा कि जहां तक इस मामले का ताल्लुक है, लोग पैशन से ज्यादा काम लेते हैं और दिल से कम काम करते हैं। मुझे अफसोस है कि मुझे यहां पर यह कहना पड़ा। जहां तक इस बिल का ताल्लुक है, इस मामले का ताल्लुक है, शायद ही कोई ऐसा मौका हुआ होगा जिसके कि अन्दर मैंने बहस में हिस्सा नहीं लिया होगा और उस बिना पर मैं यह कहने पर मजबूर हूं कि जो बहस आज यहां पर हुई है वह पहली बहसों से आला पैमाने पर नहीं हुई।

यह मामला कि प्रीवेंटिव डिटेंशन ऐक्ट किस हद तक किसी एक गवर्नमेंट के दायरे अख्तियारात में दिया जाय, यह मौजू आज का ही नहीं है। सात साल से जब से कांस्टीटुएंट असेम्बली में यह सवाल आया उस वक्त से बहुत डायरेक्टली इस पर बहस होती चली आई है और उससे पेश्तर भी मेरे दोस्त बखूबी वाकिफ हैं और पुरानी हिस्ट्री को उठा कर देखें तो उनको पता चल जायेगा कि वर्षों तक पोलिटिकल कैदी कैद में सड़ा करते थे, बड़े बड़े मुल्कों में जिनका कि यहाँ जिक्र होता है वहां पर जेलखानों में उन पोलिटिकल कैदियों की उम्रें की उम्रें गुजर जाती थीं और यह भी नहीं पता चल पाता था कि उनके मुंह में कितने दांत हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

इसके अलावा सिक्योरिटी आफ दी रिएलम, सिक्योरिटी आफ दी स्टेट और डिफेंस आफ दी रिएल्म और डिफेंस आफ दी स्टेट तरह तरह के कानून अपने जमाने में जरूरत के मुताबिक होते रहे हैं। इंटरनल सिक्योरिटी ऐक्ट सन् १९५० में अमरीका के मुल्क में मौजूद था और जिसके कि प्राविजंस हमारे इस कानून से कोई बहुत ज्यादा मुख्तलिफ नहीं थे। लड़ाई के दिनों में विलायत के अन्दर भी इसी तरह का एक कानून था लेकिन आज एक बात मेरी समझ में नहीं आती कि मेरे लायक दोस्त जो इस भवन के अन्दर दाखिल होकर कांस्टीट्यूशन पर कसमें लेते हैं, वे आकर यह कहें कि यह लालेस ला है। इस ला को वे अगर चाहें तो काला कानून कह सकते हैं या सफेद कानून कह सकते हैं लेकिन इसको एक लालेस कानन कहना मुनासिब नहीं है।

सन् १९५० में कांस्टीट्यूशन बनाते वक्त बहुत झगड़ा हुआ। उस वक्त दो तरह के व्यूज थे। मैं इस मौके पर उस सारी हिस्ट्री में नहीं जाना चाहता। एक व्यू तो वह था जो कि ड्यू प्रौसेस आफ ला को मानने वाला था और दूसरा व्यू वह था जो कि आर्डर इस्टैब्लिश्ड बाई ला के फेवर में था और जिसको कि हमने संविधान की दफा २१ में रक्खा। इन दोनों व्यूज में सख्त तनाजा था। आखिर में हमने देखा कि फीडम्स के मुताल्लिक जो उस वक्त दफा १३ थी और अब शायद वह दफा १९ है, उसको लेकर जो हमने झगड़ा किया तो जनाबवाला को याद ही होगा कि दफा १३ (१९) के अन्दर हमने सारी चीज को जस्टिसबुल करके कोर्ट के मातहत देश की फ्रीडम्स पक्की कर दीं और रीजनेबुल का लफज डाल कर ७० परसेंट आजादी जो हिन्दुस्तान की थी उसको एक तरीके से सीक्योर कर दिया। अब जहां तक उस बाकी ३० परसेंट आजादी का सवाल था, उसकी बाबत भी हाउस में बेहद झगड़ा हुआ और जो साहबान आज बहस करते हैं, उनको उन झगड़ों की वाकफियत नहीं है। उसके बाद जब यह कानून आया जिसको कि काला कानून का नाम दिया गया है, तो मैं उन अपने दोस्तों को बतलाना चाहूंगा कि दफा २२ जब बनी तब यह ऐतराज जो आज हमारे दोस्त उठा रहे हैं कि यह कैसा फंडामेंटल राइट है और यही पर्सनल लिबर्टी का सवाल उस वक्त भी उठाया गया था। मैं अदब से अर्ज करना चाहता हूं कि दफा २२ को आप मुलाहिजा फरमायें तो आप पायेंगे और उसकी बाबत मेरा तो दावा है कि दफा २२ में फिलवाकया फंडामेंटल राइट दिया गया है। दफा २२ में जो फंडामेंटल राइट दिया गया है वह निहायत जरूरी है। आज मुझको इसकी जरूरत मालूम नहीं होती कि मैं उसके बारे में कोई बहुत तफसील से यहां जिक्र करूं। मैं पर्सनल लिबर्टी और गवर्नमेंट ऐडमिनिस्ट्रेशन में कैसा ऐडजस्टमेंट होना चाहिए, इस पर मैं आज नहीं जाना चाहता। वह सब चीजें जो हमारे मुखालिफ मेम्बर साहबान ने कही हैं, सन् १९५० में हमारे सामने थीं। हमने दफा २१ और २२ जो आईन की बनाई, वे एक दूसरे की कम्पिलीमेंटरी थीं। जब दफा २१ बनी तो उसमें सिर्फ यह लिखा गया २१ "बिना कानूनी कार्यवाही किये किसी व्यक्ति का जीवन या उसकी व्यक्तिगत सम्पत्ति उससे छीनी नहीं जायेंगी।" यह प्रोसीज्योर इस्टेब्लिश्ड बाई ला, यह क्या चीज है? कोई पार्लियामेंट या एसेम्बली ऐसा कानन बना कर किसी भी शख्स को वह सात वर्ष के वास्ते कैद में डाल सकते थे और वह कानून दुरुस्त होता और जायज होता लेकिन दफा २२ के जरिये प्राविंसेज के ऊपर और हमारे इस लैजिस्लेचर के ऊपर एक प्रतिबन्ध लगा दिया गया और एक आब्सटेकिल लगा दिया गया और यह कह दिया गया कि जब तक दफा २२ की कंडीशन पूरी न हो वे लेजिस्लेचर यानी प्राविन्शियल व सेन्ट्रल लेजिस्लेचर इस तरह का कानून नहीं बना सकते और इस तरह इन दोनों के राइटस को छीन लिया गया। उस मौके पर हमारे स्वर्गीय डा० अम्बेडकर जिन्होंने कि इस कांस्टीट्यूशन को बनाया उन्होंने जब

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

इस चीज पर बहस चल रही थी तो उस वक्त उन्होंने यह साफ तौर पर कहा था कि यह लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट के ऊपर एक तरह का अंकुश है और इस के रहने से वे इस तरह का कानून नहीं बना सकेंगे जो दफा २२ को सैटिस्फाई न करता हो। मैं तो इस के लिये अपनी गवर्नमेंट को मुबारकबाद देना चाहता हूं भले ही किसी को नागुवार गुजरे। दफा २२ (७) को मुलाहिजा करने से मालम होगा कि इस की रूह से गवर्नमेंट को एक बहुत थोड़ा हक भी दे दिया गया था। दफा २२(७) के मुताबिक पार्लियामेंट को यह हक था कि वह कोई एक ऐसा परमानेन्ट कानून यहां पर बना सकती थी जिस में कि बगैर एडवाइजरी बोर्ड के किसी अर्से तक के लिये जिस के लिये पार्लियामेंट मंजरी देती किसी शख्स को डिटेन किया जा सकता था। अगर गवर्नमेंट ने ऐसा कानून नहीं बनाया तो मैं अर्ज करता हूं कि गवर्नमेंट खुद इस मामले में बहुत सावधान है कि कोई ऐसा कानून न बने जिस के कि बन जाने से कोई लेजिस्लेचर उन अखित्यारात का मिस्यूज कर सके। इसलिये आज इस कानन के मुताबिक गवर्नमेंट के हाथ बंधे हुए हैं कि तीन महीने के अन्दर "दे मस्ट एपायंट एन ऐडवाइजरी बोर्ड"। हम लोगों की मंशा तो असल में यही थी कि यह तीन महीने भी नहीं लगने चाहियें और मैं ने उस मौके पर जो स्पीच दी था उस में कहा था कि यह तीन महीने का समय बहुत ज्यादा है क्योंकि १५ दिन के अन्दर आज पुलिस मामूली मुकद्दमात में चालान दे देती है और गवर्नमेंट के लिये लाजिम हो कि वह १५ दिन में चालान पेश कर दे और उस के लिये आप इतना अर्सा क्यों देते हैं। तीन महीने के मियाद बहुत ज्यादा है और जो मैं ने उस वक्त कहा था वही आज भी मेरी राय है कि यह तीन महीने की मियाद बहुत ज्यादा है। लेकिन अब तो हम कानन बना चुके और गवर्नमेंट के अख्त्यारात इस बारे में तो हो चुके—लेकिन तो भी गवर्नमेंट के अख्त्यारात पर आज एक अच्छा खासा प्रतिबन्ध (आब्स्टेकिल) रक्खा गया है।

सन् १६५४ में जब इस तरीके का रेज्योल्यूशन आया था कि इस कानून को ऐक्सटेंड किया जाय या नहीं किया जाय तो मैं ने इस को अपोज किया था कि आप इस को तीन साल के लिये न बढ़ाइये और अब भी मेरी राय यही है। मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट को इस के लिये क्रेडिट मिलना चाहिये और मैं अपने उन दोस्तों से जो इस की इतनी सख्त नुक्ताचीनी करते हैं पूछना चाहूंगा कि मुझे वे दुनिया की कोई एक भी गवर्नमेंट दिखलायें जिस का कि यह शानदार रेकार्ड रहा हो जैसा कि हमारी गवर्नमेंट का इस बारे में रहा है। यह इस गवनमेंट का ही शानदार रेकार्ड रहा है कि १० हजार से वे २०० के ऊपर तादाद ले आई और मैं समझता हूं कि वह तादाद २०० भी नहीं होगी। आप इस में से पजाब के डैटेन्यूज को निकाल दीजिये और उस के लिये मैं वजूहात दूंगा कि क्यों पंजाब वालों का इस में शुमार नहीं होना चाहिये। इस तरह कुल १०० आदमी रह जाते हैं। इस से अच्छा ट्रिब्यूट इस से अच्छा रेकार्ड और इस से अच्छी रैपुटेशन आप को और क्या मिल सकती है आप बेकार में ही घबड़ाये चले जा रहे हैं। मेरे ख्याल में मैं ने उस वक्त भी अर्ज किया था कि इन हालात को देखते हुए जिस तरीके से गवर्नमेंट चल रही है जिस तरह से गवर्नमेंट कदम आगे बढ़ा रही है गवर्नमेंट अपने अन्दर क्यों ऐसा महसूस करती है कि बिना इस कानून के उन का काम नहीं चलेगा और १०० आदमी वह इस तौर पर नजरबन्द कर के न रक्खे। मैं तो समझता हूं कि इस की वजह से ऐसे शख्स जो कि मामूली कैदी की कैटेगरी में आते हैं और मामूली कैदियों पर आर्डिनेरी ला के अन्दर कैद होने से चार आने या ६ आने रोज का खर्चा सरकार पर आता है वहां इस नजरबन्दी कानन के मातहत पकड़े जाने पर जेल में उन को ढ़ाई रुपये रोज सरकार से मिलता है और पिछले दिनों उन के घर वालों के वास्ते कुछ तनख्वाह भी दी जाती थी। मैं इस चीज के हक में हूं कि अगर कोई आदमी ला की निगाह में बेगुनाह है तो उस पर

किसी किस्म का अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिये लेकिन उन में से कितने ऐसे हैं जो उन कंडिशंस में जो कि उन को वहां पर इस कानून के कारण हासिल हैं सात वर्ष तक जेलखाना भुगतने को तैयार होंगे। एक तरह से प्रिवेंटिव डिटेंशन और मामूली जो तरीके हैं उन में रात-दिन का फर्क है। अभी मेरे लायक दोस्त आनरेबल मेम्बर प्रिसीडिंग मी ने यह तवज्जह दिलाई कि फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स का जो मामला है उस में गवर्नमेंट पार्टी है इसलिये यह कानून ठीक नहीं है। यह चीज सन् १६५४ में महाराजा पटना ने पेश की थी। मैं ने उस का जवाब दिया था कि आप सारे ह्यूमन राइट्स की तफसील को देख लीजिये कहीं प्रिवेंटिव डिटेंशन का जिक्र नहीं है। वह सिर्फ क्रिमिनल आफेंसेज के लिये है और क्रिमिनल आफेंसेज के लिये जो कानून पास किया गया है उस में कहीं ऐसा नहीं है कि "एक व्यक्ति की बात सुने बिना उसे दोषी घोषित कर देना। इसलिये मैं अर्ज करूंगा कि यह शिकायत कि हम किसी फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स के खिलाफ जा रहे हैं मिसकंसीव्ड है। इसके लिए कहीं भी प्रिवेंटिव डिटेंशन का जिक्र नहीं है। मुझे यह बतलाया गया कि प्रिवेंटिव डिटेंशन ला बहुत बुरा है। लेकिन मेरी नासिक राय में यह अव्वल दर्जे का ला है। बजाय इस के कि लोग जुर्म करें और हम उस के नतीजे भुगतें, देश में खराबी हो, हर एक जुर्म से देश में खराबी होती है अगर उस को रोकने के लिये ऐसे तरीके रक्खे जायें तो कोई हर्ज नहीं हो सकता है। एक बेगुनाह आदमी को आप मार दें यह गलती होगी लेकिन अगर आप सही तरीके पर ऐसे कानून बनायें जिस में जो जर्म करने वाला है उसे जुर्म करने से बाज रक्खा जा सके तो इस से बढ़ कर कोई अच्छा काम गवर्नमेंट का नहीं हो सकता। प्रिवेंटिव डिटेंशन का जो इलाज का तरीका है उस के चलने से आप के आधे जेलखाने बन्द हो जायेंगे बशर्ते ठीक तरह से प्रिवेंशन आफ क्राइम हो सके। इसी तरह मैं अर्ज करना चाहता हूं कि यह कहना भी कि दुनिया में इस तरह की कोई कानून कहीं नहीं है गलत है। जहां भी जरूरत होती है इस तरह के कानून रखे जाते हैं। डिफेंस आफ इंडिया, सिक्योरिटी आफ स्टेट और सिक्योरिटी आफ इंडिया इन तीनों चीजों से पवित्र चीज कोई भी हमारे लिये नहीं हो सकती। जो भी इन तीनों के खिलाफ काम करता है उस को कोई भी सजा दी जा सकती है ताकि हमारी स्टेट कामयाब हो सके। जो आदमी डिफेन्स आफ इंडिया के खिलाफ काम करता है, जो मुल्क की तरक्की नहीं चाहता, जो सारी स्टेट को खत्म करने को तैयार हो वह किसी भी हमदर्दी का मुस्तहिक नहीं हो सकता। लेकिन हर एक आदमी जब तक वह सिटीजन है हर एक सहूलियत का हकदार है। महात्मा गांधी के मारने वाले गोड्से को भी पूरी सुविधा से जेल में रक्खा गया था जिस ने देश के सब से बड़े नेता की हत्या की थी। उस के लिये रियायतें भी दी गयीं। उस के वास्ते जेल रूल्स तबदील किये गये ताकि उस की हैल्थ ठीक हो। मैं इस चीज का कायल हूं कि जो आदमी देश का सिटीजन है उस को सिटिजेनशिप के सब अख्त्यार हासिल होने चाहियें और कानून का पूरा प्राटेक्शन मिलना चाहिये चाहे वह जेल के अन्दर हो या जेल के बाहर हो। इसलिये मैं अर्ज करूंगा कि जो भी बात इस चीज के बर्खिलाफ कही जाती है इस प्रिवेंटिव डिटेंशन के बर्खिलाफ वह हमारा इन्हेरिट किया हुआ प्रेजुडिस है। हम ने वह जमाना देखा है जब कि हमारे सब लीडरों को पिछली गवर्नमेंट रोज डिटेन करती थी और हम तकलीफ पहुंचाती थी। और वह चीज हमारे दिमागों से अभी भी निकल नहीं पाई है और हमें यह प्रिवेंटिव डिटेंशन भी उसी चीज में क्लोथ्ड नजर आता है जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के जमाने में थी। मुझे उन दिनों के किस्से मालूम हैं। मैं ने खुद देखा है कि किस तरह के वाकयात होते थे। लेकिन जो प्रिवेंटिव डिटेंशन ब्रिटिश गवर्नमेंट के जमाने में था उस का इस प्रिवेंटिव डिटेंशन से क्या मुकाबला है? आज फैक्ट्स एंड फीगर्स को देखिये और उस के बाद नतीजा निकालिये। आज मुल्क के सामने जो आफत आ गई है उस के सामने यह प्रिवेंटिव डिटेंशन कोई चीज नहीं है। कहा जाता है कि इतने आदमी जेल में बन्द कर दिये गये हैं। मैं कहता हूं कि यह एक बहुत छोटा सा मामला है। अगर हिन्दुस्तान के ४० करोड़ आदमियों में से १०० या २०० आदमी बन्द भी कर दिये गये तो क्या हुआ? मैं ने सन् १६५४ में भी कहा था और आज भी कहता हूं कि आज जो कुछ हो रहा है वैसे मामलों के लिये प्रिवेंटिव डिटेंशन ऐक्ट को कायम रक्खा जाये। आज

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

हम जानते हैं कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है और मेजर अकबर खां क्या कर रहे हैं। वहां के जासूस आते हैं अपने साथ थैलियां भी भर कर लाते हैं और यहा के लोगों को प्रलोभन देना चाहते हैं। सिक्योरिटी के खिलाफ उन की कार्यवाहियों से मालूम होता है कि क्या खराबियां वह करने को तैयार हैं।

तो मैं अर्ज करूंगा कि जहां तक इस अम्र का ताल्लुक है मेरी पोजीशन यह है कि मैं इस के कंटिनुएंस के हक में हर्गिज नहीं हूं। मैं इस बात के हक में हूं कि इस के बजाय एक ऐसा कानून बने जो कि इन तीन चार चीजों के मुताल्लिक हो। मैं जनाब की सन् १९५१ की स्पीच कोट कर सकता हूं जनाब का अमेंडमेंट मुझे याद है जब कि पंजाब के अन्दर झगड़ा हो कर चुका था तो जनाब ने यह फरमाया था कि अच्छा होता अगर इस में से पबलिक आर्डर निकाल दिया जाता। मैं कहता हूं कि इन्हीं चार चीजों के लिये यह कानून जरूरी है : डिफेंस आफ इंडिया, सिक्योरिटी आफ स्टेट, सक्योरिटी आफ इंडिया और फोरेन रिलेशस। इन चार चीजों के लिये यह कानून बिल्कुल जरूरी है और अगर इस को सिर्फ इन चार ही चीजों के लिये बनाया जाय तो मैं यह कह सकता हूं कि बहुत से दोस्त जो आज इस के मुखालिफ हैं वह इस के साथ होंगे। साथ ही इस के अन्दर मैं यह नहीं चाहता कि एक साल रक्खें। मैं चाहता हू कि आप को दफा २२(७) के अन्दर जो पावर्स मिली हैं उन्हें इस्तेमाल करें उन के मातहत आप इस को ज्यादा अर्से के लिये रक्खें। ऐसे आदमी जिन की हालत यह हो कि वह इस तरह की कार्यवाहियां करने को तैयार हों मैं पूछना चाहता हूं कि वह हमारे दोस्त हैं या दुश्मन हैं? मैं चाहता हूं कि उन के खिलाफ आप के पास पावर्स हैं उन का पूरा इस्तेमाल हो। पहले जब यह कानून बना था तब सरदार साहब ने कहा था कि वह इसे पर्मानेन्ट प्राविजन नहीं बनाना चाहते। मैं पूछता हूं कि क्यों नहीं बनाना चाहते जबकि हमारे देश के वास्ते यह जरूरी है? आप इस को पर्मानेन्ट नहीं बनाना चाहिये क्योंकि आप डरते हैं कि बदनामी होगी। अगर अस्थायी कानून बनाया गया मेरी राय में हमें बदनामी से नहीं डरना चाहिये और देश की जरूरतों के मुताबिक कानून बनाने चाहियें इस वास्ते मैं कहता हूं कि नया कानून बनाइये। और जब तक वह कानून बने उस वक्त तक के लिये इसे कंटिन्यू कर दिया जाए। क्योंकि देश को नुक्सान पहुचाने वाली चीजों के इलाज के लिए ऐसा कानून जरूरी है। किसी कौमी गवर्नमेण्ट के खिलाफ मजमुई कारवाई जायज नहीं हैं। इस वास्ते कोई भी मूवमेंट हो, वह अच्छा हो या बुरा हो, जो गवर्नमेंट के बखिलाफ काम करता है, जो आर्गेनाइज्ड अथारिटी को नीचे गिराने के वास्ते कोअर्शन करता है, गवर्नमेंट को किसी भी कोर्स आफ ऐक्शन के लिए मजबूर करता है, मैं उसूलन उसके खिलाफ हूं। मैं उसे सही मानों में ला एंड आर्डर के बखिलाफ म्यूटिनी का दर्जा देता हूं। मैं ऐसे मूवमेंट के खिलाफ हूं। कोई मूवमेंट, चाहे वह कितना ही पवित्र हो, अगर गवर्नमेंट को झुकाने के लिए हो और सत्याग्रह के तौर पर हो उसको गवर्नमेंट को दबाना चाहिए। गवर्नमेन्ट और सत्याग्रह की मवमेंट दोनों अर्से तक साथ साथ जिन्दा नहीं रह सकती।

इसके बाद मैं जनाब की तवज्जह पंजाब के चन्द मामलों की तरफ दिलाना चाहता हूं। यह मेरी बदकिस्मती है कि पहली गवर्नमेंट जो थी सच्चर गवर्नमेंट उसने हजारों लोगों को कैद में डाल दिया, इसका मुझे बड़ा दुःख था, वह भी जमाना मुझे याद है जब आप को भी कैद कर दिया गया था। मैं आपको बतला नहीं सकता कि मुझे उस वक्त कितना दुःख हुआ। उसके बाद पन्त साहब की मेहरबानी से, या कुछ भी समझ लीजिए, एक वक्त आया कि हम यह सोचने लगे कि पंजाब के अन्दर वह हालत आएगी जब कि हिन्दू और सिख मिल कर रहेंगे और बड़े प्रेम से रहेंगे, जैसा कि उनको हक है, और उसके वास्ते कोशिश की गई। कोशिश करने में कोई गलती हुई या नहीं, इसका तो मैं इस वक्त जिक्र नहीं करना चाहता. लेकिन यह जरूर अर्ज करना चाहता हूं कि अब जो मूवमेंट चल रहा है, उसका जिक्र हाउस में आया। मैं उसकी मेरिट्स में नहीं जाना चाहता। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि जहां तक उसकी एसेंशल मेरिट्स हैं, मैं उनके खिलाफ नहीं हूं। हरियाना वालों के और हिन्दी वालों के जेनुइन ग्रीवान्सेज भी हैं जिनसे मैं सहमत हूँ लेकिन यह मौका उन पर बहस करने का नहीं है। और न मैं उनको जस्टीफाई करने के वास्ते इस वक्त बोल रहा हूँ। जिसके वास्ते मैं बोल रहा हूं वह यह है कि डा० काटजू ने कहा था और पन्त जी ने कहा कि इंस्टांसेज बतलाओ जिनमें खराबी हुई है। आज पंजाब में कोई आर्डर्ड गवर्नमेंट नहीं है। आज पंजाब में रेन आफ टेरर है। एक महीने में २० जून से २२ जुलाई तक बूढ़े आदमियों और औरतों को लारियों में पकड़ कर चालीस चालीस मील दूर ले जाया गया और जंगल में छोड़ दिया गया। मैं जानना चाहता हूं कि यह कौन से कानून के मातहत हुआ? जिन लोगों ने इस तरह से बूढ़े मर्दों और बूढी औरतों को लेजा कर चालीस मील दूर आधी रात को छोड़ा है उनके खिलाफ दफा ३४२ में कार्रवाई की जानी चाहिए। यह डिटेंशन ऐक्ट तो किसी भले आदमी के लिए है। पंजाब में कुल ११५ आदमी इस ऐक्ट के मातहत पकड़े गये जिनमें से ९० एडवाइजरी बोर्ड ने छोड़ दिये। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि ये जो ९० आदमी छोड़े गये ये भी किसी मां के बेटे थे। कई कई महीने उनको कैद में रखा गया। जिस शख्स ने उनको कैद किया, जिसने उनके खिलाफ झूठे ग्राउन्ड्स बनाये उनके खिलाफ कुछ नहीं किया गया।

उनके खिलाफ इस कानून का इस्तैमाल होना चाहिए। हजारों आदमियों को गलत गिरफ्तार किया गया जो दफा १०७/१५० कह दिया गया कि फलां कत्ल होने वाला है उसकी वजह से गिरफ्तार किया गया है। यह प्रिवेंटिव डिटेंशन तो कहां है लेकिन उससे कहीं बुरा है। मैं कोई मिसस्टेटमैंट नहीं करता लेकिन मैं बड़े अदब से अर्ज करना चाहता हूं कि आप इसकी जूडीशियल एन्क्वायरी करायें ताकि जो अख्तियारात आपने दिये थे उनको सही तौर पर बरता गया या नहीं। पर ऐसा किया नहीं जाता। पिछली दफा भी यही हुआ था और इस दफा भी यही हो रहा है।

एक जिले में ३०० या ४०० आदमियों पर एक लाख ९० हजार का जुरमाना कर दिया गया और जुरमाने में लोगों के बैल हलों में से खोलकर कुर्क कर लिये गये....

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य के फीलिंग को तो मैं समझता हूं लेकिन वक्त बहुत ज्यादा हो चुका है। जो कुछ वह कह रहे थे उसे एक मिनट में कह कर खत्म करें।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मैं खुद इस बात को चाहता हूं कि लोकल गवर्नमेंट अच्छी हो रेग्युलेटेड हो और आरगेनाइज्ड हो, क्योंकि ऐसा नहीं होगा तो वह कमजोर हो जायेगी और सारा देश कमजोर हो जायेगा। मैं यह अर्ज करता हूं कि मैं इस तरह की किसी ऐसी मूवमेंट को सपोर्ट नहीं कर सकता। मैं ने पंजाब के मूवमेंट को हमेशा कंडेम किया है और मैं चाहता हूं कि वह कामयाब न हो। अगर ऐसा होगा तो हमारी गवर्नमेंट कहां रहेगी। अगर आरगेनाइज्ड गवर्नमेंट है तो वह चेंज भी हो सकती है। लेकिन अगर गवर्नमेंट नहीं रहेगी तो ठीक नहीं होगा। मेरा यह मत नहीं है जैसे श्री ब्रजराज सिंह साहब का है कि वह ऐसा आन्दोलन करते ही रहेंगे। मेरा ख्याल है कि आरगेनाइज्ड गवर्नमेंट के खिलाफ सत्याग्रह करना म्यूटिनी के बराबर है और मेरे पास वर्डस् नहीं हैं कि जिनसे मैं उसे कंडैम करूं। मैं इसके उसूल के ही खिलाफ हूं। लेकिन जो नेक काम के वास्ते जेल जाते हैं उनके मोटिव को तो सराहता हूं, लेकिन वे मिसगाइडेड हैं और देश को हानि पहुंचाते हैं।

†**श्री अजित सिंह सरहदी** (लुधियाना): मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूँ। मेरा ईमानदारी से यह मत है कि जितनी इसकी आवश्यकता आज है उतनी कभी भी नहीं थी। आज देश में उच्छेदक चोटायें बढ़ रही हैं। पंजाब की आज की स्थिति ऐसी है। और वहां गड़बड़ करने की पूरी कोशिश की जा रही है। हमें भावुकता में ही नहीं बह जाना चाहिए प्रत्युत स्थिति का यथार्थवादी हो कर अध्ययन करना चाहिए। श्री अचित राम जी ने जो यह बात कही है कि पजाब में सारे लोग ही जनसंघी बन गये बिलकुल गलत है। अभी हाल ही में भारी बहुमत से कांग्रेस ने वहां उपचुनाव में सफलता प्राप्त की है। केवल शहरी लोगों का कुछ भाग इस गड़बड़ का साथ दे रहा है। और मैं किसी भी चुनाव क्षेत्र में इस विषय पर चुनौती देने को तैयार हूं। इस आन्दोलन का सम्बन्ध, जैसा कि प्रधान मंत्री ने कहा है संस्कृति और भाषा से बिलकुल नहीं है। यह तो राजनीतिक और साम्प्रदायिक आन्दोलन है। इससे देश की एकता को हानि पहुंचने का भारी खतरा है। जिस सच्चर सूत्र को लेकर आन्दोलन किया जा रहा है वह तो १९५० में बना था। परन्तु चुनावों में पराजित होने के कारण इन लोगों ने यह काम आरम्भ कर दिया है। इसको रोका जाना देश हित में परम आवश्यक है, और यही इस विधेयक का औचित्य है।

दक्षिण में भी लगभग इसी प्रकार की स्थिति है। वहां हमारे राष्ट्रीय ध्वज और संविधान को जलाये जाने का दुस्साहस किया जा रहा हैं। यही इसका औचित्य है। इस विधेयक के उपबन्धों में जांच की व्यवस्था है। और जांच के बाद यदि किसी के विरुद्ध कोई बात नहीं होती तो उसे तुरन्त छोड़ दिया जाता है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था दो वर्ष पूर्व मुझे इसी अधिनियम के अन्तर्गत नज़रबन्द किया गया था, परन्तु मन्त्रणा बोर्ड ने मुझे मुक्त कर दिया था। इसलिए मेरा कहना है देश की एकता, सुरक्षा और प्रतिरक्षा के लिए यह आवश्यक है कि इस अधिनियम को चालू रखा जाना चाहिएं।

† **गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)**: दो संशोधन विचाराधीन थे। परन्तु चर्चा मूल विधेयक पर हुई। परन्तु बहुत सी अनावश्यक बातों को बीच में ले लिया गया। श्री खाडिलकर का कहना है कि पंजाब को नहीं लिया जाना चाहिए था परन्तु मेरा कहना है कि उन्होंने स्वयं ही संयुक्त महाराष्ट्र का किस्सा छेड़ दिया।

---

†मूल अंग्रेजी में

निवारक निरोध अधिनियम के सम्बन्ध में यह बातें बिल्कुल असंगत हैं। इस सम्बन्ध में हमारे समक्ष केवल कुछ ही तर्क रखे गये हैं। मैं असंगत बातों का उत्तर नहीं दूंगा।

यह कहा गया है कि अधिनियम दो कारणों से अनावश्यक है। एक माननीय सदस्य ने कहा है कि निरुद्ध व्यक्तियों की संख्या बहुत कम थी। इस कारण यह अधिनियम अनावश्यक है। इस का उत्तर यह है कि संविधि में इस अधिनियम के रहने से इस का प्रतिबन्धात्मक प्रभाव पड़ा। यदि यह अधिनियम नहीं होता तो संभव है स्थिति और भी खराब हो गई होती और शायद इतनी बिगड़ भी जाती कि उस की कल्पना करना भी अच्छा नहीं है।

इस सम्बन्ध में दो बातों का ध्यान रखने की आवश्यकता है कि सरकार उचित सन्देह होने तथा सावधानी बरतने के लिये ही इस अधिनियम का प्रयोग करती है। तथा इस का फल इस से देखा जा सकता है कि स्थिति बिगड़ने नहीं पाती है। माननीय सदस्य को इस दृष्टिकोण से इस अधिनियम को देखना चाहिये।

उदाहरणार्थ यदि कोई नेता पर्दे की आड़ में रह कर जनता को उकसाना चाहता है। यदि उसे समय पर गिरफ्तार कर लिया जाता है तो समाज को होने वाली बहुत बड़ी हानि से रक्षा हो जाती है। इस पर इस पहलू से भी विचार करना चाहिये। निरुद्ध व्यक्तियों की संख्या इस का मापदंड नहीं है। यदि संख्या कम है तो इस का श्रेय हमें मिलना चाहिये। इस का तात्पर्य यह है कि राज्य सरकार इस अधिनियम का प्रयोग बड़ी सावधानी और विचारपूर्वक कर रही हैं।

श्री खाडिलकर ने कहा है कि संक्रांतिकाल समाप्त हो गया है। क्योंकि हमारे संविधान का निर्माण १९५० में हुआ इसलिये स्वराज्य मिले हुए भी आठ से अधिक वर्ष बीत गये हैं। इसलिये इस अधिनियम की आवश्यकता नहीं है। मैं उन्हें यह बताना चाहता हूं कि वर्तमान स्थितियों में भी इसे जारी रखने की आवश्यकता है। क्योंकि जैसाकि गृह मंत्री ने कहा है कि ऐसे समाज विरोधी तत्व हमारे बीच में विद्यमान हैं जोकि स्थिति को शांतिपूर्ण और संतुलित नहीं देखना चाहते हैं। ऐसे व्यक्तियों को रोकने के लिये सरकार के पास शक्तियां होनी चाहियें।

पहिले गृह मंत्री इस अधिनियम को केवल एक वर्ष के लिये चाहते थे। वस्तुतः ऐसे अधिनियम संविधि पुस्तिका में होने ही नहीं चाहियें। लेकिन जब यह ज्ञात हुआ कि स्थिति असाधारण है और समाज विरोधी तत्व स्थिति को और भी बिगाड़ना चाहते हैं तो यह अनुभव किया गया कि सरकार के पास ऐसी शक्तियां होनी चाहियें कि भारत की सुरक्षा तथा व्यवस्था बनाये रखने के लिये समाज विरोधी तत्वों का दमन किया जा सके।

पंडित ठाकुर दास भार्गव ने कहा है कि यह शक्ति हमें भारत की प्रतिरक्षा और सुरक्षा के प्रयोजन से ही होनी चाहिये। सार्वजनिक व्यवस्था के सम्बन्ध में इस का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिये। लेकिन जब ऐसे तत्व मौजूद हैं जोकि व्यवस्था के विरुद्ध कार्यवाही कर रहे हैं तो क्या सरकार को ऐसी शक्तियां देना उचित नहीं है। इसलिये यदि राज्य की सुरक्षा तथा सार्वजनिक हित को बनाये रखने के प्रयोजन से कुछ व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जाय तो हमें उसे व्यापक हित के दृष्टिकोण से देखना चाहिये। इसीलिये इस अधिनियम का प्रयोग किया गया। इसलिये संसद को राज्य सरकारों को अपवादस्वरूप मामलों में प्रयुक्त करने के लिये यह शक्ति प्रदान करनी चाहिये।

पंडित ठाकुर दास भार्गव ने पंजाब का प्रश्न भी उठाया। मैं पंजाब की घटनाओं का विस्तारपूर्वक ज़िक्र नहीं करूंगा। लेकिन यह अवश्य चाहूंगा कि उन्हें 'भय का साम्राज्य' शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिये था। क्योंकि उन के अनिष्ट कारक परिणाम हो सकते हैं। आजकल पंजाब की स्थिति

[श्री दातार]

बहुत नाजुक है । तब ऐसे शब्दों का क्या प्रभाव होगा । अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के अन्य तरीके हो सकते हैं इसलिये ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिये ।

वस्तुतः हमें ब्रिटिश राज्य की शब्दावली प्रयुक्त करने की आदत है । सभा को जानना चाहिये कि यह अधिनियम दमनकारी कानून नहीं है । लेकिन हम स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् भी उन्हीं शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं । स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् जब हम स्वयं अपना प्रशासन सन्तोषजनक रीति से कर रहे हैं तो हमें शिष्ट तथा उत्साहवर्द्धक शब्दों का प्रयोग ही करना चाहिये । ऐसी स्थिति में इस के जारी रखने के सम्बन्ध में मजबूत तर्क किया जा सकता है । तथा इसे थोड़ी अवधि के लिये जारी रखने के सम्बन्ध में कोई ठोस तर्क नहीं दिया गया है ।

†**श्री नारायणन् कुट्टि मेनन** : यदि यह विधेयक मुख्यतः समाज विरोधी तत्वों के विरुद्ध प्रयुक्त किया गया तो इस के अधीन कितने अनाज छिपाने वाले भी नाजायज लाभ कमाने वालों को गिरफ्तार किया गया ?

†**श्री दातार** : ये आंकड़े विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत रखे गये हैं ।

†**उपाध्यक्ष महोदय**: अब मैं संशोधन संख्या ९, १४ और १५ को मतदान के लिये रखूंगा ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या ९, १४ और १५ मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"खंड २ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव पर सभा में मत विभाजन हुआ । पक्ष में १५६ और विपक्ष में ४८ ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड २ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"खंड १, अधिनियम सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक का अंग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड १, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

†**पंडित गो० ब० पन्त** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाय ।"

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

†**श्रीमती पार्वती कृष्णन्** (कोयम्बटूर) : गृह मंत्री ने यह विधेयक प्रस्तुत करते समय यह कहा कि यह विधेयक समाज विरोधी तत्वों के विरुद्ध प्रयुक्त किया जायेगा । और उन्हों ने इसे जारी रखने के समर्थन में होने वाली घटनाओं का जिक्र किया । लेकिन उन्हों ने इस बात का उल्लेख नहीं किया कि यदि सरकार ऐसे समाज विरोधी तत्वों को रोकना चाहती थी तो रामनाथ-पुरम् के दंगों के समय इस का प्रयोग क्यों नहीं किया गया । वहां जितने भी दंगे हुए सभी उप-चुनावों

---

†मूल अंग्रेजी में

के दौरान उपमंत्रियों के भाषणों के कारण हुए । उन्हों ने ही हरिजनों को हिंसात्मक कार्य के लिये उकसाया । और आज उस का दोष जनता पर मढ़ा जा रहा है ।

हम ने अधिकारियों का ध्यान इस ओर दिलाया और एक न्यायिक जांच करने की मांग की लेकिन एक दिखावे की जांच करवाई गई । और सारे मामले पर लीपा पोती हो गई । वस्तुतः तामिल नाड में जो कुछ भी हो रहा है उस का दायित्व कांग्रेसी सरकार, कांग्रेस दल और कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर है । १९२९ में मोतीलाल नेहरू ने इस अधिनियम को लोकतंत्रात्मक सिद्धान्तों का विनाशकारी कहा था आज मैं उन के पुत्र, अपने प्रधान मंत्री से यह निवेदन करती हूं कि वे लोकतंत्र के सिद्धान्तों पर इस प्रकार कुठाराघात न करें ।

†**श्री थानू पिल्ले** (तिरुनेलवेली) : मुझे यह सुन कर दुख होता है कि साम्यवादी दल के सदस्य हमें लोकतंत्र का पाठ पढ़ा रहे हैं । जो स्वयं झंडे में विश्वास नहीं करते वे झंडे की रक्षा की बातें कह रहे हैं जब लूट और मारकाट होती है तो बाद में ये शांति का संदेश ले कर पहुंचते हैं लेकिन वास्तव में वे स्थिति को और भी बिगाड़ देते हैं । वस्तुतः जिस व्यक्ति के सर पर इन सारी बातों का दायित्व था वह गिरफ्तार कर लिया गया है । यदि वह चुनाव के पहिले गिरफ्तार कर लिया जाता तो कदाचित यह कहा जाता कि राजनैतिक कारणों से उसे गिरफ्तार कर लिया गया है । उस की गिरफ्तारी में विलम्ब होने पर वे कह रहे हैं कि निवारक निरोध अधिनियम व्यर्थ है ।

मद्रास की सरकार यह अधिनियम रामनाथपुरम् में प्रयुक्त नहीं करना चाहती थी, क्योंकि इस से लोगों को यह कहने का अवसर मिलता कि कांग्रेस रामनाथपुरम् की सीट प्राप्त करने में असमर्थ थी ।

यह दंगा भी एक भूतपूर्व कांग्रेसी के द्वारा प्रारम्भ किया गया था । वह एक शक्तिशाली साम्प्रदायिक नेता है । विरोधी पक्ष के सदस्य भी साम्प्रदायिकता और भाषावार को भड़काते हैं और उन से लाभ उठाना चाहते हैं । लेकिन उस का दोष वे हम पर डालते हैं । यहां वे मद्रास सरकार पर आरोप लगा रहे हैं जहां उस का बचाव करने वाला कोई भी नहीं है । श्री भक्तवत्सलम् पर कुछ शब्द कहने का आरोप लगाया गया था । वस्तुतः, वे केवल ८ पुराणों का दृष्टान्त ले कर उपमा दे रहे थे । भला श्री कक्कन जैसा व्यक्ति कैसे हिंसा का प्रचार कर सकता है । हरिजनों ने केवल प्रतिशोध लिया है । इसी से दूसरे क्षेत्रों में रोष फैला है ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

'कि विधेयक को पारित किया गया '

सभा में मत विभाजन हुआ । पक्ष में १६४ और विपक्ष में ५१ ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

मजूरी भुगतान (संशोधन) विधेयक

†**उपाध्यक्ष महोदय** : सभा अब मजूरी भुगतान (संशोधन) विधेयक १९५७ पर अग्रेतर चर्चा करेगी । इस के लिये निर्धारित समय में से ३ घंटे ५७ मिनट शेष हैं । श्री आबिद अली अपना भाषण जारी करें ।

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : पिछले दिन मैं विधेयक के कुछ संशोधनों के उपबन्धों की व्याख्या कर रहा था ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री आबिद अली]

इस समय यह अधिनियम केवल उन्हीं कर्मचारियों पर लागू होता है जिनकी मजूरी २०० रुपये मासिक से अधिक नहीं है। अब यह सीमा ४०० रुपये मासिक कर दी गई है। यह अधिनियम इस समय निर्माण उद्योग में लागू नहीं होता है। जल विद्युत तथा अन्य निर्माण योजनाओं के कारण निर्माण उद्योग का महत्व बन गया है। सड़कों नहरों इमारतों और सिचाई नौवहन जल विद्युत के स्थानान्तरण तथा वितरण के कार्य में बहुत से मजदूर लगे हैं तथा उन्हें विधि के अधीन सुरक्षा की आवश्यकता है। इसलिये यह विधि इस क्षेत्र पर भी लागू कर दी गई है।

'मजूरी' की वर्तमान परिभाषा के निर्वचन के सम्बन्ध में बहुत सी व्यवहारिक कठिनाइयां पैदा हो गई हैं। मैं परिभाषा के विभिन्न निर्वचन देकर सभा को उकताना नहीं चाहता हूं। लेकिन मैं कुछ कठिनाइयों का उल्लेख करूंगा। कुछ मामलों में उच्च न्यायालय ने यह निर्णय किया है कि मजूरी का तात्पर्य कुल सुविधाओं सहित मजूरी नहीं होती बल्कि 'अर्जित मजूरी' ही होती है। नियोजन के ठेके के अधीन भुगतान की शर्तों में आजकल अधिकरण के पंचाटों अथवा सहमत समझौतों के कारण परिवर्तन होते रहते हैं इस लिये यह अनिवार्य हो गया है कि संविहित रूप से न्यायनिर्णयन, मध्यस्थता, समझौतों या ऐसी ही अन्य प्रक्रिया से संशोधित मजूरी इस अधिनियम के प्रयोजन के लिये मजूरी समझी जाये।

मजूरी में बोनस को शामिल करने से भी कठिनता पैदा हो गई है। बोनस सामान्यता दो प्रकार का होता है। एक सामयिक बोनस जो कि संस्थापन के द्वारा अर्जित लाभ के अनुसार वार्षिक, अर्द्ध-वार्षिक या त्रैमासिक रूप से दिया जाता है। यद्यपि इस बोनस देने का एक कारण यह है कि वास्तविक मजूरी और जीवन निर्वाह के लिये आवश्यक मजूरी में अन्तर कम हो लेकिन बोनस अतिरिक्त लाभ के बिना नहीं दिया जा सकता है।

दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि बोनस मजदूरों द्वारा किये गये काम का कोई पारिश्रमिक नहीं होता जिसे वह कारखाना मजदूरों को अवश्य दे यह तो कारखाने या संस्था द्वारा कमायी गयी अतिरिक्त आय होती है। मजदूर सम्बन्ध विधेयक की प्रवर समिति का यही दृष्टिकोण था और इसी कारण मजूरी की परिभाषा में से बोनस आदि को अलग रखा गया है। बोनस नौकरी की शर्तों के अधीन नहीं रखा गया है। समिति का यही विचार था कि ऐसे बोनस को मजूरी को सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिये।

अतः अन्य बातों को छोड़ते हुये भी इस प्रकार के किसी भुगतान के सम्बन्ध में अधिनियम के किसी उपबन्ध को कार्यान्वित करना कठिन है। कानून बोनस देना जरूरी नहीं है पर जब कोई न्यायाधिकरण बोनस देने का आदेश देता है तो उसे उसके भुगतान के लिये समय सीमा अवश्य निर्धारित करनी पड़ती है और आवश्यक निदेश भी देने पड़ते हैं। यदि किसी कानून में बोनस के भुगतान का मामला अन्तर्ग्रस्त होता है तो उस कानून में बोनस के भुगतान संबंधी और उस में से की जाने वाली कटौती सम्बन्धी उपबन्ध भी सम्मिलित किये जा सकते हैं।

एक और प्रकार का बोनस होता है जो वास्तव में वेतन का एक भाग समझा जाता है। यह बोनस श्रमिकों द्वारा किये गये काम के उत्पादन पर निर्भर होता है और मजूरी अवधि के बाद उसका भुगतान श्रमिकों को किया जाता है। इस प्रकार जो राशि श्रमिकों को दी जाती है उसे कहते तो बोनस है पर वास्तव में वह श्रमिकों को प्रोत्साहन देने के लिये दी जाती है। ऐसे बोनस को मजूरी भुगतान अधिनियम के अन्तर्गत पूरा संरक्षण मिलना चाहिये। इन बातों को देखते हुये मजूरी की परिभाषा पर फिर से विचार करके उसे बहुत व्यापक तथा स्पष्ट बना दिया गया है।

एक और संशोधन है जिसके द्वारा मजूरी में से की जाने वाली कुछ कटौतियों के अधिकार का उपबन्ध किया गया है। सरकार की सहायता प्राप्त उद्योगों के आवास व्यवस्था योजना के अधीन मकान बनाये भी गये हैं और बोनस भी पा रहे हैं तो उद्योगों के काम करने वाले श्रमिकों को दिये जाते हैं। श्रमिकों से इन मकानों का उचित किराया भी लिया जाता है। इन मकानों का किराया आसानी से इकट्ठा हो सकें अतः यह उपबन्ध रखा गया है कि उद्योगों के श्रमिकों की मजूरी में से कटौती की जाये।

इस प्रकार के भी सुझाव दिये गये हैं कि इन श्रमिकों ने बीमा की जो पालिसी है उसके प्रीमियम के भुगतान के लिये भी उनके वेतन से कटौती की जानी चाहिये। चूंकि बीमा का राष्ट्रीयकरण हो गया है अतः अब श्रमिकों द्वारा कटौती के रूप में प्रीमियम देने में कोई खतरा है ही नहीं अतः विधेयक में एक उपबन्ध यह भी रखा गया है कि यदि श्रमिक लिखित रूप में नियोजक को अधिकार दे दें तो नियोजक उनकी मजूरी में से प्रीमियम की रकम की कटौती कर सकेगा।

बचत योजना के अधीन जो श्रमिक राष्ट्रीय योजना ऋण और राष्ट्रीय नकद प्रमाणपत्र में रुपया लगाना चाहे या डाक घर के बचत के हिसाब में धन लगाना चाहें उनके लिये भी यह व्यवस्था है कि वे अपनी मजूरी से इसकी राशि कटवा सकते हैं। छोटी बचत के दृष्टिकोण से यह सशोधन बहुत महत्वपूर्ण हैं।

किसी दण्ड के रूप में जैसे सेवा लम्बित करने पर तरक्की रोकने पर या किसी श्रमिक को ऊंचे पद से नीचे पद पर भेजने पर मजूरी भुगतान अधिनियम के अधीन श्रमिक के वेतन से कटौती हो सकेगी पर न्यायालय के निर्णय पर यह बात अन्तिम मानी जायेगी।

धारा ७(२) में उन कटौतियों का उल्लेख है जो की जायेंगी पर उस में इस बात का उल्लेख नहीं है कि सेवा नियमों के अधीन यदि किसी श्रमिक को दण्ड दिया जायेगा तो उसके वेतन से कटौती की जायेगी। हमारा उद्देश्य यह है कि सेवा नियमों के अन्तर्गत यदि दण्ड रूप में कुछ कटौती की जाये तो वह अधिकृत कटौती हो और इसी बात को स्पष्ट करने के लिये इस विधेयक में इस संशोधन का प्रस्ताव किया गया है।

मैं पहले बता चुका हूं कि श्रमिक के किसी दावे को यदि कोई अधिकारी रद्द कर देता था तो उसे अपील का अधिकार नहीं रहता था पर अब ऐसी व्यवस्था करने जा रहे हैं कि श्रमिक अपने वेतन में से की गयी किसी भी कटौती के सम्बन्ध में अधिकारी द्वारा दिये गये निर्णय को अशतः या पूर्णतः बदलने के लिये अपील कर सकता है।

अन्तिम संशोधन द्वारा धारा १७ के बाद एक नयी धारा रखने की व्यवस्था की गयी है जिसमें यह उपबन्ध है यदि किसी श्रमिक को कुछ धन उस उद्योग से मिलना हो और इस सम्बन्ध में अधिकारी का निदेश मौजूद होने पर भी काफी देर हो रही हो या उस मामले में जब उद्योग बन्द हो गया हो और श्रमिक की मजूरी का बकाया जल्दी न मिल रहा हो तो उसके हित की रक्षा की जा सके। इस अधिनियम द्वारा यह अधिकार दिया जायेगा कि यदि श्रमिक की मजूरी नहीं मिलती तो उस उद्योग के नियोजक या बकाया मजूरी के भुगतान के लिये उत्तरदायी व्यक्ति की सम्पत्ति कुर्क करा ली जायेगी जब तक कि वह इतनी राशि जमा न कर दे जितनी से श्रमिकों का दावा निबटाया जा सके या इतनी राशि की जमानत न दे दे जितनी से श्रमिकों की मजूरी का भुगतान किया जा सके।

[श्री आबिद अली]

मैं अधिक समय नहीं लेना चाहता और चाहता हूं कि माननीय सदस्य विधेयक पर विचार करें।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

"कि मजूरी भुगतान (संशोधन) विधेयक १९५७ पर विचार किया जाये।"

†**श्री नारायणन् कुट्टि मेनन (मुकन्दपुरम)** : इस संशोधन के सम्बन्ध में मैं कुछ बातें कहना चाहता हूं। ये बातें केवल मजूरी भुगतान अधिनियम के ही सम्बन्ध में नहीं हैं बल्कि इसी प्रकार के अन्य श्रम विधानों के सम्बन्ध में भी हैं।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य अपना भाषण कल जारी रखें।

इसके पश्चात सभा बुधवार, ११ दिसम्बर, १९५७ के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

---

†मूल अंग्रेजी में

[दैनिक संक्षेपिका]

[मंगलवार, १० दिसम्बर, १९५७]

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	२१८९–२२१४

तारांकित
प्रश्न संख्या

९२९	"इंडियन इन्फार्मेशन" और "भारतीय समाचार" .	२१८९-९०
९३०	औद्योगिक पुंजी वस्तुएं . .	२१९०-९१
९३१	कपड़ा तैयार करने की मशीनों का आयात . .	२१९१-९२
९३२	पुर्तगाल द्वारा हेग न्यायालय में वाद . .	२१९३-९४
९३३	दिल्ली में मूर्तियां स्थापित करने के सम्बन्ध में समिति	२१९५-९६
९३४	भारत के विरुद्ध आर्थिक अनुशास्ति	२१९७-९८
९३५	मशीनी औजार . .	२१९८-९९
९३६	पटसन उद्योग का आधुनिकीकरण .	२१९९-२२००
९३८	भारतीय उद्योगपतियों का प्रतिनिधिमण्डल .	२२००-०२
९३९	चलचित्र वित्त निगम . . .	२२०२-०३
९४०	पश्चिमी पाकिस्तान से आए विस्थापित व्यक्ति	२२०३-०४
९४२	प्रविधिक केन्द्र	२२०४-०५
९४३	काजू के कारखाने	२२०६
९४४	राजनयिक सेवायें . .	२२०६
९४५	इंडियन रेयर अर्थ्स कर्मचारी सन्था .	२२०६-०७
९४६	राज्य व्यापार निगम (प्राइवेट) लिमिटेड .	२२०७—०९
९४७	पाथरडीह (झरिया) में कोयले की खानें	२२०९-१०
९४८	राष्ट्रीय रेयन निगम .	२२१०-११
९५२	भूमि का लगान .	२२११-१२
९५३	नीलोखेड़ी शरणार्थी बस्ती .	२२१२-१३
९५४	कोल्लार योजना	२२१३-१४
९५६	अन्तर्राष्ट्रीय अणु शक्ति अभिकरण . .	२२१४

प्रश्नों के लिखित उत्तर	२२१५—६२

तारांकित
प्रश्न संख्या

९३७	उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करना . . .	२२१५
९४१	भारतीय गोल मिर्च	२२१५
९४९	लोहे और इस्पात के निर्मित पदार्थों का निर्यात . .	२२१५
९५१	करारोपण	२२१६

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर —(क्रमशः)

तारांकित
प्रश्न संख्या

९५५	काम्बे (बम्बई) में नमक का उत्पादन . .	२२१६
९५७	झींगा मछली का निर्यात . . .	२२१७
९५८	पश्चिम बोखारो कोयला क्षेत्र, झरिया . .	२२१७
९५९	भारत तथा पाकिस्तान में पावन स्थान . . .	२२१७-१८
९६०	मराठवाड़ा में राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा सामुदायिक परि-योजनाएं .	२२१८
९६१	हथकरघे का कपड़ा	२२१८
९६२	पशमीना ऊन . .	२२१८-१९
९६२-क	बेसीन में सरकारी नमक कारखाने . .	२२१९-२०
९६३	डी० डी० टी० फैक्टरी, अलवाय . . .	२२२०
९६४	पुराने किले के विस्थापित व्यक्ति . .	२२२०
९६५	राजस्थान में औद्योगीकरण . .	२२२१
९६६	घड़ियों का निर्माण . . .	२२२१
९६७	'१८५७' नामक पुस्तक . . .	२२२१
९६८	श्रीगंगानगर में शरणार्थी किसान . . .	२२२१
९६९	कच्चे मेंगनीज़ का निर्यात .	२२२२
९७०	यूरोपीय देशों से व्यापार .	२२२२
९७१	मीट्रिक प्रणाली के बांट . - .	२२२२-२३
९७२	फिल्म उद्योग	२२२३
९७३	जयपुर का आकाशवाणी केन्द्र . .	२२२३
९७४	भारतीय चाय प्रतिनिधिमण्डल . .	२२२३-२४
९७५	भारत साधु समाज	१२२४
९७६	बम्बई में शिक्षित बेकार	२२२४
९७७	दिल्ली में साइकिल रिक्शा चलाने वालों की हड़ताल . .	२२२५
९७८	पटसन की जगह इस्तेमाल किया जानेवाला पदार्थ . .	२२२५
९७९	औद्योगिक उत्पादन	२२२५-२६
९७९-क	चीनी के कारखाने	२२२६
९८०	अखिल भारतीय समाचार पत्र सम्पादक सम्मेलन . .	२२२६-२७
९८१	संसद्-सदस्यों के लिये स्थान	२२२७

अतारांकित
प्रश्न संख्या

१३७६	आकाशवाणी	२२२७
१३७७	विश्व मानचित्र	२२२७-२८
१३७८	आन्ध्र प्रदेश में काम दिलाऊ दफ्तर . .	२२२८
१३७९	धातुओं के तलछट का उद्योग . . .	२२२८

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमश:)

अतारांकित

प्रश्न संख्या

१३८० पाकिस्तान से पटसन का आयात . २२२९
१३८१ मशीनी औजार . . २२२९
१३८२ राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम . २२२९
१३८३ ऊनी कपड़ा उद्योग . २२२९-३०
१३८४ कांच उद्योग . २२३०
१३८५ साइकिलें . . २२३०
१३८६ ढलाई चूर्ण . . २२३०-३१
१३८७ बाट तथा माप . . २२३१
१३८८ सिंदरी उर्वरक कारखाना . २२३१
१३९० नेपा पेपर मिल्स . २२३१-३२
१३९१ कार्बन पेपर . . . २२३२
१३९२ सूत . . . २२३२
१३९३ रोजगार २२३२-३३
१३९४ प्रबन्ध में श्रमिकों का भाग लेना . . . २२३३
१३९५ श्रमिकों के परिवारों के लिये चिकित्सा सम्बन्धी सुविधायें २२३३
१३९६ कोयला खान श्रमिकों के लिए अस्पताल . २२३४
१३९७ केन्द्रीय अस्पताल, झरिया . . २२३४
१३९८ रानीगंज कोयला क्षेत्र में केन्द्रीय अस्पताल . . . २२३४
१३९९ चलचित्रों का प्रदर्शन २२३४-३५
१४०० छात्रवृत्तियां . . . २२३५
१४०१ अम्बर चर्खे २२३६
१४०२ भारतीय उत्पादकता प्रतिनिधिमण्डल . . . २२३६
१४०३ सीमेंट के कारखाने २२३६-३७
१४०४ बैटरियां २२३७
१४०५ प्रशिक्षण की सुविधायें २२३८
१४०६ कोयला क्षेत्रों में संतति निग्रह . . २२३८-३९
१४०७ अस्पतालों का सुधार . . . २२३९
१४०८ कोयला खान क्षेत्रों में मलेरिया २२३९-४०
१४०९ कोयला खान क्षेत्रों में फाइलेरिया की बीमारी २२४०
१४१० श्रमिकों को शिक्षा सम्बन्धी सुविधायें . . . २२४०-४१
१४११ उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम . . २२४१
१४१२ ऊनी कम्बल २२४२
१४१३ इस्पात की चीजें २२४२
१४१४ फिनायल फारमेल्डीहाइड पाउडर . . . २२४२-४३
१४१५ साइकिलें २२४३
१४१६ प्रविधिक विशेषज्ञ २२४३
१४१७ गंधक का उत्पादन २२४३-४४

विषय	पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)

अतारांकित

प्रश्न संख्या

१४१८ ऊन . . . २२४४
१४१९ रेशम का धागा . . २२४४-४५
१४२० गुड़ का उत्पादन . . . २२४५-४६
१४२१ सीमावर्ती घटनायें २२४६
१४२२ राजस्थान में विस्थापित व्यक्ति २२४६
१४२३ कोटा में विस्थापित व्यक्ति २२४७
१४२४ कोटा जिले में लघु उद्योग . . . २२४७
१४२५ राजस्थान में कुटीरोद्योग . . . २२४७
१४२६ राजस्थान में अम्बर चर्खा कार्यक्रम . . . २२४८
१४२७ राजसहायता-प्राप्त औद्योगिक गृह-निर्माण योजना . २२४८-४९
१४२८ अस्पृश्यता सम्बन्धी फिल्म . . . २२४९
१४२९ प्रादेशिक सेना के बारे में प्रलेखीय चल-चित्र . २२४९
१४३० सरकारी विज्ञापन २२४९-५०
१४३१ सामुदायिक श्रवण योजना . . . २२५०
१४३२ चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिये क्वार्टर २२५०
१४३३ विदेशी विनिमय विभाग २२५०
१४३४ जन सहयोग . २२५०-५१
१४३५ गोलमिर्च उद्योग २२५१
१४३६ द्वितीय पंचवर्षीय योजना में श्रम सम्बन्धी कार्यक्रम . . २२५१-५२
१४३७ कपड़ा मजूरी बोर्ड २२५२
१४३८ उत्तर-पूर्वी सीमान्त अभिकरण में भूमि स्खलन . . २२५२
१४३९ गोदी श्रमिक मंत्रणा बोर्ड २२५३
१४४० बर्मा के साथ व्यापार २२५३
१४४१ राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम . . २२५३
१४४२ कपड़ा मिलें . . . २२५४
१४४३ कपड़ा मिलें २२५४
१४४४ जरतार और सुनहरी जरतार के केन्द्र . . २२५४
१४४५ टाइलों का निर्यात २२५५
१४४६ मशीनों का निर्माण . . २५५५
१४४७ सीमेंट . . २२५६
१४४८ क्रियोलाइट २२५६
१४४९ पााकस्तानियों की भारत और भारतीयों की पााकसानत यात्रा . . . २२५७
१४५० छोटे पैमाने के उत्पादन केन्द्र . . २२५७

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर--(क्रमशः)		
अतारांकित प्रश्न संख्या		
१४५१	मिस्र के साथ व्यापार	२२५७
१४५२	त्रिपुरा का पुनर्वास विभाग	२२५७-५८
१४५३	क्षेत्रीय श्रम आयुक्त और समझौता पदाधिकारी	२२५८
१४५४	राजसहायता प्राप्त औद्योगिक आवास योजना	२२५८
१४५५	गोबिंदनगर कानपुर	२२५९
१४५६	आकाशवाणी	२२५९
१४५७	अखबारी कागज के कारखाने	२२५९
१४५८	तारपीन और बिरोजे के कारखाने	२२६०
१४५९	निर्यात संवर्द्धन परिषद्	२२६१
१४६०	पटसन	२२६१-६२
सभा पटल पर रखे गये पत्र		२२६२-६३

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गये :—

(१) उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम १९५१ की धारा १८-क की उपधारा (२) के अन्तर्गत निकाली गई निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति:—

(१) दिनांक १६ जुलाई, १९५६ का एस० आर० ओ० सख्या १६२३-आई डी आर ए/१८ए/६/५६

(२) दिनांक ८ सितम्बर, १९५६ का एस० आर० ओ० सख्या २०३९-आई डी आर ए/१८ए/७/५६

(३) दिनांक २९ जून १९५७ का एस० आर० ओ० सख्या २१२३-आई डी आर ए/१८ए/१/५७

(४) दिनांक २९ जून, १९५७ का एस० आर० ओ० सख्या २१२४—आई डी आर ए/१८ए/२/५७

(५) दिनांक १० सितम्बर, १९५७ का एस० आर० ओ० सख्या २८६२—ए-आई डी आर ए/१८ए/३/५७

(६) दिनांक १० सितम्बर, १९५७ का एस० आर० ओ० संख्या २८६२—बी-आई डी आर ए/१८ए/४/५७

(७) दिनांक १८ सितम्बर, १९५७ का एस० आर० ओ० संख्या ३०१९—आई डी आर ए/१८ए/५/५७

(८) दिनांक १८ सितम्बर, १९५७ का एस० आर० ओ० संख्या ३०२०—आई डी आर ए/१८ए/६/५७

(९) दिनांक १७ अक्तूबर, १९५७ का एस० आर० ओ० संख्या ३३८२—आई डी आर ए/१५/१/५७

विषय　**पृष्ठ**

(२) कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, १९५२ की धारा ७ की उपधारा (२) के अन्तर्गत कर्मचारी भविष्य निधि योजना १९५२ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक ९ नवम्बर, १९५७ की अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० ३५६५ की एक प्रति ।

कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन--उपस्थापित　२२६३

पन्द्रहवां प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया　२२६३-२३०१

विधेयक पारित

निवारक निरोध (जारी रखना) विधेयक पर विचार करने के प्रस्ताव पर और जनता की राय जानने के लिए विधेयक को परिचालित करने के लिए ९ दिसम्बर, १९५७ को प्रस्तुत किये गये संशोधन पर अग्रेतर चर्चा समाप्त हुई ।

खण्डवार विचार के बाद विधेयक को पारित किया गया ।

विधेयक विचाराधीन . . . . .　**२३०१—०४**

मजूरी भुगतान (संशोधन) विधेयक, १९५७ पर अग्रेतर विचार आरम्भ हुआ । चर्चा समाप्त नहीं हुई ।

बुधवार, ११ दिसम्बर, १९५७ के लिए कार्यावलि

मजूरी भुगतान (संशोधन) विधेयक, १९५७ पर अग्रेतर विचार और दिल्ली विकास विधेयक, १९५७, पर संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार ।